दृष्टि The Vision

करेंट अपडेट्स

(संग्रह)

अक्तूबर, 2018

दृष्टि, 641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009
फोनः 8750187501
ई-मेलः online@groupdrishti.com

अनुक्रम

संवैधानिक/प्रशासनिक घटनाक्रम 11

- स्वच्छता और स्वास्थ्य पर वैश्विक दिशा-निर्देश 11
- 'सबकी योजना, सबका विकास' अभियान 12
- अरुणाचल प्रदेश में छ: माह के लिये बढ़ा अफस्पा 13
- राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान अधिनियम, 2014 में संशोधन को मंज़ूरी 14
- राजस्थान में ज़ीका वायरस 15
- राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद 16
- नीति आयोग द्वारा मध्यस्थता संबंधी कार्यशाला 17
- मसौदा राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति 2018 18
- गैर-संचारी रोगों के उपचार हेतु दिशा-निर्देश और आदर्श छूटग्राही अनुबंध का मॉडल 18
- शौचालयों के 87% अपशिष्ट खेतों और नदियों में: CSE रिपोर्ट 19
- दिवाली के पटाखों पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश 20
- सामाजिक विज्ञान में कारग़र नीति अनुसंधान' (इम्प्रेस) 21
- सामाजिक विज्ञान में कारग़र नीति अनुसंधान' (इम्प्रेस) 22
- श्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार 23
- सरकार ने अधिसूचित किये नागरिकता संबंधी नियम 24
- भारतीय महिला राष्ट्रीय जैविक महोत्सव (national organic festival) 26
- श्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार 27

दृष्टि The Vision

नोट :

- सरकार ने अधिसूचित किये नागरिकता संबंधी नियम 28
- आज़ाद हिंद सरकार की 75वीं वर्षगाँठ 30
- डिजिटल इंडिया 2.0 30

आर्थिक घटनाक्रम 32

- प्रतिस्पर्द्धा अधिनियम समीक्षा समिति 32
- 2018-19 सीज़न की रबी फसलों के एमएसपी में वृद्धि 33
- क्या है 'IL-FS संकट'? 34
- WEF ने पेश की 'फ्यूचर ऑफ वर्क इन इंडिया' रिपोर्ट 35
- सॉवरेन गोल्ड बॉण्ड योजना 36
- आईएमएफ द्वारा वर्ष 2018 में भारत के लिये 7.3% की विकास दर का अनुमान 37
- जूता और चमड़ा उद्योग के लिये विशेष पैकेज 38
- चौथी औद्योगिक क्रांति के केंद्र की शुरुआत 39
- क्या होता है, जब ED संपत्ति ज़ब्त करती है 40
- व्यापार घाटा 5 महीने के निचले स्तर पर 41
- भारत में इस वर्ष 22 अरब डॉलर का एफडीआई प्रवाह : संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट 42
- ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2018 43
- ग्रामीण सर्वेक्षण में आंध्र प्रदेश के गाँव सर्वाधिक विकसित 44
- मोबाइल वॉलेट्स के बीच इंटरऑपरेबिलिटी 45
- RBI खरीदेगा सरकारी प्रतिभूतियाँ 46
- जल कीटाणुरोधी प्रणाली 'ओनीर' 47
- स्वतंत्र भुगतान नियामक बोर्ड के गठन का आरबीआई द्वारा विरोध 48
- वैश्विक प्रतिस्पर्द्धा सूचकांक- 2018 49

दृष्टि The Vision

नोट :

➤ पोषक तत्त्व से समृद्ध हाइब्रिड मक्का 49

➤ सीमापार ऋणशोधन पर दूसरी रिपोर्ट 50

➤ भारतीय दिवाला एवं दिवालियापन बोर्ड (नियम जारी करने के लिये प्रक्रिया) नियमन, 2018 51

➤ मत्स्य पालन एवं जलीय कृषि अवसंरचना विकास कोष 52

➤ सतत् विकास लक्ष्यों की निगरानी हेतु समिति 53

➤ समिति का प्रारूप एवं कार्य 53

➤ बेनामी संपत्ति लेन-देन निषेध अधिनियम, 1988 54

➤ एशिया की सबसे अधिक निवेशप्रिय अर्थव्यवस्था 56

➤ वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (FSDC) की 19वीं बैठक 56

अंतर्राष्ट्रीय संबंध 58

➤ भारत ने UNGA में CCIT की माँग फिर से उठाई 58

➤ अमेरिका और कनाडा के मध्य मुक्त व्यापार समझौते पर सहमति 59

➤ अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की पहली बैठक 60

➤ रिज़र्व बैंक के रुख में बदलाव लेकिन ब्याज दर यथावत 61

➤ भारत-रूस शिखर सम्मेलन 2018 62

➤ भारत-अज़रबैजान अंतर-सरकारी बैठक 63

➤ भारत एवं चीन अफगान राजनयिकों को प्रशिक्षण देंगे 64

➤ फ़ूड फोर्टिफिकेशन के लिये कानून 64

➤ भारत, जापान, यू.एस. संयुक्त वायु अभ्यास 66

➤ ASEM शिखर सम्मेलन : वैश्विक चुनौतियों के लिये वैश्विक भागीदार 66

➤ प्लुरिलेटरल वार्ता पर भारत की आपत्ति 68

➤ रूस के साथ आईएनएफ संधि से अलग होगा अमेरिका 69

दृष्टि The Vision

नोट :

➢ भारत और इज़रायल के बीच मिसाइल रक्षा सौदा 70

➢ भारत और सिंगापुर 71

➢ भारत और चीन के बीच सुरक्षा सहयोग समझौता 72

➢ भारत और बांग्लादेश : अंतर्देशीय और तटीय जलमार्ग समझौता 72

➢ भारत और सिंगापुर 73

➢ भारत और चीन के बीच सुरक्षा सहयोग समझौता 74

➢ भारत और बांग्लादेश : अंतर्देशीय और तटीय जलमार्ग समझौता 75

➢ ब्रिक्स देशों के बीच पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता 76

➢ सामाजिक और श्रम क्षेत्र में सहयोग हेतु ब्रिक्स देशों के बीच समझौता 76

➢ मॉरीशस में भारतीय परियोजना का विरोध 77

विज्ञान एवं प्रद्योगिकी 79

➢ लेज़र के अन्वेषकों ने जीता भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 79

➢ अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 80

➢ भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान समारोह- 2018 80

➢ एथेनॉल बायो-रिफाइनरी 81

➢ दिल्ली वायु प्रदूषण : ग्रेडेड रेस्पांस एक्शन प्लान 82

➢ यौन शोषण पीड़ितों को मुआवज़ा देगी तमिलनाडु सरकार 83

➢ तितली, फैलिन और हुदहुद अक्तूबर में ही क्यों ? 84

➢ प्रथम हाइपरलूप पैसेंजर कैप्सूल का अनावरण 85

➢ कृत्रिम चंद्रमा लॉन्च करेगा चीन 85

➢ नासा ने हल्क, गॉडजिला पर रखे गामा किरण पुंजों के नाम 86

➢ कृत्रिम रक्त वाहिकाओं हेतु 3D बायोप्रिंटिंग 87

नोट :

दृष्टि The Vision

➢ अतिसूक्ष्म रोबोट बीमारियों का पता लगाएँगे 88

पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी **89**

➢ बर्फीले आर्कटिक में नया समुद्री मार्ग 89

➢ नदी प्रदूषण समाप्ति योजना 90

➢ टाइप- 2 पोलियो वायरस दूषण की जाँच शुरू 90

➢ मृदा में नमी का पूर्वानुमान पहली बार 91

➢ शेरों के लिये वैक्सीन हेतु ICMR की सिफारिश 92

➢ अग्नि प्रबंधन को मज़बूत बनाने पर रिपोर्ट 93

➢ भारत का पहला राष्ट्रीय पर्यावरण सर्वेक्षण 94

➢ गंगा नदी के लिये पर्यावरणीय प्रवाह से जुड़ी अधिसूचना 95

➢ हिंद महासागर में चक्रवाती तूफान 96

➢ कृषि पशुओं की वृद्धि के लिये प्रयुक्त एंटीबायोटिक्स से सुपरबग का खतरा 96

➢ पवन चक्की वन्य-जीवन के लिये असुरक्षित 98

➢ दिल्ली में वायु प्रदूषण 99

➢ बीटी बैंगन 100

➢ हरित दिवाली- स्वस्थ दिवाली 101

➢ रीफ का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 102

➢ बीएस-4 वाहनों की बिक्री पर रोक 104

➢ वायु प्रदूषण और बाल स्वास्थ्य 105

➢ मानवीय गतिविधियाँ, वन्यजीवन के लिये खतरा (man-animal conflict) 107

सामाजिक मुद्दे **109**

➢ सीवर संबंधी मौत के मामलों में कोई सुनवाई नहीं 109

नोट :

दृष्टि The Vision

➢ कैदी महिलाएँ और न्याय के लिये पहुँच' विषय पर पहला क्षेत्रीय सम्मेलन 109

➢ 21% भारतीय बच्चे हैं कम वज़न वाले: ग्लोबल हंगर इंडेक्स 111

➢ जस्टिस वर्मा समिति द्वारा यौन उत्पीड़न कानून में बदलाव की सिफारिश 112

➢ निजीकरण और मानवाधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट 113

➢ यौन उत्पीड़न के मामलों को देखने के लिये सरकार द्वारा पैनल गठित 114

आंतरिक सुरक्षा 116

➢ अरुणाचल प्रदेश में छ: माह के लिये बढ़ा अफस्पा 116

➢ राजधानी में रिकॉर्ड की गई वायु की 'मध्यम' गुणवत्ता 117

विविध 118

➢ ऐपण (Aipan) 118

➢ प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया 118

➢ शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार- 2018 118

➢ महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छता सम्मेलन तथा महात्मा गांधी म्यूज़ियम 119

➢ IBSAMAR-VI 119

➢ उन्नत भारत अभियान 120

➢ एविया इंद्र- 18 120

➢ सुरिंसर-मानसर झील 121

➢ ऊँट कडाल पुल श्रीनगर 121

➢ भारत और एशियाई विकास बैंक के बीच ऋण समझौते पर हस्ताक्षर 121

➢ यूनेस्को ग्लोबल जिओ पार्क स्टेटस 122

➢ बायोमेट्रिक आधारित डिजिटल प्रोसेसिंग सेवा नीति 123

➢ तंबाकू उत्पादों पर चित्रमय चेतावनी में भारत का 5वाँ स्थान 123

नोट :

दृष्टि The Vision

- ग्वादर तेल रिफाइनरी 124
- स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण पुरस्कार- 2018 124
- चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड- 2018 125
- अलफांसो आम को मिला जी.आई टैग 125
- मेथनॉल कुकिंग ईंधन कार्यक्रम 126
- गीता गोपीनाथ 126
- JIMEX- 2018 127
- इंडिया स्किल्स 2018 127
- अंडमान और निकोबार कमांड 128
- अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संगठन श्रेष्ठ कार्यप्रणाली पुरस्कार 128
- मेडवाच 128
- राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की सहायता हेतु SPG का गठन 129
- विश्व डाक दिवस 129
- सर छोटू राम 129
- माजुली द्वीप के लिये नई रो-रो सुविधा 130
- ऑनलाइन आश्वासन निगरानी प्रणाली 130
- 'माइकल' तूफान 131
- CORPAT अभ्यास 131
- ब्लैक लेपर्ड 131
- राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग 132
- जीन अनुक्रमित करने हेतु प्रमुख मिशन 132
- वैश्विक कौशल पार्क 133
- अन्नपूर्णा देवी 134

नोट :

दृष्टि The Vision

- भारतीय विश्वविद्यालयों हेतु QS रैंकिंग 135
- पंडवानी गायिका तीजन बाई 135
- गायल (गौर) या मिथुन (Bos Frontalis) 135
- रोशनी केंद्र 136
- जीवन का सबसे पुराना साक्ष्य 136
- हैंड-इन-हैंड 136
- संयुक्त राष्ट्र की मानसिक स्वास्थ्य रणनीति 137
- एशियाई पैरा गेम्स- 2018 137
- Moonmoon 137
- गोवा समुद्री परिसंवाद 138
- नटवर ठक्कर 138
- राष्ट्रीय पुलिस स्मारक 138
- बिहार की लीची को मिला जीआई टैग 138
- ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक 2018 139
- बेपिकोलम्बो: मिशन मर्करी 139
- ग्रीन क्लाइमेट फंड 140
- कुंभ मेला 140
- सियोल शांति पुरस्कार 140
- 'मैं नहीं हम' पोर्टल और एप 141
- PBW-343 नामक गेहूँ की किस्म 141
- अंडर-16 स्नूकर वर्ल्ड चैंपियनशिप 141
- स्पार्क का वेब पोर्टल 141
- टैगोर सांस्कृतिक समरसता पुरस्कार 142

नोट :

दृष्टि The Vision

➢ लोक प्रशासन और प्रबंधन पुरस्कार, 2018 142

➢ आर्थिक एकीकरण रिपोर्ट 143

➢ एक्सपो सिहाक 143

➢ इन्वेस्ट इंडिया 143

➢ विश्व का सबसे लंबा समुद्री पुल 144

➢ संबल: एक लोक वाद्य यंत्र 144

➢ केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य (KWS) में पतंगा 145

➢ मिगिनगो द्वीप विवाद 145

➢ चुनावी बॉण्ड योजना-2018 145

➢ हिमालयी पारिस्थितिक तंत्र में शलभ (Moth) का महत्त्व 146

➢ गुजरात का पहला मेगा फूड पार्क 146

➢ आपदा चेतावनी प्रणाली 147

➢ ट्रेन 18 148

➢ अमूर फाल्कन 148

➢ गुजरात का पहला मेगा फूड पार्क 148

➢ आपदा चेतावनी प्रणाली 149

➢ ट्रेन 18 149

➢ अमूर फाल्कन 150

➢ सतर्कता जागरूकता सप्ताह 150

➢ पहला विश्व कृषि पुरस्कार 151

➢ मानस नेशनल पार्क 151

➢ एडिनोवायरस 151

संवैधानिक/प्रशासनिक घटनाक्रम

स्वच्छता और स्वास्थ्य पर वैश्विक दिशा-निर्देश

चर्चा में क्यों?

वैश्विक स्वच्छता और स्वास्थ्य पर पहली बार दिशा-निर्देश जारी करते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organisation-WHO) ने चेतावनी दी है कि दुनिया वर्ष 2030 तक सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएगी।

विश्व स्वास्थ्य संगठन के दिशा-निर्देश के तहत प्रमुख सिफारिशें

- स्वच्छता संबंधी मध्यवर्ती इकाइयों को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि सभी समुदायों की ऐसे शौचालयों तक पहुँच सुनिश्चित हो जहाँ मल-मूत्र आदि का सुरक्षित निपटान हो।
- व्यक्तियों और समुदायों को मल-मूत्र के संपर्क से बचाने के लिये पूर्ण स्वच्छता प्रणाली के अंतर्गत स्थानीय स्वास्थ्य जोखिमों का आकलन किया जाना चाहिये। चाहे वह जोखिम असुरक्षित शौचालयों के कारण हो, मानव अपशिष्टों के अपर्याप्त उपचार या भंडारण के लीक होने के कारण हो।
- स्वच्छता को नियमित रूप से स्थानीय सरकार की अगुआई वाली योजना और सेवा प्रावधान के अंतर्गत एकीकृत किया जाना चाहिये ताकि स्वच्छता को पुन: संयोजित करने और स्थायित्व सुनिश्चित करने से जुड़ी उच्च लागत पर रोक लगाई जा सके।
- स्वास्थ्य क्षेत्र को सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिये स्वच्छता योजना में अधिक निवेश करना चाहिये और साथ ही समन्वयक की भूमिका निभानी चाहिये।

वैश्विक दिशा-निर्देशों की आवश्यकता क्यों पड़ी?

- WHO के अनुसार, दुनिया भर में, 3 बिलियन लोगों के बीच बुनियादी स्वच्छता की कमी है (इस संख्या में से लगभग आधे लोग ऐसे हैं जो खुले में शौच करने के लिये मजबूर हैं)। ये सभी लोग उन 4.5 बिलियन लोगों में शामिल हैं जिनकी स्वच्छता सेवाओं या दूसरे शब्दों ऐसे शौचालयों जो किसी सीवर या गड्ढे या सेप्टिक टैंक से जुड़े हुए हों, तक पहुँच कम है।
- स्वास्थ्य सेवाओं तक उचित पहुँच न होने के कारण दुनिया भर में लाखों लोग उपयुक्त शौचालय और स्वास्थ्य सुरक्षा जैसी सुविधाओं आदि से वंचित हैं।
- WHO ने स्वच्छता और स्वास्थ्य पर नए दिशा-निर्देश इसलिये विकसित किये हैं क्योंकि वर्तमान स्वच्छता कार्यक्रम अनुमानित स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करने में असफल रहे हैं और स्वच्छता पर आधिकारिक स्वास्थ्य-आधारित मार्गदर्शन की कमी है।

कुछ देशों द्वारा उठाए गए महत्त्वपूर्ण कदमों की सराहना

- WHO ने स्वच्छता और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना की है। WHO के अनुसार, भारत ने खुले में शौच को समाप्त करने के लिये व्यापक स्तर पर काम किया है। भारत का स्वच्छ भारत मिशन (स्वच्छ भारत कार्यक्रम) स्वच्छता संबंधी बुनियादी क्षेत्रों तक लोगों की पहुँच और लाखों लोगों के जीवन में सुधार सुनिश्चित करने के लिये कई क्षेत्रों में समन्वित कार्य कर रहा है।
- सेनेगल (अफ्रीका का एक नेता) सभी के लिये स्वच्छता और स्वास्थ्य सेवाएँ सुनिश्चित करने हेतु गड्ढा युक्त शौचालयों और सेप्टिक टैंक की भूमिका को स्वीकार करता है। सरकार निजी क्षेत्र के साथ गड्ढों और सैप्टिक टैंकों को खाली करने और इनसे निकलने वाले अपशिष्टों के सुरक्षित उपचार के लिये अभिनव समाधान की योजना बना रही है।

नोट :

दिशा-निर्देशों को लागू करने से क्या लाभ होंगे?

- असुरक्षित पानी, स्वच्छता और साफ़-सफाई में कमी के कारण डायरिया जैसी बीमारियाँ होने से हर साल लगभग 829,000 मौतें होती हैं। WHO के नए दिशा-निर्देशों को अपनाकर देश मौत के इन आँकड़ों में कमी ला सकते हैं।
- WHO का अनुमान है कि स्वच्छता में निवेश किये गए प्रति 1 अमेरिकी डॉलर के बदले, कम स्वास्थ्य लागत, उत्पादकता में वृद्धि और समय से पहले मृत्यु के आँकड़ों में कमी से लगभग छः गुना लाभ की प्राप्ति होती है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन

- विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) संयुक्त राष्ट्र संघ की एक विशेष एजेंसी है, जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य (Public Health) को बढ़ावा देना है।
- इसकी स्थापना 7 अप्रैल, 1948 को हुई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा (स्विट्ज़रलैंड) में अवस्थित है।
- WHO संयुक्त राष्ट्र विकास समूह (United Nations Development Group) का सदस्य है।
- इसकी पूर्ववर्ती संस्था 'स्वास्थ्य संगठन' लीग ऑफ नेशंस की एजेंसी थी।

निष्कर्ष

स्वच्छता मानव स्वास्थ्य और विकास की मूलभूत नींव है तथा दुनिया भर में WHO और स्वास्थ्य मंत्रालयों का मुख्य मिशन है। हर जगह, हर किसी के लिये स्वास्थ्य और कल्याण को सुरक्षित करने हेतु WHO के स्वच्छता और स्वास्थ्य संबंधी दिशा-निर्देश आवश्यक हैं।

'सबकी योजना, सबका विकास' अभियान

चर्चा में क्यों?

2 अक्तूबर, 2018 को 'लोगों की योजना अभियान' (People's Plan Campaign) को 'सबकी योजना, सबका विकास' के रूप में शुरू किया गया। यह अभियान 31 दिसंबर, 2018 तक जारी रहेगा।

अभियान के प्रमुख बिंदु

- इस अभियान के दौरान अगले वित्त वर्ष 2019-2020 के लिये 'ग्राम पंचायत विकास योजना' (Gram Panchayat Development Plan- GPDP) तैयार करने के हेतु ग्राम सभा की संरचित (structured) बैठकें होंगी।
- 'लोगों की योजना अभियान' की निगरानी में ग्राम सभा की बैठकों के डिजिटल चित्र, मानक रूप में समन्वयकों की रिपोर्ट, सभी 29 क्षेत्रों के लिये 'लोगों की योजना अभियान' की प्लानप्लस (Planplus) अपलोडिंग, संबद्ध विभागों के प्रत्येक ज़िले/राज्य/केंद्रीय स्तर के अधिकारियों द्वारा ग्राम सभाओं के दौरे और राष्ट्रीय स्तर की निगरानी के लिये ग्राम सभाओं के औचक दौरे शामिल हैं।
- ग्राम पंचायत कार्यालय और ग्राम संवाद ऐप में सभी कार्यक्रमों के बारे में सार्वजनिक उपलब्ध कराई जाएगी।
- इस अभियान के तहत होने वाली बैठकों में 29 क्षेत्रों– कृषि, भूमि सुधार, लघु सिंचाई, पशु पालन, मत्स्य पालन, सामाजिक वानिकी, लघु वन उत्पाद, लघु उद्योगों, खादी, ग्राम और कुटीर उद्योग, ग्रामीण आवास, पेयजल, ईंधन और चारा, सड़कें, ग्रामीण विद्युतीकरण, गैर-परंपरागत ऊर्जा, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, वयस्क और अनौपचारिक शिक्षा, लाइब्रेरी, सांस्कृतिक गतिविधियाँ, बाज़ार और मेले, स्वास्थ्य और स्वच्छता, परिवार कल्याण, महिला और बाल विकास, सामाजिक कल्याण, कमज़ोर वर्गों के कल्याण, सार्वजनिक वितरण प्रणाली और सामुदायिक परिसंपत्तियों के रख-रखाव से संबंधित अग्रिम कामगारों/पर्यवेक्षकों की उपस्थिति होगी और इनके द्वारा सभी क्षेत्रों से संबंधित प्रस्तुति दी जाएगी।

ग्राम पंचायत विकास योजना

- इस योजना को देश में ग्राम पंचायतों की संख्या को ध्यान में रखते हुए बड़े पैमाने पर शुरू किया गया है।

- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिलाओं आदि जैसे समाज के कमज़ोर वर्गों की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने के लिये विशेष प्रयास किये गए हैं।

ग्राम पंचायत विकास योजना का उद्देश्य चुने हुए 31 लाख पंचायत प्रतिनिधियों और प्रभावी ग्राम सभा में DAY-NRLM के अंतर्गत स्वयं-सहायता समूहों की 2.5 करोड़ महिलाओं की भूमिका को सशक्त बनाना है।

अरुणाचल प्रदेश में छः माह के लिये बढ़ा अफस्पा

चर्चा में क्यों?

हाल में गृह मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, अरुणांचल प्रदेश के तीन ज़िलों और असम से लगे 8 थाना क्षेत्रों में सशस्त्र बल (विशेषाधिकार) कानून अफस्पा [Armed Forces (Special Powers) Act –AFSPA] को अगले छः माह तक के लिये बढ़ा दिया गया है।

गृह मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार

- अरुणाचल प्रदेश के तिरप, चांगलांग और लोंगदिंग ज़िलों को और असम से लगे आठ थाना क्षेत्रों को सशस्त्र बल (विशेषाधिकार) अधिनियम (AFSPA), 1958 के तहत 1 अक्तूबर, 2018 से 31 मार्च, 2019 तक 'अशांत क्षेत्र' घोषित किया गया है।
- आठ थाना क्षेत्रों- पश्चिम कामेंग ज़िले के बालेमू और भालुकपोंग, पूर्वी कामेंग ज़िले का सीजोसा, पापुमपारे ज़िले का बालिजान, नमसाई ज़िले के नमसाई और महादेवपुर, निचली दिबांग घाटी ज़िले में रोइंग तथा लोहित ज़िले के सुनपुरा थाने में AFSPA कानून को बढ़ाया गया है।
- यह फैसला इन क्षेत्रों में कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा करने के बाद लिया गया है।
- अरुणाचल प्रदेश के इन क्षेत्रों में प्रतिबंधित उग्रवादी समूह नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नगालैंड (NSCN-K), यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (ULFA) और नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड (NDFB) सक्रिय हैं।

क्या है अफस्पा?

- AFSPA या सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम को संसद द्वारा 1958 में पारित किया गया था।
- शुरुआत में इस कानून को अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नगालैंड और त्रिपुरा में लागू किया गया था।
- बढ़ती उग्रवादी गतिविधियों के कारण जम्मू-कश्मीर में इस कानून को 1990 में लागू किया गया था। तब से जम्मू-कश्मीर में यह कानून लागू है। उल्लेखनीय है कि राज्य का लेह-लद्दाख क्षेत्र इस कानून के अंतर्गत नहीं आता।
- अफस्पा, जम्मू-कश्मीर और पूर्वोत्तर के विवादित इलाकों में सुरक्षाबलों को विशेष अधिकार प्रदान करता है। इस कानून को लेकर काफी विवाद है और इसके दुरुपयोग का आरोप लगाकर लंबे समय से इसे हटाने की मांग की जाती रही है।
- अफस्पा का सेक्शन 4, सुरक्षाबलों को किसी भी परिसर की तलाशी लेने और बिना वारंट किसी को गिरफ्तार करने का अधिकार देता है। साथ ही खतरे का संदेह होने की स्थिति में उस स्थान को नष्ट करने का आदेश भी देता है।
- इसके तहत विवादित इलाकों में सुरक्षाबल किसी भी स्तर तक शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। संदेह की स्थिति में उन्हें किसी गाड़ी को रोकने, तलाशी लेने और उसे सीज करने का अधिकार होता है।
- इस कानून के तहत सेना के जवानों को कानून तोड़ने वाले व्यक्ति पर गोली चलाने का भी अधिकार है। यदि इस दौरान उस व्यक्ति की मौत भी हो जाती है तो उसकी जवाबदेही गोली चलाने या ऐसा आदेश देने वाले अधिकारी पर नहीं होगी।
- अफस्पा के तहत केंद्र सरकार राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर किसी राज्य या क्षेत्र को अशांत घोषित कर, वहाँ केंद्रीय सुरक्षाबलों को तैनात करती है।

नोट :

राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान अधिनियम, 2014 में संशोधन को मंज़ूरी

चर्चा में क्यों?

सितंबर 2018 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान (National Institute of Design- NID) अधिनियम, 2014 में संशोधन के लिये विधेयक लाने को मंज़ूरी दी।

प्रस्तावित संशोधन

- चार संस्थानों- नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन, अमरावती/विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश; नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन, भोपाल, मध्य प्रदेश; नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन जोरहाट, असम और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन, कुरुक्षेत्र, हरियाणा को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन (NID) एक्ट, 2014के दायरे में लाना।
- उपरोक्त संस्थानों को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन, अहमदाबाद की तरह राष्ट्रीय महत्त्व के संस्थान (Instituitions of National Importance INI) घोषित करना।
- इस विधेयक में प्रिंसिपल डिज़ाइनर के पद को प्रोफेसर के समतुल्य करने का भी प्रस्ताव है।

राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान अधिनियम, 2014 में होने वाले संशोधन से लाभ

- देश के विभिन्न क्षेत्रों में नए राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान की स्थापना राष्ट्रीय महत्त्व के संस्थान के रूप में किये जाने से डिज़ाइन के क्षेत्र में अत्यधिक कुशल श्रमबल तैयार करने में मदद मिलेगी।
- इससे शिल्प, हथकरघा, ग्रामीण तकनीक, लघु, मझोले एवं बड़े उद्यमों के लिये स्थायी डिज़ाइन संसाधन उपलब्ध कराते हुए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर रोज़गार के अवसर सृजित होंगे।
- NID एक्ट 2014 में संशोधन से क्षमता, दक्षता एवं संस्थान निर्माण के लिये विभिन्न कार्यक्रमों को भी बल मिलेगा।

राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान अधिनियम, 2014

- यह अधिनियम डिज़ाइन से संबंधित सभी शाखाओं में शिक्षा, अनुसंधान और प्रशिक्षण में गुणवत्ता तथा उत्कर्ष की अभिवृद्ध हेतु राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान को 'राष्ट्रीय महत्त्व का संस्थान' घोषित करता है तथा इससे सम्बद्ध या इसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करता है।

राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान अधिनियम, 2014 के तहत NID को प्राप्त शक्तियाँ

- राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान अधिनियम, 2014 के तहत इस संस्थान को प्रदत्त प्रमुख शक्तियां हैं-
- डिज़ाइन से संबंधित क्षेत्रों और विषयों में निर्देश और प्रशिक्षण प्रदान करना
- डिज़ाइन से संबंधित विषयों में डिग्री प्रदान करना
- संविधान और अध्यादेशों को तैयार करना, बदलना, संशोधित करना तथा रद्द करना।
- अकादमिक और उद्योग के बीच बातचीत के लिये केंद्र के रूप में कार्य करना।

राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान

- फोर्ड फाउंडेशन और साराभाई परिवार की सहायता से भारत सरकार ने एक स्वायत्त निकाय के रूप में राष्ट्रीय ड़िजाइन संस्थान की स्थापना सितंबर 1961 में की।
- वर्तमान में NID अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर औधोगिक, संचार, टेक्सटाइल और आईटी इंटीग्रेटेड (अनुभवात्मक) ड़िजाइन के लिये बेहतरीन शिक्षा और अनुसंधान संस्थान के रूप में विख्यात है।
- यह वाणिज्य और उद्योग भारत सरकार के मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संस्था है।
- NID अधिनियम, 2014 के तहत इसे राष्ट्रीय महत्त्व की संस्था घोषित किया गया है।
- इस संस्थान को एक वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान संगठन के रूप में भारत सरकार के वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग द्वारा भी मान्यता प्राप्त है।

नोट :

राजस्थान में ज़ीका वायरस

चर्चा में क्यों ?

राजस्थान के जयपुर में ज़ीका वायरस के 22 मामलों की पुष्टि के बाद सरकार ने पड़ोसी राज्यों में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। आईसीएमआर की निगरानी प्रणाली के माध्यम से जयपुर में इस बीमारी के प्रकोप की जानकारी मिली है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, पहले मामले की जानकारी मिलने के तुरंत बाद 7 सदस्यों की उच्चस्तरीय केंद्रीय टीम बीमारी को नियंत्रित करने में राज्य सरकार की सहायता के लिये जयपुर रवाना की गई है।

प्रमुख बिंदु

- ज़ीका वायरस पर हाई अलर्ट जारी करते हुए हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, मध्य प्रदेश और गुजरात समेत पड़ोसी राज्यों को सतर्क कर दिया है।
- केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के स्तर पर स्थिति की समीक्षा की जा रही है और स्वास्थ्य सचिव द्वारा इसकी निगरानी की जा रही है।
- स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक (डीजीएचएस) के नेतृत्व में तकनीकी विशेषज्ञों के एक उच्चस्तरीय संयुक्त निगरानी समूह की दो बार बैठक हुई है।05 अक्तूबर, 2018 से उच्चस्तरीय केंद्रीय टीम बीमारी पर नियंत्रण और निगरानी के लिये जयपुर में है।
- राष्ट्रीय बीमारी नियंत्रण केंद्र (एनसीडीसी) में नियंत्रण कक्ष कार्य कर रहा है ताकि स्थिति पर नियमित रूप से नज़र रखी जा सके।
- चिन्हित क्षेत्र में सभी संदिग्ध मामलों तथा मच्छरों के नमूनो की जाँच की जा रही है। वायरल शोध तथा निदान प्रयोगशालाओं को जाँच हेतु अतिरिक्त किट प्रदान किये जा रहे हैं।
- राज्य सरकार को ज़ीका वायरस बीमारी और रोकथाम के बारे में जागरूकता फैलाने के लिये आईईसी सामग्री भेजी गई है।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के माध्यम से क्षेत्र की सभी गर्भवती महिलाओं की निगरानी की जा रही है। राज्य सरकार क्षेत्र में व्यापक निगरानी तथा मच्छर नियंत्रण के उपाय कर रही है।

ज़ीका वायरस रोग

- ज़ीका वायरस बीमारी नई है और विश्व के 86 देशों में यह बीमारी पाई गई है। ज़ीका वायरस बीमारी के लक्षण डेंगू जैसे वायरल संक्रमण की तरह हैं।
- बीमारी के लक्षणों में बुखार आना, त्वचा पर लाल चकत्ते उभरना, आँख में जलन होना, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द, बैचेनी और सिरदर्द आदि शामिल हैं।
- भारत में पहली बार यह बीमारी जनवरी/फरवरी, 2017 में अहमदाबाद में फैली और दूसरी बार 2017 में यह बीमारी तमिलनाडु के कृष्णागिरी ज़िले में पाई गई। दोनों ही मामलों में सघन निगरानी और मच्छर प्रबंधन के ज़रिये इस पर सफलतापूर्वक काबू पा लिया गया।
- यह बीमारी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के गहन निगरानी में है। यद्यपि 18 नवबंर, 2016 की विश्व स्वास्थ्य संगठन की अधिसूचना के अनुसार यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता की स्थिति नहीं है।

क्या हो सकता है खतरा ?

- वायरस संक्रमित महिला के गर्भ में फैल सकता है और शिशुओं में माइक्रोसिफेली तथा अन्य गंभीर मस्तिष्क रोगों का कारण बन सकता है।
- वयस्कों में यह गुलैन-बैरे सिंड्रोम का कारण बन सकता है, जिसमें शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली नसों पर हमला करती है और कई जटिलताओं की शुरुआत होती है।

अब तक इसके लिये कोई वैक्सीन या दवा नहीं बनी। यह वायरस सबसे ज़्यादा गर्भवती और गर्भ में पल रहे बच्चों पर अटैक करता है।

नोट :

राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद

चर्चा में क्यों?

मंत्रिमंडल ने कौशल विकास के मद्देनज़र मौजूदा नियामक संस्थानों- राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (National Council for Vocational Training- NCVT) और राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी (National Skill Development Agency- NSDA) को मिलाकर राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद (National Council for Vocational Education and Training- NCVET) की स्थापना को मंज़ूरी दे दी है।

NCVET के बारे में

- NCVET दीर्घकालीन और अल्पकालीन दोनों तरह के व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण के काम में लगे निकायों के कामकाज को नियमित करेगा तथा इन निकायों के कामकाज के लिये न्यूनतम मानक तैयार करेगा। NCVET द्वारा किये जाने वाले प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं-
  - निर्णायक निकायों, मूल्यांकन निकायों और कौशल संबंधी सूचना प्रदाताओं की मान्यता तथा उनका नियमन।
  - निर्णायक निकायों और क्षेत्र कौशल परिषदों (Sector Skill Councils- SSCs) द्वारा विकसित पात्रताओं की मंज़ूरी।
  - निर्णायक निकायों और मूल्यांकन एजेंसियों के ज़रिये व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों का अप्रत्यक्ष नियमन।
  - अनुसंधान एवं सूचना प्रसार से संबंधित शिकायत का निवारण।

परिषद का स्वरूप

- परिषद का नेतृत्व एक अध्यक्ष के हाथ में होगा तथा इस परिषद में कार्यकारी और गैर-कार्यकारी सदस्य होंगे।
- चूँकि NCVET को दो मौजूदा निकायों को आपस में मिलाकर स्थापित करने का प्रस्ताव है, इसलिये मौजूदा अवसंरचना तथा संसाधनों का अधिकतम उपयोग किया जाएगा।
- उपरोक्त के अलावा कामकाज को आसान बनाने के लिये अन्य पदों का भी सृजन किया जाएगा।
- नियामक निकाय, नियमन प्रक्रियाओं के उत्कृष्ट व्यवहारों का पालन करेगा, जिससे परिषद का कामकाज और संचालन प्रोफेशनल तरीके से तथा मौजूदा कानूनों के तहत सुनिश्चित किया जा सकेगा।

NCVET की स्थापना से होने वाले लाभ

- इस संस्थागत सुधार से गुणवत्ता में वृद्धि होगी, बाज़ार में कौशल विकास कार्यक्रमों की प्रासंगिकता बढ़ेगी जिसके फलस्वरूप व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण की साख में इज़ाफा होगा।
- कौशल क्षेत्र में निजी निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा और कर्मचारियों की भागीदारी बढ़ेगी।
- यह संभव हो जाने से व्यावसायिक शिक्षा के मूल्यों और कुशल श्रमशक्ति को बढ़ाने संबंधी दोहरे उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। इसके कारण भारत को विश्व की कौशल राजधानी बनाने के विषय में प्रधानमंत्री के एजेंडा को बल मिलेगा।
- NCVET भारत की कौशल ईको-प्रणाली की एक नियामक संस्था है, जिसका देश में व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण में संलग्न सभी व्यक्तियों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
- कौशल आधारित शिक्षा के विचार को आकांक्षी आचरण के रूप में देखा जाएगा, जिससे छात्रों को कौशल आधारित शैक्षिक पाठ्यक्रमों में हिस्सा लेने हेतु प्रोत्साहन मिलेगा।
- इस उपाय से उद्योग और सेवा क्षेत्र में कुशल श्रमशक्ति की स्थिर आपूर्ति के ज़रिये व्यापार में सुगमता होगी।

पृष्ठभूमि

- पहले देश की कौशल प्रशिक्षण आवश्यकताओं को औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा चलाए जाने वाले पाठ्यक्रमों के ज़रिये पूरा किया जाता था। इसके अलावा, इस आवश्यकता को NCVT द्वारा नियमित प्रमापीय नियोजन योजना के ज़रिये पूरा किया जाता था। चूँकि यह व्यवस्था देश की बढ़ती कौशल जरूरतों को पूरा करने के लिये पर्याप्त नहीं थी और कुशल श्रमशक्ति की आवश्यकता भी बढ़ रही थी, इसलिये सरकार ने कौशल प्रयासों को बढ़ाने के लिये कई कदम उठाए।

नोट :

- इस समय कौशल विकास कार्यक्रमों को लागू करने के लिये 20 मंत्रालय/विभाग मौजूद हैं, जिनमें से अधिकतर निजी क्षेत्र के प्रशिक्षण प्रदाताओं की सहायता से चल रहे हैं।
- वर्ष 2013 में राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी (NSDA) की स्थापना के ज़रिये नियमन उपायों की कोशिश की गई थी, ताकि सरकार और निजी क्षेत्र के कौशल विकास प्रयासों में समन्वय बनाया जा सके। NSDA की प्रमुख भूमिका राष्ट्रीय कौशल पात्रता संरचना को संचालित करने की थी, ताकि क्षेत्रवार आवश्यकताओं के लिये गुणवत्ता तथा मानकों को सुनिश्चित किया जा सके।

निष्कर्ष

- कौशल आधारित अल्पकालीन और दीर्घकालीन प्रशिक्षण के सभी पक्षों को पूरा करने के लिये एक समेकित नियामक प्राधिकार की आवश्यकता थी और NCVET को एक ऐसे संस्थान के रूप में प्रस्तुत किया गया है जो उन सभी नियामक कार्यों को करेगा, जिन्हें NCVT तथा NSDA करते रहे हैं।

नीति आयोग द्वारा मध्यस्थता संबंधी कार्यशाला

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में नीति आयोग और आईसीसी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता में सर्वोत्तम प्रथाओं के बारे में प्रशिक्षण एवं मंथन (ब्रेनस्टॉर्मिंग) कार्यशाला का आयोजन किया।

प्रमुख बिंदु

- 2022 में एक नए भारत की ओर कदम बढ़ाते हुए कानूनी सुधार सुनिश्चित करना देश की एक प्रमुख और महत्त्वपूर्ण प्राथमिकता है।
- 'रिजोल्व इन इंडिया' के साथ 'मेक-इन इंडिया' विजन को कार्यान्वयित करते हुए देश में व्यापार कार्य को आसान बनाने तथा यहाँ रहने की स्थिति को सरल बनाने के कार्य को प्रोत्साहित करने के लिये मज़बूत वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र महत्त्वपूर्ण उपाय है।
- यह कार्यशाला भारत को एक वाणिज्यिक केंद्र बनाने हेतु विवाद समाधान को संस्थागत और व्यवस्थित बनाने के लिये चल रहे प्रयासों का एक हिस्सा है।
- यह कार्यशाला समस्त वाणिज्यिक अनुबंधों के प्रकाश में मध्यस्थता को समझने और लागू करने की जरूरतों का उल्लेख करती है और उसे प्रोत्साहित करती है।
- इस कार्यशाला में केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के 200 से अधिक वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। 'मेक इन इंडिया' पर सरकार द्वारा ज़ोर दिये जाने के कारण घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों प्रकार के निवेशकों के लिये भारत के विवाद समाधान तंत्र में विश्वास व्यक्त करना अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।
- इस संबंध में एक अच्छी तरह से तैयार विवाद समाधान तंत्र और सर्वोत्तम प्रक्रियाओं की व्यापक समझ से इस पहल को संपूर्णता प्राप्त होगी तथा इससे अनुबंधों को प्रभावी और समय पर लागू करने हेतु अति आवश्यक प्रोत्साहन प्राप्त होगा।
- इस कार्यशाला में अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता की बुनियादी अवधारणा और मध्यस्थता अनुबंधों को तैयार करते समय सीट, स्थल और संस्थान तथा नियंत्रित करने वाले कानून के तथ्यों पर विचार करना शामिल है।
- इसमें मध्यस्थों के चयन से संबंधित विषयों, मध्यस्थता पुरस्कारों तथा मध्यस्थता के दौरान और बाद में न्यायालयों की भूमिका से संबंधित विषय शामिल हैं।
- जानकारी साझा करने वाले सत्र के विषय इंग्लैंड, सिंगापुर, पेरिस तथा भारत के विश्व स्तरीय संकाय और प्रैक्टिशनरों द्वारा वितरित किये गए थे। प्रशिक्षण एवं मंथन कार्यशाला नीति आयोग के द्वारा किये जा रहे प्रयासों का एक हिस्सा है।

नीति आयोग द्वारा किये गए मध्यस्थता संबंधी अन्य प्रयास

- नीति आयोग ने 2016 में अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता पर दो दिवसीय सम्मेलन का आयोजन करके मध्यस्थता के महत्त्व पर प्रकाश डाला था।
- इस सम्मेलन में लगभग 1400 प्रतिभागियों ने भाग लिया था जिसकी अध्यक्षता भारत के राष्ट्रपति ने की थी और इसमें भारत के प्रधानमंत्री एवं शार्क देशों के मुख्य न्यायाधीश भी शामिल हुए थे।

नोट :

- इस सम्मेलन में पार्टियों के बीच विवादों को हल करने की पसंदीदा विधि के रूप में घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों वाणिज्यिक मध्यस्थता की प्रासंगिकता की जाँच की गई।
- नीति आयोग ने 2017 में भारतीय विधि आयोग के साथ दो दिवसीय राष्ट्रीय कानून दिवस सम्मेलन का भी आयोजन किया, जिसने विवाद समाधान सहित कई कानूनी पहलुओं पर बहस के साथ नए आधारों पर चर्चा की।
- इस सम्मेलन में कार्यक्रम के प्रत्येक दिन 1400 से अधिक प्रतिभागियों और भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, केंद्रीय कैबिनेट मंत्रियों और प्रतिष्ठित व्यक्तित्वों की भागीदारी भी देखी गई।

मसौदा राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति 2018

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति 2018 (National Electronics Policy or NPE-2018) का मसौदा जारी किया। उल्लेखनीय है कि पहली राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति 2012 में जारी की गई थी, इसने देश में विनिर्माण इकाइयों की स्थापना करने वाली कंपनियों को प्रोत्साहन प्रदान किया था।

नीति के लक्ष्य

- वर्ष 2025 तक इलेक्ट्रॉनिक्स के घरेलू विनिर्माण क्षेत्र में $ 400 बिलियन का कारोबार करने के साथ-साथ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में व्यवसाय को सुगम बनाना और इलेक्ट्रॉनिक्स के सभी उप-क्षेत्रों में उद्योग आधारित अनुसंधान और विकास एवं नवाचार को प्रोत्साहित करना।
- वर्ष 2025 तक 190 बिलियन डॉलर मूल्य के एक बिलियन मोबाइल हैंडसेट का उत्पादन करना, इसमें 110 बिलियन डॉलर मूल्य के 600 मिलियन मोबाइल हैंडसेट का निर्यात करना भी शामिल है।
- उभरते प्रौद्योगिकी क्षेत्रों जैसे- 5 जी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन लर्निंग और रक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, स्मार्ट सिटीज़ एवं स्वचालन आदि में उनके अनुप्रयोगों को भी बढ़ावा देना।

नीति के प्रमुख प्रावधान

- मसौदा नीति के मुताबिक, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय देश में इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर विनिर्माण उद्योग के विस्तार को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिये संबंधित मंत्रालयों/विभागों के साथ समन्वय स्थापित करेगा।
- इस मसौदा नीति में किसी नई इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण इकाई की स्थापना या मौजूदा इकाई के विस्तार हेतु प्रस्तावित कुछ उपायों में विश्व व्यापार संगठन के सूचना प्रौद्योगिकी समझौते (Information Technology Agreement-1 or ITA-1) के तहत कवर किये गए इलेक्ट्रॉनिक सामानों के निर्माण और आयकर अधिनियम की धारा 35AD के तहत निवेश संबंधी कटौती सहित उचित प्रत्यक्ष कर लाभों के प्रावधान शामिल हैं।
- यह नीति मौजूदा इकाइयों के विस्तार और नई इकाइयों की स्थापना के लिये संशोधित विशेष प्रोत्साहन पैकेज योजना (Modified Special Incentive Package Scheme- M-SIPS) को ऐसी योजनाओं के माध्यम से हटाने का प्रावधान करती है जिन्हें लागू करना आसान है, जैसे- सब्सिडी तथा क्रेडिट डिफ़ॉल्ट गारंटी आदि।

गैर-संचारी रोगों के उपचार हेतु दिशा-निर्देश और आदर्श छूटग्राही अनुबंध का मॉडल

चर्चा में क्यों?

हाल ही में नीति आयोग ने गैर-संचारी रोगों के उपचार हेतु सार्वजनिक और निजी भागीदारी (पीपीपी) के लिये दिशा-निर्देशों के साथ ही आदर्श छूटग्राही अनुबंध का मॉडल भी जारी किया।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- इस अनुबंध मॉडल के ज़रिये दूसरे और तीसरे दर्जे के शहरों के जिला अस्पतालों में गैर-संचारी रोगों (हृदय रोग, कैंसर और फेफड़ों) से संबंधित बीमारियों की रोकथाम और उपचार की पूरक व्यवस्था की गई है।
- नीति आयोग ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, राज्य सरकारों और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर इसे तैयार किया है।
- नीति आयोग ने देश पर बीमारियों के बोझ में गैर-संचारी रोगों का प्रतिशत पिछले कुछ वर्षों से बढ़ने के कारण ये दिशा-निर्देश जारी किये हैं।
- गैर-संचारी रोगों की रोकथाम और उपचार के लिये सार्वजनिक निजी भागादारी इकाइयाँ ज़िला अस्पतालों में खोली जाएंगी।
- आदर्श छूटग्राही अनुबंध मॉडल के तहत तीन गैर-संचारी रोगों- हृदय रोग, कैंसर और फेफड़ों से संबंधित बीमारियों की रोकथाम और उपचार को शामिल किया गया है।
- इस अनुबंध मॉडल के तहत कैंसर, श्वसन रोग तथा हृदय रोग के प्रभाव को घटाने के साथ ही कैंसर रोग में कीमोथैरेपी और हारमोन थैरेपी के ज़रिये इलाज करना, श्वसन रोग में दवाइयों के ज़रिये आपात चिकित्सा प्रबंधन एवं हृदय रोग में एनजियोग्राफी-एनजियोप्लास्टी और दवाइयों के ज़रिये आपात चिकित्सा प्रबंधन को शामिल करके सेवाओं का विस्तार किया गया है ।
- सार्वजनिक जन भागीदारी के तहत ये सेवाएँ एकल साझेदार या निजी साझेदारों के एकल समूह द्वारा उपलब्ध कराई जाएंगी।
- निजी भागीदारों को इन इकाइयों में उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं के उन्नयन और उनके संचालन प्रबंधन के लिये निवेश करना होगा।
- सरकार द्वारा ज़मीन और अन्य ढाँचागत सुविधाएँ 'जहाँ हैं जैसी हैं' के आधार पर उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके अलावा अस्पतालों में सभी तरह की सुविधाओं के लिये भी सरकार द्वारा मदद की जाएगी।कम पड़ने वाली राशि की व्यवस्था सरकारों द्वारा की जाएगी।
- रोगियों से सेवाओं के बदले ली जाने वाली शुल्क की दरें राज्यों और केंद्रों सरकारों द्वारा तय बीमा योजनाओं के आधार पर वसूली जाएंगी। जिन राज्यों में ऐसे बीमा पैकेज नहीं होंगे वहाँ लाभार्थी सीजीएचएस पैकेज की सुविधा ले सकेंगे।

शौचालयों के 87% अपशिष्ट खेतों और नदियों में: CSE रिपोर्ट

संदर्भ

हाल ही में विज्ञान और पर्यावरण केंद्र (CSE) ने उत्तर प्रदेश के शहरी शौचालयों से निकलने वाले मल-मूत्र के निपटान का विश्लेषण किया। इस विश्लेषण में यह बात खुलकर सामने आई है कि यदि इस स्थिति से निपटने हेतु व्यवस्थित सीवर सिस्टम से जुड़े टैंकों का इस्तेमाल नहीं किया गया तो पूरा प्रदेश दलदल में तब्दील हो जाएगा।

महत्त्वपूर्ण बिंदु

- गौरतलब है कि विज्ञान और पर्यावरण केंद्र (CSE) द्वारा किये गए इस विश्लेषण में उत्तर प्रदेश के कुल 30 शहरों को शामिल किया गया था।
- उत्तर प्रदेश के शहरी क्षेत्रों के 80% घरों में शौचालय की सुविधा है। लेकिन अप्रभावी स्वच्छता सुविधाओं की वज़ह से 87% मल-मूत्र का निपटान जल निकायों और कृषि योग्य भूमि में किया जाता है।
- आँकड़ों के अनुसार, विश्लेषण में शामिल शहरों में औसतन 28% घर ही सीवर सिस्टम से जुड़ पाए हैं। ऐसे में वैज्ञानिक तरीके तथा दूरदर्शिता का उपयोग किये बिना शौचालयों का निर्माण पर्यावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाएगा तथा हाथ से मैला ढोने और स्वच्छता से संबंधित बीमारियों को बढ़ावा देगा।
- इस रिपोर्ट के अनुसार, 2019 तक उत्तर प्रदेश में शौचालयों की संख्या तेज़ी से बढ़ेगी। यदि इन शौचालयों के निर्माण के दौरान वैज्ञानिक तरीकों तथा दूरदर्शिता का उपयोग नहीं किया गया तो इनसे निकलने वाले अपशिष्ट की मात्रा पूरे प्रदेश को दलदल में तब्दील कर देगी।

मैनुअल स्केवेंजर

- व्यवस्थित सीवर सिस्टम की अनुपस्थिति के कारण सेप्टिक टैंक, किचन और बाथरूम से रिसने वाला अपशिष्ट खुले नाले में प्रवाहित होता है। वहीं दूसरी तरफ, निश्चित समयांतराल पर सेप्टिक टैंक की सफाई करनी पड़ती है। यह सफाई हाथ से या फिर मशीनों से की जा सकती है।

नोट :

- विज्ञान और पर्यावरण केंद्र (CSE) के विश्लेषण से पता चलता है कि हाथ से मैला ढोने पर कानूनी प्रतिबंध के बावजूद इन शहरों में सफाई का आधा काम मैन्युअल स्केवेंजर से ही करवाया जाता है।
- चूँकि अपशिष्ट के निपटान हेतु कोई जगह निर्धारित नहीं की गई है, इसलिये निष्कासित मल-मूत्र को जल निकायों या फिर कृषि योग्य भूमि में ही डाल दिया जाता है।

अन्य तथ्य

- 6 महीनों की अवधि के दौरान, शोधकर्त्ताओं ने 30 शहरों के लिये मल-मूत्र प्रवाह का रेखा-चित्र चित्रित किया जो जनसंख्या के आधार पर चार खण्डों में विभाजित है।
  - दस लाख से ज़्यादा की आबादी वाले शहरों जैसे- लखनऊ, आगरा और कानपुर में सीवर सिस्टम 44% घरों से जुड़ा है।
  - छोटे शहरों में हालात और भी बुरे हैं। पाँच से दस लाख की आबादी वाले शहरों में 70% से अधिक आबादी खुली नालियों से जुड़े टैंकों पर निर्भर रहती है और उन टैंकों में से केवल आधे सेप्टिक टैंक के मानकों पर खरे उतरते हैं।

दिवाली के पटाखों पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश

चर्चा में क्यों?

हाल ही सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली के दौरान उपयोग किये जाने वाले पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने पटाखे से जुड़े उद्योगों के अधिकारों तथा जनता के स्वास्थ्य के मध्य सामंजस्य बैठाने का प्रयत्न किया है।

निर्णय से जुड़े प्रमुख बिंदु

- पटाखे जलाने हेतु सुप्रीम कोर्ट ने कुछ समय-सीमा तय की है जो कि इस प्रकार है-
  - दिवाली के दिन 8 PM से 10 PM।
  - क्रिसमस और नए साल की पूर्व संध्या पर 11:55 PM से 12:30 AM।
- पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन (PESO) द्वारा पटाखों में लिथियम, आर्सेनिक, लेड और पारा जैसे प्रतिबंधित रसायनों की उपस्थिति का परीक्षण किया जाएगा।
- PESO यह सुनिश्चित करेगा कि बाज़ार में केवल ऐसे पटाखे ही उपलब्ध हों जिनसे उत्पन्न शोर का डेसिबल निर्धारित डेसिबल से ज़्यादा न हो।

क्यों होता है पटाखों के जलने से प्रदूषण?

- पटाखों के जलने पर उनमें उपस्थित मैग्नीशियम और एल्युमीनियम जैसे रासायनिक लवणों के कारण चमक उत्पन्न होती है, जबकि इसमें ईंधन के रूप में गन पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है, जिसका निर्माण चारकोल और सल्फर से किया जाता है।
- जब पटाखों को जलाया जाता है तो वे सभी लवण जो रंग उत्पन करते हैं, सीधे पीएम 2.5 और पीएम 10 में बदल जाते हैं।
- इसके अतिरिक्त, गन पाउडर में जो सल्फर मौजूद होता है वह सल्फर-डाइऑक्साइड में बदल जाता है जो कि एक विषाक्त गैस है।
- आश्चर्यजनक है कि वर्ष 2017 में पटाखों के अधिक उपयोग के बावजूद भी दिवाली के दिन पिछले वर्ष की तुलना में प्रदूषण का स्तर कम रहा।
- इसका कारण यह है कि शीत प्रदूषण का स्तर कई अन्य कारकों (जैसे- गंगा के मैदानी क्षेत्रों में धान की फसल में लगने वाली आग, जलावन के लिये डीज़ल का उपयोग करना और ठंडा मौसम जो प्रदूषकों के फैलाव में अवरोध उत्पन्न करता है) से भी प्रभावित होता है। ध्यातव्य है कि ये कारक साल-दर-साल परिवर्तित होते रहते हैं।
- पटाखों में बेरियम साल्ट के प्रयोग पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।
- कम उत्सर्जन वाले पटाखों (ग्रीन क्रैकर्स) के प्रयोग पर भी जोर दिया गया है जो PM को 30-35% तक कम कर देगा तथा नाइट्रस ऑक्साइड तथा सल्फर डाई ऑक्साइड के उत्सर्जन में काफी कमी लाएगा।
- ऑनलाइन इ-कॉमर्स की वेबसाइट के द्वारा पटाखों की बिक्री पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।

नोट :

पृष्ठभूमि

- 9 अक्तूबर 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली के पहले दिल्ली एनसीआर इलाके में पटाखों की बिक्री को अस्थायी रूप से प्रतिबंधित कर दिया था।
- कोर्ट ने यह हवाला दिया था कि संविधान का अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार) आम जनता तथा पटाखा निर्माताओं दोनों के लिये लागू होता है। इसलिये पटाखे के देशव्यापी प्रतिबंध पर विचार करते हुए संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता है।

ग्रीन क्रैकर्स

- ग्रीन क्रैकर्स ऐसे पटाखे हैं जिन्हें फोड़ने के पश्चात् हानिकारक रसायनों तथा गैसों का उत्सर्जन नहीं होता है। ऐसे पटाखों में हानिकारक संघटकों का प्रयोग नहीं किया जाता है जो वायु प्रदूषण को बढ़ावा देते हैं।
- सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट (CECRI), इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट और नेशनल केमिकल लेबोरेटरी के वैज्ञानिकों ने कुछ 'ग्रीन क्रैकर्स' पटाखे, जैसे- सेफ वॉटर रिलीज़र (SWAS), सेफ थर्माइट क्रैकर (STAR) तथा सेफ मिनिमल एल्युमीनियम (SAFAL) विकसित किये हैं।

निष्कर्ष

इस प्रतिबंध का प्रभावी या अप्रभावी सिद्ध होना आगे का विषय है। परंतु पिछले साल लगाए गए पूर्ण प्रतिबंध के बावजूद भी प्रदूषण का उच्च स्तर यह दर्शाता है कि प्रदूषण के अन्य स्रोत जैसे- वाहनों से होने वाले उत्सर्जन, उद्योगों से निकलने वाली दूषित गैसें तथा अन्य कारकों को सरकार द्वारा नज़रंदाज़ किया गया है। अत: केवल पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाकर प्रदूषण के स्तर में वांछित कमी की इच्छा करना प्रासंगिक प्रतीत नहीं होता है। यह आवश्यक है कि सरकार वर्ष भर अन्य स्रोतों के माध्यम से होने वाले प्रदूषण पर नियंत्रण करने हेतु भी इसी प्रकार के ठोस कदम उठाए।

सामाजिक विज्ञान में कारग़र नीति अनुसंधान' (इम्प्रेस)

चर्चा में क्यों?

केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने नई दिल्ली में 'सामाजिक विज्ञान में कारग़र नीति अनुसंधान' (Impactful Policy Research in Social Science - IMPRESS) कार्यक्रम का वेब पोर्टल लॉन्च किया।

प्रमुख विशेषताएँ

- इस योजना के तहत उच्च शिक्षा संस्थानों में सामाजिक विज्ञान अनुसंधान का समर्थन करने और नीति बनाने के लिये 2 वर्षों में 1500 अनुसंधान प्रोजेक्ट चलाए जाएंगे।
- 414 करोड़ रुपए की कुल लागत से मार्च 2021 तक इस योजना का संचालन किया जाएगा और अगले साल जनवरी से इसके संबंध में कार्य शुरू हो जाएगा।
- समाज की प्रगति के लिये सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान अनिवार्य है और इस कार्यक्रम के अंतर्गत किये गए अनुसंधान का इस्तेमाल उन समस्याओं के समाधान के लिये किया जाएगा, जिनका सामना समाज को करना पड़ रहा है।

पृष्ठभूमि

- सरकार ने अगस्त, 2018 में 31.03.2021 तक कार्यान्वित करने के लिये 414 करोड़ रुपए की कुल लागत के साथ 'सामाजिक विज्ञान में कारग़र नीति अनुसंधान' कार्यक्रम को मंजूरी दी थी और भारतीय सामाजिक विज्ञान एवं अनुसंधान परिषद को परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी बनाया गया था।

नोट :

कार्यक्रम के प्रमुख लक्ष्य

शासन और समाज पर अधिकतम असर डालने वाले सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान प्रस्तावों की पहचान और उसके लिये धन प्रदान करना।

- 11 प्रमुख विषय क्षेत्रों में अनुसंधान पर ध्यान केंद्रित करना जैसे-
  - राज्य और लोकतंत्र
  - शहरी रूपांतरण
  - मीडिया
  - संस्कृति और समाज
  - रोज़गार
  - कौशल और ग्रामीण रूपांतरण
  - शासन
  - नवाचार और सार्वजनिक नीति
  - विकास
  - वृहद् व्यापार एवं आर्थिक नीति
  - कृषि और ग्रामीण विकास
  - स्वास्थ्य और पर्यावरण
  - विज्ञान और शिक्षा
  - सामाजिक मीडिया और प्रौद्योगिकी
  - राजनीति, विधि और अर्थशास्त्र
  - परियोजनाओं का चयन ऑनलाइन पद्धति से पारदर्शी, प्रतिस्पर्द्धात्मक प्रक्रिया के ज़रिये सुनिश्चित करना।
  - सभी विश्वविद्यालयों (केंद्रीय और राज्य), विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा 12 (बी) का दर्जा प्रदत्त प्राइवेट संस्थानों सहित देश के किसी भी संस्थान में सामाजिक विज्ञान अनुसंधानकर्त्ताओं के लिये अवसर प्रदान करना।
  - ICSSR (Indian Council of Social Science and Research) वित्तपोषित/मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान भी निर्दिष्ट विषयों और उपविषयों में अनुसंधान प्रस्ताव प्रस्तुत करने के पात्र होंगे।

सामाजिक विज्ञान में कारग़र नीति अनुसंधान' (इम्प्रेस)

चर्चा में क्यों?

केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने नई दिल्ली में 'सामाजिक विज्ञान में कारग़र नीति अनुसंधान' (Impactful Policy Research in Social Science - IMPRESS) कार्यक्रम का वेब पोर्टल लॉन्च किया।

प्रमुख विशेषताएँ

- इस योजना के तहत उच्च शिक्षा संस्थानों में सामाजिक विज्ञान अनुसंधान का समर्थन करने और नीति बनाने के लिये 2 वर्षों में 1500 अनुसंधान प्रोजेक्ट चलाए जाएंगे।
- 414 करोड़ रुपए की कुल लागत से मार्च 2021 तक इस योजना का संचालन किया जाएगा और अगले साल जनवरी से इसके संबंध में कार्य शुरू हो जाएगा।
- समाज की प्रगति के लिये सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान अनिवार्य है और इस कार्यक्रम के अंतर्गत किये गए अनुसंधान का इस्तेमाल उन समस्याओं के समाधान के लिये किया जाएगा, जिनका सामना समाज को करना पड़ रहा है।

नोट :

पृष्ठभूमि

सरकार ने अगस्त, 2018 में 31.03.2021 तक कार्यान्वित करने के लिये 414 करोड़ रुपए की कुल लागत के साथ 'सामाजिक विज्ञान में कारगर नीति अनुसंधान' कार्यक्रम को मंज़ूरी दी थी और भारतीय सामाजिक विज्ञान एवं अनुसंधान परिषद को परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी बनाया गया था।

कार्यक्रम के प्रमुख लक्ष्य

- शासन और समाज पर अधिकतम असर डालने वाले सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान प्रस्तावों की पहचान और उसके लिये धन प्रदान करना।
- 11 प्रमुख विषय क्षेत्रों में अनुसंधान पर ध्यान केंद्रित करना जैसे-
- राज्य और लोकतंत्र
- शहरी रूपांतरण
- मीडिया
- संस्कृति और समाज
- रोज़गार
- कौशल और ग्रामीण रूपांतरण
- शासन
- नवाचार और सार्वजनिक नीति
- विकास
- वृहद् व्यापार एवं आर्थिक नीति
- कृषि और ग्रामीण विकास
- स्वास्थ्य और पर्यावरण
- विज्ञान और शिक्षा
- सामाजिक मीडिया और प्रौद्योगिकी
- राजनीति, विधि और अर्थशास्त्र
- परियोजनाओं का चयन ऑनलाइन पद्धति से पारदर्शी, प्रतिस्पर्द्धात्मक प्रक्रिया के ज़रिये सुनिश्चित करना।
- सभी विश्वविद्यालयों (केंद्रीय और राज्य), विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा 12 (बी) का दर्जा प्रदत्त प्राइवेट संस्थानों सहित देश के किसी भी संस्थान में सामाजिक विज्ञान अनुसंधानकर्त्ताओं के लिये अवसर प्रदान करना।
- ICSSR (Indian Council of Social Science and Research) वित्तपोषित/मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान भी निर्दिष्ट विषयों और उपविषयों में अनुसंधान प्रस्ताव प्रस्तुत करने के पात्र होंगे।

श्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारतीय खाद्य एवं कृषि परिषद (Indian Council of Food and Agriculture-ICFA) ने गुजरात को 'श्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार' से सम्मानित किया। गुजरात को यह पुरस्कार नई दिल्ली में आयोजित '11 वें वैश्विक कृषि नेतृत्व शिखर सम्मेलन और नेतृत्व पुरस्कार - 2018' के दौरान दिया गया।

नोट :

कृषि को बेहतर बनाने के लिये गुजरात की पहल

- गुजरात ने बेहतर कृषि प्रणाली और इसके लिये जागरूकता फैलाने की दिशा में कई पहलों को अपनाया है। इनमें से कुछ प्रमुख प्रयास हैं-
  - कृषि महोत्सव
  - मृदा स्वास्थ्य कार्ड
  - जल संरक्षण
  - सूक्ष्म सिंचाई
  - बागवानी
  - फसल पश्चात् प्रबंधन
  - डेयरी और पशुपालन
- इसके अलावा यह राज्य कपास की फसल (राज्य की सबसे बड़ी खरीफ फसल) में गुलाबी-बॉलवार्म के खतरे से निपटने में भी सफल रहा है।
- पिछले कुछ वर्षों में गुजरात ने कृषि के लिये ड्रोन सर्वेक्षण के अलावा उपग्रह इमेजरी और जीआईएम मैपिंग के क्षेत्रों में पहल की है।

11वाँ वैश्विक कृषि नेतृत्व शिखर सम्मेलन और नेतृत्व पुरस्कार- 2018

- 24-25 अक्तूबर, 2018 को 11वें वैश्विक कृषि नेतृत्व शिखर सम्मेलन और नेतृत्व पुरस्कार का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। इस सम्मेलन में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने "पालिसी लीडरशिप" श्रेणी में वैश्विक कृषि नेतृत्व पुरस्कार प्राप्त किया।

सम्मेलन का उद्देश्य

- नीतिगत सुधारों और सहयोगी प्रयासों के माध्यम से भारतीय किसानों को सर्वोत्तम विपणन मॉडल और संपर्क प्रदान करने के लिये राष्ट्रीय तथा वैश्विक विपणन परिदृश्य एवं सफलता हेतु मॉडल पर चर्चा करना।
- भारत और वैश्विक स्तर पर किसानों द्वारा सामना किये जाने वाले विपणन मुद्दों और चुनौतियों जैसे- व्यापार और विपणन तक पहुँच, इक्विटी का मुद्दा तथा कृषि मूल्य और आपूर्ति श्रृंखलाओं में उभरते रुझान पर चर्चा करना।
- राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर कृषि के लिये नीति, व्यापार और बाज़ार दृष्टिकोण पर चर्चा करना, कृषि स्टार्ट-अप तथा किसान संगठनों के माध्यम से किसानों के लिये अवसर पैदा करके इस मुद्दे को हल करना।
- बेहतर विपणन विकल्पों के साथ किसानों की सहायता के लिये एफपीओ, कृषि व्यवसाय, स्टार्ट-अप उद्यम और मूल्य श्रृंखला विकास को बढ़ावा देने के लिये राज्यों, उद्योगों तथा संस्थानों की भूमिका पर चर्चा करना।
- जलवायु परिवर्तन और खाद्य सुरक्षा के मुद्दे, साझेदारी के माध्यम से सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता तथा बाज़ार में किसानों की आय बढ़ाने के लिये निजी क्षेत्र की बढ़ती भूमिका की आवश्यकता पर चर्चा करना।

कृषि नेतृत्व पुरस्कार, 2018

- यह पुरस्कार किसानों की समस्याओं का समाधान तथा उनके जीवन को बेहतर बनाने एवं कृषि के विकास में योगदान के लिये दिया जाता है।
- वैश्विक कृषि नेतृत्व पुरस्कार की स्थापना वर्ष 2008 में की गई थी, इस पुरस्कार के द्वारा किसानों के सशक्तीकरण के लिये कार्य करने वाले व्यक्तियों को सम्मानित किया जाता है।
- इस पुरस्कार के विजेता का चुनाव महान कृषि वैज्ञानिक एम.एस. स्वामीनाथन की अध्यक्षता वाली जूरी द्वारा किया जाता है।

सरकार ने अधिसूचित किये नागरिकता संबंधी नियम

चर्चा में क्यों?

गृह मंत्रालय ने अधिसूचित किया है कि सात राज्यों के कुछ ज़िलों के संग्राहक भारत में रहने वाले पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से सताए गए अल्पसंख्यकों को नागरिकता प्रदान करने के लिये ऑनलाइन आवेदन स्वीकार कर सकते हैं। राज्यों और केंद्र से सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद उन्हें नागरिकता दी जाएगी।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- गृह मंत्रालय ने छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 5 और 6 के तहत प्रवासियों को नागरिकता और प्राकृतिक प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिये कलेक्टरों को शक्तियाँ दी हैं।
- हाल ही में गृह मंत्रालय ने नागरिकता नियम, 2009 की अनुसूची 1 भी बदल दिया।
- नए नियमों के तहत भारतीय मूल के किसी भी व्यक्ति द्वारा निम्नलिखित मामलों पर नागरिकता की मांग करते समय अपने धर्म के बारे में घोषणा करना अनिवार्य होगा-
- भारतीय नागरिक से विवाह करने वाले किसी व्यक्ति के लिये।
- भारतीय नागरिकों के ऐसे बच्चे जिनका जन्म विदेश में हुआ हो।
- ऐसा व्यक्ति जिसके माता-पिता भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकृत हों।
- ऐसा व्यक्ति जिसके माता-पिता में से कोई एक स्वतंत्र भारत का नागरिक रहा हो।

ध्यातव्य है कि नागरिकता अधिनियम, 1955 में धर्म का कोई उल्लेख नहीं है। यह अधिनियम पाँच तरीकों से नागरिकता प्रदान करता है: जन्म, वंश, पंजीकरण, नैसर्गिक और देशीयकरण के आधार पर।

नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2016

- नागरिकता संशोधन अधिनियम का प्रस्ताव नागरिकता अधिनियम, 1955 में संशोधन के लिये पारित किया गया था।
- नागरिकता संशोधन विधेयक-2016 में पड़ोसी देशों (बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान) से आए हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी तथा ईसाई अल्पसंख्यकों (मुस्लिम शामिल नहीं) को नागरिकता प्रदान करने की बात कही गई है, चाहे उनके पास ज़रूरी दस्तावेज़ हों या नहीं।
- नागरिकता अधिनियम, 1955 के अनुसार नैसर्गिक नागरिकता के लिये अप्रवासी को तभी आवेदन करने की अनुमति है, जब वह आवेदन करने से ठीक पहले 12 महीने से भारत में रह रहा हो और पिछले 14 वर्षों में से 11 वर्ष भारत में रहा हो। नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2016 में इस संबंध में अधिनियम की अनुसूची 3 में संशोधन का प्रस्ताव किया गया है ताकि वे 11 वर्ष की बजाय 6 वर्ष पूरे होने पर नागरिकता के पात्र हो सकें।
- भारत के विदेशी नागरिक (Overseas Citizen of India -OCI) कार्डधारक यदि किसी भी कानून का उल्लंघन करते हैं तो उनका पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा।

नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2016 से संबंधित समस्याएँ

- यह संशोधन पड़ोसी देशों से आने वाले मुस्लिम लोगों को ही 'अवैध प्रवासी' मानता है, जबकि लगभग अन्य सभी लोगों को इस परिभाषा के दायरे से बाहर कर देता है। इस प्रकार यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है।
- यह विधेयक किसी भी कानून का उल्लंघन करने पर OCI पंजीकरण को रद्द करने की अनुमति देता है। यह एक ऐसा व्यापक आधार है जिसमें मामूली अपराधों सहित कई प्रकार के उल्लंघन शामिल हो सकते हैं (जैसे नो पार्किंग क्षेत्र में पार्किंग)।

प्रस्तावित संशोधन

1. नियंत्रण और संशोधन: ओसीआई कार्ड के पंजीकरण को रद्द करने के लिये केंद्र सरकार को दी गई विस्तृत शक्तियों को कम करना या एक समिति या एक लोकपाल नियुक्त करके नियंत्रण और संशोधन का संतुलन बनाए रखना आवश्यक है।
2. धर्म को आधार न माना जाए: केवल धर्म के आधार पर आप्रवासियों को निवास में 12 के स्थान पर 6 साल की छूट देने को हटाया जा सकता है क्योंकि यह धर्मनिरपेक्षता के विचार के खिलाफ है।
3. शरणार्थी: शरणार्थियों की अंतर्राष्ट्रीय समस्या को ध्यान में रखते हुए शरणार्थियों की स्थिति और वे किस स्थिति में भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, को देखना ज़रूरी है। शरणार्थी और एक आप्रवासी के बीच स्पष्ट सीमा तय करना आवश्यक है।

नोट :

आगे की राह

- कानून को लागू करने में कोई पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिये और सभी को न्याय और स्वतंत्रता प्रदान करने के लिये पूरी कोशिश की जानी चाहिये। अतीत में भी भारत ने उन शरणार्थियों को आश्रय दिया है, जिन्हें उनकी भाषा (श्रीलंका में तमिल) के कारण सताया जा रहा था। इस बिल में ऐसे अल्पसंख्यक शामिल नहीं हैं, इसलिये धार्मिक अल्पसंख्यकों की बजाय 'सताए गए अल्पसंख्यक' शब्द को शामिल करके कानून के दायरे को विस्तारित करना आवश्यक है।

अवैध आप्रवासी

- नागरिकता अधिनियम (1955) के अनुसार, एक अवैध आप्रवासी को ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है जो भारत में बिना वैध वीज़ा के प्रवेश करता है या वीज़ा परमिट की समाप्ति के बाद भी देश में रहता है।
- इसके अलावा, ऐसे आप्रवासी को भी अवैध माना जाता है जो आप्रवासन प्रक्रिया के लिये झूठे दस्तावेज़ों का उपयोग करता है।
- भारत के विदेशी नागरिक
- OCI ऐसे विदेशी हैं जो भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। उदाहरण के लिये, वे पूर्व भारतीय नागरिक या मौजूदा भारतीय नागरिक के बच्चे हो सकते हैं।
- OCI बहुउद्देश्यीय, एकाधिक प्रविष्टियों और एक आजीवन वीज़ा के हकदार हैं, जो उन्हें किसी भी समय और किसी भी उद्देश्य के लिये भारत आने की इज़ाज़त देता है।

प्राकृतिककरण द्वारा नागरिकता

- प्राकृतिककरण द्वारा केंद्र सरकार किसी भी व्यक्ति को (एक अवैध प्रवासी नहीं है) प्राकृतिककरण का प्रमाण पत्र दे सकती है यदि उसके पास निम्नलिखित योग्यताएँ हैं:
- वह किसी भी देश का विषय या नागरिकताा नहीं है जहाँ भारत के नागरिकों को प्राकृतिककरण के द्वारा उस देश के विषयों या नागरिक बनने से रोका जाता है।
- यदि वह किसी देश का नागरिक है और वह उस देश की नागरिकता को त्यागने का प्रयास करता है

अनुच्छेद 14

- कानून के समक्ष समानता और कानून की समान सुरक्षा। यह अधिकार नागरिकों और विदेशियों (दुश्मन देश के नागरिक को छोड़कर) दोनों के लिये उपलब्ध है।

भारतीय महिला राष्ट्रीय जैविक महोत्सव (national organic festival)

चर्चा में क्यों?

26 अक्तूबर से 04 नवंबर, 2018 तक भारतीय महिला जैविक महोत्सव के पाँचवें संस्करण का आयोजन नई दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि इसका आयोजन महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है।

सम्मेलन का उद्देश्य

- इस महोत्सव का उद्देश्य जैविक संस्कृति और महिला जैविक किसानों तथा उद्यमियों को बढ़ावा देना है। देश का सबसे बड़ा जैविक महोत्सव होने के कारण यह इस बात को साबित करता है कि महिलाएँ देश के जैविक आंदोलन की अगुवाई कर रही हैं।

प्रमुख बिंदु

- भारतीय महिला महोत्सव ने पिछले चार वर्षों में महिला किसानों और उद्यमियों को उल्लासी और लाभकारी तरीके से सशक्त बनाने के लिये एक सफल मंच उपलब्ध कराया है।
- मंत्रालय के प्रयासों से रोज़गार सृजन और जैविक उत्पादों के लाभों के बारे में जागरूकता फैलाने तथा किसानों को संपन्न बनाकर इन प्रसिद्ध ग्रामीण महिलाओं के स्थानीय समुदायों और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में सफलता मिली है।

- इस महोत्सव में पूरे देश से पाँच सौ से भी अधिक महिला उद्यमी अपने जैविक उत्पादों, जैसे- अनाज, चावल, दालें, त्वचा देखभाल उत्पादों, कपड़ों, आभूषणों इत्यादि के साथ एकजुट हुईं।
- पहली बार 'द वेगन प्रोजेक्ट' और ताज़े व्यंजनों से युक्त फूड कोर्ट को भी महोत्सव में शामिल किया गया।

सम्मेलन से होने वाले लाभ

- देश के दूरदराज़ के हिस्सों से आने वाली प्रतिभागी महिलाएँ महोत्सव की पूरी अवधि के दौरान दिल्ली में रहती हैं और उन्हें अपने स्वास्थ्यकर और संपूर्ण गुणों से युक्त उत्पाद दिल्ली एवं आस-पास के क्षेत्रों के लोगों को बेचने का अवसर मिलता है।
- यह इस बात का आदर्श उदाहरण है कि यह महोत्सव किस प्रकार क्रांति को जन्म दे रहा है और महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रहा है।

श्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारतीय खाद्य एवं कृषि परिषद (Indian Council of Food and Agriculture-ICFA) ने गुजरात को 'श्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार' से सम्मानित किया। गुजरात को यह पुरस्कार नई दिल्ली में आयोजित '11 वें वैश्विक कृषि नेतृत्व शिखर सम्मेलन और नेतृत्व पुरस्कार - 2018' के दौरान दिया गया।

कृषि को बेहतर बनाने के लिये गुजरात की पहल

- गुजरात ने बेहतर कृषि प्रणाली और इसके लिये जागरूकता फैलाने की दिशा में कई पहलों को अपनाया है। इनमें से कुछ प्रमुख प्रयास हैं-
    - कृषि महोत्सव
    - मृदा स्वास्थ्य कार्ड
    - जल संरक्षण
    - सूक्ष्म सिंचाई
    - बागवानी
    - फसल पश्चात् प्रबंधन
    - डेयरी और पशुपालन
- इसके अलावा यह राज्य कपास की फसल (राज्य की सबसे बड़ी खरीफ फसल) में गुलाबी-बॉलवार्म के खतरे से निपटने में भी सफल रहा है।
- पिछले कुछ वर्षों में गुजरात ने कृषि के लिये ड्रोन सर्वेक्षण के अलावा उपग्रह इमेजरी और जीआईएम मैपिंग के क्षेत्रों में पहल की है।

11वाँ वैश्विक कृषि नेतृत्व शिखर सम्मेलन और नेतृत्व पुरस्कार- 2018

- 24-25 अक्तूबर, 2018 को 11वें वैश्विक कृषि नेतृत्व शिखर सम्मेलन और नेतृत्व पुरस्कार का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। इस सम्मेलन में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने "पालिसी लीडरशिप" श्रेणी में वैश्विक कृषि नेतृत्व पुरस्कार प्राप्त किया।

सम्मेलन का उद्देश्य

- नीतिगत सुधारों और सहयोगी प्रयासों के माध्यम से भारतीय किसानों को सर्वोत्तम विपणन मॉडल और संपर्क प्रदान करने के लिये राष्ट्रीय तथा वैश्विक विपणन परिदृश्य एवं सफलता हेतु मॉडल पर चर्चा करना।
- भारत और वैश्विक स्तर पर किसानों द्वारा सामना किये जाने वाले विपणन मुद्दों और चुनौतियों जैसे- व्यापार और विपणन तक पहुँच, इक्विटी का मुद्दा तथा कृषि मूल्य और आपूर्ति श्रृंखलाओं में उभरते रुझान पर चर्चा करना।
- राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर कृषि के लिये नीति, व्यापार और बाज़ार दृष्टिकोण पर चर्चा करना, कृषि स्टार्ट-अप तथा किसान संगठनों के माध्यम से किसानों के लिये अवसर पैदा करके इस मुद्दे को हल करना।

नोट :

- बेहतर विपणन विकल्पों के साथ किसानों की सहायता के लिये एफपीओ, कृषि व्यवसाय, स्टार्ट-अप उद्यम और मूल्य श्रृंखला विकास को बढ़ावा देने के लिये राज्यों, उद्योगों तथा संस्थानों की भूमिका पर चर्चा करना।
- जलवायु परिवर्तन और खाद्य सुरक्षा के मुद्दे, साझेदारी के माध्यम से सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता तथा बाज़ार में किसानों की आय बढ़ाने के लिये निजी क्षेत्र की बढ़ती भूमिका की आवश्यकता पर चर्चा करना।

कृषि नेतृत्व पुरस्कार, 2018

- यह पुरस्कार किसानों की समस्याओं का समाधान तथा उनके जीवन को बेहतर बनाने एवं कृषि के विकास में योगदान के लिये दिया जाता है।
- वैश्विक कृषि नेतृत्व पुरस्कार की स्थापना वर्ष 2008 में की गई थी, इस पुरस्कार के द्वारा किसानों के सशक्तीकरण के लिये कार्य करने वाले व्यक्तियों को सम्मानित किया जाता है।
- इस पुरस्कार के विजेता का चुनाव महान कृषि वैज्ञानिक एम.एस. स्वामीनाथन की अध्यक्षता वाली जूरी द्वारा किया जाता है।

सरकार ने अधिसूचित किये नागरिकता संबंधी नियम

चर्चा में क्यों?

गृह मंत्रालय ने अधिसूचित किया है कि सात राज्यों के कुछ ज़िलों के संग्राहक भारत में रहने वाले पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से सताए गए अल्पसंख्यकों को नागरिकता प्रदान करने के लिये ऑनलाइन आवेदन स्वीकार कर सकते हैं। राज्यों और केंद्र से सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद उन्हें नागरिकता दी जाएगी।

प्रमुख बिंदु

- गृह मंत्रालय ने छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 5 और 6 के तहत प्रवासियों को नागरिकता और प्राकृतिक प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिये कलेक्टरों को शक्तियाँ दी हैं।
- हाल ही में गृह मंत्रालय ने नागरिकता नियम, 2009 की अनुसूची 1 भी बदल दिया।
- नए नियमों के तहत भारतीय मूल के किसी भी व्यक्ति द्वारा निम्नलिखित मामलों पर नागरिकता की मांग करते समय अपने धर्म के बारे में घोषणा करना अनिवार्य होगा-
- भारतीय नागरिक से विवाह करने वाले किसी व्यक्ति के लिये।
- भारतीय नागरिकों के ऐसे बच्चे जिनका जन्म विदेश में हुआ हो।
- ऐसा व्यक्ति जिसके माता-पिता भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकृत हों।
- ऐसा व्यक्ति जिसके माता-पिता में से कोई एक स्वतंत्र भारत का नागरिक रहा हो।

ध्यातव्य है कि नागरिकता अधिनियम, 1955 में धर्म का कोई उल्लेख नहीं है। यह अधिनियम पाँच तरीकों से नागरिकता प्रदान करता है: जन्म, वंश, पंजीकरण, नैसर्गिक और देशीयकरण के आधार पर।

नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2016

- नागरिकता संशोधन अधिनियम का प्रस्ताव नागरिकता अधिनियम, 1955 में संशोधन के लिये पारित किया गया था।
- नागरिकता संशोधन विधेयक-2016 में पड़ोसी देशों (बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान) से आए हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी तथा ईसाई अल्पसंख्यकों (मुस्लिम शामिल नहीं) को नागरिकता प्रदान करने की बात कही गई है, चाहे उनके पास ज़रूरी दस्तावेज़ हों या नहीं।
- नागरिकता अधिनियम, 1955 के अनुसार नैसर्गिक नागरिकता के लिये अप्रवासी को तभी आवेदन करने की अनुमति है, जब वह आवेदन करने से ठीक पहले 12 महीने से भारत में रह रहा हो और पिछले 14 वर्षों में से 11 वर्ष भारत में रहा हो। नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2016 में इस संबंध में अधिनियम की अनुसूची 3 में संशोधन का प्रस्ताव किया गया है ताकि वे 11 वर्ष की बजाय 6 वर्ष पूरे होने पर नागरिकता के पात्र हो सकें।

- भारत के विदेशी नागरिक (Overseas Citizen of India -OCI) कार्डधारक यदि किसी भी कानून का उल्लंघन करते हैं तो उनका पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा।

नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2016 से संबंधित समस्याएँ

- यह संशोधन पड़ोसी देशों से आने वाले मुस्लिम लोगों को ही 'अवैध प्रवासी' मानता है, जबकि लगभग अन्य सभी लोगों को इस परिभाषा के दायरे से बाहर कर देता है। इस प्रकार यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है।
- यह विधेयक किसी भी कानून का उल्लंघन करने पर OCI पंजीकरण को रद्द करने की अनुमति देता है। यह एक ऐसा व्यापक आधार है जिसमें मामूली अपराधों सहित कई प्रकार के उल्लंघन शामिल हो सकते हैं (जैसे नो पार्किंग क्षेत्र में पार्किंग)।

प्रस्तावित संशोधन

1. नियंत्रण और संशोधन: ओसीआई कार्ड के पंजीकरण को रद्द करने के लिये केंद्र सरकार को दी गई विस्तृत शक्तियों को कम करना या एक समिति या एक लोकपाल नियुक्त करके नियंत्रण और संशोधन का संतुलन बनाए रखना आवश्यक है।
2. धर्म को आधार न माना जाए: केवल धर्म के आधार पर आप्रवासियों को निवास में 12 के स्थान पर 6 साल की छूट देने को हटाया जा सकता है क्योंकि यह धर्मनिरपेक्षता के विचार के खिलाफ है।
3. शरणार्थी: शरणार्थियों की अंतर्राष्ट्रीय समस्या को ध्यान में रखते हुए शरणार्थियों की स्थिति और वे किस स्थिति में भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, को देखना ज़रूरी है। शरणार्थी और एक आप्रवासी के बीच स्पष्ट सीमा तय करना आवश्यक है।

आगे की राह

- कानून को लागू करने में कोई पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिये और सभी को न्याय और स्वतंत्रता प्रदान करने के लिये पूरी कोशिश की जानी चाहिये। अतीत में भी भारत ने उन शरणार्थियों को आश्रय दिया है, जिन्हें उनकी भाषा (श्रीलंका में तमिल) के कारण सताया जा रहा था। इस बिल में ऐसे अल्पसंख्यक शामिल नहीं हैं, इसलिये धार्मिक अल्पसंख्यकों की बजाय 'सताए गए अल्पसंख्यक' शब्द को शामिल करके कानून के दायरे को विस्तारित करना आवश्यक है।

अवैध आप्रवासी

- नागरिकता अधिनियम (1955) के अनुसार, एक अवैध आप्रवासी को ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है जो भारत में बिना वैध वीज़ा के प्रवेश करता है या वीज़ा परमिट की समाप्ति के बाद भी देश में रहता है।
- इसके अलावा, ऐसे आप्रवासी को भी अवैध माना जाता है जो आप्रवासन प्रक्रिया के लिये झूठे दस्तावेज़ों का उपयोग करता है।

भारत के विदेशी नागरिक

- OCI ऐसे विदेशी हैं जो भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। उदाहरण के लिये, वे पूर्व भारतीय नागरिक या मौजूदा भारतीय नागरिक के बच्चे हो सकते हैं।
- OCI बहुउद्देश्यीय, एकाधिक प्रविष्टियों और एक आजीवन वीज़ा के हकदार हैं, जो उन्हें किसी भी समय और किसी भी उद्देश्य के लिये भारत आने की इज़ाज़त देता है।

प्राकृतिककरण द्वारा नागरिकता

- प्राकृतिककरण द्वारा केंद्र सरकार किसी भी व्यक्ति को (एक अवैध प्रवासी नहीं है) प्राकृतिककरण का प्रमाण पत्र दे सकती है यदि उसके पास निम्नलिखित योग्यताएँ हैं:
- वह किसी भी देश का विषय या नागरिकताा नहीं है जहाँ भारत के नागरिकों को प्राकृतिककरण के द्वारा उस देश के विषयों या नागरिक बनने से रोका जाता है।
- यदि वह किसी देश का नागरिक है और वह उस देश की नागरिकता को त्यागने का प्रयास करता है

नोट :

अनुच्छेद 14

- कानून के समक्ष समानता और कानून की समान सुरक्षा। यह अधिकार नागरिकों और विदेशियों (दुश्मन देश के नागरिक को छोड़कर) दोनों के लिये उपलब्ध है।

आज़ाद हिंद सरकार की 75वीं वर्षगाँठ

चर्चा में क्यों?

21 अक्तूबर, 2018 को नई दिल्ली स्थित लाल किले में आजाद हिंद सरकार के गठन की 75वीं वर्षगाँठ मनाई गई।

प्रमुख बिंदु

- 75 साल पहले वर्ष 1943 में नेताजी सुभाषचंद्र बोस ने सिंगापुर में आज़ाद हिंद (जिसे अरजी हुकुमत-ए-आज़ाद हिंद के रूप में भी जाना जाता है) के रूप में अस्थायी सरकार की स्थापना की घोषणा की थी।
- इसे इंपीरियल जापान, नाजी जर्मनी, इतालवी सोशल रिपब्लिक और उनके सहयोगियों की ध्रुवीय शक्तियों का समर्थन प्राप्त था।
- इस सम्मानित स्वतंत्रता सेनानी ने द्वितीय विश्वयुद्ध के उत्तरार्द्ध के दौरान निर्वासन में अस्थायी सरकार के ध्वज के तहत ब्रिटिश शासन से भारत को मुक्त करने के लिये संघर्ष शुरू किया था।

पृष्ठभूमि

- सुभाष चंद्र बोस को इस बात का दृढ़ विश्वास था कि सशस्त्र संघर्ष ही भारत को स्वतंत्र करने का एकमात्र तरीका है। 1920 और 1930 के दशक में वह भारतीय राष्ट्रीय कॉन्ग्रेस के कट्टरपंथी दल के नेता रहे, 1938-1939 में कॉन्ग्रेस अध्यक्ष बनने की राह पर आगे बढ़ रहे थे लेकिन महात्मा गांधी और कॉन्ग्रेस नेतृत्व के साथ मतभेदों के बाद उन्हें हटा दिया गया।
- उनकी अस्थायी सरकार के अंतर्गत विदेशों में रहने वाले भारतीय एकजुट हो गए थे। इंडियन नेशनल आर्मी ने मलाया (वर्तमान में मलेशिया) और बर्मा (अब म्याँमार) में रहने वाले प्रवासी भारतीयों, पूर्व कैदियों और हज़ारों स्वयंसेवक नागरिकों को आकर्षित किया।
- अस्थायी सरकार के तहत, बोस राज्य के मुखिया, प्रधानमंत्री और युद्ध तथा विदेश मामलों के मंत्री थे। कैप्टन लक्ष्मी सहगल ने महिला संगठन की अध्यक्षता की, जबकि एस.ए. अय्यर ने प्रचार और प्रसार विंग का नेतृत्व किया। क्रांतिकारी नेता रास बिहारी बोस को सर्वोच्च सलाहकार नियुक्त किया गया था।
- जापानी कब्ज़े वाले अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी अस्थायी सरकार बनाई गई थी। 1945 में अंग्रेजों द्वारा इन द्वीपों पर पुन: कब्ज़ा कर लिया गया था।
- बोस की मौत आज़ाद हिंद आंदोलन के अंत के रूप में देखी गई थी। द्वितीय विश्व युद्ध भी 1945 में ध्रुवीय शक्तियों की हार के साथ समाप्त हुआ।
- निश्चित रूप से आज़ाद हिंद फौज या इंडियन नेशनल आर्मी (INA) की भूमिका स्वतंत्रता के लिये भारत के संघर्ष को प्रोत्साहन देने में महत्त्वपूर्ण रही थी।

डिजिटल इंडिया 2.0

संदर्भ

दूरसंचार विभाग वाई-फाई संचालन हेतु अतिरिक्त स्पेक्ट्रम को मुक्त करने के लिये देश में डिजिटल सेवाओं के विकास हेतु बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। यह 2019 तक दस लाख अंत:प्रचालनीय (interoperable) वाई-फाई हॉटस्पॉट को शुरू करने की योजना के साथ संयुक्त रूप से सार्वजनिक इंटरनेट पहुँच के संदर्भ में भारत-वैश्विक मानकों के अनुरूप आगे बढ़ रहा है।

प्रमुख बिंदु

- वैश्विक स्तर पर औसतन प्रत्येक 150 लोगों के लिये एक वाई-फाई हॉटस्पॉट मौजूद है।
- भारत की आबादी के आकार के अनुसार यहाँ करीब आठ मिलियन हॉटस्पॉट होने चाहिये थे। हालाँकि, भारत में हॉटस्पॉट की कुल संख्या केवल 31,500 है।
- इस तथ्य के बावजूद कि भारत में दुनिया का सबसे बड़ा सेलुलर नेटवर्क है। दूरसंचार कंपनियाँ अब तक सार्वजनिक वाई-फाई एक्सेस मॉडल बनाने से दूर रही हैं जो मुख्य रूप से अपने मुख्य व्यवसाय के नुकसान से डरती हैं।
- लेकिन डेटा की खपत तेज़ी से बढ़ रही है, जल्द ही ऐसा समय आएगा जब अकेले सेलुलर नेटवर्क मांग को पूरा करने में सक्षम नहीं होंगे।
- यह अनुमान लगाया गया है कि भारत में प्रति स्मार्टफोन का मासिक डेटा उपयोग 2017 के 7 जीबी से बढ़कर 2023 तक 13.7 जीबी हो जाएगा।
- इस वृद्धि के समर्थन के लिये दूरसंचार कंपनियों को नेटवर्क का जाल बिछाने की आवश्यकता होगी जिसमें परंपरागत सेलुलर आधारभूत संरचना का चयन, ऑप्टिकल फाइबर केबल्स और सार्वजनिक वाई-फाई एक्सेस पॉइंट्स द्वारा किया जा सके।
- वाई-फाई सेवाएँ आमतौर पर अनचाहे स्पेक्ट्रम बैंड पर चलती हैं जिन्हें ऑपरेटरों द्वारा महँगी नीलामी के माध्यम से खरीदे बिना इन तक आसानी से पहुँचा जा सकता है।
- वैश्विक स्तर पर हॉटस्पॉट की संख्या में 568 फीसदी की वृद्धि हुई है लेकिन भारत में यह वृद्धि सिर्फ 12 प्रतिशत है।
- 5 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बैंड में 605 मेगाहर्ट्ज़ स्पेक्ट्रम को मुक्त करने के निर्णय से वाई-फाई सेवाओं के लिये मौजूदा क्षमता से दस गुना अधिक बैंडविड्थ (बैंड की चौड़ाई) उपलब्धता में वृद्धि हुई है।
- प्रस्तावित दस लाख वाई-फाई हॉटस्पॉट को इंटरऑपरेबल बनाने के लिये उपयोगकर्त्ताओं को वाई-फाई नेटवर्क से साइन-इन किये बिना सहजता से आने की अनुमति मिल जाएगी।
- वर्तमान में जब कोई उपयोगकर्त्ता वाई-फाई नेटवर्क का उपयोग करना चाहता है तो कई बाधाएँ उपस्थित होती हैं। सबसे पहले मोबाइल नेटवर्क से वाई-फाई कवरेज में हैंडओवर निर्बाध गति से नहीं होता है। प्रत्येक बार जब उपयोगकर्त्ता सेलुलर नेटवर्क से वाई-फाई नेटवर्क तक जाता है, तो इंटरनेट एक्सेस में व्यवधान उत्पन्न होता है।
- दूसरा, यदि वाई-फाई नेटवर्क को एक ऑपरेटर द्वारा प्रबंधित किया जाता है जो उपयोगकर्त्ता के मोबाइल ऑपरेटर से अलग होता है तो उपयोगकर्त्ता को सेवा तक पहुँचने के लिये साइन इन करना होता है। एक इंटरऑपरेबल नेटवर्क के तहत, इन मुद्दों को हल किया जाता है।
- नीति निर्माताओं को अब वाई-फाई इंफ्रास्ट्रक्चर शुरू करने हेतु उन्हें सक्षम बनाने के लिये इस तरह के प्रयासों को आगे बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिये।
- भारत के दूरसंचार नियामक प्राधिकरण को छोटे व्यापारियों, किराना स्टोर्स और अन्य विक्रेताओं को सार्वजनिक डेटा कार्यालय स्थापित करने की अनुमति देने में बिना देरी किये इसे लागू किया जाना चाहिये। ऐसा डेटा के लिये भी किया जा सकता है, जैसा कि पीसीओ ने लंबी दूरी की टेलीफोन सेवाओं के लिये किया था।

नोट :

आर्थिक घटनाक्रम

प्रतिस्पर्द्धा अधिनियम समीक्षा समिति

चर्चा में क्यों?

सशक्त आर्थिक आधारभूत ढाँचे की आवश्यकता से संबंधित 'प्रतिस्पर्द्धा अधिनियम' की समीक्षा करने के लिये प्रतिस्पर्द्धा अधिनियम समीक्षा समिति का गठन किया गया है। उल्लेखनीय है कि यह समिति बैठक की तिथि से तीन महीने के भीतर अपना कार्य पूरा करेगी और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

समिति की संरचना

अध्यक्ष- सचिव कॉर्पोरेट मामले मंत्रालय

सदस्य- भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग का अध्यक्ष, भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड का अध्यक्ष, हैग्रिव खेतान (मैसर्स खेतान एंड कंपनी), हर्ष वर्द्धन सिंह (IKDHVAJ एडवाइज़र्स LLP), पल्लवी शार्दुल श्रॉफ, वकील (मैसर्स शार्दुल अमरचंद्र मंगलदास एंड कंपनी), डॉ. एस. चक्रवर्ती (सेवानिवृत्त IAS तथा ASCII के विज़िटिंग प्रोफेसर), आदित्य भट्टाचार्य (दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर), संयुक्त सचिव (प्रतिस्पर्द्धा)।

समिति के उद्देश्य

- बदलते हुए व्यापारिक वातावरण के अनुरूप प्रतिस्पर्द्धा अधिनियम/नियम/नियमावली की समीक्षा करना और आवश्यकता पड़ने पर इनमें आवश्यक बदलाव करना।
- प्रतिस्पर्द्धा क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय कार्यप्रणाली का अध्ययन करना। इसमें विशेष रूप से साख विरोधी कानून, विलय संबंधी दिशा-निर्देश तथा सीमा व्यापार प्रतिस्पर्द्धा से संबंधित मुद्दे शामिल हैं।
- प्रतिस्पर्द्धा अधिनियम के साथ परस्पर व्याप्त अन्य नियामक/संस्थागत प्रक्रियाओं/सरकारी नीतियों का अध्ययन करना।
- प्रतिस्पर्द्धा विषय से जुड़े किसी अन्य मुद्दे की समीक्षा करना, जिसे समिति आवश्यक समझे।

पृष्ठभूमि

किसी भी अर्थव्यवस्था में 'बेहतर प्रतिस्पर्द्धा' का अर्थ है- आम आदमी तक किसी भी गुणात्मक वस्तु या सेवा की बेहतर कीमत पर उपलब्धता को सुनिश्चित करना। 'प्रतिस्पर्द्धा' के इसी वृहद् अर्थ को आत्मसात करते हुए वर्ष 2002 में संसद द्वारा 'प्रतिस्पर्द्धा अधिनियम, 2002' (The Competition Act, 2002) पारित किया गया, जिसके बाद केंद्र सरकार द्वारा 14 अक्तूबर, 2003 को भारतीय स्पर्द्धा आयोग का गठन किया गया।

- 'प्रतिस्पर्द्धा अधिनियम, 2002' को वर्ष 2007 में संशोधित कर नए नियमों के साथ अपडेट किया गया।
- प्रतिस्पर्द्धा अधिनियम के अनुसार, इस आयोग में एक अध्यक्ष एवं छः सदस्य होते हैं, सदस्यों की संख्या 2 से कम तथा 6 से अधिक नहीं हो सकती लेकिन अप्रैल 2018 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग में CCI का आकार एक अध्यक्ष और छह सदस्य (कुल सात) से घटाकर एक अध्यक्ष और तीन सदस्य (कुल चार) करने को मंजूरी दे दी है। उल्लेखनीय है की सभी सदस्यों को सरकार द्वारा 'नियुक्त' (appoint) किया जाता है।
- इस आयोग के प्रमुख कार्यों में निम्नलिखित शामिल हैं-
    - प्रतिस्पर्द्धा को दुष्प्रभावित करने वाले चलन (Practices) को समाप्त करना एवं टिकाऊ प्रतिस्पर्द्धा को प्रोत्साहित करना।
    - उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा करना।

- भारतीय बाज़ार में 'व्यापार की स्वतंत्रता' को सुनिश्चित करना।
- किसी प्राधिकरण द्वारा संदर्भित मुद्दों पर प्रतियोगिता से संबंधित राय प्रदान करना।
- जन जागरूकता का प्रसार करना।
- प्रतिस्पर्द्धा से संबंधित मामलों में प्रशिक्षण प्रदान करना।

निष्कर्ष

वर्तमान परिदृश्य में प्रतिस्पर्द्धा अधिनियम को सशक्त करने और नागरिकों को सर्वश्रेष्ठ नियमों का पालन करते हुए उनके द्वारा दिए गए मूल्यों के अनुरूप गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिये इस अधिनियम को सशक्त करना आवश्यक है।

2018-19 सीज़न की रबी फसलों के एमएसपी में वृद्धि

चर्चा में क्यों ?

किसानों की आमदनी में उल्लेखनीय वृद्धि सुनिश्चित करते हुए हाल ही में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति (सीसीईए) ने 2018-19 सीज़न की सभी रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों (एमएसपी) में बढ़ोतरी को मंज़ूरी दे दी है।

प्रमुख बिंदु

- उल्लेखनीय है कि किसान अनुकूल इस पहल से किसानों को 62,635 करोड़ रुपए का अतिरिक्त रिटर्न मिलेगा। इस पहल के तहत अधिसूचित फसलों की एमएसपी बढ़ाते हुए उत्पादन लागत पर कम-से-कम 50 प्रतिशत रिटर्न सुनिश्चित किया गया है।
- गेहूँ की एमएसपी में प्रति क्विंटल 105 रुपए, कुसुम की एमएसपी में प्रति क्विंटल 845 रुपए, जौ की एमएसपी में प्रति क्विंटल 30 रुपए, मसूर की एमएसपी में प्रति क्विंटल 225 रुपए, चने की एमएसपी में प्रति क्विंटल 220 रुपए तथा रेपसीड एवं सरसों की एमएसपी में प्रति क्विंटल 200 रुपए की वृद्धि की गई है जो इस दिशा में एक और प्रमुख कदम है।
- गेहूँ, जौ, चना, मसूर, रेपसीड एवं सरसों और कुसुम के लिये सरकार द्वारा तय की गई एमएसपी उत्पादन लागत के मुकाबले काफी अधिक है। गेहूँ की उत्पादन लागत 866 रुपए प्रति क्विंटल और एमएसपी 1840 रुपए प्रति क्विंटल है, जो उत्पादन लागत की तुलना में 112.5 प्रतिशत का रिटर्न देती है।
- जौ की उत्पादन लागत 860 रुपए प्रति क्विंटल और एमएसपी 1440 रुपए प्रति क्विंटल है, जो 67.4 प्रतिशत का रिटर्न देती है। चने की उत्पादन लागत 2637 रुपए प्रति क्विंटल और एमएसपी 4620 रुपए प्रति क्विंटल है, जो 75.2 प्रतिशत का रिटर्न सुनिश्चित करती है।
- मसूर की उत्पादन लागत 2532 रुपए प्रति क्विंटल और एमएसपी 4475 रुपए प्रति क्विंटल है, जो 76.7 प्रतिशत का रिटर्न देती है। रेपसीड एवं सरसों की उत्पादन लागत 2212 रुपए प्रति क्विंटल और एमएसपी 4200 रुपए प्रति क्विंटल है, जो 89.9 प्रतिशत का रिटर्न सुनिश्चित करती है। कुसुम की उत्पादन लागत 3294 रुपए प्रति क्विंटल और एमएसपी 4945 रुपए प्रति क्विंटल है, जो 50.1 प्रतिशत का रिटर्न देती है।

2019-20 सीजन में विपणन की जाने वाली 2018-19 सीज़न की सभी रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों का उल्लेख निम्नलिखित है:

फसल	एमएसपी 2017-18 (रुपए प्रति क्विंटल)	एमएसपी 2018-19 (रुपए प्रति क्विंटल)	उत्पादन लागत 2018-19 (रुपए प्रति क्विंटल)	एमएसपी में वृद्धि		लागत* की तुलना में रिटर्न (प्रतिशत में)
				शुद्ध अंतर	%	
गेहूँ	1735	1840	866	105	6.1	112.5
जौ	1410	1440	860	30	2.1	67.4
चना	4400	4620	2637	220	5.0	75.2

नोट :

मसूर	4250	4475	2532	225	5.3	76.7
रेपसीड एवं सरसों	4000	4200	2212	200	5.0	89.9
कुसुम	4100	4945	3294	845	20.6	50.1

*इसमें अदा की गई समस्त लागत शामिल है जैसे कि मज़दूरों पर खर्च की गई धनराशि, बैल/मशीन पर खर्च की गई रकम, पट्टे पर ली गई भूमि के लिये अदा की गई मालगुजारी, कच्चे माल पर खर्च की गई धनराशि आदि।

प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा)

- सरकार द्वारा इस नई समग्र योजना की घोषणा करने के परिणामस्वरूप अब एक ऐसी सुदृढ़ व्यवस्था उपलब्ध हो गई है, जिससे अब किसानों को एमएसपी पूर्ण रूप से प्राप्त होगी।
- इस समग्र योजना में तीन उप-योजनाएँ यथा- मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस), मूल्य अंतर भुगतान योजना (पीडीपीएस) और निजी खरीद एवं स्टॉकिस्ट योजना (पीपीएसएस) शामिल हैं, जिन्हें प्रायोगिक (पायलट) आधार पर शुरू किया गया है।
- इस योजना के तहत सरकार ने 16,550 करोड़ रुपए की अतिरिक्त गारंटी देने का निर्णय लिया है जिसके फलस्वरूप कुल सरकारी गारंटी अब 45,550 करोड़ रुपए हो गई है। इसके अलावा, उपज खरीद परिचालन के लिये बजट प्रावधान भी बढ़ा दिया गया है और पीएम-आशा के कार्यान्वयन के लिये 15,053 करोड़ रुपए मंज़ूर किये गए हैं।
- केंद्र एवं राज्यों की खरीद एजेंसियाँ जैसे कि भारतीय खाद्य निगम, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड, छोटे किसान कृषि कारोबार कंसोर्टियम आगे भी रबी फसलों के लिये किसानों को मूल्य संबंधी समर्थन प्रदान करते रहेंगे।

क्या है 'IL&FS संकट'?

चर्चा में क्यों

हाल ही में भारत के गैर-बैंकिंग क्षेत्र की एक प्रमुख कंपनी 'इंफ्रास्ट्रक्चर लीज़िंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज़ (IL&FS)' के ऊपर नकदी तथा कर्ज़ का संकट आ गया जिसने पूरे गैर-बैंकिंग क्षेत्र में डर का माहौल पैदा कर दिया।

महत्त्वपूर्ण बिंदु

- इस संकट की शुरुआत तब हुई जब SIDBI से लिये गए अल्पावधि ऋण को चुकाने में IL&FS असफल रही। डिफॉल्टर होने की वज़ह से IL&FS की रेटिंग लगातार गिरने लगी।
- आईएल एंड एफएस फाइनेंशियल सर्विसेज़, IL&FS की 100% सहायक कंपनी भी 46 करोड़ रुपए का ऋण चुकाने में असफल रही।
- IL&FS 10 वर्षों से अधिक अवधि की परियोजनाओं को वित्तपोषित करता है, लेकिन इसके द्वारा लिये गए उधार कम अवधि के होते हैं, जो परिसंपत्ति-देयता अंतर को बढ़ा देता है।
- अनुमान के मुताबिक, तीन वर्षों तक 17% विसंगतियाँ नकारात्मक रहीं। जब ऋण का बहिर्वाह संपत्ति के अंतर्वाह से अधिक हो जाता है तब परिसंपत्ति-देयता विसंगति नकारात्मक हो जाती है।
- IL&FS का सबसे बड़ा शेयरधारक LIC है, जिसके पास 25.34% शेयर हैं । LIC के बाद ORIX के पास 23.54% शेयर हैं।

प्रभाव क्या पड़ेगा?

- IL&FS के डिफॉल्ट हो जाने से गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ, मुख्य रूप से हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों के निवेशक परेशानी में पड़ गए है।
- बैंक और म्यूचुअल फंड हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों तथा अन्य गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों के लिये वित्तपोषण के मुख्य स्रोत हैं। वित्तपोषण में बैंक 40% और म्यूचुअल फंड 30% का योगदान देते हैं।
- IL&FS ने संकट का सामना करने के लिये तीन तरह की रणनीतियों की शुरुआत की है- राइट शेयर जारी करना, ऋण चुकाने के लिये संपत्ति की बिक्री और लिक्विडिटी शेयर संबोधित करना जब तक कि संपत्ति की बिक्री शुरू नहीं हो जाती।

- यह राइट शेयर जारी करते हुए 4,500 करोड़ रुपए जुटाने की योजना बना रहा है जिसमें यह 150 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से 30 करोड़ इक्विटी शेयर जारी करेगा।
- इसके बोर्ड ने सहायक कंपनियों जैसे- आईएल एंड एफएस फाइनेंशियल सर्विसेज़, आईएल एंड एफएस ट्रांसपोर्टेशन, आईएल एंड एफएस एनर्जी, आईएल एंड एफएस एन्वायरनमेंट और आईएल एंड एफएस एजुकेशन में ₹ 5,000 करोड़ के पुनर्पूंजीकरण को भी मंज़ूरी दे दी है।

IL&FS

इंफ्रास्ट्रक्चर लीज़िंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज़ (IL-FS) भारतीय अवसंरचना विकास तथा वित्त कंपनी है। जिसका कार्य प्रमुख आधारभूत परियोजनाओं के लिये वित्त तथा ऋण प्रदान करना है। इसकी परियोजनाओं में एशिया की सबसे लंबी द्वि-दिशात्मक सुरंग चेनानी-नाशरी शामिल है। फिलहाल यह कंपनी दिवालिया होने की कगार पर है।

- यह 250 से अधिक सहायक कंपनियों के माध्यम से संचालित होती है।
- 1987 में इसे भारत सरकार के स्वामित्व वाले तीन वित्तीय संस्थानों अर्थात् सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन (HDFC) और यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया (UTI) द्वारा 'आरबीआई रजिस्टर्ड कोर इंवेस्टमेंट कंपनी' के रूप में गठित किया गया था।

WEF ने पेश की 'फ्यूचर ऑफ वर्क इन इंडिया' रिपोर्ट

चर्चा में क्यों?

हाल ही में विश्व आर्थिक मंच ने ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन (ORF) के सहयोग से 'फ्यूचर ऑफ वर्क इन इंडिया' रिपोर्ट पेश की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में काम की अनिश्चितता है लेकिन भारत में भरपूर अवसर हैं।

प्रमुख बिंदु

- यह रिपोर्ट भारत में रोज़गार सृजन, कार्यस्थल, रोज़गार के रुझानों और संबंधों तथा काम की प्रकृति को लेकर परिवर्तनीय प्रौद्योगिकी के प्रभाव पर प्रकाश डालती है।
- इसके अलावा, इस रिपोर्ट में पाया गया कि भारत में कंपनियाँ भविष्य को लेकर आशावादी हैं और नई प्रौद्योगिकियों तथा डिजिटलीकरण द्वारा प्रस्तुत की गई उन संभावनाओं के लिये खुली हैं जो नवाचार को प्रोत्साहित करने और नई तकनीक को अपनाने तथा विकास एवं प्रगति में तेज़ी लाने वाली हों।
- रिपोर्ट में पाया गया है कि भारत में उच्चतम संवृद्धि वाली कंपनियाँ पुरुषों को भर्ती करना पसंद करती हैं। इस प्रकार प्रौद्योगिकी पर आधारित यह रोज़गार की वृद्धि महिलाओं से अधिक पुरुषों को लाभ देती है जो लैंगिक समानता तथा महिला सशक्तीकरण की दिशा में भारत के अभियान पर चिंता करने का बड़ा कारण बनती है।

उल्लेखनीय बिंदु

- कंपनियाँ रोज़गार सृजन की उम्मीद करती हैं: इस व्यापक चिंता के विपरीत कि मशीनें और तकनीक मानव श्रमिकों को विस्थापित कर रही हैं, कंपनियाँ पिछले पाँच सालों से लगातार अतिरिक्त श्रमिकों को भर्ती कर रही हैं और वे उम्मीद करती हैं कि यह प्रवृत्ति जारी रहेगी। यदि सावधानी पूर्वक प्रबंधन किया जाए तो भारत में ये तकनीकी बाधाएँ वास्तव में काम करने योग्य आबादी के लिये पर्याप्त लाभकारी रोज़गार के अवसरों का निर्माण कर सकती हैं।
- कंपनियाँ वस्तु अंतरजाल (IoT) और बिग डेटा की क्षमता को पहचानती हैं: कंपनियों ने सूचित किया कि आईओटी के कई पहलू उनकी कंपनियों में मौजूद हैं या वे अगले पाँच वर्षों में इसके पहलुओं को पेश करने की योजना बना रही हैं। इसी प्रकार, बिग डेटा के उपयोग की प्रवृत्ति बढ़ी है।
- कंपनियाँ रोज़गार दे रही हैं, लेकिन महिलाओं को नहीं: भारतीय श्रम बाज़ार में महिलाओं का समावेशीकरण सामाजिक तथा आर्थिक दोनों तरह से अनिवार्य है। IMF के अनुमान के मुताबिक यदि भारत के कर्मचारियों में पुरुषों व महिलाओं की बराबर साझेदारी होती तो भारत की अमीरी 27% से जाती।

नोट :

- रिपोर्ट में शामिल अन्य उल्लेखनीय बिंदु
- बढ़ती हुई संविदाकरण
- मज़दूरों के बचाव, सुरक्षा और लाभ पर दोबारा सोचने की जरूरत
- स्वतंत्र भविष्य

आगे की राह

आर्थिक संवृद्धि ज़रूरी है लेकिन रोज़गार सृजन के लिये यह पर्याप्त शर्त नहीं है। एक अनुमान के मुताबिक, भारत को वर्तमान रोज़गार दर बनाए रखने के लिये सालाना 84 लाख से अधिक रोज़गार का सृजन करना होगा। महिलाओं, युवाओं और अन्य हाशिये वाले समुदायों, जो पहले अर्थव्यवस्था में समान रूप से भाग लेने में असमर्थ थे, को बराबर अवसर प्रदान करने के लिये यह उचित समय है।

सॉवरेन गोल्ड बॉण्ड योजना

भारत सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिये सॉवरेन गोल्ड बॉण्ड जारी करने का निर्णय लिया है। सॉवरेन गोल्ड बॉण्ड अक्तूबर 2018 से लेकर फरवरी 2019 तक हर महीने जारी किये जाएंगे।

पृष्ठभूमि

- सॉवरेन गोल्ड बॉण्ड योजना की शुरुआत नवंबर 2015 में की गई थी।
- इस योजना के तहत कम-से-कम एक ग्राम सोना और अधिक-से-अधिक 500gm सोने के वज़न के मूल्य के बराबर बॉण्ड ख़रीदे जा सकते हैं। इसकी मियाद आठ वर्ष और इसके लिये ब्याज की दर 2.5% है।
- इसका उद्देश्य देश के मंदिरों तथा घरों में जमा सोने की विशाल मात्रा को उत्पादक कार्यों में लगाना, सोने का आयात कम करना, विदेशी मुद्रा का संरक्षण करना तथा चालू खाता घाटे को कम करना है।

क्र.सं.	मद	विवरण
1.	निर्गमन (Issuance)	भारत सरकार की ओर से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किये जाएंगे।
2.	पात्रता	बॉण्डों की बिक्री विभिन्न व्यक्तियों, हिंदू अविभाजित परिवार (HUFs), ट्रस्ट, विश्वविद्यालयों और धर्मार्थ संस्थानों जैसे निवासी निकायों तक ही सीमित रहेगी।
3.	मूल्य वर्ग	बॉण्डों को 1 ग्राम की बुनियादी इकाई के साथ सोने के ग्राम संबंधी गुणक में अंकित किया जाएगा।
4.	अवधि	बॉण्ड की अवधि 8 साल होगी और 5वें, छठे एवं 7वें साल में इससे बाहर निकलने का विकल्प उपलब्ध होगा।
5.	न्यूनतम आकार	न्यूनतम स्वीकार्य सीमा 1 ग्राम सोना है।
6.	अधिकतम सीमा	खरीदने की अधिकतम सीमा व्यक्तियों के लिये 4 kg, HUFs (Hindu Undivided Families) के लिये भी 4 kg और ट्रस्ट एवं इसी तरह के निकायों के लिये 20 kg प्रति वित्त वर्ष (अप्रैल-मार्च) होगी, जिसके बारे में सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाता है।
7.	संयुक्त धारक	संयुक्त रूप से धारण किये जाने की स्थिति में 4 किलोग्राम की निवेश सीमा केवल प्रथम आवेदक पर लागू होगी।
8.	भुगतान	बॉण्ड का भुगतान या तो नकद अदायगी (अधिकतम 20,000 रुपए तक) अथवा डिमांड ड्राफ्ट या चेक अथवा इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के जरिये किया जा सकेगा।

9.	निर्गमन फॉर्म	गोल्ड बॉण्डों को जीएस अधिनियम, 2006 के तहत भारत सरकार के स्टॉक के रूप में जारी किया जाएगा। निवेशकों को इसके लिये एक धारण (होल्डिंग) प्रमाण-पत्र जारी किया जाएगा। बॉण्डों को डिमैट स्वरूप में बदला जा सकेगा।
10.	विमोचन मूल्य	विमोचन मूल्य भारतीय रुपए में होगा जो 999 शुद्धता वाले सोने के बंद मूल्य के पिछले 3 कार्य दिवसों के सामान्य औसत पर आधारित होगा। इसका प्रकाशन इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (आईबीजेए) द्वारा किया जाएगा।
11.	बिक्री का माध्यम	बॉण्डों की बिक्री बैंकों, स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एसएचसीआईएल), नामित डाकघरों (जिन्हें अधिसूचित किया जा सकता है) और मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों जैसे कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड के जरिये या तो सीधे अथवा एजेंटों के जरिये की जाएगी।
12.	ब्याज दर	निवेशकों को प्रतिवर्ष 2.50 प्रतिशत की निश्चित दर से ब्याज दिया जाएगा, जो अंकित मूल्य पर हर छह महीने में देय होगा।
13.	जमानत या गारंटी के रूप में	बॉण्डों का उपयोग ऋणों के लिये जमानत या गारंटी के रूप में किया जा सकता है।
14.	टैक्स देनदारी	आयकर अधिनियम, 1961 (43, 1961) के प्रावधान के अनुसार, गोल्ड बॉण्ड पर प्राप्त होने वाले ब्याज पर टैक्स अदा करना होगा। किसी भी व्यक्ति को SGB के विमोचन पर होने वाले पूंजीगत लाभ को कर मुक्त कर दिया गया है।
15	ट्रेडिंग पात्रता	किसी भी निर्धारित तिथि पर बॉण्ड जारी होने के एक पखवाड़े के भीतर बॉण्डों की ट्रेडिंग स्टॉक एक्सचेंजो पर हो सकेगी, जैसा कि आरबीआई द्वारा अधिसूचित किया जाएगा।

आईएमएफ द्वारा वर्ष 2018 में भारत के लिये 7.3% की विकास दर का अनुमान

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने अपनी नवीनतम वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में कहा कि 2018 के चालू वर्ष में भारत 7.3 प्रतिशत की वृद्धि दर और 2019 में 7.4 प्रतिशत की वृद्धि दर हासिल करेगा। जबकि वर्ष 2017 में भारत ने 6.7 प्रतिशत की वृद्धि दर देखी थी।

प्रमुख बिंदु

- यदि अनुमान सही साबित होते हैं, तो भारत वर्ष 2018 में 0.7 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर से चीन को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था का टैग हासिल करेगा और वर्ष 2019 में चीन से 1.2 प्रतिशत अंक की एक प्रभावशाली बढ़त पा लेगा।
- तेल की कीमतों में हालिया वृद्धि और कठोर वैश्विक वित्तीय स्थितियों के कारण अप्रैल 2018 में प्रकाशित किये गए 2019 के लिये वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक [WEO] रिपोर्ट के आँकड़ों की तुलना में ये अनुमान थोड़ा कम हैं।
- आईएमएफ ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था में आई यह तेज़ी निवेश में वृद्धि करने और मज़बूत निजी खपत के साथ, अस्थायी झटकों (मुद्रा विनिमय पहल तथा वस्तु और सेवा कर के कार्यान्वयन) से बाहर आने के रूप में परिलक्षित होती है।
- इस रिपोर्ट के अनुसार, बढ़ती मांग और ईंधन की बढ़ती कीमतों के बीच भारत में मुद्रास्फीति बढ़ रही है जो कि वित्त वर्ष 2016-17 के 4.5 प्रतिशत की तुलना में वित्त वर्ष 2017-18 में 3.6 प्रतिशत और वित्त वर्ष 2018-19 में 4.7 प्रतिशत अनुमानित है।
- वर्तमान में जारी संरचनात्मक सुधारों के कारण भारत की मध्यम अवधि की विकास संभावनाएँ 7.75 प्रतिशत पर मज़बूत बनी हुई हैं, लेकिन अप्रैल 2018 की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के मुकाबले इसमें सिर्फ आधे प्रतिशत की कमी का अनुमान लगाया गया है।

नोट :

- इस नवीनतम वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में कहा गया है कि हाल के वर्षों में भारत में वस्तु और सेवा कर, मुद्रास्फीति लक्षित कार्ययोजना, शोधन अक्षमता और दिवालियापन संहिता तथा विदेशी निवेश को उदार बनाने और इसे व्यापार करने में सुगम बनाने सहित कई महत्त्वपूर्ण सुधार लागू किये गए हैं।

चीन की आर्थिक रिपोर्ट

- वर्ष 2017 में चीनी अर्थव्यवस्था विश्व की सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था थी और इसकी वृद्धि दर भारत से 0.2 प्रतिशत अंक अधिक थी। रिकॉर्ड के लिये, आईएमएफ ने अपने अप्रैल 2018 के वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक वार्षिक रिपोर्ट की तुलना में इस रिपोर्ट में भारत और चीन दोनों के लिये क्रमशः 0.4 प्रतिशत और 0.32 प्रतिशत के विकास अनुमानों को कम कर दिया है।
- आईएमएफ और विश्व बैंक की वार्षिक बैठक के दौरान बाली में जारी की गई वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार, चीनी आयात पर अमेरिकी टैरिफ के नवीनतम दौर के कारण चीन के लिये 2019 के विकास अनुमान अप्रैल में जारी किये गए अनुमान के मुकाबले कम है, भारत के लिये भी इसके अनुमान इसी प्रकार हैं।
- रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन में विकास दर के 2017 में 6.9 प्रतिशत से घटकर 2018 में 6.6 प्रतिशत और 2019 में 6.2 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जो कि बाहरी मांग में धीमी वृद्धि और आवश्यक वित्तीय विनियामक की कठोरता को दर्शाती है।

वैश्विक अर्थव्यवस्था

- वर्ष 2018 और 2019 दोनों के लिये 3.7 प्रतिशत की वैश्विक वृद्धि का अनुमान लगाया गया है, जो कि इससे पहले दोनों वर्षों के लिये 3.9 प्रतिशत की वृद्धि के जुलाई में लगाए गए पूर्वानुमान से 0.2 प्रतिशत बिंदु कम है।
- 2018 के लिये अमेरिका की वृद्धि दर 2.9 प्रतिशत और 2019 के लिये 2.5 प्रतिशत अनुमानित है।
- रिपोर्ट में कहा गया है कि उभरते बाज़ार और विकासशील अर्थव्यवस्था समूह में कुल वृद्धि 2018 की पहली छमाही में स्थिर हो गई।
- उल्लेखनीय है कि इस दौरान उभरते एशिया ने मज़बूत विकास दर्ज करना जारी रखा, जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था में चार साल से निम्न गति से जारी सुधार की जगह 2017 में घरेलू मांग-आधारित तेज़ी द्वारा समर्थित था। भले ही चीन में आर्थिक गतिविधियाँ दूसरी तिमाही में संपत्ति क्षेत्र और गैर बैंक वित्तीय मध्यस्थता के नियामक कड़े होने के कारण धीमी रहीं।

वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक

- वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक (WEO) एक सर्वेक्षण है जिसका आयोजन तथा प्रकाशन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा किया जाता है।
- यह भविष्य के चार वर्षों तक के अनुमानों के साथ निकट और मध्यम संदर्भ में वैश्विक अर्थव्यवस्था को चित्रित करता है।
- WEO पूर्वानुमान में सकल घरेलू उत्पाद, मुद्रास्फीति, चालू खाता और दुनिया भर के 180 से अधिक देशों के वित्तीय संतुलन जैसे महत्त्वपूर्ण आर्थिक संकेतक शामिल हैं।

जूता और चमड़ा उद्योग के लिये विशेष पैकेज

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में केंद्र सरकार ने चमड़ा और जूता उद्योग के क्षेत्र में रोज़गार के अवसर सृजित करने के लिये एक विशेष पैकेज को मंज़ूरी दी है।

प्रमुख बिंदु

- इस पैकेज में वर्ष 2017-20 के लिये 2600 करोड़ रुपए की लागत की मंज़ूरी से केंद्रीय क्षेत्र की योजना-इंडियन फुटवियर, लेदर और एसेसरीज डेवलपमेंट प्रोग्राम (IFLADP) का कार्यान्वयन शामिल है।
- इस योजना का लक्ष्य चमड़ा उद्योग के लिये आधारभूत सुविधाओं का विकास करना, चमड़ा उद्योग से जुड़ी पर्यावरण संबंधी चिंताओं का समाधान करना, अतिरिक्त निवेश को आसान बनाना, रोज़गार सृजन और उत्पादन में वृद्धि करना है।
- IFLADP के तहत तमिलनाडु के लिये औद्योगिक नीति और संवर्द्धन विभाग द्वारा 117.33 करोड़ रुपए की कुल लागत से चार परियोजनाएँ मंज़ूर की गई हैं, ताकि आधारभूत सुविधाओं का विकास होने के साथ-साथ रोज़गार का सृजन हो और कचरा शोधन संयंत्रों (CETP) की स्थापना से पर्यावरण की स्थिति में निरंतर सुधार हो।

नोट :

- तमिलनाडु के लिये मंज़ूर की गई परियोजनाओं के अंतर्गत त्रिची में ताला त्रिची कॉमन एफ्लूएंट ट्रीटमेंट प्लांट (CETP), नागलकेनी क्रोमपेट में पल्लावरम CETP, रानीपेट में सिडको फेज़-1 CETP और इरोड़ में पेरुंदुरई लेदर इंडस्ट्रिज़ इको सिक्यूरिटी प्राइवेट लिमिटेड का उन्नयन शामिल है।

योजना से लाभ

- विशेष पैकेज मिलने से इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निवेश आकर्षित होंगे और श्रम कानून में सुधार होने से अर्थव्यवस्था में योगदान बढ़ेगा।
- उद्योग नीति और संवर्द्धन विभाग ने पश्चिम बंगाल के बनतला में एक वृहद लेदर कलस्टर के लिये अपनी सैद्धांतिक मंज़ूरी भी दी है। इससे लगभग 7000 लोगों को रोज़गार मिलेगा और 400 से 500 करोड़ रुपए का निवेश संभव होगा।

चौथी औद्योगिक क्रांति के केंद्र की शुरुआत

चर्चा में क्यों?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चौथी औद्योगिक क्रांति के लिये विश्व आर्थिक मंच (WEF) के केंद्र की शुरुआत के अवसर पर कहा कि 'उद्योग 4.0' में मानव जीवन के वर्तमान और भविष्य को बदलने की क्षमता मौजूद है। उन्होंने कहा कि सैन फ्रांसिस्को, टोकियो और पेइचिंग के बाद दुनिया में यह चौथा केंद्र है, जिसकी शुरुआत होने से भविष्य में अपार संभावनाओं के दरवाज़े खुलेंगे।

प्रमुख बिंदु

- कृत्रिम बौद्धिकता, मशीन-लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ब्लॉकचेन और बिग डाटा जैसे उभरते क्षेत्र भारत को विकास की नई ऊँचाइयों पर ले जा सकते हैं तथा नागरिकों के जीवन को बेहतर बना सकते हैं।
- यह भारत के लिये न सिर्फ एक औद्योगिक परिवर्तन है बल्कि सामाजिक परिवर्तन भी है। 'उद्योग 4.0' में भारत में अपरिवर्तनीय रचनात्मक बदलाव लाने की क्षमता है। इससे भारत में कामों में आवश्यक तेज़ी आएगी और काम-काज बेहतर बनाने में सहायता मिलेगी।
- डिजिटल इंडिया अभियान ने डेटा को भारत के गाँवों तक पहुँचाया है। निकट भविष्य में संचार-सघनता, इंटरनेट कवरेज और मोबाइल इंटरनेट सुविधा लेने वालों की तादाद बहुत बढ़ने की संभावना है।
- दूरसंचार के क्षेत्र में 93% की वृद्धि हुई है और लगभग 50 करोड़ भारतीयों के पास अब मोबाइल फोन हैं।
- विश्व में सबसे अधिक मोबाइल डेटा खपत भारत में होती है और भारत एक ऐसा देश है जहाँ डेटा सबसे कम कीमत पर उपलब्ध है। इस संदर्भ में भारत की डिजिटल अवसंरचना और आधार, यूपीआई, ई-नाम तथा जीईएम सहित उसके इंटरफेस की प्रमुख भूमिका रही है।
- ऑप्टिक फाइबर के साथ सभी 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को जोड़ने का काम जल्द ही पूरा हो जाएगा। 2014 में केवल 59 ग्राम पंचायतें ऑप्टिक फाइबर से जुड़ी थी, जबकि वर्तमान में यह संख्या 1 लाख से अधिक पहुँच गई है।
- कृत्रिम बौद्धिकता में अनुसंधान के लिये कुछ महीने पूर्व एक मज़बूत अवसंरचना बनाने के लिये राष्ट्रीय रणनीति तैयार की गई है। नए केंद्र से इस प्रक्रिया को बल मिलेगा।
- उद्योग 4.0' और कृत्रिम बौद्धिकता के विस्तार से स्वास्थ्य क्षेत्र में बेहतर सुधार होगा और स्वास्थ्य पर होने वाला खर्च कम होगा। इससे किसानों को मदद मिलेगी और यह कृषि क्षेत्र के लिये काफी सहायक होगा।
- यातायात और स्मार्ट मोबिलिटी जैसे क्षेत्रों में यह केंद्र अहम भूमिका निभा सकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन क्षेत्रों में कार्य में होने वाली प्रगति के मद्देनज़र 'भारत के लिये समाधान, विश्व के लिये समाधान' हमारा लक्ष्य है।
- स्किल इंडिया मिशन, स्टार्टअप इंडिया और अटल नवाचार अभियान जैसी सरकार की पहलें युवाओं को नई और उभरती प्रौद्योगिकियों के लिये तैयार कर रही हैं।

चतुर्थ औद्योगिक क्रांति या उद्योग 4.0

- पहली औद्योगिक क्रांति जल व भाप की शक्ति से हुई थी। दूसरी विद्युत ऊर्जा से, तीसरी क्रांति वर्तमान में चल रही इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रोद्योगिकी जनित है।

नोट :

- चौथी औद्योगिक क्रांति में आइटी व विनिर्माण सेक्टर को मिलाकर कार्य किया जाएगा। अमेरिका और जर्मनी ने 2010 के बाद इस पर कार्य शुरू किया।
- 'उद्योग 4.0' विश्व आर्थिक फोरम की 2016 में आयोजित वार्षिक बैठक की थीम थी, जिसके बाद चतुर्थ औद्योगिक क्रांति का विचार तेज़ी से प्रसिद्ध होता गया।
- 'उद्योग 4.0' विश्वभर में एक शक्ति के रूप में उभर कर सामने आया है और इसे अगली औद्योगिक क्रांति कहा जा रहा है। यह मुख्यत: इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT), बाधा रहित इंटरनेट कनेक्टिविटी, तीव्र गति वाली संचार तकनीकियों और 3डी प्रिंटिंग जैसे अनुप्रयोगों पर आधारित है, जिसके अंतर्गत अधिक डिजिटलीकरण तथा उत्पादों, वैल्यू चेन, व्यापार मॉडल को एक-दूसरे से अधिकाधिक जोड़ने की परिकल्पना की गई है।

क्या होता है, जब ED संपत्ति ज़ब्त करती है

संदर्भ

हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने धन शोधन (Money Laundering) के एक मामले में 50 करोड़ से ज़्यादा की संपत्तियों को ज़ब्त कर लिया। ED ने यह जब्ती धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के प्रावधानों के तहत की है। ज़ब्त की गई संपत्तियाँ यूनाइटेड किंगडम, स्पेन, तमिलनाडु के कोडईकनाल, ऊटी तथा नई दिल्ली में स्थित थीं।

अनंतिम कुर्की (ज़ब्ती)

- PMLA के अनुभाग 5 के अनुसार, निदेशक या उसके द्वारा इस धारा के प्रयोजनों के लिये प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी, जो उपनिदेशक की श्रेणी से नीचे का न हो, उस संपत्ति की कुर्की के लिये आदेश जारी कर सकता है, जो कि किसी निर्धारित अपराध के मामले में लाभ स्वरूप अर्जित की गई हो।

देश के बाहर अवस्थित संपत्ति

- किसी अधिकार-युक्त अदालत के द्वारा संबंधित देश को अनुरोध-पत्र भेजकर देश के बाहर अवस्थित संपत्तियाँ ज़ब्त की जा सकती हैं। उस देश का प्रासंगिक प्राधिकारी ही संपत्ति को ज़ब्त करता है।

प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate)

यह राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक विशेष वित्तीय जाँच ऐजेंसी है, जो निम्नलिखित विधियों को प्रवर्तित करती है-

विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (फेमा) – विदेशी विनिमय नियंत्रण विधियों एवं विनियमों के संदिग्ध उल्लंघनों की जाँच करने के साथ-साथ उन आरोपियों पर, जिनके विरुद्ध निर्णय दिया गया है, शास्तियाँ लगाने के अधिकार हेतु एक सिविल विधि जो अर्द्ध-न्यायिक अधिकार से युक्त है।

धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) – यह आपराधिक गतिविधियों से व्युत्पन्न की गई परिसंपत्तियों का पता लगाने के लिये जाँच करने और उस संपत्ति को अनंतिम रूप से ज़ब्त करने/कुर्क करने एवं धन शोधन में लिप्त पाए जाने वाले अपराधियों पर मुकदमा चलाए जाने के लिये अधिकारियों को अधिकार देने वाली एक आपराधिक विधि है।

180 दिनों के दौरान

- चूँकि ज़ब्ती अनंतिम यानी अस्थायी होती है, इसलिये आरोपी संपत्ति का उपयोग किया जाना जारी रख सकता है। अभियोजन प्राधिकरण द्वारा ज़ब्ती का स्थायी आदेश मिलने के बाद ही ED अधिकार हेतु दावा कर सकेगी। अब तक बहुत कम ही ऐसे मामले रहे हैं जिनमें अभियोजन प्राधिकरण ने ज़ब्ती का स्थायी आदेश न दिया हो।

पुष्टि के बाद

- आरोपी के पास PMLA के अपीलीय न्यायाधिकरण में 45 दिनों के भीतर अभियोजन प्राधिकरण के स्थायी आदेश को चुनौती देने का अधिकार होता है। यदि अपीलीय न्यायाधिकरण भी स्थायी आदेश दे देता है तो आरोपी उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है।
- अंतिम स्थायी आदेश के बाद ED किसी आवासीय संपत्ति के मामले में उसके मालिक से सामान के साथ पूरा परिसर खाली करने के लिये कहेगी और उस पर कब्ज़ा कर लेगी।

ज़ब्त की गई संपत्ति पर वर्षों के लिये ताला जड़ दिया जाता है और वह संपत्ति देख-रेख के आभाव में बर्बाद होने लगती है। ऐसी संपत्तियों के रख-रखाव के लिये एक निकाय का प्रावधान भी है, लेकिन इसे अभी तक स्थापित नहीं किया गया है। ज़ब्त किये गए वाहन केंद्रीय वेयरहाउसिंग निगम के स्वामित्त्व वाले गोदामों में भेज दिये जाते हैं, जहाँ ED वाहनों को खड़ा करने के बदले भुगतान करती है। ऐसे मामलों में मुकदमे वर्षों तक चलते रहते हैं और वाहन जंग लगने की वज़ह से खराब हो जाते हैं। मुकदमे के अंत में न तो आरोपी और न ही ED को वाहन से कुछ भी प्राप्त होता है। वास्तव में, ED को वाहन के मूल्य से अधिक किराये का भुगतान करना पड़ता है।

व्यापार घाटा 5 महीने के निचले स्तर पर

चर्चा में क्यों?

हाल ही में जारी आधिकारिक आँकड़ों के अनुसार, सितंबर माह में भारत के व्यापार घाटे में पिछले पाँच महीने में सबसे कम गिरावट आई और यह 13.98 अरब डॉलर हो गया, जबकि निर्यात कई महीनों में पहली बार कम हुआ।

प्रमुख बिंदु

- केंद्र सरकार द्वारा किये गए भारत के व्यापार के अर्द्ध-वार्षिक आकलन के आँकड़ों से पता चलता है कि वाणिज्यिक निर्यात में रुपए के संदर्भ में 19.93% और अमेरिकी डॉलर के मामले में 12.54% की वृद्धि दर्ज की गई है।
- सरकारी आँकड़ों के अनुसार, सितंबर 2018 में वाणिज्यिक व्यापार घाटा 13.98 अरब डॉलर है, जो तेल की उच्च कीमतों के बावजूद पिछले पाँच महीनों में सबसे कम है।
- सितंबर 2018 में वाणिज्यिक निर्यात में रुपए के संदर्भ में 9.65% की सकारात्मक वृद्धि हुई। डॉलर के मामले में सितंबर 2018 में वाणिज्यिक निर्यात में 2.15% की मामूली नकारात्मक वृद्धि देखी गई।
- सरकारी बयान के अनुसार, निर्यात में आई गिरावट का मुख्य कारण उच्च आधार प्रभाव है। सितंबर 2017 में डॉलर के संदर्भ में करीब 26 फीसदी की बेहद उच्च तेज़ी दर्ज की गई थी, क्योंकि जीएसटी लागू होने से पहले कीमतों में काफी कटौती की गई थी, जिससे निर्यात में काफी तेज़ी आई थी।
- फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गनाइज़ेशन के अध्यक्ष गणेश कुमार गुप्ता के अनुसार, हालाँकि ये आँकड़े सितंबर के महीने में मुख्य रूप से पिछले वर्ष के उच्च आधार प्रभाव के कारण मामूली नकारात्मक वृद्धि दर्शाते हैं। इस वर्ष सितंबर में निर्यात का कुल मूल्य 2018 के अप्रैल, जून और जुलाई के महीने की तुलना में काफी अधिक है, जिसे 17% की उच्च वृद्धि के रूप में दर्ज किया गया है।
- सितंबर 2018 के दौरान जिन प्रमुख जिंस समूहों के निर्यात में पिछले वर्ष के समान माह की तुलना में अमेरिकी डॉलर के लिहाज से उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है उनमें पेट्रोलियम उत्पाद (26.8%), कार्बनिक एवं अकार्बनिक रसायन (16.9%), दवा एवं फार्मास्यूटिकल्स (3.8%), कपास धागा/फैब्रिक्स/मेड-अप्स, हथकरघा उत्पाद इत्यादि (3.6%) और प्लास्टिक एवं लिनोलियम (28.2%) शामिल हैं।
- अमेरिकी डॉलर के संदर्भ में अप्रैल-सितंबर 2018 में आयात में 16.16% की सकारात्मक वृद्धि देखी गई।
- सितंबर 2018 में, आयातों में अमेरिकी डॉलर के संदर्भ में 10.45% की सकारात्मक वृद्धि (जो कि पिछले पाँच महीनों में सबसे कम है) और रुपए के संदर्भ में 23.78% की वृद्धि दर्ज की गई।

व्यापार घाटा

- व्यापार घाटे का अर्थ निर्यात की तुलना में आयात की अधिकता से है। जब किसी राष्ट्र का आयात उसके निर्यात से अधिक होता है, तो वह व्यापार घाटे की स्थिति में चला जाता है।

नोट :

- ज़ाहिर है जब आयात अधिक होगा तो विदेशी मुद्रा, विशेष रूप से डॉलर में भुगतान होने के कारण देश में विदेशी मुद्रा (डॉलर) की कमी होगी।
- जब विदेशी मुद्रा में भुगतान होता है, तो उसकी मांग भी बढ़ती है और रुपया उसके मुकाबले कमज़ोर होता है। रुपए के कमज़ोर होने से उसकी कीमत में गिरावट आती है।
- ऐसी परिस्थिति में आयातकों को विदेशों से माल के आयात के लिये अधिक कीमत चुकानी पड़ती है। इस तरह आयात महँगा हो जाता है। इसके विपरीत निर्यातकों को फायदा होता है।

भारत में इस वर्ष 22 अरब डॉलर का एफडीआई प्रवाह : संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट

चर्चा में क्यों?

हाल ही में व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (UNCTAD) द्वारा जारी की गई 'इंवेस्टमेंट ट्रेंड मॉनीटर' नामक रिपोर्ट के अनुसार, दक्षिण एशिया में भारत ने 22 अरब डॉलर के एफडीआई (प्रत्यक्ष विदेशी निवेश) प्रवाह को आकर्षित किया, जिससे इस वर्ष की पहली छमाही में दक्षिण एशिया क्षेत्र में एफडीआई में 13 फीसदी की वृद्धि देखी गई।

प्रमुख बिंदु

- रिपोर्ट में कहा गया है कि 22 अरब डॉलर के एफडीआई के साथ भारत इस अवधि के दौरान सबसे ज़्यादा एफडीआई प्राप्त करने वाली शीर्ष 10 सर्वाधिक आकर्षक अर्थव्यवस्थाओं में पहुँचने में कामयाब रहा।
- हालाँकि चीन एफडीआई का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता है, जिसने वर्ष 2018 की पहली छमाही में अनुमानत: 70 अरब डॉलर के एफडीआई अंतर्वाह को आकर्षित किया।
- इसके बाद ब्रिटेन ने 65.5 अरब डॉलर, अमेरिका ने 46.5 अरब डॉलर, नीदरलैंड ने 44.8 अरब डॉलर, ऑस्ट्रेलिया ने 36.1 अरब डॉलर, सिंगापुर ने 34.7 अरब डॉलर और ब्राजील ने 25.5 अरब डॉलर का अंतर्वाह प्राप्त किया।
- संयुक्त राष्ट्र की इस रिपोर्ट के अनुसार, ट्रंप प्रशासन द्वारा जारी कर सुधारों के चलते मूल अमेरिकी कंपनियों द्वारा उनकी सहयोगियों से विदेशों में एकत्रित घरेलू आय की बड़ी राशि को अपने देश में वापस मँगाए जाने के कारण वैश्विक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इसी अवधि में 41 प्रतिशत घटकर 470 अरब डॉलर हो गया है। जो कि 2017 की इसी अवधि में 794 अरब डॉलर था।
- अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा विदेशी लाभ के इस वर्ष के "प्रत्यावर्तन में भारी अंतर" में अन्य कारकों ने योगदान दिया है। इनमें कर सुधार के विस्तार और प्रभाव की अनिश्चितता तथा अनसुलझे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विवादों के संभावित प्रभाव; जैसे कि अमेरिका और चीन द्वारा एक दूसरे पर लगाए गए टैरिफ आदि शामिल हैं।
- रिपोर्ट के अनुसार, विदेशी निवेश में कुल गिरावट के विपरीत तथाकथित "ग्रीनफील्ड" परियोजनाओं में पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष 42 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 454 अरब डॉलर का निवेश दर्ज किया गया।
- रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में आई यह गिरावट मुख्य रूप से समृद्ध देशों में देखी गई, जिसमें आयरलैंड (81 अरब डॉलर की कमी) और स्विट्ज़रलैंड (77 अरब डॉलर की कमी) प्रमुख रूप से शामिल हैं ।
- विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में 2017 के मुकाबले इस वर्ष की पहली छमाही में एफडीआई प्रवाह में चार फीसदी की "नाममात्र की गिरावट" आई और इस दौरान उनका अंतर्वाह कुल 310 अरब डॉलर का रहा।
- रिपोर्ट के अनुसार, विकासशील एशिया में इस वर्ष की पहली छमाही में चार प्रतिशत की गिरावट के साथ 220 अरब डॉलर का अंतर्वाह हुआ है जो कि इसी अवधि में मुख्यत: पूर्वी एशिया में निवेश में 16 फीसदी की गिरावट से प्रेरित है।
- रिपोर्ट में कहा गया है कि लैटिन अमेरिका और कैरेबियाई देशों में निवेश में छ: फीसदी की गिरावट देखी गई, जहाँ आगामी चुनावों के कारण अनिश्चितता को वस्तुओं की उच्च कीमतों के द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित किया गया था।

अंकटाड (UNCTAD)

- 30 दिसंबर, 1964 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पारित एक प्रस्ताव के अंतर्गत एक स्थायी अंतर-सरकारी संस्था के रूप में अंकटाड (United Nations Conference on Trade and Development – UNCTAD) की स्थापना की गई थी।
- यह संयुक्त राष्ट्र सचिवालय का एक भाग है। इसके अतिरिक्त यह संयुक्त राष्ट्र विकास समूह का भी हिस्सा है। इसका मुख्यालय जेनेवा में है।

अंकटाड के प्रमुख उद्देश्य

- अल्पविकसित देशों के त्वरित आर्थिक विकास हेतु अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहित करना तथा व्यापार एवं विकास नीतियों का निर्माण और उनका क्रियान्वयन करना।
- व्यापार एवं विकास के संबंध में यू.एन. की विभिन्न संस्थाओं के मध्य समन्वय स्थापित करते हुए समीक्षा व संवर्द्धन संबंधी कार्य करना। विभिन्न सरकारों एवं क्षेत्रीय आर्थिक समूहों के मध्य व्यापार व विकास संबंधी नीतियों के विषय में सामंजस्य स्थापित करना।

ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2018

चर्चा में क्यों?

हाल ही में विश्व बैंक ने इंडोनेशिया (बाली) में वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2019 के एक भाग के रूप में अपना पहला नया ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स अर्थात् मानव पूंजी सूचकांक जारी किया। इस इंडेक्स की रैंकिंग मानव पूंजी विकास के संदर्भ में देशों की सफलता के आधार पर निर्धारित की गई है। इस इंडेक्स में भारत 0.44 अंकों के साथ 115वें स्थान पर (157 देशों में) है। भारत का स्थान नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और बांग्लादेश से भी नीचे है।

ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स क्या है ?

- इस इंडेक्स को विश्व बैंक के मौजूदा व्यापारिक सूचकांक अर्थात् डूइंग बिज़नेस इंडेक्स के आधार पर तैयार किया गया है, जो कि राष्ट्रीय व्यापार स्थितियों का आकलन करता है। इसी के आधार पर कोई देश अपने नागरिकों की देखभाल कैसे करता है, को केंद्र बिंदु मानते हुए समान रैंकिंग तैयार की गई है।
- इस इंडेक्स के अंतर्गत बच्चों के जीवित रहने की संभावना, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे मानकों के आधार पर 157 देशों का आकलन किया जाता है।
- इस इंडेक्स को 5 साल से कम उम्र के बच्चों में मृत्यु दर तथा उनके विकास की दर, 18 साल की उम्र तक स्कूली शिक्षा और 15 साल के किशोरों के 60 साल तक जीवित रहने की संभावना जैसे मानकों के आधार पर तैयार किया गया है।

शीर्ष 5 में शामिल देश

- सिंगापुर
- दक्षिण कोरिया
- जापान
- हांग कांग
- फिनलैंड

सबसे नीचे के 5 स्थानों में शामिल देश

- चाड
- दक्षिण सूडान
- नाइजर
- माली
- लाइबेरिया

नोट :

भारत के लिये HCI अवलोकन

- पिछले पाँच वर्षों में भारत में एचसीआई घटकों में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। 5 साल की आयु वर्ग के जीवित रहने की संभावना पर विचार करें तो भारत में पैदा हुए प्रत्येक 100 बच्चों में से 96 बच्चे ही 5 साल की आयु तक जीवित रहते है।
- यदि स्कूली शिक्षा की बात करें तो भारत में 4 साल की आयु में स्कूल शुरू करने वाले बच्चे अपने 18वें जन्मदिन तक अनुमानतः 10.2 साल की स्कूली शिक्षा पूरी कर लेते हैं।
- वयस्क जीवन रक्षा दर के संबंध में बात करें तो ज्ञात होता है कि देश में 15 वर्ष की आयु के केवल 83 प्रतिशत बालकों के 60 वर्ष की आयु तक जीवित रहने की उम्मीद है।
- इसी क्रम में यदि स्वस्थ विकास के मुद्दे पर विचार करें तो प्रत्येक 100 बच्चों में से केवल 62 स्टंट कुपोषित अथवा अल्प-पोषण के शिकार नहीं पाए गए। स्पष्ट रूप से प्रत्येक 100 में से 38 बच्चे कुपोषित हैं।
- लिंग विभेद के संबंध में इंडेक्स में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की स्थिति (HCI के संदर्भ में) थोड़ी बेहतर बताई गई है।

विश्व बैंक का मानव पूंजी सूचकांक	संयुक्त राष्ट्र का मानव विकास सूचकांक
1. इसके अंतर्गत स्वास्थ्य की माप के रूप में जीवित रहने की दर और स्टंटिंग दर को आधार माना गया है।	1. इसके अंतर्गत स्वास्थ्य की माप के रूप में जीवन प्रत्याशा को आधार माना जाता है।
2. शिक्षा के उपाय के रूप में गुणवत्ता समायोजित शिक्षण को महत्त्व दिया गया है।	2. इसके अंतर्गत शिक्षा के उपाय के रूप में स्कूली शिक्षा के वर्षों को आधार माना जाता है।
3. इसके अंतर्गत प्रति व्यक्ति आय को शामिल नहीं किया गया है।	3. इसके अंतर्गत प्रति व्यक्ति आय को शामिल किया जाता है।
4. इसके अंतर्गत आय के घटक को शामिल नहीं किया गया है।	4. इसके अंतर्गत आय के घटक को शामिल किया जाता है।

ग्रामीण सर्वेक्षण में आंध्र प्रदेश के गाँव सर्वाधिक विकसित

चर्चा में क्यों?

ग्रामीण विकास मंत्रालय के सर्वेक्षण के निष्कर्षों के मुताबिक कर्नाटक के बेलगावी ज़िले में स्थित कुलिगोद देश का सबसे विकसित गाँव है। सर्वेक्षण के मुताबिक शीर्ष 10 विकसित गाँवों में से एक-तिहाई से अधिक आंध्र प्रदेश में हैं।

प्रमुख बिंदु

- प्रदेश के कई ग्राम पंचायतों को समान स्कोर प्राप्त हुए हैं और इस प्रकार एक ही रैंकिंग में आबद्ध शीर्ष 10 की रैंकिंग में 97 ग्राम पंचायतें हैं। इनमें से 37 आंध्र प्रदेश में हैं, जबकि 24 तमिलनाडु में हैं।
- ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मिशन अंत्योदय अभिसरण योजना के तहत 1.6 लाख से अधिक पंचायतों के 3.5 लाख से अधिक गाँवों का एक अंतराल (gap) विश्लेषण किया है।
- अधिकारियों की एक टीम ने बुनियादी ढाँचा, आर्थिक विकास और आजीविका, सिंचाई सुविधाएँ, स्वास्थ्य, पोषण तथा स्वच्छता, महिला सशक्तीकरण और वित्तीय समावेशन से संबंधित मानकों का उपयोग करके गाँव स्तर की सुविधाओं का सर्वेक्षण किया तथा इन मानकों के आधार पर स्कोर किया है।
- अक्तूबर 2017 में 50,000 ग्राम पंचायतों में शुरुआती बेसलाइन सर्वेक्षण किया गया था, इस साल नवंबर माह के अंत तक देश के 2.5 लाख पंचायतों को कवर किये जाने की उम्मीद है।
- राष्ट्रीय स्तर पर डेटा कुछ क्षेत्रों में प्रगति दिखाता है और कुछ अन्य सरकारी योजनाओं के तहत लक्ष्यों की प्राप्ति के संबंध में विसंगतियों पर प्रकाश डालता है।
- उदाहरण के लिये सर्वेक्षण से पता चलता है कि 95% से अधिक गाँवों में घरेलू उपयोग के लिये बिजली उपलब्ध है, जबकि सरकार ने इस साल के आरंभ में दावा किया था कि 100% गाँवों में बिजली कनेक्शन उपलब्ध हैं।

- इसी प्रकार स्वच्छता के संबंध में, सर्वेक्षण में केवल 58% गाँवों को खुले में शौच से मुक्त बताया गया है। अर्थात् सर्वेक्षण किये गए 3.5 लाख गाँवों में से केवल 2 लाख से अधिक गाँव खुले में शौच से मुक्त (ODF) हैं।
- हालाँकि, स्वच्छ भारत अभियान-ग्रामीण के अनुसार, भारत के 6 लाख गाँवों में से 5.13 लाख गाँव पहले ही खुले में शौच से मुक्त हैं।
- सर्वेक्षण में 21% गाँवों को समुदाय अपशिष्ट निपटान प्रणाली (community waste disposal system) वाले गाँवों के रूप में दिखाया गया है।
- सर्वेक्षण के अनुसार, एक-चौथाई से अधिक गाँवों में एलपीजी या बायोगैस जैसे स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग करने वाले लगभग 75% से अधिक परिवार हैं।
- सर्वेक्षण ग्रामीण आवास योजना में मामूली प्रगति का संकेत देता हैI 10% से कम गाँवों में 80% से अधिक घर ऐसे हैं जिनकी कच्ची दीवारें तथा छतें हैं, जो अस्थायी संरचनाओं का संकेत देते हैं।
- 73% से अधिक गाँव सभी मौसमों में जुड़ने के लिये सड़कों से युक्त हैं।
- वित्तीय समावेशन की प्रगति अभी धीमी है। सर्वेक्षण के अनुसार, बैंकों से युक्त गाँव 15% से भी कम हैं, जबकि 10% से अधिक गाँवों में एटीएम मशीनें मौजूद हैं।
- सर्वेक्षण के मुताबिक 26% से अधिक गाँवों में डाकघर की सुविधाएँ मौजूद हैं, केवल 8% गाँवों में मृदा परीक्षण केंद्र हैं तथा लगभग 12% गाँवों में सरकारी बीज केंद्र हैं।
- अंतराल विश्लेषण नागरिकों और नीति निर्माताओं को राष्ट्रव्यापी रुझानों के अलावा, प्रत्येक गाँव में विकास को ट्रैक करने की अनुमति देता है।
- उदाहरण के लिये, 6970 की कुल आबादी वाला एक गाँव कुलगोड में 2011 की जनगणना के बाद सिंचाई सुविधाओं में काफी सुधार हुआ है, जो उस समय के 82 हेक्टेयर से बढ़कर 3,472 हेक्टेयर हो गया है।

मोबाइल वॉलेट्स के बीच इंटरऑपरेबिलिटी

चर्चा में क्यों

हाल ही में भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने विभिन्न मोबाइल वॉलेट्स के बीच भुगतान की सुविधा के लिये दिशा-निर्देश जारी किये, जिसका उद्देश्य डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देना है।

महत्त्वपूर्ण बिंदु

- सरकार ने लोगों को डिज़िटल लेन-देन की तरफ आकर्षित करने के लिये विभिन्न कदम उठाए हैं। मोबाइल वॉलेट की बढ़ती उपयोगिता सरकार के एजेंडे को आगे बढ़ाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।
- अब तक किसी भी वॉलेट का संचालन एक सीमित दायरे के भीतर किया जाता रहा है यानी दो अलग-अलग वॉलेट्स एक दूसरे से नहीं जुड़ सकते हैं। उदाहरण के लिये, पे-टीएम और मोबिक्विक उपयोगकर्त्ता आपस में लेन-देन नहीं कर सकते हैं।
- 2017 में पेश किये गए रोड-मैप के अनुसार, KYC युक्त सभी प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट (PPI) की इंटरऑपरेबिलिटी तीन चरणों में संपन्न होगी। जो इस प्रकार हैं-
- एकीकृत भुगतान प्रणाली (UPI) के द्वारा वॉलेट के रूप में जारी किये गए प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट (PPI) की इंटरऑपरेबिलिटी।
- UPI के द्वारा वॉलेट और बैंक खातों की इंटरऑपरेबिलिटी।
- कार्ड नेटवर्क के द्वारा कार्ड के रूप में जारी किये गए PPI की इंटरऑपरेबिलिटी।
- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने इंटरऑपरेबिलिटी के बेहतर कार्यान्वयन हेतु सभी चरणों को सक्षम बनाने के लिये समेकित दिशा-निर्देश जारी किये थे।

इंटरऑपरेबिलिटी

इंटरऑपरेबिलिटी एक तकनीकी अनुकूलता है जो एक भुगतान प्रणाली को किसी दूसरी भुगतान प्रणाली से जुड़ने में सक्षम बनाता है।

निहितार्थ

- अब इंटरऑपरेबिलिटी प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट (PPI) जैसे कि पे-टीएम, फ्रीचार्ज, मोबिक्विक, फोन-पे और पेज़ैप आदि लोकप्रिय भुगतान वॉलेट के उपयोगकर्त्ताओं को एक वॉलेट से दूसरे में पैसे स्थानांतरित करने में सक्षम बना देगा।
- इसके अलावा, वॉलेट एकीकृत भुगतान प्रणाली (UPI) के द्वारा इंटरऑपरेबिलिटी को कार्यान्वित कर सकते हैं।
- आरबीआई ने प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट (PPI) को मास्टरकार्ड, वीज़ा या रुपे जैसे अधिकृत कार्ड नेटवर्क का उपयोग करते हुए कार्ड जारी करने की भी अनुमति दी है।
- इंटरऑपरेबिलिटी का सबसे बड़ा लाभ वॉलेट उपयोगकर्त्ताओं को होगा क्योंकि अब किसी एक वॉलेट का उपयोग करते हुए दूसरे वॉलेट उपयोगकर्त्ता के साथ सफलतापूर्वक लेन-देन किया जा सकेगा।
- ई-वॉलेट की बढ़ती हिस्सेदारी को देखते हुए दिशा-निर्देश में उपयोगकर्त्ताओं की सुरक्षा और भुगतान में सटीकता भी सुनिश्चित की जाएगी।

एकीकृत भुगतान प्रणाली (UPI) क्या है?

- यह एक ऐसी प्रणाली है जो एक मोबाल एप्लीकेशन के माध्यम से कई बैंक खातों का संचालन, विभिन्न बैंकों की विशेषताओं का समायोजन, निधियों का निर्बाध आवागमन और एक ही स्थान पर व्यापरियों को भुगतान की सुविधा उपलब्ध करा सकती है।
- यह "पीयर टू पीयर" अनुरोध को भी पूरा करती है जिसे आवश्यकता और सुविधा के अनुसार निर्धारित कर भुगतान किया जा सकता है।
- उल्लेखनीय है कि UPI का पहला संस्करण अप्रैल 2016 में लॉन्च किया गया था।

RBI खरीदेगा सरकारी प्रतिभूतियाँ

संदर्भ

हाल ही में भारतीय रिज़र्व बैंक ने टिकाऊ लिक्विडिटी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये खुले बाज़ार परिचालन (OMO) के तहत 120 बिलियन डॉलर की सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदने की घोषणा की है।

महत्त्वपूर्ण बिंदु

- भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा खुले बाज़ार परिचालन (OMO) के तहत सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदना व्यवस्था में लिक्विडिटी को बढ़ावा देगा।
- भारत में लिक्विडिटी की स्थिति आमतौर पर वित्तीय वर्ष (मध्य अक्तूबर के बाद) के दूसरे छमाही के दौरान मज़बूत हो जाती है।
- लिक्विडिटी आवश्यकताएँ दो प्रकार की होती हैं- अस्थायी और टिकाऊ।
  - परिसंपत्तियों और देनदारियों के बीच अस्थायी विसंगतियों से अल्प-कालिक या अस्थायी लिक्विडिटी उत्पन्न होती है। ऐसी स्थिति से निपटने के लिये बैंक मुद्रा बाजार का इस्तेमाल करते हैं।
  - एक साल की अवधि में कुल विदेशी संपत्तियों और शुद्ध घरेलू परिसंपत्तियों की संवृद्धि को व्यवस्थित करते हुए दीर्घकालिक या टिकाऊ लिक्विडिटी की आवश्यकता को पूरा किया जाता है।
- ये प्रस्ताव भारतीय रिज़र्व बैंक के कोर बैंकिंग समाधान (ई-कुबेर) प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में प्रस्तुत किये जाएंगे।

सरकारी प्रतिभूतियाँ (G-Sec)

- सरकारी प्रतिभूतियाँ (G-Sec) वे सर्वोच्च प्रतिभूतियाँ हैं जो भारत सरकार की ओर से रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा केंद्र/राज्य सरकार के बाज़ार उधार प्रोग्राम के एक भाग के रूप में नीलाम की जाती हैं।
- सरकारी प्रतिभूतियों की एक निश्चित या अस्थायी कूपन दर हो सकती है। इन प्रतिभूतियों की गणना बैंकों द्वारा SLR बनाए रखने के लिये की जाती है।

नोट :

- यह सरकार के ऋण दायित्व को स्वीकार करता है। ऐसी प्रतिभूतियाँ अल्पकालिक (आमतौर पर एक वर्ष से भी कम समय की मेच्योरिटी वाली इन प्रतिभूतियों को ट्रेजरी बिल कहा जाता है जिसे वर्तमान में तीन रूपों में जारी किया जाता है, अर्थात् 91 दिन, 182 दिन और 364 दिन) या दीर्घकालिक (आमतौर पर एक वर्ष या उससे अधिक की मेच्योरिटी वाली इन प्रतिभूतियों को सरकारी बॉण्ड या दिनांकित प्रतिभूतियाँ कहा जाता है) होती हैं।
- भारत में, केंद्र सरकार ट्रेजरी बिल और बॉन्ड या दिनांकित प्रतिभूतियाँ दोनों को जारी करती है, जबकि राज्य सरकारें केवल बॉण्ड या दिनांकित प्रतिभूतियों को जारी करती हैं, जिन्हें राज्य विकास ऋण (SDL) कहा जाता है।

ई-कुबेर

- यह भारतीय रिज़र्व बैंक का कोर बैंकिंग समाधान है जिसे 2012 में पेश किया गया था।
- कोर बैंकिंग समाधान (CBS) को ऐसे समाधान के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो बैंकों को एक ही स्थान से 24x7 आधार पर ग्राहक-केंद्रित सेवाएँ प्रदान करने में सक्षम बनाता है।
- इस प्रकार केंद्रीकरण वित्तीय सेवाओं हेतु सुविधा मुहैया कराता है। कोर बैंकिंग समाधान (CBS) का उपयोग करके ग्राहक अपने खातों को किसी भी शाखा से, किसी भी जगह से एक्सेस कर सकते हैं।
- ई-कुबेर प्रणाली को या तो INFINET या इंटरनेट के द्वारा एक्सेस किया जा सकता है। INFINET सदस्य बैंकों और वित्तीय संस्थानों के विशेष उपयोग के लिये क्लोज़्ड यूज़र ग्रुप नेटवर्क है और राष्ट्रीय भुगतान प्रणाली के संचार हेतु रीढ़ की हड्डी है।

जल कीटाणुरोधी प्रणाली 'ओनीर'

चर्चा में क्यों?

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के भारतीय विष विज्ञान अनुसंधान संस्थान (CSIR-IITR), लखनऊ ने ट्रेडमार्क 'ओनीर' (OneerTM) के तहत एक अभिनव प्रौद्योगिकी 'पेयजल कीटाणुशोधन प्रणाली' विकसित की है।

महत्त्वपूर्ण बिंदु

- यह प्रणाली जल का निरंतर उपचार करती है और बीमारी पैदा करने वाले बैक्टीरिया, वायरस, कवक, प्रोटोजोआ, सिस्ट आदि को नष्ट करती है ताकि घरेलू एवं सामुदायिक पेयजल के लिये (BIS, WHO आदि द्वारा) निर्धारित राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराया जा सके।
- यह प्रौद्योगिकी विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिये काफी मददगार साबित होगी क्योंकि यह सौर ऊर्जा से संचालित हो सकती है।
- इसका विकास 'मेक इन इंडिया' मिशन के तहत किया गया है।

भारतीय विषविज्ञान अनुसंधान संस्थान

- भारतीय विषविज्ञान अनुसंधान संस्थान, लखनऊ की स्थापना 1965 में हुई।
- यह वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद की संघटक प्रयोगशाला है।
- IITR विषविज्ञान के प्रमुख क्षेत्रों में शोध संचालित करती है। इसमें औद्योगिक और पर्यावरण संबंधी रसायनों के मानव स्वास्थ्य और पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रभाव एवं वायु,जल एवं मिट्टी में प्रदूषकों प्रभाव संबंधी शोध सम्मिलित हैं।

IITR के उद्देश्य

- उद्योग, कृषि एवं दैनिक जीवन में उपयोग में लाए जाने वाले रसायनों की सुरक्षात्मकता का मूल्यांकन करना।
- विषाक्त रसायनों/प्रदूषकों की क्रिया विधि को निर्धारित करना।
- प्रदूषकों से स्वास्थ्य एवं पर्यावरण की सुरक्षा हेतु उपचारात्मक/निवारक उपायों का सुझाव देना।
- रसायन उद्योगों, खानों, कृषि क्षेत्रों एवं पर्यावरण में जोखिम के कारण होने वाले स्वास्थ्य खतरों की पहचान करना।

- विभिन्न रसायनों के कारण उत्पन्न विकारों की सहज/शीघ्र नैदानिक जाँच करना।
- विषाक्त रसायनों की सूचना का संग्रहण, भंडारण एवं प्रसार करना।
- औद्योगिक एवं पर्यावरण संबंधी समस्यांओं से निपटने हेतु मानव संसाधन विकसित करना।
- रसायनों, योज्य तथा उत्पादों की सुरक्षा/विषाक्तता के संदर्भ में प्रश्नों और चिंताओं हेतु चर्चा करने के लिये जनता और उद्यमियों को मंच उपलब्ध कराना।

स्वतंत्र भुगतान नियामक बोर्ड के गठन का आरबीआई द्वारा विरोध

चर्चा में क्यों?

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के संशोधन प्रस्ताव में उल्लिखित एक स्वतंत्र भुगतान नियामक बोर्ड (Independent Payments Regulatory Board-PRB) के गठन के मसौदे का विरोध किया है।

प्रमुख बिंदु

- संशोधन को अंतिम रूप देने के पूर्व अंतर-मंत्रालयी समिति को लिखे असहमति पत्र में आरबीआई ने कहा, 'आरबीआई के बाहर भुगतान प्रणाली के लिये नियामक होने का कोई औचित्य नहीं है।'
- रतन वाटल कमेटी ने आरबीआई की समग्र संरचना के बाहर PRB की स्थापना की सिफारिश की थी। डिजिटल भुगतान को लेकर बनाई गई इस समिति ने सुझाव दिया था कि सरकार को भुगतान का नियमन केंद्रीय बैंक (RBI) के कामकाज से अलग स्वतंत्र रूप से करना चाहिये।
- आरबीआई के मुताबिक, चूँकि समस्त बैंक RBI द्वारा नियंत्रित होते हैं, अत: आरबीआई द्वारा एक समग्र विनियमन अधिक प्रभावी होगा और परिणामस्वरूप अनुपालन लागत में वृद्धि नहीं होगी। इसलिये एकीकृत संचालन की आवश्यकता है, न कि समन्वय की।
- आरबीआई ने अपने पत्र में इस बात को भी दोहराया है कि आरबीआई के गवर्नर को प्रस्तावित PRB का अध्यक्ष बनाया जाना चाहिये।
- आरबीआई के अनुसार, भारत में डिजिटल भुगतान प्रणाली ने अच्छी और स्थिर प्रगति की है। भारत को डिजिटल भुगतान प्रणाली के क्षेत्र में एक लीडर के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त हो रही है। इसे देखते हुए एक अच्छी तरह से काम कर रही प्रणाली में कोई बदलाव नहीं किया जाना चाहिये।
- इससे पहले आरबीआई ने एक अलग सार्वजनिक ऋण प्रबंधन निकाय स्थापित करने के सरकार के प्रस्ताव का भी विरोध किया था और प्रस्ताव को रोक दिया गया था।
- आरबीआई के नवीनतम कदम के अनुसार देश के भीतर डेटा स्टोर करने के लिये भुगतान कंपनियों को केंद्रीय बैंक के निर्देश का पालन करना होता है। पीआरबी की संरचना वित्त मंत्री द्वारा वित्त विधेयक में की गई घोषणाओं के अनुरूप नहीं है।
- अपने रुख के समर्थन में आरबीआई ने कहा कि भुगतान प्रणाली वास्तव में मुद्रा के लिये प्रौद्योगिकी आधारित विकल्प है। आरबीआई द्वारा बैंकों के माध्यम से मुद्रा का वितरण किया जाता है। भुगतान प्रणाली के लिये इसका तार्किक विस्तार अच्छा परिणाम दे रहा है। फिनटेक कंपनियाँ और अन्य गैर-बैंकिंग कंपनियाँ इस कार्य को बेहतर ढंग से कर रही हैं।
- वास्तव में यह स्पष्ट नहीं है कि गैर-बैंकिंग कंपनियों को भुगतान प्रणाली के माध्यम से पैसा एकत्र करने का काम कैसे दिया जा सकता है।
- आरबीआई ने तर्क दिया है कि भारत में भुगतान प्रणाली में बैंकों का वर्चस्व है।
- एक ही नियामक द्वारा बैंकिंग सिस्टम और भुगतान प्रणाली का विनियमन सहयोग प्रदान करता है और भुगतान उपकरणों में सार्वजनिक विश्वास को प्रेरित करता है।
- केंद्रीय बैंक द्वारा भुगतान प्रणाली का विनियमन स्थिरता के लिहाज़ से प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मॉडल है।
- इस प्रकार केंद्रीय बैंक द्वारा भुगतान और निपटान प्रणाली का विनियमन और पर्यवेक्षण से समग्र लाभ सुनिश्चित होगा।

वैश्विक प्रतिस्पर्द्धा सूचकांक- 2018

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी वैश्विक प्रतिस्पर्द्धा सूचकांक- 2018 (Global Competitiveness Index 2018) में भारत ने 58वीं रैंकिंग हासिल की है। उल्लेखनीय है कि पिछले साल की तुलना में इस बार भारत की रैंकिंग में 5 स्थान का सुधार हुआ है।

प्रमुख बिंदु

- भारत ने जी 20 में शामिल अन्य देशों कि रैंकिंग की तुलना में सबसे अधिक सुधार किया है।
- भारत का वैश्विक प्रतिस्पर्द्धा स्कोर 62 है।
- इस सूचकांक में विश्व के 140 देशों को शामिल किया गया है।
- संयुक्त राज्य अमेरिका ने 85.6 वैश्विक प्रतिस्पर्द्धा स्कोर के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया है, जबकि सिंगापुर तथा जर्मनी क्रमशः दूसरे तथा तीसरे स्थान पर रहे।
- चीन ने इस सूचकांक में 28वाँ स्थान हासिल किया है।
- रिपोर्ट के अनुसार, भारत एक ऐसे देश का उल्लेखनीय उदाहरण है जो अपने शोध संस्थानों की गुणवत्ता के कारण नवाचार के तरीकों में तेज़ी लाने में सक्षम रहा है।

वैश्विक प्रतिस्पर्द्धा सूचकांक के बारे में

- वैश्विक प्रतिस्पर्द्धा सूचकांक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी की जाने वाली वार्षिक रिपोर्ट है।
- वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वर्ष 2004 से यह रिपोर्ट जारी करता है।
- वैश्विक प्रतिस्पर्द्धा सूचकांक 12 संकेतकों पर आधारित है ये संकेतक हैं-

1. संस्थान
2. उपयुक्त आधारभूत संरचना
3. स्थिर समष्टि आर्थिक ढाँचा
4. अच्छा स्वास्थ्य और प्राथमिक शिक्षा
5. उच्च शिक्षा और प्रशिक्षण
6. कुशल माल बाज़ार
7. कुशल श्रम बाज़ार
8. वित्तीय बाज़ारों का विकास
9. मौजूदा प्रौद्योगिकी का उपयोग करने की क्षमता
10. बाज़ार आकार - घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों
11. सबसे परिष्कृत उत्पादन प्रक्रियाओं का उपयोग करके विभिन्न घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय वस्तुओं का उत्पादन
12. नवाचार

पोषक तत्त्व से समृद्ध हाइब्रिड मक्का

चर्चा में क्यों

हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (IARI) ने एक हाइब्रिड मक्का विकसित किया है जिसके बारे में दावा किया जा रहा है कि यह लाइसिन और ट्रिप्टोफेन के साथ-साथ प्रो-विटामिन-A में भी समृद्ध, दुनिया का पहला मक्का है।

नोट :

महत्त्वपूर्ण बिंदु

- गेहूँ और चावल के बाद मक्का भारत का तीसरा सबसे महत्त्वपूर्ण खाद्यान्न है। इसका उपयोग चिप्स, फ्लेक्स, पॉपकॉर्न इत्यादि जैसे खाद्य पदार्थ बनाने के लिये किया जाता है।
- मक्के के दाने में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा (65-75%) और प्रोटीन कम (7-12%) होता है तथा इस प्रोटीन में आवश्यक अमीनो एसिड जैसे लाइसिन एवं ट्रिप्टोफेन भी काफी कम मात्रा में होते हैं।
- लाइसिन एवं ट्रिप्टोफेन आवश्यक अमीनो एसिड (प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक) होते हैं जिन्हें शरीर द्वारा संश्लेषित नहीं किया जा सकता है। आहार के द्वारा ही इनकी आपूर्ति की जानी चाहिये।

विकसित मक्का

- यह हाइब्रिड मक्का (पूसा विवेक QPM 9) लाइसिन और ट्रिप्टोफेन के साथ-साथ प्रो-विटामिन-A में भी समृद्ध, दुनिया का पहला मक्का है।
- यद्यपि विटामिन-A समृद्ध मक्का कुछ अन्य जगहों पर विकसित किया जा चुका है फिर भी यह नई किस्म महत्त्वपूर्ण है क्योंकि यह न केवल विटामिन-A बल्कि अन्य दो आवश्यक एमिनो एसिड से भी समृद्ध है।
- इस संशोधित मक्के में दो जीन शामिल हैं। पहला, ओपेक-2 (Opaque-2) जीन जो लाइसिन और ट्रिप्टोफेन की मात्रा को बढ़ाता है तथा दूसरा, सीआरटीआरबी1 (crtRB1) जीन, जिसके परिणामस्वरूप कैरोटीनॉयड (बीटा-कैरोटीन, अल्फा-कैरोटीन और बीटा-क्रिप्टोक्सैंथिन) अधिक मात्रा में प्राप्त होते हैं जो कि शरीर में पहुँचकर विटामिन-A में परिवर्तित हो जाते हैं।
- सामान्य मक्के में ल्यूटिन और ज़ीएक्सैंथिन अधिक होते हैं। ये ऐसे कैरोटीनॉयड होते हैं जो विटामिन-A में परिवर्तित नहीं हो सकते हैं।
- बायो-फोर्टिफाइड हाइब्रिड आनुवंशिक रूप से संशोधित नहीं है, क्योंकि ओपेक-2 और सीआरटीआरबी1 जीन किसी भिन्न/असंबंधित पौधे या सूक्ष्मजीव की बजाय मक्के से ही प्राप्त किये गए हैं।

विकसित मक्के की महत्ता

- भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (IARI) द्वारा विकसित किया गया यह मक्का भुखमरी से लड़ने में कारगर हथियार साबित हो सकता है।
- यह व्यापक आबादी को कुपोषण से छुटकारा दिला सकने में सक्षम है। इसके साथ ही यह ग्लोबल हंगर इंडेक्स (GHI) में भारत की रैंकिंग (2018 में 119 देशों की सूची में भारत 103वें स्थान पर था) में सुधार ला सकता है।

सीमापार ऋणशोधन पर दूसरी रिपोर्ट

चर्चा में क्यों?

कंपनी मामले के मंत्रालय द्वारा भारतीय दिवाला एवं दिवालियापन संहिता, 2016 में संशोधन की संस्तुति के लिये गठित ऋणशोधन कानून समिति (Inslovency Law Committee- ILC) ने अपनी दूसरी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है।

समिति की सिफारिशें

- ILC ने सीमापार ऋणशोधन के लिये 1957 के The United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) प्रारूप कानून को लागू करने की संस्तुति की है, क्योंकि इसमें सीमापार ऋणशोधन संबंधी मुद्दे से निपटने के लिये व्यापक प्रावधान शामिल हैं।
- समिति ने घरेलू ऋणशोधन क्षमता संबंधी प्रावधानों और प्रस्तावित सीमापार ऋणशोधन से जुड़े प्रावधानों के बीच किसी प्रकार की असंगति को दूर करने के लिये भी कुछ प्रावधानों की संस्तुति की है।

UNCITRAL

- UNCITRAL प्रारूप कानून को लगभग 44 देशों में लागू किया गया है। इसलिये इसमें सीमापार ऋणशोधन से जुड़े मुद्दों से निपटने के लिये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ परंपराओं को शामिल किया गया है।

नोट :

- घरेलू प्रक्रियाएँ और लोगों के हितों की रक्षा से जुड़े प्रावधान शामिल होने की वज़ह से यह लाभकारी है।
- विदेशी निवेशकों के बीच अधिक विश्वास पैदा करना, घरेलू ऋणशोधन कानून के साथ मज़बूती से जुड़ना और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिये एक मज़बूत तंत्र कायम करना इसकी अन्य विशेषताओं में शामिल हैं।
- इस प्रारूप कानून में सीमापार ऋणशोधन के चार प्रमुख सिद्धांत शामिल हैं, जैसे-
  1. किसी उल्लंघनकर्त्ता कर्ज़दार के विरुद्ध घरेलू ऋणशोधन प्रक्रिया में भाग लेने अथवा उसे शुरू करने के लिये विदेशी ऋणशोधन व्यवसायियों और विदेशी ऋणदाताओं तक सीधी पहुँच।
  2. विदेशी प्रक्रियाओं को मान्यता और सुधार के प्रावधान।
  3. घरेलू और विदेशी न्यायालयों तथा ऋणशोधन कारोबारियों के बीच सहयोग कायम करना।
  4. विभिन्न देशों में दो अथवा अधिक ऋणशोधन प्रक्रियाओं के बीच समन्वय कायम करना।

भारत के लिये सीमापार ऋणशोधन फ्रेमवर्क की आवश्यकता

- दिवाला और दिवालियापन संहिता के तहत सीमापार ऋणशोधन फ्रेमवर्क की आवश्यकता इस तथ्य से उत्पन्न होती है कि कई भारतीय कंपनियों के पास वैश्विक पहचान है और कई विदेशी कंपनियों की भारत सहित कई देशों में मौजूदगी है।

निष्कर्ष

- भारत की दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 में सीमापार ऋणशोधन संबंधी खंड का समावेश एक बड़ा कदम होगा और इस प्रकार भारत का दिवालियापन कानून और अधिक परिपक्व होगा।

भारतीय दिवाला एवं दिवालियापन बोर्ड (नियम जारी करने के लिये प्रक्रिया) नियमन, 2018

संदर्भ

दिवाला एवं दिवालियापन संहिता, 2016 एक आधुनिक आर्थिक कानून है। संहिता की धारा 196 (1) के तहत भारतीय दिवाला एवं दिवालियापन बोर्ड (IBBI) के लिये यह आवश्यक है कि वह नियमन की अधिसूचना से पहले नियम-कायदे जारी करने हेतु आवश्यक व्यवस्था को निर्दिष्ट करे, जिसमें सार्वजनिक परामर्श प्रक्रियाओं का संचालन करना भी शामिल है। इस अवधारणा और वैधानिक आवश्यकता के अनुरूप IBBI ने भारतीय दिवाला एवं दिवालियापन बोर्ड (नियम जारी करने के लिये प्रक्रिया) नियमन, 2018 अधिसूचित किया है, ताकि नियम-कायदे बनाने और आम जनता से सुझाव मांगने की प्रक्रिया का संचालन किया जा सके। उल्लेखनीय है कि जारी किया गया नियमन 22 अक्तूबर, 2018 से ही प्रभावी हो चुका है।

भारतीय दिवाला एवं दिवालियापन बोर्ड को नियमन का अधिकार

- संहिता की धारा 240 के तहत भारतीय दिवाला एवं दिवालियापन बोर्ड (IBBI) को नियमन का अधिकार दिया गया है। हालाँकि, इसके तहत इन शर्तों का पालन करना होगा :
  - संहिता के प्रावधानों का कार्यान्वयन करना होगा।
  - नियमन संहिता और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुरूप होगा।
  - नियमन को सरकारी राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के ज़रिये बनाना होगा।
  - इन्हें जल्द-से-जल्द संसद के प्रत्येक सदन में 30 दिनों के लिये प्रस्तुत करना होगा।
- संहिता के तहत विभिन्न प्रक्रियाओं के लिये अधीनस्थ कानूनों के महत्त्व को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक है कि IBBI में एक सुव्यवस्थित एवं सुदृढ़ व्यवस्था हो जिसमें नियम-कायदे बनाने के लिये विभिन्न हितधारकों के साथ कारगर संवाद करना भी शामिल है।

नोट :

नियम जारी करने की प्रक्रिया संबंधी प्रावधान

- नियम जारी करने की प्रक्रिया में यह प्रावधान किया गया है कि किसी भी नियमन को बनाने अथवा उसमें संशोधन करने के लिये IBBI को संचालन बोर्ड की मंज़ूरी से अपनी वेबसाइट पर निम्नलिखित को अपलोड करके उन पर आम जनता से सुझाव मांगने होंगे :
  - प्रस्तावित नियम-कायदों के मसौदे पर।
  - संहिता के उस विशिष्ट प्रावधान पर जिसके तहत बोर्ड ने नियम-कायदे प्रस्तावित किये हैं।
  - उस समस्या के बारे में जिसे प्रस्तावित नियमन के तहत सुलझाया जाना है।
  - प्रस्तावित नियम-कायदों के आर्थिक विश्लेषण पर।
  - अंतर्राष्ट्रीय मानक तय करने वाली एजेंसियों द्वारा अनुशंसित मानकों से जुड़े वक्तव्य के साथ-साथ प्रस्तावित नियमन के लिये प्रासंगिक मानी जाने वाली अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के बारे में।
  - प्रस्तावित नियम-कायदों के कार्यान्वयन के तरीके के बारे में।
  - आम जनता से सुझाव मांगने के तौर-तरीकों, प्रक्रिया तथा तय समय-सीमा के बारे में।

नियमन की प्रक्रिया

- IBBI आम जनता से सुझाव आमंत्रित करने के लिये उन्हें कम-से-कम 21 दिन का समय देगा।
- यह आम जनता से प्राप्त सुझावों पर गौर करेगा और इन सुझावों पर अपनी सामान्य प्रक्रिया के साथ उन्हें अपनी वेबसाइट पर अपलोड करेगा।
- नियम-कायदों की अधिसूचना जारी करने की तिथि से पहले ही यह काम आईबीबीआई को पूरा करना होगा।
- यदि संचालन बोर्ड प्रस्तावित नियमन के विपरीत रूप में इन्हें मंज़ूरी देने का निर्णय लेता है, तो उसे नियमन से जुड़ी पूरी प्रक्रिया दोहरानी होगी।
- संचालन बोर्ड से मंज़ूरी मिलने के बाद इस नियमन को तुरंत अधिसूचित करना होगा और आमतौर पर अधिसूचना जारी होने की तिथि के 30 दिनों के बाद उन्हें लागू करना होगा, बशर्ते इनके कार्यान्वयन के लिये अलग से कोई तिथि निर्दिष्ट न की गई हो।
- हालाँकि, यदि IBBI को ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ नियम-कायदों को बनाना ज़रूरी है अथवा मौजूदा नियमन में संशोधन अत्यंत आवश्यक है, तो वह सलाह-मशविरा की उपर्युक्त प्रक्रिया को अपनाए बगैर ही संचालन बोर्ड की मंज़ूरी से संबंधित नियम-कायदे बना सकता है अथवा मौजूदा नियमन में संशोधन कर सकता है।

मत्स्य पालन एवं जलीय कृषि अवसंरचना विकास कोष

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति ने विशेष मत्स्य पालन एवं जलीय कृषि अवसंरचना विकास कोष (Fisheries and Aquaculture Infrastructure Development Fund (FIDF) के निर्माण को अपनी मंज़ूरी दे दी है।

प्रमुख बिंदु

- इस मंज़ूरी के तहत कोष की अनुमानित राशि 7,522 करोड़ रुपए होगी जिसमें से 5266.40 करोड़ रुपए प्रमुख ऋणदाता निकायों द्वारा जुटाए जाएंगे, जबकि इसमें लाभार्थियों का योगदान 1316.6 करोड़ रुपए का होगा।
- भारत सरकार से बजटीय सहायता के रूप में 939.48 करोड़ रुपए प्राप्त होंगे।
- राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (National Bank for Agriculture and Rural Development-NABARD), राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (National Cooperatives Development Corporation (NCDC) और सभी अनुसूचित बैंक (अब बैंक लिखा जाएगा) इसके लिये प्रमुख ऋणदाता निकाय होंगे।

लाभ

- समुद्री और अंतर्देशीय मत्स्य पालन दोनों ही क्षेत्रों में मत्स्य पालन से जुड़ी बुनियादी ढाँचागत सुविधाएँ स्थापित की जाएंगी।

- 'नीली क्रांति' के तहत वर्ष 2020 तक के लिये निर्धारित 15 मिलियन टन का लक्ष्य प्राप्त करने और 8-9 प्रतिशत की सतत् वृद्धि दर हासिल करने हेतु मछली उत्पादन बढ़ाया जाएगा। इसके बाद मछली उत्पादन को वर्ष 2022-23 तक बढ़ाकर लगभग 20 एमएमटी के स्तर पर पहुँचाया जाएगा।
- 9.40 लाख से भी ज़्यादा मछुआरों/मत्स्य पालन से जुड़े लोगों के साथ-साथ मत्स्य पालन एवं संबद्ध गतिविधियों के अन्य उद्यमियों के लिये रोज़गार के अवसर सृजित होंगे।
- मत्स्य पालन से जुड़ी बुनियादी ढाँचागत सुविधाओं की स्थापना एवं प्रबंधन से निजी निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा।
- नई प्रौद्योगिकियाँ अपनायी जाएंगी।

FIDF के तहत ऋण की व्यवस्था

- FIDF से राज्य सरकारों/केंद्रशासित प्रदेशों एवं राज्यों के निकायों, सहकारी समितियों, विभिन्न लोगों और उद्यमियों, इत्यादि को रियायती वित्त प्राप्त होगा जिससे वे मत्स्य पालन क्षेत्र के विकास से जुड़ी चिन्हित निवेश गतिविधियाँ पूरी कर सकेंगे।
- FIDF के तहत ऋण का वितरण 2018-19 से लेकर 2022-23 तक के पाँच वर्षों की अवधि के दौरान किया जाएगा और अदायगी अधिकतम 12 वर्षों की अवधि में होगी जिसमें मूलधन के भुगतान पर दो वर्षों का ऋण स्थगन भी शामिल है।

सतत् विकास लक्ष्यों की निगरानी हेतु समिति

चर्चा में क्यों ?

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सतत् विकास लक्ष्यों (Sustainable Development Goals- SDGs) की निगरानी के लिये राष्ट्रीय संकेतक ढाँचे (National Indicator Framework- NIF) की समय-समय पर समीक्षा और उसमें सुधार के लिये एक उच्चस्तरीय प्राकलन समिति के गठन को मंज़ूरी दे दी है।

समिति का प्रारूप एवं कार्य

- उच्चस्तरीय समिति की अध्यक्षता भारत के मुख्य सांख्यिकीविद् तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (Ministry of Statistics and Programme Implementation- MoSPI) के सचिव करेंगे।
- समिति में आँकड़ा स्रोत मंत्रालयों और नीति आयोग के सचिव सदस्य के रूप में होंगे। इसके अलावा अन्य संबद्ध मंत्रालयों के सचिव विशेष रूप से आमंत्रित होंगे।
- इसका कार्य समय-समय पर संकेतकों में सुधार सहित राष्ट्रीय संकेतक ढाँचे की समीक्षा करना होगा।

लक्ष्य

- विकास संबंधी चुनौतियों का सामना करने के लिये वर्तमान राष्ट्रीय कार्यक्रमों और रणनीतिक कार्य योजनाओं में मुख्य रूप से सतत विकास लक्ष्यों के उपाय करना।
- NIF के सांख्यिकीय संकेतक राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर SDG की निगरानी की रीढ़ होंगे और विभिन्न लक्ष्यों को हासिल करने की नीतियों के परिणामों का वैज्ञानिक तरीके से मूल्यांकन करेंगे।
- सांख्यिकी संकेतक के आधार पर MoSPI SDG के कार्यान्वयन पर राष्ट्रीय रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। यह रिपोर्ट प्रगति के आकलन को सरल बनाने, चुनौतियों की पहचान करने और राष्ट्रीय स्तर पर आगे कार्य करने के लिये सिफारिशें देगी।
- आँकड़ा स्रोत मंत्रालय/विभाग आवश्यक अंतरालों पर इन संकेतकों के बारे में और SDG के राष्ट्रीय और उप-राष्ट्रीय प्रतिवेदन के लिये MoSPI को नियमित और अलग-अलग जानकारी प्रदान करेगा।
- सतत् विकास लक्ष्यों की त्वरित और प्रभावी निगरानी के लिये अत्याधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल किया जाएगा।

नोट :

प्रभाव

- SDG में विकास के आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण संबंधी आयामों को समाहित किया गया है। इसका उद्देश्य 'सबका साथ सबका विकास' की मूल भावना के साथ बदलते विश्व में गरीबी का उन्मूलन और समृद्धि को बढ़ावा देना है।
- 17 लक्ष्यों और 169 उद्देश्यों के साथ SDG निरंतर, समग्र और समान आर्थिक विकास को बढ़ावा देने, सभी के लिये अधिक अवसर सृजित करने, असमानता कम करने, रहन-सहन के मूलभूत स्तर में सुधार, समान सामाजिक विकास को बढ़ावा और समावेशन, प्राकृतिक संसाधनों और पारिस्थितिकी प्रणाली के समेकित और निरंतर प्रबंधन को बढ़ावा देना चाहता है।
- NIF राष्ट्रीय स्तर पर SDG की प्रकृति के बारे में परिणाम आधारित निगरानी और जानकारी देने में मदद करेगा।

पृष्ठभूमि

- न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय पर वर्ष 2000 में हुई सहस्त्राब्दी शिखर बैठक में विकास संबंधी आठ उद्देश्यों को स्वीकार किया गया, जिन्हें सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य (Millennium Development Goals- MDGs) के नाम से जाना जाता है। इसने वर्ष 2000 से वर्ष 2015 के बीच देशों के लिये उनकी राष्ट्रीय विकास रणनीतियों का अनुसरण करने का खाका तैयार किया।
- MDG के आठ लक्ष्य हैं और इसमें विकास के विभिन्न मुद्दों को रखा गया है।
- MDG के उद्देश्यों को विभिन्न देशों में असमान रूप से हासिल कर लिया गया और यह आवश्यकता महसूस की गई कि इसकी उपयोगिता का आकलन करने और 2015 के बाद विश्व में विकास सहयोग के मार्गदर्शन के लिये संभावित उत्तराधिकारी का पता लगाने हेतु नए सिरे से विचार-विमर्श किया जाए।
- संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपने 70वें अधिवेशन में अगले 15 वर्षों के लिये सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों पर विचार किया और उसे स्वीकृत किया। 01 जनवरी, 2016 से 17 सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य अस्तित्व में आए।

आगे की राह

- हालाँकि SDG को लागू करने के लिये कानूनी रूप से कोई बाध्यता नहीं है, लेकिन अगले 15 वर्षों के दौरान इसमें अंतर्राष्ट्रीय दायित्व और देशों की घरेलू व्यय प्राथमिकताओं में बदलाव लाने की संभावनाएँ हैं।
- उम्मीद है कि देश इसका स्वामित्व लेंगे और इन उद्देश्यों को हासिल करने हेतु राष्ट्रीय ढाँचा स्थापित करेंगे।
- इसका कार्यान्वयन और सफलता देशों की अपनी निरंतर विकास नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों पर निर्भर करेगी।
- देश लक्ष्यों और उद्देश्यों के कार्यान्वयन में हुई प्रगति के संबंध में राष्ट्रीय स्तर पर आगे कार्य करने और समीक्षा करने के लिये ज़िम्मेदार होंगे।
- SDG के अंतर्गत प्रगति की निगरानी के लिये राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करने के लिये गुणवत्ता, पहुँच और समय पर आँकड़ों की ज़रूरत होगी।

निष्कर्ष

राष्ट्रीय संकेतक ढाँचे के कार्यान्वयन पर कोई प्रत्यक्ष वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ेगा। तथापि संबद्ध मंत्रालयों को SDG संकेतकों की निगरानी कि प्रक्रिया को सरल बनाने के लिये उनकी सांख्यिकी प्रणालियों को फिर से संगठित और मज़बूत बनाना होगा। उम्मीद है कि SDG लोगों के जीवन में बदलाव लाएगा और SDG के कार्यान्वयन की प्रगति की निगरानी से पूरे देश को लाभ मिलेगा।

बेनामी संपत्ति लेन-देन निषेध अधिनियम, 1988

संदर्भ

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बेनामी संपत्ति लेन-देन निषेध अधिनियम (Benami Property Transactions Act - PBPT), 1988 के तहत निर्णायक प्राधिकरण (Adjudicating Authority) के गठन और अपीलीय न्यायाधिकरण (Appellate Tribunal) की स्थापना को स्वीकृति दे दी है।

नोट :

मुख्य बिंदु

I. पीबीपीटी अधिनियम के तहत तीन अतिरिक्त खंडपीठों के साथ निर्णायक प्राधिकरण का गठन और अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना की जाएगी।

II. निर्णायक प्राधिकरण की खंडपीठों और अपीलीय न्यायाधिकरण को अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण उपलब्ध कराए जाएंगे। आयकर विभाग/केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (Central Board of Direct Taxes - CBDT) में समान स्तर/रैंक वाले वर्तमान पदों का उपयोग अन्यत्र करके यह काम पूरा किया जाएगा।

III. निर्णायक प्राधिकरण और अपीलीय न्यायाधिकरण दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (National Capital Territory of Delhi - NCTD) में ही अवस्थित होंगे।

IV. निर्णायक प्राधिकरण की खंडपीठ कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में अवस्थित हो सकती है। प्रस्तावित निर्णायक प्राधिकरण के अध्यक्ष के साथ सलाह-मशविरा करने के बाद ही इस बारे में आवश्यक अधिसूचना जारी की जाएगी।

लाभ

- उपर्युक्त मंजूरी मिल जाने से निर्णायक प्राधिकरण को सौंपे गए मामलों का कारगर एवं बेहतर निपटान संभव होगा और इसके साथ ही निर्णायक प्राधिकरण के ऑर्डर के खिलाफ अपीलीय न्यायाधिकरण में की जाने वाली अपील का भी त्वरित निपटान संभव हो पाएगा।
- निर्णायक प्राधिकरण के गठन से PBPT अधिनियम के तहत की जाने वाली प्रशासनिक कार्रवाई की प्रथम चरण की समीक्षा करने में मदद मिलेगी।
- प्रस्तावित अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना से PBPT अधिनियम के तहत निर्णायक प्राधिकरण द्वारा जारी किये जाने वाले ऑर्डर के खिलाफ अपील करने की समुचित व्यवस्था संभव हो पाएगी।

बेनामी लेन-देन (निषेध) अधिनियम, 1988

बेनामी लेन-देन (निषेध) संशोधन विधेयक, 2015 का उद्देश्य बेनामी लेन-देन (निषेध) अधिनियम, 1988 में संशोधन करना है। इस नए संशोधित कानून से बेनामी संपत्ति को ज़ब्त करने और मुकदमा चलाने का अधिकार प्राप्त हुआ। इस प्रकार प्रमुख राजस्व को विशेष रूप से रियल एस्टेट की बेनामी संपत्ति में काले धन के रूप में लगाए जाने का रास्ता अवरुद्ध होगा।

- विधेयक में इसके लिये दायरे का विस्तार किया गया है, जिसमें संदिग्ध नामों के तहत खरीदी गई संपत्तियों को भी शामिल किया गया है और ऐसी स्थितियों को भी जोड़ा गया है जिसमें मालिक अपने मालिकाना हक से अंजान होता है। ऐसे सौदों को अंजाम देने वालों की धरपकड़ भी की जाएगी।
- यदि संपत्ति पत्नी, बच्चे या परिवार के किसी निकट सदस्य के नाम पर है तो वह बेनामी संपत्ति की श्रेणी में नहीं आएगी। लेकिन यदि किसी तीसरे पक्ष के नाम पर दर्ज है, तब उस स्थिति में ऐसी संपत्ति को ज़ब्त किया जा सकता है।
- संशोधित विधेयक सरकार को यह अधिकार देता है कि वह बेनामी संपत्तियों को ज़ब्त कर सकती है।
- इसमें सरकार को वैधानिक और प्रशासनिक शक्तियाँ दी गई हैं, जिससे वह बेनामी कानून लागू होने की राह में आने वाली व्यावहारिक कठिनाइयों से पार पाने में सक्षम होगी।
- आय घोषणा योजना के तहत भी कोई व्यक्ति अपनी बेनामी संपत्ति की घोषणा कर सकता है और उसे बेनामी अधिनियम के प्रावधानों से राहत दी जाएगी।
- इस विधेयक का उद्देश्य एक व्यापक समावेशी ढाँचा तैयार करना है, जिसमें बेनामी संपत्तियों के बेहतर नियमन हेतु विशेष सुनवाई प्राधिकरण का गठन किया जाएगा।
- अधिनियम के प्रावधानों के तहत एक उचित प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। इस विधेयक में चार स्तरीय नियामकीय ढाँचे के गठन का प्रस्ताव है, जिसमें एक पहल अधिकारी, एक स्वीकृति प्राधिकरण, एक प्रशासक और सुनवाई प्राधिकरण होगा।
- विधेयक में नियमों का उल्लंघन करने की स्थिति में सख्त सज़ा का प्रावधान किया गया है। इसमंब बेनामी संपत्ति खरीदने की स्थिति में सात साल की सज़ा हो सकती है। साथ ही एजेंसियों को गलत सूचनाएँ देने के कारण भी पाँच साल जेल में काटने पड़ सकते हैं।
- संशोधन में एक अपीलीय पंचाट के गठन का भी प्रावधान है, जो अपील की सुनवाई के लिये एक स्वतंत्र निकाय के रूप में काम करे और मामले के उच्च न्यायालय में जाने से पहले ही यहाँ उसकी सुनवाई हो सके।

नोट :

एशिया की सबसे अधिक निवेशप्रिय अर्थव्यवस्था

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में स्टैंडर्ड चार्टर्ड द्वारा किये गए एक अध्ययन के अनुसार, भारत एशिया की सबसे निवेशप्रिय अर्थव्यवस्था है और देश के समृद्ध वर्ग के दो-तिहाई से अधिक लोग अपने वित्तीय लक्ष्यों और सामाजिक गतिशीलता की प्राप्ति के लिये विभिन्न निवेश उत्पादों का उपयोग करना पसंद करते हैं।

महत्त्वपूर्ण बिंदु

- स्टैंडर्ड चार्टर्ड द्वारा एशिया, अफ्रीका और मध्य पूर्व के 11,000 उभरते समृद्ध उपभोक्ताओं पर किये गए अध्ययन में पाया गया कि इस वर्ग में आने वाले 68 प्रतिशत भारतीय अपने वित्तीय लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु निवेश उत्पादों का उपयोग करते हैं।
- स्टैंडर्ड चार्टर्ड द्वारा किये गए अध्ययन के अनुसार, अध्ययन में शामिल लोगों का औसतन 57 प्रतिशत वित्तीय लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु निवेश उत्पादों का प्रयोग करता है।
- इस अध्ययन के प्रयोजनों के लिये 'निवेश उत्पादों' का तात्पर्य निश्चित आय निवेश, स्टॉक, इक्विटी, म्यूचुअल फंड, यूनिट ट्रस्ट, निवेश से जुड़े बीमा, स्व-निवेशित पेंशन फंड, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (REITS) और रियल एस्टेट संपत्ति निधि से है।
- अध्ययन के अनुसार, भारत के उभरते समृद्ध लोगों का पहला वित्तीय लक्ष्य अपने बच्चों की शिक्षा लिये बचत करना है।
- अध्ययन में कहा गया है कि भारत के 31 प्रतिशत उभरते समृद्ध वर्ग निवेश के लिये म्यूचुअल फंड का चयन कर रहे हैं, जबकि एक चौथाई (25 प्रतिशत) निश्चित आय निवेश और 22 प्रतिशत इक्विटी निवेश का चयन कर रहे हैं। सभी आँकड़े अध्ययन के औसत से अधिक हैं, जोकि क्रमश: 16 प्रतिशत (म्यूचुअल फंड), 19 प्रतिशत (निश्चित आय) और 18 प्रतिशत (इक्विटी निवेश) है।
- 'इमर्जिंग एफ्लुएंट स्टडी-2018- क्लाइम्बिंग द प्रोस्पेरिटी लैडर' नाम से प्रकाशित रिपोर्ट में उभरते समृद्ध उपभोक्ता ऐसे व्यक्ति को माना गया है जिसकी आमदनी इतनी अधिक है कि वह आराम से बचत और निवेश कर सकता है। इस अध्ययन एशिया, अफ्रीका और मध्यपूर्व के 11 बाज़ारों को शामिल किया गया है।

वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (FSDC) की 19वीं बैठक

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त और कार्पोरेट मामलों के मंत्री श्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (Financial Stability and Development Council-FSDC) की 19वीं बैठक संपन्न हुई।

प्रमुख बिंदु

- इस बैठक में केंद्रीय वित्त मंत्री ने वर्तमान वैश्विक और घरेलू आर्थिक स्थिति तथा वित्तीय क्षेत्र के कामकाज की समीक्षा की।
- परिषद की इस बैठक के दौरान वास्तविक ब्याज दर, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों तथा म्युचुअल फंड में क्षेत्रवार तरलता स्थिति जैसे अनेक विषयों पर चर्चा हुई। इस संबंध में परिषद ने निर्णय लिया कि नियामक संस्था और सरकार स्थिति पर निगरानी रखेगी और सभी आवश्यक कदम उठाएगी।
- FSDC की इस बैठक में भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर डॉ. उर्जित आर. पटेल, वित्त और राजस्व सचिव डॉ. हंसमुख अढिया, सेबी के अध्यक्ष श्री अजय त्यागी एवं बीमा नियामक तथा विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री सुभाष चंद्र खुंटिया सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
- FSDC की बैठक में वैधानिक ढाँचे के अंतर्गत वित्तीय क्षेत्र में कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉस टीम के गठन में प्रगति सहित वित्तीय क्षेत्र में साइबर सुरक्षा को मज़बूती प्रदान करने पर भी चर्चा की गई।
- उल्लेखनीय है कि परिषद ने वित्तीय क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण सूचना ढाँचे की पहचान करने और उसे प्राप्त करने की आवश्यकता पर भी चर्चा की। परिषद ने गुप्त (क्रिप्टो) परिसंपत्ति/ मुद्रा की चुनौतियों पर भी चर्चा की।

नोट :

- परिषद को इस विषय पर सचिव (आर्थिक कार्य) की अध्यक्षता में उच्च समिति द्वारा की गई चर्चा की जानकारी दी गई ताकि निजी क्रिप्टो मुद्रा पर पाबंदी के लिये उचित कानूनी ढाँचा तैयार किया जा सके और 2018-19 के बजट में घोषित वितरित खाता टेक्नोलॉजी के उपयोग को बढ़ावा दिया जा सके।

वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद

- वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (Financial Stability and Development Council - FSDC) का गठन दिसंबर 2010 में किया गया था। परिषद की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा की जाती है।
- इसके सदस्यों में भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर, वित्त सचिव, आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव, वित्तीय सेवा विभाग के सचिव, मुख्य आर्थिक सलाहकार, वित्त मंत्रालय, सेबी के अध्यक्ष, इरडा के अध्यक्ष, पी.एफ.आर.डी.ए. के अध्यक्ष को शामिल किया जाता है।

यह क्या कार्य करता है?

- परिषद का कार्य वित्तीय स्थिरता, वित्तीय क्षेत्र के विकास, अंतर-नियामक समन्वय, वित्तीय साक्षरता, वित्तीय समावेशन तथा बड़ी वित्तीय कंपनियों के कामकाज सहित अर्थव्यवस्था से जुड़े छोटे-छोटे मुद्दों का विवेकपूर्ण पर्यवेक्षण करना है।
- इसके अतिरिक्त इस परिषद को अपनी गतिविधियों के लिये अलग से कोई कोष आवंटित नहीं किया जाता है।

दृष्टि The Vision

अंतर्राष्ट्रीय संबंध

भारत ने UNGA में CCIT की माँग फिर से उठाई

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 73वें सत्र का आयोजन हुआ। इस सत्र में भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक अभिसमय (CCIT) की मांग को दोहराया।

CCIT क्या है ?

- 1996 में भारत ने आतंकवाद से निपटने के लिये बोधगम्य कानूनी ढाँचा प्रदान करने के उद्देश्य के साथ संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) के समक्ष 'अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक अभिसमय' (CCIT) को लागू किये जाने का प्रस्ताव रखा।
- भारत सीमा पार आतंकवाद से पीड़ित रहा है। इसलिये भारत ने प्रमुख वैश्विक शक्तियों से पहले वैश्विक शांति और सुरक्षा के मामले को संज्ञान में लिया।
- CCIT के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं-
- आतंकवाद की सार्वभौमिक परिभाषा को UNGA के सभी 193 सदस्य देशों द्वारा अपने आपराधिक विधि में अपनाया जाना।
- सभी आतंकी संगठनों को प्रतिबंधित करना तथा आतंकी गतिविधियों में संलिप्त कैम्पों को बंद करना।
- विशेष कानूनों के तहत सभी आतंकवादियों पर मुकदमे चलाना।
- वैश्विक स्तर पर सीमा-पार आतंकवाद को प्रत्यार्पण योग्य अपराध घोषित करना।

आतंकवाद की परिभाषा-

- इस अभिसमय के अनुसार, कोई भी व्यक्ति जिसके अपराध का उद्देश्य लोगों को डराना या सरकार या अंतर्राष्ट्रीय संगठन को किसी भी कार्य को करने से रोकना या ऐसा कार्य करने के लिये मजबूर करना हो, जिसके कारण-
- किसी भी व्यक्ति की मौत या गंभीर शारीरिक चोट, या
- सार्वजनिक उपयोग की जगह, कोई सरकारी सुविधा, सार्वजनिक परिवहन प्रणाली, अवसंरचना या पर्यावरण सहित सार्वजनिक या निजी संपत्ति की क्षति, या
- संपत्ति, स्थान, सुविधाओं या प्रणालियों को नुकसान पहुँचता है जिसके परिणामस्वरूप बड़ा आर्थिक नुकसान हो, को आतंकवाद की परिभाषा के तहत माना जाएगा।

CCIT से सबंद्ध मुद्दे-

- तीन मुख्य समूहों के विपक्ष में होने की वज़ह से CCIT के निष्कर्ष तथा अनुसमर्थन पर गतिरोध बना हुआ है-

1. अमेरिका-
    - अमेरिका शांतिकाल के दौरान राज्य की सैन्य ताकतों द्वारा किये गए कृत्यों को बाहर रखने का मसौदा चाहता था।
    - अमेरिका खासतौर पर अफगानिस्तान और इराक में किये गए हस्तक्षेपों के संबंध में अपने सैन्य बलों पर CCIT के अनुप्रयोग को लेकर चिंतित है।
2. इस्लामी देशों का संगठन (OIC)
    - OIC राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलनों को CCIT के दायरे से बाहर रखना चाहता है। राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलनों से OIC का तात्पर्य खासकर इज़राइल-फिलिस्तीन संघर्ष से है।

- यह तर्क दिया गया था कि स्वतंत्रता आंदोलनों तथा आतंकवाद के कृत्यों को अलग करने की आवश्यकता है ताकि वैध आंदोलनों को आतंकवाद के आपराधिक कृत्यों के रूप में वर्गीकृत न किया जा सके।

3. लातिन अमेरिकी देश

- लातिन अमेरिकी देश 'राज्य आतंकवाद (State Terrorism)' को तथा राज्यों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानूनों के उल्लंघन को भी CCIT में शामिल करना चाहते थे।
- आतंकवाद की यह परिभाषा विवादास्पद नहीं है। विवाद इस परिभाषा के अनुप्रोग को लेकर है। क्या यह परिभाषा किसी राज्य के सशस्त्र बलों और स्वतंत्रता आंदोलनों पर भी लागू होगी?

निष्कर्ष

आतंकवाद का मुकाबला करने हेतु एक प्रभावी तंत्र बनाने के लिये यह आवश्यक है कि दुनिया के सभी देश आतंकवाद की परिभाषा पर सहमत हों। देशों को मात्र अपने हित के नज़रिये से नहीं बल्कि वैश्विक आतंकवाद की समस्या का जड़ से उन्मूलन करने के व्यापक उद्देश्य के साथ इस मुद्दे को देखना चाहिये।

अमेरिका और कनाडा के मध्य मुक्त व्यापार समझौते पर सहमति

चर्चा में क्यों?

हाल ही में कनाडा और अमेरिका एक नए मुक्त व्यापार समझौते पर सहमत हुए जिसमें मैक्सिको भी शामिल होगा। इस समझौते में सुधार करने के लिये एक साल से अधिक समय तक चली वार्ताओं के बाद इस पर सहमति बन पाई।

प्रमुख बिंदु

- अमेरिका-मैक्सिको-कनाडा समझौता (USMCA) लगभग 25 वर्षीय उत्तरी अमेरिकी मुक्त व्यापार समझौते (NAFTA) को अद्यतन और प्रतिस्थापित करता है, जिसे ट्रंप ने बेहद खराब कहा था और उसे रद्द करने की धमकी दी थी।
- अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि रॉबर्ट लाइटथाइज़र और कनाडा के विदेश मामलों के मंत्री क्रिस्टिया फ्रीलैंड द्वारा संयुक्त बयान में कहा गया है, 'पुनर्लेखन' के परिणामस्वरूप हमारे क्षेत्र में मुक्त बाज़ार, बेहतर व्यापार और मज़बूत आर्थिक विकास होगा।
- छह हफ्तों की गहन बातचीत के बाद दोनों देशों के मध्य कई मतभेदों को सुलझाते हुए सहमति बन पाई है। इस समझौते के तहत 500 मिलियन निवासियों का क्षेत्र समाहित होगा और एक वर्ष में लगभग 1 ट्रिलियन डॉलर का व्यापार होगा।
- कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा, "यह कनाडा के लिये एक अच्छा दिन है।" मैक्सिकन विदेश मंत्री लुइस वीडगेरे ने ट्वीट किया कि यह सौदा कनाडा और उत्तरी अमेरिका के लिये अच्छा है।
- इस समझौते के तहत कनाडा अब अपने डेयरी बाज़ार को अमेरिकी उत्पादकों के लिये खोल देगा और बदले में वाशिंगटन ने विवाद निपटान प्रावधानों को अपरिवर्तित छोड़ दिया।
- कनाडा की आपूर्ति-प्रबंधित डेयरी प्रणाली के तहत, कनाडा प्रभावी ढंग से उत्पादन कोटा और दूध की कीमत निर्धारित करता है, जो उपभोक्ताओं के लिये कीमतें बढ़ाता है लेकिन किसानों को स्थिर आय प्रदान करता है। कनाडा द्वारा लगाए गए 275% तक के टैरिफ ने कनाडा के बाज़ार से अधिकतर देशों के दूध को बाहर रखा है।
- कनाडा ने नाफ्टा (NAFTA) के विवाद समाधान तंत्र को कमज़ोर करने या खत्म करने की अमेरिकी मांगों का विरोध किया था, जिनके मध्यस्थता पैनल का उपयोग कनाडा द्वारा व्यापार विवादों को हल करने और अमेरिकी एंटी-डंपिंग तथा काउंटरवेलिंग ड्यूटी विशेष रूप से अपने महत्त्वपूर्ण लकड़ी उद्योग के खिलाफ बचाव के लिये भी किया जाता था।
- अधिकारियों ने कहा कि कनाडा में डेयरी बाज़ार में बदलाव के साथ-साथ इसमें श्रमिकों के लिये मजबूत सुरक्षा, कठिन नए पर्यावरणीय नियम शामिल किये गए हैं और डिजिटल अर्थव्यवस्था को कवर करने के लिये व्यापार संबंधों को अद्यतन किया गया है। साथ ही यह समझौता अभूतपूर्व बौद्धिक संपदा सुरक्षा प्रदान करता है।
- इसके अलावा, यह व्यापार नियमों के 'हेरफेर' को रोकने के लिये मुद्रा मूल्यों को शामिल करने सहित प्रावधानों को जोड़ता है और शुल्क मुक्त बाज़ार का लाभ उठाने की कोशिश कर रहे बाहरी देशों पर नियंत्रण करता है।

क्या है नाफ्टा ?

- उत्तरी अमेरिकी मुक्त व्यापार समझौता (North American Free Trade Agreement-NAFTA) एक व्यापक व्यापार समझौता है जो कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको के बीच व्यापार तथा निवेश के नियम निर्धारित करता है।
- चूँकि यह समझौता 1 जनवरी, 1994 से लागू हुआ था, इसलिये नाफ्टा ने तीनों देशों के बीच मुक्त व्यापार और निवेश के लिये अधिकतर टैरिफ और गैर-टैरिफ बाधाओं को व्यवस्थित रूप से हटा दिया।
- इस समझौते के कारण इन तीनों देशों के बीच माल की ढुलाई पर लगने वाले कर को समाप्त कर दिया गया। ट्रेडमार्क, पेटेंट और करेंसी को लेकर तीनों देशों के बीच व्यापार संबंधी काफी सुगम नियम बनाए गए।

अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की पहली बैठक

चर्चा में क्यों ?

भारत सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने 2 से 5 अक्तूबर, 2018 तक नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (International Solar Alliance- ISA) की पहली बैठक तथा हिंद महासागर तटीय क्षेत्रीय सहयोग संघ (Indian Ocean Rim Association -IORA) के नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रियों और वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा निवेश (Renewable Energy Investment Meeting and Expo- REINVEST- 2018) की दूसरी बैठक तथा एक्सपो 2018 का आयोजन किया। उल्लेखनीय है कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतेरेस की उपस्थिति में एक साथ इन तीनों आयोजनों की शुरुआत की गई।

अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन

- अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सौर ऊर्जा से संपन्न देशों का एक संधि आधारित अंतर-सरकारी संगठन (Treaty-based International Intergovernmental Organization) है।
- अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की शुरुआत भारत और फ्राँस ने 30 नवंबर, 2015 को पेरिस जलवायु सम्मेलन के दौरान की थी।
- अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन कर्क और मकर रेखा के मध्य आंशिक या पूर्ण रूप से अवस्थित 121 सौर संसाधन संपन्न देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय अंतर-सरकारी संगठन है।
- इसका मुख्यालय गुरुग्राम (हरियाणा) में है।
- ISA के प्रमुख उद्देश्यों में 1000 गीगावाट से अधिक सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता की वैश्विक तैनाती और 2030 तक सौर ऊर्जा में निवेश के लिये लगभग $1000 बिलियन की राशि को जुटाना शामिल है।
- नई दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की पहली बैठक में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में वैश्विक सहयोग बढ़ाने पर ज़ोर दिया गया।
- इसमें लोगों को सौर ऊर्जा किफायती दर पर उपलब्ध कराए जाने की कोशिशों पर भी विचार किया गया।
- बैठक में सौर ऊर्जा से संबंधित वित्तीय, प्रशासनिक और क्रियान्वयन संबंधी मुद्दों पर गंभीरता से विचार-विमर्श किया गया।

हिंद महासागर तटीय क्षेत्रीय सहयोग संघ (IORA)

- IORA एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका गठन हिंद महासागर क्षेत्र के देशों में सहयोग बढ़ाने और सतत् विकास के लिये मिलकर प्रयास करने के उद्देश्य से किया गया है।
- इसमें भारत सहित हिंद महासागर के तटवर्ती 21 देश एवं 7 वार्ता साझेदार शामिल हैं।

इन 21 देशों में भारत, ऑस्ट्रेलिया, ईरान, इंडोनेशिया, थाईलैंड, बांग्लादेश, मलेशिया, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, केन्या, श्रीलंका, तंजानिया, सिंगापुर, मॉरीशस, मेडागास्कर, संयुक्त अरब अमीरात, यमन, सेशेल्स, सोमालिया, कोमरॉस और ओमान शामिल हैं।

- इसकी औपचारिक शुरुआत मार्च 1997 में हुई एवं इसकी स्थापना की 20वीं वर्षगाँठ पर 5-7 मार्च, 2017 को इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में इसके पहले शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था।

नोट :

री-इन्वेस्ट एक्सपो

- दूसरे री-इन्वेस्ट एक्सपो का आयोजन विभिन्न संगठनों को उनकी कारोबारी दक्षता, उपलब्धियों और अपेक्षाओं को दर्शाने का अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से किया गया।
- इसके ज़रिये देश में सौर ऊर्जा के क्षेत्र से जुड़े हितधारकों के बीच परस्पर समन्वय को सुगम बनाने की कोशिशों पर ज़ोर दिया गया।
- एक्सपो में ISA और IORA के सदस्य देशों के अलावा दुनिया भर के 600 से ज़्यादा उद्योगपतियों और 10,000 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।

उपरोक्त बैठकों के परिणाम

- IORA और ISA ने संयुक्त घोषणा-पत्र पर हस्ताक्षर किये।
- हरियाणा सरकार ने ISA की भागीदारी में अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला की स्मृति में सौर पुरस्कार की घोषणा की।
- फ्राँस की विकास एजेंसी और भारतीय सौर ऊर्जा निगम के मध्य सौर ऊर्जा में नवीकरण के बारे में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गए।

रिज़र्व बैंक के रुख में बदलाव लेकिन ब्याज दर यथावत

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) की मौद्रिक नीति समिति ने बाजार की आशा के विपरीत चौथी द्विमासिक नीति समीक्षा में प्रमुख नीतिगत दर को 6.5% पर रखने का निर्णय लिया है। हालाँकि रिज़र्व बैंक ने तटस्थ रहने की जगह नीतियों में कठोरता की जाँच करने का निर्णय लिया है।

प्रमुख बिंदु

- नीतिगत दरों की इस घोषणा ने रुपए को कमज़ोर कर दिया और सेंसेक्स में 800 अंकों की गिरावट आई। सितंबर के आखिरी सप्ताह में अमेरिकी फेड द्वारा नीतिगत दरों में वृद्धि और रुपए पर गंभीर संकट के कारण भी भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नीतिगत दरों में बढ़ोतरी की उम्मीद की गई थी।
- भारतीय रिज़र्व बैंक की इस कार्रवाई से यह संकेत मिलता है कि वह मुद्रास्फीति, जो कि उसके अनुमान से कम थी, की तुलना में तरलता और बॉण्ड पर लाभ संबंधी कठोर नियमों के बारे में अधिक चिंतित था।
- भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल ने कहा, रुपए का मूल्यह्रास कुछ मामलों में कई अन्य ईएमई [उभरते बाजार अर्थव्यवस्था] देशों की तुलना में मामूली रहा है। मार्च अंत से लेकर सितंबर अंत तक रुपए में 5.6% तक की मामूली प्रभावी गिरावट दर्ज की गई है। वास्तविक प्रभावी शर्तों के अनुसार रुपए का मूल्यह्रास 5% रहा है, साथ ही भारत बाहरी कारकों के कारण वैश्विक संकटों से प्रतिरक्षित नहीं है।
- आरबीआई ने चालू वित्त वर्ष के दूसरे छमाही के लिये मुद्रास्फीति पूर्वानुमान जो पहले 4.8% अनुमानित था, को 3.9-4.5% तक और 2019-20 के पहली तिमाही के लिये 5.8% से 4.8% तक कम किया। आरबीआई के अनुसार, "हालाँकि 2018-19 और 2019-20 की पहली तिमाही के लिये मुद्रास्फीति के अनुमान को अगस्त के प्रस्ताव से कम पर संशोधित किया गया है, किंतु इसके प्रक्षेपवक्र का अगस्त 2018 के प्रस्ताव से ऊपर बढ़ने का अनुमान है।"
- रुपए ने 74 डॉलर के निशान को पार कर दिन के अंत में 73.77 डॉलर पर बंद होने से पहले 74.22 के निशान को छू लिया जो कि इसके पिछले बंद से 0.24% कम था।
- मौद्रिक नीति को तटस्थ से कड़े रुख में बदलने पर श्री पटेल ने कहा कि इसका मतलब यह होगा कि इस चक्र में दर कटौती तालिका से बाहर थी लेकिन आरबीआई हर बैठक में दरों में वृद्धि करने के लिये बाध्य नहीं है।
- आरबीआई ने प्रत्येक अवसर पर पिछले दो नीति समीक्षा मीटिंगों में 25 बीपीएस की ब्याज दरों में वृद्धि का फैसला किया था। आरबीआई द्वारा तरलता पर ध्यान केंद्रित करने के निर्णय से ब्याज दरों, विशेष रूप से अल्पकालिक दरों पर एक गंभीर प्रभाव पड़ने की उम्मीद है।
- बैंकों ने इस सप्ताह की शुरुआत में उधार दरों में वृद्धि की उम्मीद से उधार दरों को बढाया था, वे आगे ब्याज दर बढ़ाने से बच सकते हैं।

मौद्रिक नीति समिति

मौद्रिक नीति समिति (Monetary Policy Committee-MPC) भारत सरकार द्वारा गठित एक समिति है जिसका गठन ब्याज दर निर्धारण को अधिक उपयोगी एवं पारदर्शी बनाने के लिये 27 जून, 2016 को किया गया था। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम में संशोधन करते हुए भारत में नीति निर्माण को नवगठित मौद्रिक नीति समिति (MPC) को सौंप दिया गया है।

- वित्त अधिनियम 2016 के द्वारा रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम 1934 (आरबीआई अधिनियम) में संशोधन किया गया, ताकि मौद्रिक नीति समिति को वैधानिक और संस्थागत रूप प्रदान किया जा सके।
- आरबीआई एक्ट के प्रावधानों के अनुसार, मौद्रिक नीति समिति के छह सदस्यों में से तीन सदस्य आरबीआई से होते हैं और अन्य तीन सदस्यों की नियुक्ति केंद्रीय बैंक करता है।
- रिज़र्व बैंक के गवर्नर इस समिति के पदेन अध्यक्ष हैं, जबकि भारतीय रिज़र्व बैंक के डिप्टी गवर्नर मौद्रिक नीति समिति के प्रभारी के तौर पर काम करते हैं।

भारत-रूस शिखर सम्मेलन 2018

संदर्भ

हाल ही में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत-रूस शिखर सम्मेलन 2018 के लिये भारत का दौरा किया। गौरतलब है कि यह 19वाँ भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन था।

भारत और रूस के बीच सामरिक साझेदारी के लिये भारत के प्रधानमंत्री और रूस के राष्ट्रपति के बीच यह वार्षिक शिखर सम्मेलन उच्चतम संस्थागत वार्ता तंत्र है।

भारत-रूस संबंध

- भारत तथा रूस के राजनयिक संबंध 70 वर्षों से भी अधिक पुराने हैं।
- 1950 के दशक से ही यूएसएसआर के साथ भारत का मैत्रीपूर्ण संबंध रहा है तथा 1971 के भारत-सोवियत मैत्री संधि द्वारा संबंधों को और अधिक मज़बूत किया गया।
- दोनों देश विशेष संबंधों के साथ तब जुड़े जब अक्तूबर, 2000 में भारत-रूस सामरिक साझेदारी की घोषणा पर हस्ताक्षर किये गए।
- दिसंबर 2010 में सामरिक साझेदारी को विशेष एवं विशेषाधिकार प्राप्त सामरिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ा दिया गया।
- सोवियत काल के बाद भारत-रूस संबंधों ने राजनीतिक, सुरक्षा, व्यापार और अर्थव्यवस्था, रक्षा, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी एवं संस्कृति सहित द्विपक्षीय संबंधों के लगभग सभी क्षेत्रों में सहयोग के उन्नत स्तर के साथ गुणात्मक रूप से नया चरित्र हासिल किया है।

शिखर सम्मेलन के दौरान प्रमुख समझौते

- रूस के राष्ट्रपति राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे के दौरान विभिन्न समझौतों पर हस्ताक्षर किये गए। ये समझौते रूस तथा भारत के बीच होने वाले सहयोग को और अधिक मज़बूती प्रदान करेंगे।
- भारत ने S-400 ट्रायम्फ मिसाइल रक्षा प्रणाली की आपूर्ति के लिये रूस के साथ 5.43 बिलियन डॉलर का सौदा किया है।
- S-400 ट्रायम्फ मिसाइल 400 किमी की दूरी तक शत्रु-विमान, गुप्त लड़ाकू-विमान, मिसाइलों और ड्रोन को नष्ट कर सकता है।
- S-400 रडार एक साथ सैकड़ों लक्ष्यों को ट्रैक कर सकते हैं।
- भारत और रूस ने आपसी निवेश को 15 बिलियन डॉलर तक बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। वर्तमान में यह द्विपक्षीय व्यापार 10 बिलियन डॉलर से भी कम है।
- भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) और फेडेरल स्पेस एजेंसी ऑफ रूस (ROSCOSMOS) ने भारत के मानव अंतरिक्ष मिशन परियोजना 'गगनयान' पर सहयोग के लिये 'समझौता ज्ञापन' पर हस्ताक्षर किये।
- भारतीय और रूसी रेलवे के बीच सहयोग के ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गए जिसके द्वारा रूसी रेलवे कंपनी आधुनिक रेल मार्ग बनाने में भारत की मदद करेगी।

नोट :

- परमाणु क्षेत्र में सहयोग की प्राथमिकता और कार्यान्वयन के लिये कार्य योजना पर हस्ताक्षर किये गए तथा इस समझौते के तहत रूस अगले 20 वर्षों में परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की 12 इकाइयों का निर्माण करेगा।
- अन्य समझौतों में छोटे उद्योग, उर्वरक और विदेशी मंत्रालयों के बीच परामर्श से संबंधित 'समझौता ज्ञापन' शामिल हैं।

आगे की राह

- इस दौरे का मुख्य आकर्षण S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली का सौदा था। काउंटरिंग अमेरिकाज़ एडवर्सरीज़ थ्रू सेंक्शन एक्ट (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act-CAATSA) के तहत भारत पर प्रतिबंधों की चेतावनी के बावजूद भारत इस सौदे के साथ आगे बढ़ा।
- यह ऐसा कानून है जो रूस, ईरान और उत्तरी कोरिया के साथ प्रमुख रूप से व्यापार संबंध रखने वाले देशों पर प्रतिबंध लगाता है।
- इस समझौते पर भारत द्वारा हस्ताक्षर करना 'सामरिक स्वायत्तता' की तरफ इशारा करता है, जिसका अर्थ यह है कि भारत की सुरक्षा तथा विदेशी नीति के हितों को किसी तीसरे देश द्वारा निर्देशित नहीं किया जा सकता है।
- शिखर सम्मेलन के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में किये गए हस्ताक्षर, जैसे- परमाणु, रेलवे और अंतरिक्ष, रूस के लिये भारत के महत्त्व को दर्शाते हैं।

तथ्य यह भी दर्शाते हैं कि बदलते समय के साथ भारत रक्षा सहयोग से आगे बढ़कर रूस के साथ संबंधों को सुदृढ़ करने के बारे में सोच रहा है।

भारत-अज़रबैजान अंतर-सरकारी बैठक

चर्चा में क्यों

हाल ही में व्यापार और आर्थिक, विज्ञान एवं टेक्नॉलोजी सहयोग पर भारत-अजरबैजान अंतर-सरकारी आयोग की पाँचवीं बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई।

प्रमुख बिंदु

- इस बैठक के दौरान दोनों देशों ने वर्तमान आर्थिक स्थिति पर चर्चा की और द्विपक्षीय व्यापार, निवेश तथा आर्थिक, विज्ञान एवं टेक्नॉलोजी के क्षेत्र में वर्तमान स्थिति की समीक्षा की।
- दोनों पक्षों ने व्यापार और निवेश, परिवहन, ऊर्जा तथा हाइड्रोकार्बन, सूक्ष्म, मध्यम और लघु उद्योग, कृषि खाद्य सुरक्षा तथा पर्यावरण संरक्षण, पर्यटन, संस्कृति, स्वास्थ्य और फॉर्मास्यूटिकल्स, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, शिक्षा तथा वैज्ञानिक शोध, रसायन तथा पेट्रो-रसायन और खनन क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाने पर बल दिया।
- दोनों देशों ने एक-दूसरे के साथ व्यापार संबंधों तथा व्यावसायिक संबंधों को बढ़ाने के उपाय अपनाने पर सहमति व्यक्त की तथा यह निर्णय लिया गया कि दोनों देशों में हो रहे आर्थिक विकास और सुधारों के संबंध में जागरूकता बढ़ाने के लिये व्यापार शिष्टमंडल भेजा जाएगा। साथ ही व्यापार प्रदर्शनियों, मेलों, सम्मेलनों तथा अन्य व्यावसायिक आयोजनों के बारे में सूचना का नियमित आदान-प्रदान होगा।
- व्यापार और आर्थिक विज्ञान तथा टेक्नॉलोजी सहयोग पर भारत-अजरबैज़ान अंतर-सरकारी आयोग की अगली बैठक बाकू (अज़रबैजान की राजधानी तथा वहाँ का सबसे बड़ा शहर) में आयोजित की जाएगी।

अज़रबैजान के बारे में

- अज़रबैजान कैस्पियन सागर के किनारे पर ट्रांसकेशियासिया (या दक्षिण काकेशस) के पूर्वी भाग में स्थित है।
- यह क्षेत्र 86,600 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करता है और यह दक्षिण काकेशस में स्थित सबसे बड़ा देश है।
- बाकू शहर इस देश की राजधानी और देश का सबसे बड़ा शहर है।
- यहाँ की राष्ट्रीय भाषा अज़रबैजानी है। हालाँकि, रूसी भाषा भी व्यापक रूप से बोली जाती है। अज़रबैजान ईरान (765 किमी), तुर्की (15 किमी), रूस (390 किमी), जॉर्जिया (480 किमी) और आर्मेनिया (1007 किमी) के साथ सीमाओं को साझा करता है।
- देश के पूर्वी किनारे पर कैस्पियन सागर है।

नोट :

काकेशस

- काकेशस पर्वत श्रृंखला यूरोप और एशिया की सीमा पर स्थित काला सागर (black sea) और कैस्पियन सागर के बीच कॉकस क्षेत्र की एक पर्वत श्रृंखला है।

भारत एवं चीन अफगान राजनयिकों को प्रशिक्षण देंगे

चर्चा में क्यों

हाल ही में भारत और चीन ने संयुक्त रूप से नई दिल्ली में अफगान राजनयिकों के लिये एक प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की। यह एक ऐसा कदम है जो भारत-चीन के क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देगा। गौरतलब है कि यह फैसला भारत के प्रधानमंत्री तथा चीन के राष्ट्रपति की वुहान में सम्मलेन के दौरान अप्रैल 2018 में लिया गया था।

महत्त्वपूर्ण बिंदु

- भारत में चीन के राजदूत लुओ झाओहुई ने सुझाव दिया है कि पड़ोसी ईरान, नेपाल और म्याँमार जैसे अन्य देशों के साथ सहयोग बढ़ाएँ।
- अफगानिस्तान के संबंध में भारत-चीन सहयोग को ऐसे दो पड़ोसियों के बीच के तनाव को कम करने हेतु एक कदम के रूप में देखा जा रहा है जो 1962 के सीमा विवाद के साथ-साथ अन्य मुद्दों की वज़ह से खराब हो चुके हैं।
- ऐसे कार्यक्रम की शुरुआत संबंधों को सुधारने की कड़ी में महत्त्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है।
- भारत और चीन ने अफगानिस्तान को प्राथमिक भागीदार के रूप में चिह्नित किया और अफगान राजनयिकों को संयुक्त रूप से प्रशिक्षण देने हेतु सहमति व्यक्त की।
- यह कार्यक्रम क्षेत्रीय मामलों पर दोनों देशों के बीच समन्वय और सहयोग को दर्शाता है तथा चीन-भारत संबंधों में सकारात्मक विकास का प्रतिबिंब है।
- क्षेत्रीय शांति और स्थिरता में योगदान देने हेतु चीन और भारत का यह प्रयास सराहनीय है।
- चीन-भारत का यह सहयोग कार्यक्रम अफगानिस्तान से नेपाल, भूटान, मालदीव, ईरान और म्याँमार जैसे अन्य देशों तक बढ़ाया जाना चाहिये।
- चीन और भारत दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (SAARC), बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिये बंगाल की खाड़ी पहल (BIMSTEC) और क्षेत्रीय सहयोग के लिये बांग्लादेश, चीन, भारत और म्याँमार फोरम (BCIM) तंत्र के तहत भी क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने हेतु एक साथ आ सकते हैं।
- हाल ही के वर्षों में म्याँमार, नेपाल, भूटान और मालदीव जैसे देशों में चीन के बढ़ते प्रभाव को लेकर भारत चिंतित रहा है। गौरतलब है कि दक्षिण एशिया में इन देशों को भारत के प्रभाव क्षेत्र में माना जाता रहा है।
- पूर्व में नई दिल्ली ने मालदीव और नेपाल जैसे देशों के चीन को सार्क में शामिल करने के सुझावों का विरोध किया है।

फ़ूड फोर्टिफिकेशन के लिये कानून

संदर्भ

- FSSAI के अनुसार भारत में 70% लोग विटामिन एवं खनिज जैसे सूक्ष्म पोषक तत्त्वों का पर्याप्त उपभोग नहीं करते हैं।
- लगभग 70% स्कूल-पूर्व बच्चों में लौह तत्त्व (Fe) की कमी के कारण एनीमिया (रक्ताल्पता) की स्थिति पाई जाती है तो 57% स्कूल-पूर्व बच्चों में विटामिन A की कमी है।
- भारत में जन्मजात तंत्रिका दोषों से पीड़ित बच्चों की संख्या काफी अधिक है। एक अनुमान के अनुसार पोषक तत्त्वों की पर्याप्त आपूर्ति से इस प्रकार के दोषों में 50-70% तक की कमी लाई जा सकती है।
- सूक्ष्म पोषक तत्त्वों की कमी के कारण भारत में बड़ी आबादी में छिपी हुई भूख (Hidden Hunger) के कारण गंभीर स्वास्थ्य जोखिम पाया गया है।

फूड फोर्टिफिकेशन क्या है?

- फूड फोर्टिफिकेशन चावल, दूध, नमक, आटा आदि खाद्य पदार्थों में लौह, आयोडिन, जिंक, विटामिन A एवं D जैसे प्रमुख खनिज पदार्थ एवं विटामिन जोड़ने अथवा वृद्धि करने की प्रक्रिया है जिससे कि इन खाद्य पदार्थों के पोषण स्तर में वृद्धि हो।
- इस प्रसंस्करण प्रक्रिया से पहले मूल खाद्य पदार्थों में ये पोषक तत्त्व मौजूद हो भी सकते हैं और नहीं भी।
- फोर्टिफिकेशन के ज़रिये अपनी खाद्य आदतों में बदलाव किये बिना पोषक तत्त्वों का उपभोग सुनिश्चित किया जा सकता है।

सरकारी प्रयास

- सूक्ष्म पोषक तत्त्वों की कमियों को दूर करने के लिये खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने 16.10.2016 को खाद्य सुरक्षा और मानक (फोर्टिफिकेशन ऑफ़ फूड्स) विनियम (2016) के मसौदे को लागू कर दिया है।
- इसमें अन्य बातों के अलावा गेहूँ का आटा, चावल, दूध, खाद्य तेल और नमक जैसे खाद्य पदार्थों के विटामिन और खनिजों द्वारा फोर्टिफिकेशन के लिये मानक भी निर्धारित किये गए हैं।
- वर्तमान में देश के सभी प्रमुख तेल उत्पादक अपने उत्पाद पोर्टफोलियो में स्वैछिक रूप से कम-से-कम एक ब्रांड का फोर्टिफिकेशन कर रहे हैं।
- इन विनियमों में यह कहा गया है कि FSSAI भारत सरकार के निर्देशों या राज्यों / संघ शासित प्रदेशों की सिफारिश पर या विभिन्न हितधारकों के साथ परामर्श के पश्चात् नियमों के तहत निर्दिष्ट किसी भी खाद्य पदार्थ के समय-समय पर फोर्टिफिकेशन का अधिदेश दे सकती है।
- खाद्य सुरक्षा और मानक (बिक्री पर निषेध और प्रतिबंध) विनियम, 2011 के तहत प्रत्यक्ष रूप से मानव उपभोग के लिये केवल आयोडीन युक्त नमक की बिक्री की अनुमति है।
- खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योगज़) विनियम, 2011 के अनुसार वनस्पति तेल में सिंथेटिक विटामिन A होना अनिवार्य है।
- इसके अतिरिक्त, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने अपने द्वारा प्रशासित होने वाली योजनाओं जैसे- एकीकृत बाल विकास योजना और मिड-डे मील योजना में दुगने फोर्टिफाइड नमक (लोहा और आयोडीन), गेहूँ का आटा (लोहा, फोलिक एसिड और विटामिन बी -12) तथा खाद्य तेल (विटामिन A और D) के प्रयोग का सुझाव दिया है।
- FSSAI द्वारा टाटा ट्रस्ट और पोषण के क्षेत्र में काम करने वाले विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय गैर-सरकारी संगठनों के सहयोग से वृहद् स्तर पर फ़ूड फोर्टिफिकेशन को प्रोत्साहित किये जाने तथा खाद्य व्यवसायों के बीच फोर्टिफिकेशन को एक मानक के रूप में स्थापित करने हेतु फ़ूड फोर्टिफिकेशन रिसोर्सेज़ सेंटर (FFRC) की स्थापना की गई है।

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण
(Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI)

- केंद्र सरकार ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत FSSAI का गठन किया है। जिसको 1 अगस्त, 2011 में केंद्र सरकार के खाद्य सुरक्षा और मानक विनियम (पैकेजिंग एवं लेबलिंग) के तहत अधिसूचित किया गया।
- इसका संचालन भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत किया जाता है। इसका मुख्यालय दिल्ली में है, जो राज्यों के खाद्य सुरक्षा अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों को लागू करने का काम करता है।
- FSSAI मानव उपभोग के लिये पौष्टिक भोजन के उत्पादन, भंडारण, वितरण, बिक्री और आयात संबंधी सुरक्षित उपलब्धता को सुनिश्चित करने का काम करता है।
- इसके अलावा, यह देश के सभी राज्यों, ज़िला एवं ग्राम पंचायत स्तर पर खाद्य पदार्थों के उत्पादन और बिक्री के तय मानक को बनाए रखने में सहयोग करता है। यह समय-समय पर खुदरा एवं थोक खाद्य-पदार्थों की गुणवत्ता की जाँच भी करता है।

नोट :

भारत, जापान, यू.एस. संयुक्त वायु अभ्यास

चर्चा में क्यों?

भारत, जापान और अमेरिका द्विपक्षीय 'कोप इंडिया' वायु अभ्यास को एक त्रिपक्षीय प्रारूप में आगे बढ़ाने के लिये तैयार हैं। विस्तारित मालाबार नौसेना अभ्यास के तहत ये तीनों देश पहले से ही नेवल वार गेम्स आयोजित करते रहे हैं।

प्रमुख बिंदु

- यू.एस. ने भारत, जापान और अमेरिका के बीच एक त्रिपक्षीय वायु अभ्यास के आयोजन का प्रस्ताव दिया था जिसे कोप इंडिया अभ्यास चरणों में त्रिपक्षीय स्तर पर आगे बढ़ाया जाएगा।
- आरंभ में यह त्रिपक्षीय प्रारूप में ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट से जुड़ा एक छोटे स्तर का अभ्यास होगा और बाद के संस्करणों में इसे बढ़ाया जाएगा।

जापान भेजेगा अपने पर्यवेक्षक

- अगस्त में रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण और उनके जापानी समकक्ष इत्सुनोरी ओनोदेरा के बीच वार्षिक रक्षा मंत्रिस्तरीय बैठक में इस बात पर सहमति व्यक्त की गई कि जापान भारतीय वायुसेना द्वारा आयोजित भारत और अमेरिका के बीच कोप इंडिया अभ्यास के अगले दौर के लिये पर्यवेक्षकों को भेजेगा।
- द्विपक्षीय और त्रिपक्षीय दोनों अभ्यासों में अंत:क्रियाशीलता का स्तर बढ़ाने के लिये भारत तथा यू.एस. के बीच संचार संगतता और सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किये जाने की उम्मीद है।

'कोप इंडिया' अभ्यास

- 'कोप इंडिया' भारतीय वायुसेना और अमेरिकी वायुसेना के बीच अंतर्राष्ट्रीय वायुसेना अभ्यास की एक श्रृंखला है।
- कई महीने की तैयारी के पश्चात् इस तरह का पहला अभ्यास 16 फरवरी से 27 फरवरी, 2004 के बीच ग्वालियर में वायुसेना स्टेशन पर आयोजित किया गया थाI
- इस अभ्यास में उड़ान परीक्षण, अभ्यास और प्रदर्शन के साथ-साथ विमानन से संबंधित विषयों पर व्याख्यान भी शामिल थे।

ASEM शिखर सम्मेलन : वैश्विक चुनौतियों के लिये वैश्विक भागीदार

चर्चा में क्यों?

12वीं ASEM (एशिया-यूरोप मीटिंग) का शिखर सम्मेलन बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में 18-19 अक्तूबर को संपन्न हुआ जिसमें 51 देशों के साथ ही यूरोपीय संघ और एशियाई संस्थान भी शामिल हुए। भारत के उपराष्ट्रपति ने भारत की ओर से प्रतिनिधित्व किया। 'वैश्विक चुनौतियों के लिये वैश्विक भागीदार' (GlobalParteners for Global Challanges) शीर्षक के तहत नेताओं ने दुनिया के सबसे अधिक दबाव वाले मुद्दों को संबोधित किया।

एशिया-यूरोप बैठक

- एशिया-यूरोप मीटिंग (ASEM) एशिया और यूरोप के बीच बातचीत और सहयोग को बढ़ावा देने के लिये एक अंतर सरकारी प्रक्रिया है।
- ASEM की स्थापना 1996 में बैंकाक, थाईलैंड में इसके पहले शिखर सम्मेलन के दौरान हुई थी।
- प्रारंभ में इसमें 15 यूरोपीय संघ के सदस्य देश और 7 आसियान सदस्य देशों के साथ चीन, जापान, कोरिया और यूरोपियन कमीशन शामिल था।
- वर्तमान में इसमें 53 साझेदार हैं: 30 यूरोपीय और 21 एशियाई देशों के अलावा यूरोपीय संघ और आसियान सचिवालय।
- एएसईएम शिखर सम्मेलन द्विवार्षिक रूप से आयोजित किया जाता है।
- ASEM वैश्विक आबादी का 62%, वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 57% और विश्व व्यापार के 60% हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है।

- ASEM आपसी सम्मान और समान साझेदारी की भावना के साथ आम हित के राजनीतिक, आर्थिक, वित्तीय, सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक मुद्दों को संबोधित करता है।

यूरोप और एशिया के बीच सतत् कनेक्टिविटी

- सम्मेलन में यूरोपीय संघ और एशिया के बीच अधिक टिकाऊ कनेक्टिविटी में निवेश के महत्त्व पर प्रकाश डाला गया।
- यूरोपीय संघ ने सितंबर में यूरोप और एशिया को जोड़ने हेतु एक नई रणनीति के तहत यूरोपीय आयोग के गठन के प्रस्ताव को अपनाया है।
- कनेक्टिविटी दृष्टिकोण के मूल में वित्तीय, पर्यावरण और सामाजिक स्थिरता के साथ, ईयू का उद्देश्य डिजिटल, परिवहन, ऊर्जा और मानव आयामों में टिकाऊ कनेक्टिविटी नेटवर्क को क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकसित करना है साथ ही, द्विपक्षीय साझेदारी को मज़बूत करना है।
- यूरो-एशियाई कनेक्टिविटी को बढ़ाने के साथ-साथ संबंधों में सुधार के उद्देश्य से यूरोपियन कमीशन ने इस सप्ताह ASEM सस्टेनेबल कनेक्टिविटी पोर्टल लॉन्च किया है, जो नीति निर्माताओं, शोधकर्त्ताओं, व्यवसायियों और अन्य हितधारकों के लिये दो महाद्वीपों के बीच राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक संबंधों पर आँकड़े जुटाने का काम करता है।

यूरोपीय संघ-एशिया द्विपक्षीय संबंधों को सुदृढ़ बनाना

- ASEM शिखर सम्मेलन में यूरोपीय संघ ने क्रमश: सिंगापुर और वियतनाम के साथ अपने संबंधों को और अधिक मज़बूत बनाने और उन्हें विस्तार देने के लिये कई द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर किये। इसमें यूरोपीय संघ-सिंगापुर मुक्त व्यापार समझौता प्रमुख है।
- साझेदारी और सहयोग पर फ्रेमवर्क समझौता तथा ईयू-सिंगापुर निवेश संरक्षण समझौता पर भी हस्ताक्षर किये गए।
- ये समझौते यूरोपीय संघ और सिंगापुर के बीच व्यापक और पारस्परिक रूप से लाभप्रद संबंधों के लिये एक महत्त्वपूर्ण कदम का प्रतिनिधित्व करते हैं जो यूरोपीय उत्पादकों, किसानों, सेवा प्रदाताओं और निवेश के साथ-साथ राजनीतिक तथा क्षेत्रीय सहयोग को मज़बूत बनाने के लिये नया अवसर प्रदान करता है।
- यूरोपीय संघ वियतनाम के साथ अपने संबंधों को बढ़ा रहा है। इस सप्ताह की शुरुआत में यूरोपियन कमीशन ने ईयू-वियतनाम व्यापार और निवेश समझौतों पर हस्ताक्षर कर उसे अपनाया है।
- व्यापार समझौता दोनों पक्षों के बीच कारोबार किये जाने वाली वस्तुओं पर लगभग सभी तरह के टैरिफ को खत्म कर देगा।
- इस समझौते में स्थायी अधिकारों के लिये एक मज़बूत, कानूनी रूप से बाध्यकारी प्रतिबद्धता भी शामिल है, जिसमें मानवाधिकार, श्रम अधिकार, पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई शामिल है।
- यूरोपीय संघ और वियतनाम ने वन कानून प्रवर्तन, शासन और व्यापार स्वैच्छिक साझेदारी समझौते पर भी एएसईएम आपसी सम्मान और समान साझेदारी की भावना में जो कि आम हित के राजनीतिक, आर्थिक, वित्तीय, सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक मुद्दों को संबोधित करता है, पर हस्ताक्षर किये।

भारत और एएसईएम

- 2006 में भारत ASEM के विस्तार के दौरान एएसईएम में शामिल हुआ।
- बीजिंग में 2008 में आयोजित 7वें शिखर सम्मेलन में भारत की पहली शिखर सम्मेलन स्तर की भागीदारी थी।
- भारत ने 2013 में दिल्ली-एनसीआर में 11वें एएसईएम विदेश मंत्रियों की बैठक की मेज़बानी की।
- एएसईएम भारत को समान विचारधारा वाले देशों के साथ काम करने हेतु मंच प्रदान करता है।
- भारत एएसईएम में एक सक्रिय भागीदार है। समूह में आने के बाद से भारत हरित ऊर्जा, फार्मा सेक्टर, आपदा प्रबंधन, टिकाऊ विकास और दो महाद्वीपों की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने जैसे विभिन्न क्षेत्रों में एएसईएम के साथ काम कर रहा है।
- एशिया-यूरोप फाउंडेशन (ASEF) एएसईएम की स्थायी रूप से स्थापित संस्था है। एएसईएफ द्वारा किये जा रहे सहयोगी पहलों का समर्थन करने के लिये 2007 में भारत ने एएसईएम के सदस्य बनने के बाद नियमित रूप से एएसईएफ में योगदान दिया है।
- 12वें शिखर सम्मेलन के दौरान भारत ने आतंकवाद के प्रति चिंता बढ़ाने के लिये मंच का उपयोग किया और यूनाइटेड नेशंस कम्प्रीहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म (CCIT) को अपनाने की दिशा में काम करने के लिये आग्रह किया।
- भारत ने जलवायु परिवर्तन पर सहयोग के लिये भी आह्वान किया तथा एशिया और यूरोप सहयोग के उत्कृष्ट उदाहरण के रूप में 'अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन' को पेश किया।

नोट :

आगे की राह

- एएसईएम एक अद्वितीय संवाद मंच के रूप में है जो एशिया और यूरोप को जोड़ता है तथा अभी भी इसकी आवश्यकता व उपयोगिता है।
- एएसईएम की अस्पष्टताओं को हल किया जाना चाहिये और इसकी पहचान को स्पष्ट अंत:क्रियात्मक सहयोग के आदर्श उद्देश्यों के अनुरूप लाने के लिये काम किया जाना चाहिये।
- एएसईएम को दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य से देखा जाना चाहिये।

प्लुरिलेटरल वार्ता पर भारत की आपत्ति

चर्चा में क्यों

हाल ही में औद्योगिक और विकासशील देशों के एक समूह ने कज़ाकिस्तान के अस्ताना में होने वाले 12वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में विवादास्पद मुद्दों पर प्लुरिलेटरल (plurilateral) वार्ता शुरू करने के प्रयासों को तेज़ कर दिया है। भारत ने वैश्विक व्यापार निकाय में 'मौजूदा नियमों के प्रवर्तन की उचित व्यवस्था' किये बिना व्यापार वार्ता के 'नए दौर' के खिलाफ अपनी आपत्ति दर्ज़ की है।

अस्ताना सम्मेलन

- अस्ताना सम्मेलन 8-11 जून, 2020 को कज़ाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित किया जाएगा। यह सम्मेलन कुछ मुद्दों को हल करने हेतु विश्व व्यापार संगठन के मूल चरित्र (मल्टीलेटरल से प्लुरिलेटरल) को बदल सकता है। वर्तमान में ज़्यादातर देशों द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है।
- अस्ताना में प्लुरिलेटरल की शुरुआत के लिये लक्षित पाँच मुद्दों में इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य, निवेश सुविधा, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों, लिंग तथा सेवाओं में घरेलू विनियमन शामिल हैं।
- इसके अलावा, अस्ताना सम्मेलन यह भी तय करेगा कि 2020 के बाद WTO सर्वसम्मति के सिद्धांतों पर काम करना जारी रखेगा या नहीं।
- सदस्य देशों के बीच इस बात को लेकर भी संघर्ष छिड़ सकता है कि विकासशील देशों जैसे- चीन, भारत, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका और इंडोनेशिया को नीतियों के कार्यान्वयन की प्रतिबद्धता के मामले में विशेष एवं भिन्न सुविधा (S&DT) प्रदान की जाए अथवा नहीं।
- अमेरिकी राष्ट्रपति ने व्यापार निकाय को अमेरिकी हितों के खिलाफ बताया था जिसके बाद डब्ल्यूटीओ ने विश्व बैंक तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ 'डब्ल्यूटीओ के आधुनिकीकरण' की बहस के तहत सुधारों का प्रस्ताव दिया।

भारत का रुख

- सिंगल अंडरटेकिंग फ्रेमवर्क के तहत सभी प्रतिभागियों को वार्ता की हर एक अंतर्वस्तु पर सहमत होने की आवश्यकता है। विदित है कि सिंगल अंडरटेकिंग फ्रेमवर्क पिछली वार्ताओं के उरुग्वे दौर (1986-1994) और वर्तमान अधूरे दोहा दौर का आधार है।
- अफ्रीकी दूतावास के अनुसार, भारत ने उरुग्वे दौर के समझौतों जैसे-कृषि पर समझौते (AoA) में सुधार का प्रस्ताव दिया था।
- विकासशील और गरीब देशों की एक बड़ी संख्या ने भारत की चिंताओं पर ध्यान दिया है। भारत ने विश्व बैंक और आईएमएफ द्वारा प्रस्तावित सुधारों के संदर्भ में सदस्यों के पूर्व अनुमोदन के बिना 'पार्टी बनने' के लिये डब्ल्यूटीओ सचिवालय की आलोचना की।

चीन और अमेरिका का रुख

- चीन ने डब्ल्यूटीओ के मूल और बुनियादी सिद्धांतों की याद दिलाते हुए सदस्यों को सावधान रहने की चेतावनी दी।
- अमेरिका विवाद निपटान निकाय को मजबूत करने की मांगों को छोड़कर सुधारों का समर्थन करता है। अमेरिका चाहता है कि चीन के बाज़ार क्षेत्र से अलग अर्थव्यवस्थाएँ WTO के सुधारों का लक्ष्य बनें।

रूस के साथ आईएनएफ संधि से अलग होगा अमेरिका

चर्चा में क्यों?

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि उनका देश शीतयुद्ध के दौरान रूस के साथ की गई परमाणु हथियार नियंत्रण संधि (Cold War-era Nuclear Weapons Treaty) यानी मध्यम दूरी परमाणु शक्ति संधि (INF) से अलग हो जाएगा। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि रूस कई वर्षों से इस समझौते का उल्लंघन कर रहा है।

प्रमुख बिंदु

- मध्यम दूरी परमाणु शक्ति संधि (Intermediate-range Nucleare Forces Treaty-INF) की अवधि अगले दो साल में खत्म होनी है। 1987 में हुई यह संधि अमेरिका और यूरोप तथा सुदूर पूर्व में उसके सहयोगियों की सुरक्षा में मदद करती है।
- यह संधि अमेरिका तथा रूस को 300 से 3,400 मील दूर तक मार करने वाली ज़मीन से छोड़े जाने वाले क्रूज मिसाइल के निर्माण को प्रतिबंधित करती है। इसमें ज़मीन आधारित सभी मिसाइलें शामिल हैं।
- 1987 में अमेरिका के राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन और उनके तत्कालीन यूएसएसआर समकक्ष मिखाइल गोर्बाचेव ने मध्यम दूरी और छोटी दूरी की मारक क्षमता वाली मिसाइलों का निर्माण नहीं करने के लिये INF संधि पर हस्ताक्षर किये थे।
- अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा है कि जब तक रूस और चीन एक नए समझौते पर सहमत नहीं हो जाते तब तक यह समझौता खत्म माना जाएगा और फिर अमेरिका हथियार विकसित कर सकेगा।
- ट्रंप ने आरोप लगाया कि रूस ने समझौते का उल्लंघन किया है। रूस कई वर्षों से इसका उल्लंघन कर रहा है। अमेरिका का कहना है कि जब तक रूस और चीन हमारे पास आकर यह नहीं कहते कि हम में से कोई उन हथियारों का निर्माण नहीं करेगा तब तक अमेरिका उन हथियारों का निर्माण करता रहेगा।

क्या रूस ने इस संधि का उल्लंघन किया है?

- अमेरिका का कहना है कि रूस ने मध्यम दूरी का एक नया मिसाइल बनाकर इस संधि का उल्लंघन किया है। रूस के इस मिसाइल का नाम नोवातोर 9M729 है। नाटो देश इसे MSC-8 के नाम से जानते हैं।
- रूस इस मिसाइल के ज़रिये नाटो देशों पर तत्काल परमाणु हमला कर सकता है। रूस ने इस मिसाइल के बारे में बहुत कम सूचना दी है और वह आईएनएफ़ संधि के उल्लंघन के आरोप को ख़ारिज कर रहा है।
- विश्लेषकों का मानना है कि रूस के लिये यह हथियार पारंपरिक हथियारों की तुलना में एक सस्ता विकल्प है।
- कुछ विश्लेषकों का मानना है कि अमेरिका पश्चिमी प्रशांत में चीन की बढ़ती मौजूदगी को देखते हुए इस संधि से बाहर निकलना चाहता है।
- ज़ाहिर है कि इस संधि में चीन शामिल नहीं है इसलिये मिसाइलों की तैनाती और परीक्षण को लेकर उसपर कोई बंधन नहीं है।
- इससे पहले 2002 में अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि से अमेरिका को बाहर कर लिया था।
- चीन इंटरमीडिएट रेंज की परमाणु मिसाइल बनाने और उसकी तैनाती को लेकर स्वतंत्र है।
- ट्रंप प्रशासन को लगता है कि आईएनएफ़ संधि के कारण उसे नुक़सान हो रहा है क्योंकि चीन वह सारा काम कर रहा है जिसे अमेरिका इस संधि के कारण नहीं कर पा रहा है।

क्या है आईएनएफ संधि?

- यह संधि प्रतिबंधित परमाणु हथियारों और ग़ैर-परमाणु मिसाइलों की लॉन्चिंग को रोकती है। अमेरिका रूस की एसएस-20 की यूरोप में तैनाती से नाराज़ है। इसकी रेंज 500 से 5,500 किलोमीटर तक है।
- इस पर दोनों देशों ने शीतयुद्ध की समाप्ति पर हस्ताक्षर किये थे। दूसरे विश्वयुद्ध की समाप्ति के बाद 1945 से 1989 के दौरान अमेरिका और सोवियत संघ के बीच शत्रुतापूर्ण संबंधों के कारण पूरी दुनिया में युद्ध की आशंका गहरा गई थी।
- इस संधि के तहत 1991 तक क़रीब 2,700 मिसाइलों को नष्ट किया जा चुका है। दोनों देश एक-दूसरे के मिसाइलों के परीक्षण और तैनाती पर नज़र रखने की अनुमति देते हैं।
- 2007 में रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कहा था कि इस संधि से उनके हितों को कोई लाभ नहीं हो रहा है। रूस की यह टिप्पणी 2002 में अमेरिका के एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि से बाहर होने के बाद आई थी।

संधि से क्या हासिल हुआ?

- शीतयुद्ध के दौरान हुए आईएनएफ संधि का ऐतिहासिक नतीजा सामने आया था।
- इसके तहत 2,700 मिसाइलों के साथ ही उनके लॉन्चर भी नष्ट कर दिये गए थे।
- इससे अमेरिका-सोवियत संघ के संबंधों को प्रोत्साहन मिला था।

आगे की राह

- ट्रंप प्रशासन को लगता है कि रूस में मिसाइल सिस्टम को लेकर हो रहा काम और इनकी तैनाती चिंताजनक विषय है। लेकिन ट्रंप का इस समझौते से बाहर निकलने का हथियारों के नियंत्रण पर तगड़ा प्रभाव पड़ेगा।
- कई विश्लेषकों का मानना है कि अभी वार्ता जारी रहेगी और उम्मीद है कि रूस इस बात को समझेगा।
- डर है कि हथियारों की होड़ पर शीतयुद्ध के बाद जो लगाम लगी थी वह होड़ कहीं फिर से न शुरू हो जाए।

भारत और इज़रायल के बीच मिसाइल रक्षा सौदा

चर्चा में क्यों?

इज़रायल की एक प्रमुख रक्षा कंपनी ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ 777 मिलियन अमेरिकी डॉलर के रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं। उल्लेखनीय है कि रूस के बाद इज़राइल भारत का दूसरा सबसे बड़ा हथियारों का आपूर्तिकर्त्ता है।

प्रमुख बिंदु

- इस समझौते के अनुसार, इज़राइल एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ (IAI) भारतीय नौसेना के 7 पोतों के लिये सतह से हवा में मार करने वाली लंबी दूरी की मिसाइल (LRSAM) और हवाई मिसाइल रक्षा प्रणाली संचालित बराक-8 के समुद्री संस्करण की आपूर्ति करेगी।
- भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) इस परियोजना के तहत मुख्य निर्माता की भूमिका निभाएगा।

इज़राइल एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज (IAI)

- IAI इज़रायल की सबसे बड़ी एयरोस्पेस और रक्षा कंपनी है।
- यह मिसाइल भेदी, एयर सिस्टम्स और खुफिया एवं साइबर सुरक्षा प्रणालियों तथा रक्षा प्रणालियों का विकास, विनिर्माण और आपूर्ति करती है।

भारत और इज़रायल के बीच रक्षा संबंध

- इज़रायल की रक्षा प्रतिष्ठान के साथ भारत के घनिष्ठ संबंध हैं और इजरायली रक्षा कंपनियों के साथ भारत कई महत्त्वपूर्ण सौदों पर हस्ताक्षर कर चुका है।
- भारत IAI के लिये एक प्रमुख बाज़ार है और बढ़ती प्रतिस्पर्द्धा के मद्देनज़र भी वह भारत में अपनी स्थिति को और मज़बूत बनाने की योजना बना रहा है।
- इज़राइल रक्षा मंत्रालय के आँकड़ों के अनुसार, इज़रायल दुनिया के शीर्ष हथियार डीलरों में से एक है और इसके कुल रक्षा निर्यात का लगभग 60 प्रतिशत निर्यात एशिया-प्रशांत क्षेत्र में किया जाता है।

निष्कर्ष

- दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग समय के साथ बराबर बढ़ता जा रहा है। राजनीतिक समझ, सुरक्षा सहयोग और प्रौद्योगिकी साझेदारी भारत और इज़राइल के बीच रणनीतिक संबंधों के मुख्य स्तंभ हैं। इसके अलावा दोनों देश अंतरिक्ष, साइबर सुरक्षा एवं नवोन्मेष (स्टार्ट-अप) जैसे नए क्षेत्रों में संभावनाओं की तलाश में हैं।

नोट :

भारत और सिंगापुर

चर्चा में क्यों?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और सिंगापुर के बीच फिनटेक पर संयुक्त कार्य समूह (Joint Working Group - JWG) गठित करने के लिये पर जून, 2018 में हस्ताक्षर किये गए समझौता ज्ञापन को पूर्व प्रभाव से मंज़ूरी दे दी है।

लाभ

- भारत और सिंगापुर के बीच फिनटेक पर संयुक्त कार्य समूह का गठन दोनों देशों के बीच फिनटेक के क्षेत्र में सहयोग के लिये किया गया है।
- भारत और सिंगापुर के बीच सहयोग से दोनों देशों को निम्नलिखित क्षेत्रों में फायदा पहुँचेगा :
    - एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसेज (Application Programming Interfaces-APIs)
    - रेग्यूलेटरी सैंडबॉक्स (Regulatory Sandbox)
    - भुगतान में सुरक्षा और डिजिटल नकद प्रवाह
    - इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरण के लिये रुपे-नेटवर्क (Network for Electronic Transfers - NETS) का समेकन
    - यूपीआई फास्ट पेमेंट लिंक (UPI-FAST payment link)
    - आसियान क्षेत्र में आधार स्टैक और ई-केवाईसी तथा नियमों में सहयोग
    - वित्तीय बाज़ारों और बीमा क्षेत्र तथा सैंडबॉक्स मॉडलों के विकास के क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल करना, आदि।

इसका क्षेत्र और कार्य सीमाएँ:

- सर्वश्रेष्ठ कार्यप्रणाली का आदान-प्रदान : सर्वश्रेष्ठ कार्यप्रणालियों के आदान-प्रदान के साथ नियामक संपर्क में सुधार के लिये।
    - फिनटेक से जुड़ी नीतियों और नियामकों संबंधी अनुभवों के आदान-प्रदान को बढ़ावा देना।
    - फिनटेक फॉर्मों और परिसंपत्तियों द्वारा बिना किसी भेदभाव के आँकड़ों के इस्तेमाल से जुड़े मानकों को तैयार करने को प्रोत्साहन देना।
    - साइबर सुरक्षा, वित्तीय जालसाजी के साथ-साथ दुनिया में उत्पन्न नए खतरों सहित नियामक संस्थानों में उपयुक्त अधिकारियों को क्षमता निर्माण के कार्य की शुरूआत करना।
- सहयोग को बढ़ावा : भारत और सिंगापुर में वित्तीय-टेक्नोलॉजी उद्योग के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिये।
    - फिनटेक क्षेत्र में फॉर्मों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना।
    - व्यावसायिक/वित्तीय क्षेत्र के लिये फिनटेक समाधान के विकास को बढ़ावा देना।
    - दोनों देशों की उपयुक्त नीतियों के अनुरूप, फिनटेक में सिंगापुर और भारत के बीच उद्यमिता/स्टार्ट-अप प्रतिभा के सहयोग को प्रोत्साहन देना।
- अंतर्राष्ट्रीय मानकों का विकास :
    - एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसेज़ (Application Programming Interfaces (APIs) एंड स्टैंडर्ड के अंतर्राष्ट्रीय संस्करण के गठन को प्रोत्साहन देना, जो भारत और सिंगापुर में सार्वजनिक प्रणाली में तैयार एपीआई के साथ अंतर संचालन है।
        - डिजिटल पहचान का इस्तेमाल कर रहे निवासियों को सीमापार सत्यापन और इलेक्ट्रॉनिक नो-योर-कस्टमर (ई-केवाईसी) के लिये सक्षम बनाना।
        - एकीकृत भुगतान इंटरफेस और तेज़ी से सुरक्षित हस्तांतरण डिजिटल फंड हस्तांतरण मंचों के बीच भुगतान संपर्क-सहयोग को सक्षम बनाना।
        - भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (National Payments Corporation of India-NPCI) और इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरण नेटवर्क (Network for Electronic Transfers-NETS) जैसे भुगतान नेटवर्कों के बीच संपर्क के ज़रिये रुपे क्रेडिट/डेबिट कार्डों पर क्रॉस लर्निंग को सक्षम बनाना।

नोट :

- एकीकृत भुगतान इंटरफेस और त्वरित प्रतिक्रिया (Quick response-QR) कोड आधारित भुगतान स्वीकृति को सक्षम बनाना।
- ई-हस्ताक्षर, एक्रॉस बोर्डर्स के ज़रिये डिजिटल हस्ताक्षर के इस्तेमाल को सक्षम बनाना।

- भारत और सिंगापुर के बीच निम्न क्षेत्रों में सहयोग को प्रोत्साहन:
  - डिजिटल शासन।
  - वित्तीय समावेशन।
  - आसियान फाइनेंशियल इनोवेशन नेटवर्क (ASEAN Financial Innovation Network- (AFIN) एजेंडा में सहभागिता।

भारत और चीन के बीच सुरक्षा सहयोग समझौता

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय सुरक्षा सहयोग पर प्रथम उच्चस्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक के दौरान दोनों देशों ने सुरक्षा सहयोग समझौते पर भी हस्ताक्षर किये।

प्रमुख बिंदु

- इस उच्चस्तरीय बैठक में चीन का प्रतिनिधित्व वहाँ के स्टेट काउंसिलर एवं सार्वजनिक सुरक्षा मंत्री श्री झाओ केझी तथा भारत का प्रतिनिधित्व केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने किया।
- द्विपक्षीय सुरक्षा सहयोग पर प्रथम उच्चस्तरीय बैठक के दौरान पारस्परिक हित के विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया।
- इन मुद्दों में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिये द्विपक्षीय सहयोग करना भी शामिल है।

सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर

- भारत के गृह मंत्रालय और चीन के सार्वजनिक सुरक्षा मंत्रालय के बीच सुरक्षा सहयोग पर एक समझौता हुआ। उल्लेखनीय है कि दोनों देशों के बीच सुरक्षा सहयोग पर यह पहला समझौता है।
- समझौते से लाभ
- इस समझौते से आतंकवाद एवं संगठित अपराधों की समस्या से निपटने से संबंधित चर्चाओं एवं आपसी सहयोग में और ज़्यादा वृद्धि होगी।
- इसी तरह इस समझौते से दवा नियंत्रण और अन्य प्रासंगिक क्षेत्रों में भी आपसी चर्चाओं के साथ-साथ सहयोग बढ़ेगा।

भारत और बांग्लादेश : अंतर्देशीय और तटीय जलमार्ग समझौता

चर्चा में क्यों?

25 अक्तूबर, 2018 को भारत और बांग्लादेश ने व्यापार के क्षेत्र और जहाज़ों के आवागमन के लिये दोनों देशों के बीच अंतर्देशीय तथा तटीय जलमार्ग संपर्क बढ़ाने के संबंध में कई महत्त्वपूर्ण समझौते किये हैं।

मुख्य बिंदु

- दोनों देशों के बीच हुए समझौते के तहत बांग्लादेश में चट्टोग्राम और मोन्गला गोदियों को भारत से आने वाले और भारत को भेजे जाने वाले सामान के आवागमन के लिये इस्तेमाल किया जाएगा।
- इसके अलावा, यात्रियों के आने-जाने और नौवहन सेवाओं के लिये भी एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) पर हस्ताक्षर किये गए।
- इस प्रक्रिया के लिये तटीय नौवहन मार्गों और अंतर्देशीय मार्गों को अंतिम रूप दे दिया गया है। ऐसी संभावना है कि जल्द ही कोलकाता-ढाका-गुवाहाटी-जोरहट के बीच नौवहन यात्राएँ शुरू की जाएंगी।

- साथ ही इस बात पर भी सहमति व्यक्त की गई है कि एक संयुक्त तकनीकी समिति अरिचा तक दुलियान-राजशाही प्रोटोकॉल मार्ग के संचालन की तकनीकी व्यवहारिकता का अध्ययन करेगी।
- इसके अलावा, भागीरथी नदी पर जांगीपुर नौवहन क्षेत्र को दोबारा खोलने पर भी विचार किया जाएगा, जो भारत और बांग्लादेश के बीच फरक्का में गंगा का पानी साझा करने संबंधी संधि के प्रावधानों के अनुरूप होगा।
- दोनों पक्षों ने जोगीघोपा के विकास के प्रति भी सहमति व्यक्त की। इसके तहत जोगीघोपा को असम, अरुणाचल प्रदेश, नगालैंड और भूटान के लिये सामान के आवागमन के संबंध में टर्मिनल के रूप में इस्तेमाल किया जाना है।

भारत के लिये बांग्लादेश का महत्त्व

बांग्लादेश भारत का महत्त्वपूर्ण पड़ोसी देश है एवं विभिन्न उतार-चढ़ाव भरे संबंधों के बावजूद अनेक कारणों से बांग्लादेश अपने निर्माण के समय से लेकर अब तक सदैव भारत के लिये प्रासंगिक रहा है, जो कि प्रमुख रूप से निम्नलिखित है:

- बांग्लादेश की भौगोलिक अवस्थिति ऐसी है कि वह भारत के पूर्वोत्तर राज्यों से मुख्य भूमि तक संपर्क मार्ग प्रदान कर 'सिलीगुड़ी गलियारे' पर भारत की निर्भरता को कम कर सकता है।
- भारत की 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' को मूर्तरूप देने में बांग्लादेश की महत्त्वपूर्ण भूमिका है।
- बांग्लादेश, भूटान, इंडिया व नेपाल मोटर वाहन समझौते (BBIN-MV) में जहाँ बांग्लादेश एक महत्त्वपूर्ण पक्ष है वहीं वह SAARC, BIMSTEC जैसे क्षेत्रीय सहयोग समझौतों में प्रमुख भागीदार है। अत: इस प्रकार क्षेत्रीय शांति एवं विकास को बढ़ावा देने में अहम सहयोगी है। वह दक्षिण एशिया में चीन के बढ़ते प्रभाव एवं कट्टरपंथी शक्तियों का मुकाबला करने में भारत का सहयोग कर सकता है।
- ब्ल्यू इकॉनमी और मेरीटाइम डोमेन की सुरक्षा के लिहाज से भी बांग्लादेश भारत के लिये काफी महत्वपूर्ण है।

भारत और सिंगापुर

चर्चा में क्यों ?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और सिंगापुर के बीच फिनटेक पर संयुक्त कार्य समूह (Joint Working Group - JWG) गठित करने के लिये पर जून, 2018 में हस्ताक्षर किये गए समझौता ज्ञापन को पूर्व प्रभाव से मंज़ूरी दे दी है।

लाभ

- भारत और सिंगापुर के बीच फिनटेक पर संयुक्त कार्य समूह का गठन दोनों देशों के बीच फिनटेक के क्षेत्र में सहयोग के लिये किया गया है।
- भारत और सिंगापुर के बीच सहयोग से दोनों देशों को निम्नलिखित क्षेत्रों में फायदा पहुँचेगा :
  - एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसेज (Application Programming Interfaces-APIs)
  - रेग्यूलेटरी सैंडबॉक्स (Regulatory Sandbox)
  - भुगतान में सुरक्षा और डिजिटल नकद प्रवाह
  - इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरण के लिये रुपे-नेटवर्क (Network for Electronic Transfers - NETS) का समेकन
  - यूपीआई फास्ट पेमेंट लिंक (UPI-FAST payment link)
  - आसियान क्षेत्र में आधार स्टैक और ई-केवाईसी तथा नियमों में सहयोग
  - वित्तीय बाज़ारों और बीमा क्षेत्र तथा सैंडबॉक्स मॉडलों के विकास के क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल करना, आदि।

इसका क्षेत्र और कार्य सीमाएँ:

- सर्वश्रेष्ठ कार्यप्रणाली का आदान-प्रदान : सर्वश्रेष्ठ कार्यप्रणालियों के आदान-प्रदान के साथ नियामक संपर्क में सुधार के लिये।
  - फिनटेक से जुड़ी नीतियों और नियामकों संबंधी अनुभवों के आदान-प्रदान को बढ़ावा देना।

- फिनटेक फॉर्मों और परिसंपत्तियों द्वारा बिना किसी भेदभाव के आँकड़ों के इस्तेमाल से जुड़े मानकों को तैयार करने को प्रोत्साहन देना।
- साइबर सुरक्षा, वित्तीय जालसाजी के साथ-साथ दुनिया में उत्पन्न नए खतरों सहित नियामक संस्थानों में उपयुक्त अधिकारियों को क्षमता निर्माण के कार्य की शुरूआत करना।

- सहयोग को बढ़ावा : भारत और सिंगापुर में वित्तीय-टेक्नोलॉजी उद्योग के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिये।
  - फिनटेक क्षेत्र में फॉर्मों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना।
  - व्यावसायिक/वित्तीय क्षेत्र के लिये फिनटेक समाधान के विकास को बढ़ावा देना।
  - दोनों देशों की उपयुक्त नीतियों के अनुरूप, फिनटेक में सिंगापुर और भारत के बीच उद्यमिता/स्टार्ट-अप प्रतिभा के सहयोग को प्रोत्साहन देना।
- अंतर्राष्ट्रीय मानकों का विकास :
  - एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसेज़ (Application Programming Interfaces (APIs) एंड स्टैंडर्ड के अंतर्राष्ट्रीय संस्करण के गठन को प्रोत्साहन देना, जो भारत और सिंगापुर में सार्वजनिक प्रणाली में तैयार एपीआई के साथ अंतर संचालन है।
    - डिजिटल पहचान का इस्तेमाल कर रहे निवासियों को सीमापार सत्यापन और इलेक्ट्रॉनिक नो-योर-कस्टमर (ई-केवाईसी) के लिये सक्षम बनाना।
    - एकीकृत भुगतान इंटरफेस और तेज़ी से सुरक्षित हस्तांतरण डिजिटल फंड हस्तांतरण मंचों के बीच भुगतान संपर्क-सहयोग को सक्षम बनाना।
    - भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (National Payments Corporation of India-NPCI) और इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरण नेटवर्क (Network for Electronic Transfers-NETS) जैसे भुगतान नेटवर्कों के बीच संपर्क के ज़रिये रुपे क्रेडिट/डेबिट कार्डों पर क्रॉस लर्निंग को सक्षम बनाना।
    - एकीकृत भुगतान इंटरफेस और त्वरित प्रतिक्रिया (Quick response-QR) कोड आधारित भुगतान स्वीकृति को सक्षम बनाना।
    - ई-हस्ताक्षर, एक्रॉस बोर्डर्स के ज़रिये डिजिटल हस्ताक्षर के इस्तेमाल को सक्षम बनाना।
- भारत और सिंगापुर के बीच निम्न क्षेत्रों में सहयोग को प्रोत्साहन:
  - डिजिटल शासन।
  - वित्तीय समावेशन।
  - आसियान फाइनेंशियल इनोवेशन नेटवर्क (ASEAN Financial Innovation Network- (AFIN) एजेंडा में सहभागिता।

भारत और चीन के बीच सुरक्षा सहयोग समझौता

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय सुरक्षा सहयोग पर प्रथम उच्चस्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक के दौरान दोनों देशों ने सुरक्षा सहयोग समझौते पर भी हस्ताक्षर किये।

प्रमुख बिंदु

- इस उच्चस्तरीय बैठक में चीन का प्रतिनिधित्व वहाँ के स्टेट काउंसिलर एवं सार्वजनिक सुरक्षा मंत्री श्री झाओ केझी तथा भारत का प्रतिनिधित्व केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने किया।
- द्विपक्षीय सुरक्षा सहयोग पर प्रथम उच्चस्तरीय बैठक के दौरान पारस्परिक हित के विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया।
- इन मुद्दों में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिये द्विपक्षीय सहयोग करना भी शामिल है।

सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर

- भारत के गृह मंत्रालय और चीन के सार्वजनिक सुरक्षा मंत्रालय के बीच सुरक्षा सहयोग पर एक समझौता हुआ। उल्लेखनीय है कि दोनों देशों के बीच सुरक्षा सहयोग पर यह पहला समझौता है।

समझौते से लाभ

- इस समझौते से आतंकवाद एवं संगठित अपराधों की समस्या से निपटने से संबंधित चर्चाओं एवं आपसी सहयोग में और ज़्यादा वृद्धि होगी।
- इसी तरह इस समझौते से दवा नियंत्रण और अन्य प्रासंगिक क्षेत्रों में भी आपसी चर्चाओं के साथ-साथ सहयोग बढ़ेगा।

भारत और बांग्लादेश : अंतर्देशीय और तटीय जलमार्ग समझौता

चर्चा में क्यों?

25 अक्तूबर, 2018 को भारत और बांग्लादेश ने व्यापार के क्षेत्र और जहाज़ों के आवागमन के लिये दोनों देशों के बीच अंतर्देशीय तथा तटीय जलमार्ग संपर्क बढ़ाने के संबंध में कई महत्त्वपूर्ण समझौते किये हैं।

मुख्य बिंदु

- दोनों देशों के बीच हुए समझौते के तहत बांग्लादेश में चट्टोग्राम और मोन्गला गोदियों को भारत से आने वाले और भारत को भेजे जाने वाले सामान के आवागमन के लिये इस्तेमाल किया जाएगा।
- इसके अलावा, यात्रियों के आने-जाने और नौवहन सेवाओं के लिये भी एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) पर हस्ताक्षर किये गए।
- इस प्रक्रिया के लिये तटीय नौवहन मार्गों और अंतर्देशीय मार्गों को अंतिम रूप दे दिया गया है। ऐसी संभावना है कि जल्द ही कोलकाता-ढाका-गुवाहाटी-जोरहट के बीच नौवहन यात्राएँ शुरू की जाएंगी।
- साथ ही इस बात पर भी सहमति व्यक्त की गई है कि एक संयुक्त तकनीकी समिति अरिचा तक दुलियान-राजशाही प्रोटोकॉल मार्ग के संचालन की तकनीकी व्यवहारिकता का अध्ययन करेगी।
- इसके अलावा, भागीरथी नदी पर जांगीपुर नौवहन क्षेत्र को दोबारा खोलने पर भी विचार किया जाएगा, जो भारत और बांग्लादेश के बीच फरक्का में गंगा का पानी साझा करने संबंधी संधि के प्रावधानों के अनुरूप होगा।
- दोनों पक्षों ने जोगीघोपा के विकास के प्रति भी सहमति व्यक्त की। इसके तहत जोगीघोपा को असम, अरुणाचल प्रदेश, नगालैंड और भूटान के लिये सामान के आवागमन के संबंध में टर्मिनल के रूप में इस्तेमाल किया जाना है।

भारत के लिये बांग्लादेश का महत्त्व

बांग्लादेश भारत का महत्त्वपूर्ण पड़ोसी देश है एवं विभिन्न उतार-चढ़ाव भरे संबंधों के बावजूद अनेक कारणों से बांग्लादेश अपने निर्माण के समय से लेकर अब तक सदैव भारत के लिये प्रासंगिक रहा है, जो कि प्रमुख रूप से निम्नलिखित है:

- बांग्लादेश की भौगोलिक अवस्थिति ऐसी है कि वह भारत के पूर्वोत्तर राज्यों से मुख्य भूमि तक संपर्क मार्ग प्रदान कर 'सिलीगुड़ी गलियारे' पर भारत की निर्भरता को कम कर सकता है।
- भारत की 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' को मूर्तरूप देने में बांग्लादेश की महत्त्वपूर्ण भूमिका है।
- बांग्लादेश, भूटान, इंडिया व नेपाल मोटर वाहन समझौते (BBIN-MV) में जहाँ बांग्लादेश एक महत्त्वपूर्ण पक्ष है वहीं वह SAARC, BIMSTEC जैसे क्षेत्रीय सहयोग समझौतों में प्रमुख भागीदार है। अत: इस प्रकार क्षेत्रीय शांति एवं विकास को बढ़ावा देने में अहम सहयोगी है। वह दक्षिण एशिया में चीन के बढ़ते प्रभाव एवं कट्टरपंथी शक्तियों का मुकाबला करने में भारत का सहयोग कर सकता है।
- ब्ल्यू इकॉनमी और मेरीटाइम डोमेन की सुरक्षा के लिहाज से भी बांग्लादेश भारत के लिये काफी महत्वपूर्ण है।

नोट :

ब्रिक्स देशों के बीच पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता

चर्चा में क्यों?

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने ब्रिक्स देशों के बीच पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग के लिये समझौता ज्ञापन को पूर्व प्रभाव से मंज़ूरी दे दी है। इस समझौता ज्ञापन पर जुलाई 2018 में दक्षिण अफ्रीका के जोहन्सबर्ग में आयोजित 10वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान हस्ताक्षर किये गए थे।

प्रमुख बिंदु

इस समझौता ज्ञापन के माध्यम से निम्नलिखित क्षेत्रों में सहयोग पर बल दिया गया है :

- वायु की गुणवत्ता
- जल
- जैव विविधता
- जलवायु परिवर्तन
- कचरा प्रबंधन
- सतत् विकास और सतत् विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये 2030 का एजेंडा लागू करना।
- प्रतिभागियों द्वारा आम सहमति वाले अन्य क्षेत्रों में सहयोग।

लाभ :

- समझौता ज्ञापन के माध्यम से ब्रिक्स देशों के बीच हिस्सेदारी, परस्पर आदान-प्रदान व समान हितों के आधार पर पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन के लिये दीर्घावधि सहयोग को बढ़ावा मिलेगा।
- परस्पर सहयोग की इस व्यवस्था में संबंधित देशों में लागू कानूनी प्रावधानों को ध्यान में रखा जाएगा।
- पर्यावरण को लेकर चिंता सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि यह पूरी दुनिया के लिये गंभीर चुनौती उत्पन्न कर रही है। इस समझौता ज्ञापन के माध्यम से ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका जैसे पाँच बड़ी अर्थव्यवस्था वाले ब्रिक्स देशों ने पर्यावरण को बचाने, उसे संरक्षित करने और उसके टिकाऊपन के लिये अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की है। इन देशों में दुनिया की 40 प्रतिशत से अधिक आबादी निवास करती है।
- इससे ब्रिक्स देशों के सरकारी और निजी क्षेत्र को सतत् विकास तथा पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में परस्पर अपने बेहतरीन अनुभवों, तकनीकी ज्ञान और काम करने के तौर-तरीकों को साझा करने का अवसर मिलेगा।

सामाजिक और श्रम क्षेत्र में सहयोग हेतु ब्रिक्स देशों के बीच समझौता

चर्चा में क्यों?

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने ब्रिक्स देशों (ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका) के बीच सामाजिक और श्रम क्षेत्र में सहयोग के करार को पूर्व प्रभाव से मंज़ूरी दे दी है। 3 अगस्त, 2018 को ब्रिक्स देशों के श्रम और रोज़गार मंत्रियों की बैठक के दौरान इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गए थे।

प्रमुख बिंदु

- इस समझौता ज्ञापन के ज़रिये भारत सहित सभी प्रतिभागी देशों ने श्रम कानून बनाने, उसे लागू करने तथा असुरक्षित श्रमिक वर्ग का खास ध्यान रखते हुए श्रमिकों के अधिकारों को संरक्षण प्रदान करने, रोज़गार और श्रम बाज़ार नीतियों, रोज़गारपरक शिक्षा, कौशल विकास और प्रशिक्षण तथा सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में आपसी सहयोग किये जाने पर सहमति जताई है।
- सदस्य देश सामाजिक सुरक्षा और श्रमिकों से जुड़े अन्य मुद्दों पर सहयोग के लिये ब्रिक्स देशों के श्रम अनुसंधान संस्थानों और सामाजिक सुरक्षा सहयोग फ्रेमवर्क का इस्तेमाल कर सकते हैं।
- यह समझौता ज्ञापन अंतर्राष्ट्रीय संधि नहीं है, इसलिये इससे जुड़े पक्षों पर अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को मानने की बाध्यता नहीं है।

नोट :

इस समझौते के क्या प्रभाव होंगे?

- नई औद्योगिक क्रांति के दौर में यह समझौता ब्रिक्स के सदस्य देशों को समग्र विकास तथा साझा समृद्धि के समान उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये सहयोग, साझेदारी और बेहतर तालमेल के लिये सक्षम कार्य प्रणाली उपलब्ध कराएगा।
- यह सदस्य देशों को श्रम और रोज़गार तथा सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक सरोकारों से संबंधित कार्यक्रमों को लागू करने और इनसे जुड़ी जानकारियों को साझा करने में भी मददगार होगा।
- इसके माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र ब्रिक्स देशों के श्रम संस्थानों के नेटवर्क से जुड़ सकेंगे। इनमें भारत का वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान भी शामिल है।
- इस नेटवर्क के ज़रिये युवाओं को रोज़गार उपलब्ध कराने और रोज़गार के नए अवसरों का पता लगाने के लिये अनुसंधान कार्यों पर विशेष ज़ोर दिया जाएगा।
- इसके माध्यम से क्षमता विकास, सूचनाओं के आदान-प्रदान, वर्चुअल नेटवर्क और सीखने की नई तकनीकों का पता लगाने हेतु सहयोग को और मज़बूत किया जा सकेगा।
- ब्रिक्स का सामाजिक सुरक्षा सहयोग फ्रेमवर्क सदस्य देशों के बीच सामाजिक सुरक्षा सहयोग को बढ़ाएगा और सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों तथा सामाजिक सुरक्षा से जुड़े करारों को और बेहतर बनाने में सहयोग करेगा।

पृष्ठभूमि

- ब्रिक्स देशों के एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप की दूसरी बैठक 30 जुलाई से 1 अगस्त, 2018 तक और ब्रिक्स के श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक 2 से 3 अगस्त, 2018 को दक्षिण अफ्रीका के डरबन में आयोजित की गई थी।
- इन बैठकों में ब्रिक्स देशों के बीच सामाजिक और श्रम क्षेत्र में सहयोग से जुड़े मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया और समझौता ज्ञापन के मसौदे पर चर्चा की गई।
- समझौता ज्ञापन की व्यवस्थाओं में सामाजिक और श्रम क्षेत्र से जुड़ी नीतियों, कार्यक्रमों और आपसी विचार-विमर्श के साथ ही इस क्षेत्र से जुड़े मुद्दों पर विशेषज्ञों की बैठकों और सम्मेलनों के आयोजनों में सहयोग के उद्देश्यों की स्पष्ट व्याख्या की गई है।

मॉरीशस में भारतीय परियोजना का विरोध

चर्चा में क्यों?

मॉरीशस में अगलेगा द्वीपों पर सुविधाओं को अपग्रेड करने के लिये हिंद महासागर में भारत की प्रमुख परियोजनाओं में से एक पर काम चल रहा है लेकिन मॉरीशस की संसद और स्थानीय लोगों द्वारा इस परियोजना का विरोध किया रहा है।

पृष्ठभूमि

वर्ष 2015 में भारत ने अगलेगा द्वीप समूह के विकास के लिये मॉरीशस के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किये थे। इस समझौते के तहत निम्नलिखित कार्यों को शामिल किया गया था-

- समुद्र और वायु संपर्क में सुधार के लिये बुनियादी ढाँचे की स्थापना और उन्नयन।
- द्वीप से बाहर में अपने हितों की रक्षा के लिये मॉरीशस सुरक्षा बलों की क्षमताओं को बढ़ाना।
- हालाँकि, भारतीय नौसेना और तटरक्षक बल अपने हितों की रक्षा के लिये ट्रांसपोंडर सिस्टम और निगरानी बुनियादी ढाँचे को स्थापित करने में रूचि दिखा रही है, जिनका स्थानीय स्तर पर विरोध किया जा रहा है।

अगलेगा परियोजना

- इस परियोजना में एक जलबंधक या सेतु (Jetty) का निर्माण, रनवे का पुनर्निर्माण और विस्तार तथा मॉरीशस के मुख्य भू-भाग के उत्तर में स्थित अगलेगा द्वीप पर एक एयरपोर्ट टर्मिनल का निर्माण किया जाना शामिल है।
- 87 मिलियन डॉलर की लागत वाली इस परियोजना को भारत सरकार द्वारा वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।

भारत के लिये परियोजना का महत्त्व

- मात्रा के आधार पर भारत के व्यापार का कुल 95% तथा मूल्य के आधार पर 68% व्यापार हिंद महासागर के माध्यम से होता है। भारत द्वारा आयात किये जाने वाले कुल कच्चे तेल का 80% भाग हिंद महासागर के मार्ग से आयातित होता है, इसलिये हिंद महासागर में भारत की उपस्थिति महत्त्वपूर्ण है।
- चीन का 'स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स' जो भारत के सामरिक हितों के लिये एक खतरा हो सकता है, का मुकाबला करने के लिये हिंद महासागर के वृहद् क्षेत्र में भारत की उपस्थिति अत्यंत आवश्यक है।
- इस परियोजना को SAGAR (Security And Growth for All in Region) परियोजना के तहत अपने पड़ोसी देशों के विकास के प्रयासों के हिस्से के रूप में देखा जा सकता है। इस परियोजना को भारत और इसके पड़ोसी देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के रूप में भी देखा जा सकता है।
- मालदीव और सेशेल्स में भारतीय परियोजनाओं द्वारा प्रतिरोध का सामना किये जाने के बाद भारत के लिये यह अधिक आवश्यक है कि वह अपनी परियोजनाओं को सफलतापूर्वक लागू करे।
- यह परियोजना आधारभूत ढाँचे के उन्नयन के माध्यम से मॉरीशस के सुरक्षा बलों की क्षमता में वृद्धि करेगा।

परियोजना के विरोध का कारण

1. विपक्ष द्वारा विरोध
    - मॉरीशस की संसद में विपक्ष इस परियोजना की पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर रहा है।
    - परियोजना में भारतीय भागीदारी और इसकी लागत को लेकर समस्याएँ हैं और यह समस्या भी है कि क्या इसमें भारतीय सैन्य घटक शामिल होगा।
    - मॉरीशस की सरकार ने इस परियोजना को किसी भी पर्यावरणीय लाइसेंस प्रक्रिया से छूट प्रदान की है।
2. स्थानीय लोगों द्वारा विरोध
    - 1965 में मॉरीशस की आज़ादी से पहले, ब्रिटेन ने मॉरीशस से चागोस द्वीप को अलग कर दिया था और जबरन वहाँ के निवासियों को स्थानांतरित कर दिया तथा अमेरिका को डिएगो गार्सिया पर सैन्य अड्डा बनाने की इज़ाज़त दी। भारतीय परियोजना को लेकर अगलेगा द्वीप के निवासियों के मन में यही भय है कि कहीं उनके साथ पहले जैसा व्यवहार न हो।
    - सभी बड़ी सैन्य शक्तियाँ जैसे- फ्राँस, चीन, अमेरिका और ब्रिटेन हिंद महासागर में नौसैनिक आधार विकसित कर चुकी हैं, जिसके चलते स्थानीय लोगों को भय है कि उनके शांत द्वीप का सैन्यीकरण कर दिया जाएगा।

आगे की राह

- अन्य देशों द्वारा संचालित सैन्य अड्डों के विपरीत, भारतीय अड्डों का आधार नरम है जिसका अर्थ है कि स्थानीय लोग किसी भी भारत निर्मित परियोजना के माध्यम आवागमन कर सकते हैं। इससे स्थानीय सरकारों को अपनी संप्रभुता को कम किये बिना, अपने क्षेत्र पर अधिक नियंत्रण प्राप्त होता है। भारत को सभी प्रभावित पार्टियों के डर को दूर करके और अधिक प्रेरक तरीके से एक विश्वसनीय तथा दीर्घकालिक साझेदार के रूप में खुद को पेश करने की ज़रूरत है।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

लेज़र के अन्वेषकों ने जीता भौतिकी का नोबेल पुरस्कार

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में तीन वैज्ञानिकों ने ऑप्टिकल लेज़र का आविष्कार करने के लिये वर्ष 2018 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जीता, जिसने आँखों के इलाज के लिये की जाने वाली सर्जरी में प्रयुक्त होने वाले अत्याधुनिक उपकरणों के विकास का मार्ग प्रशस्त किया है।

प्रमुख बिंदु

- अमेरिका के आर्थर अश्किन को 9 मिलियन स्वीडिश क्रोनर (लगभग $ 1.01 मिलियन) वाले इस पुरस्कार का आधा हिस्सा प्राप्त होगा, जबकि फ्राँस के जेरार्ड मोउरो और कनाडा की डोना स्ट्रिकलैंड पुरस्कार के शेष हिस्से को साझा करेंगे।
- 96 वर्षीय अश्किन को "ऑप्टिकल ट्वीज़र्स" के आविष्कार के लिये सम्मानित किया गया जिसकी लेज़र बीम उंगलियों की मदद से कणों, अणुओं, वायरस और अन्य जीवित कोशिकाओं को पकड़ने में आसानी होती है।
- रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज़ ने कहा कि "ऑप्टिकल ट्वीज़र्स की सहायता से अश्किन भौतिक वस्तुओं को स्थानांतरित करने हेतु प्रकाश के विकिरण दबाव का उपयोग करने में सक्षम हो पाए जो कि विज्ञान कथाओं का एक पुराना सपना था।"
- अकादमी ने कहा कि वर्ष 1987 में एक बड़ी सफलता तब मिली जब अश्किन ने जीवित जीवाणुओं को नुकसान पहुँचाए बिना उन्हें पकड़ने के लिये ट्वीज़र्स का इस्तेमाल किया।
- अश्किन, जिन्होंने 1952 से 1991 तक एटी एंड टी बेल प्रयोगशालाओं में काम करते हुए अपनी खोज की, नोबेल पुरस्कार पाने वाले सबसे उम्रदराज विजेता हैं। इससे पहले अमेरिकी वैज्ञानिक लियोनिद हूर्विज़ सबसे उम्रदराज नोबेल विजेता थे जिन्होंने 90 वर्ष की उम्र में वर्ष 2007 में अर्थशास्त्र के लिये यह पुरस्कार जीता था।
- 74 वर्षीय मोउरो और 59 वर्षीय स्ट्रिकलैंड को अल्ट्रा-शॉर्ट ऑप्टिकल पल्स उत्पन्न करने हेतु एक तरीका विकसित करने में मदद के लिये यह पुरस्कार प्राप्त हुआ। यह मानव जाति द्वारा बनाया गया सबसे छोटा और सबसे तीव्र लेज़र पल्स है। यह तकनीक अब आँखों के इलाज के लिये की जाने वाली सर्जरी में प्रयोग की जाती है।
- मोउरो फ्राँस के इकोले पॉलीटेक्निक और यू.एस. में मिशिगन विश्वविद्यालय से संबद्ध रहे हैं, जबकि उनकी छात्रा स्ट्रिकलैंड कनाडा के वाटरलू विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं। मोउरो एक्स्ट्रीम लाइट इंफ्रास्ट्रक्चर (ईएलआई) प्रोजेक्ट बनाने में भी शामिल रहे जिसे दुनिया के सबसे शक्तिशाली लेज़रों में से एक माना जाता है।
- स्ट्रिकलैंड भौतिकी में नोबेल पुरस्कार जीतने वाली इतिहास में तीसरी महिला हैं, इससे पहले 55 वर्ष पूर्व किसी महिला ने इस क्षेत्र में पुरस्कार जीता था।

चिकित्सा का नोबेल

- वर्ष 2018 के लिये चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार अमेरिका के जेम्स पी एलिसन और जापान के तासुकू होंजो को सामूहिक तौर पर दिया गया। इन्हें यह पुरस्कार कैंसर थेरेपी की खोज के लिये दिया गया है।
- दोनों वैज्ञानिकों ने ऐसी थेरेपी विकसित की है जिससे शरीर की कोशिकाओं में प्रतिरक्षा प्रणाली को कैंसर ट्यूमर से लड़ने के लिये मज़बूत बनाया जा सकेगा।

अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार

चर्चा में क्यों ?

अर्थशास्त्र के क्षेत्र में सराहनीय योगदान के लिये इस साल अमेरिका के दो अर्थशास्त्रियों को नोबेल पुरस्कार के लिये चुना गया है।

प्रमुख बिंदु

- रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ इकोनॉमिक्स ने इस पुरस्कार के लिये विलियम नॉर्डहॉस और पॉल रोमर के नाम का एलान किया है। इन दोनों अर्थशास्त्रियों को यह सम्मान जलवायु परिवर्तन और अर्थशास्त्र के लिये तकनीकी नवाचार की खोज हेतु दिया गया है।
- येल अर्थशास्त्री विलियम डी. नॉर्डहॉस ने जलवायु परिवर्तन की समस्या को दूर करने के लिये कार्बन उत्सर्जन पर कर लगाने हेतु सरकारों को मनाने के लिये चार दशकों से महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
- 77 वर्षीय नॉर्डहॉस, 1970 के दशक से पर्यावरण अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अग्रणी रहे हैं और जलवायु परिवर्तन के पूर्वानुमान के लिये आर्थिक विश्लेषण लागू करने में उनके काम को मान्यता मिली है।
- उल्लेखनीय है कि अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार से पहले शांति, मेडिसिन, भौतिकी और रसायन शास्त्र के लिये नोबेल पुरस्कार का एलान किया जा चुका है।
- इसमें यजीदी कार्यकर्त्ता नादिया मुराद को 2018 के नोबेल शांति पुरस्कार और मेडिसिन के लिये संयुक्त रूप से जेम्स पी. एलिसन और तासुकू होंजो को चुना गया।
- वहीं भौतिकी के नोबेल पुरस्कार के लिये अमेरिका के आर्थर अश्किन, फ्रांस के जेरार्ड मोउरो और कनाडा की डोना स्ट्रिकलैंड के नाम की घोषणा की जा चुकी है।
- इसके अलावा, रसायन शास्त्र के लिये फ्राँसेस एच. एरनॉल्ड, जॉर्ज पी. स्मिथ और सर ग्रेग्रॉरी पी. विंटर को नोबेल पुरस्कार के लिये चुना गया है।
- नहीं दिया जाएगा साहित्य का नोबेल पुरस्कार
- उल्लेखनीय है कि साहित्य के नोबेल पुरस्कार को इस साल स्थगित कर दिया गया है।
- पुरस्कार के 117 साल के इतिहास में इसे दूसरी बार रोका गया है। इससे पहले इसे 1943 में द्वितीय विश्वयुद्ध को लेकर स्थगित किया गया था।
- नोबेल पुरस्कार प्रदान करने वाली संस्था एक सेक्स स्कैंडल में फँस गई है। यह अकादमी 1901 से ही साहित्य के नोबेल पुरस्कार विजेताओं का चयन कर रही है।
- भारत को अभी तक सिर्फ एक बार साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है। 1913 में रवींद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिये यह पुरस्कार दिया गया था।
- एकेडमी ने फैसला किया है कि इस साल यह पुरस्कार प्रदान नहीं किया जाएगा, क्योंकि एकेडमी के कुछ सदस्य पुरस्कार प्रदान करने को लेकर चिंतित हैं और वे इसके लिये स्थिति को अनुकूल नहीं बता रहे हैं।

पिछले साल नवंबर में 18 महिलाओं ने 'मी टू' अभियान के जरिये अरनॉल्ट पर यौन हमला व उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। हालाँकि अरनॉल्ट ने सभी आरोपों से इनकार किया है।

भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान समारोह- 2018

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में लखनऊ में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान समारोह- 2018 (India International Science Festival- IISF) का आयोजन किया गया जिसमें बड़ी संख्या में वैज्ञानिकों, विद्यार्थियों और देश-विदेश के विशेषज्ञों ने भाग लिया।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान समारोह का यह चौथा संस्करण था।
- इस वर्ष समारोह की थीम 'परिवर्तन के लिये विज्ञान' (Science For Transformation) थी।
- इस समारोह का आयोजन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने विज्ञान भारती के सहयोग से इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान, लखनऊ में किया।
- इस समारोह में युवा वैज्ञानिक सम्मेलन, वैश्विक भारतीय विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी हितधारक बैठक (Global Indian Science & Technology Stakeholders' Meet- GIST) और मेगा विज्ञान प्रौद्योगिकी तथा उद्योग एक्सपो का आयोजन भी किया गया।
- इस समारोह में लगभग 800 महिला वैज्ञानिकों और उद्यमियों ने हिस्सा लिया।

पृष्ठभूमि

- पहली बार भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान समारोह का आयोजन दिसंबर 2015 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (Indian Institute of Technology- IIT), दिल्ली में किया गया।
- उस समय वृहद् विज्ञान एवं तकनीकी प्रदर्शनी ने 3 लाख से ज़्यादा लोगों को आकर्षित किया और दिल्ली के प्रतिष्ठित स्कूलों के 2000 छात्रों द्वारा 'सबसे बड़ा प्रैक्टिकल साइंस लेसन' के सफल आयोजन के लिये विज्ञान भारती को गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया।
- समारोह के दूसरे संस्करण का आयोजन भी दिल्ली में किया गया, जबकि तीसरे संस्करण का आयोजन चेन्नई में किया गया था।

विज्ञान भारती

- प्रोफेसर के.आई वसु के मार्गदर्शन में कुछ प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों द्वारा भारतीय विज्ञान संस्थान (बंगलूरू) में स्वदेशी विज्ञान आंदोलन शुरू किया गया था जिसने धीरे-धीरे गति प्राप्त की और राष्ट्रीय उपस्थिति के साथ यह आंदोलन एक संगठन के रूप में उभरा। नागपुर की बैठक में 1991 (20-21 अक्तूबर) में भारत के स्तर पर स्वदेशी विज्ञान आंदोलन शुरू करने का फैसला लिया गया और इसे विज्ञान भारती (Vignanabharti- VIBHA) के रूप में नामित किया गया।
- वर्तमान में यह स्वायत्त संस्थानों, स्वतंत्र संगठनों और परियोजना संस्थाओं के माध्यम से 11 विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहा है।

एथेनॉल बायो-रिफाइनरी

चर्चा में क्यों?

हाल ही में ओडिशा के बारगढ़ ज़िले की भाटली तहसील के बोलासिंघा गाँव में भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन द्वारा स्थापित किये जा रहे सेकेंड जेनरेशन (2G) इथेनॉल बायो-रिफाइनरी की नींव रखी गई।

संयंत्र के बारे में

- यह बॉयो-रिफाइनरी संयंत्र देश का अपने किस्म का पहला संयंत्र है जो चावल की भूसी का फीडस्टॉक के रूप में उपयोग करके प्रतिवर्ष 3 करोड़ लीटर एथेनॉल उत्पादन करेगा।
- इस संयंत्र द्वारा उत्पादित एथेनॉल को पेट्रोल के साथ मिश्रित किया जाएगा।
- इस परियोजना की लागत लगभग 100 करोड़ रुपए है।

भारत के लिये बायो-फ्यूल का महत्त्व

- बढ़ती ऊर्जा सुरक्षा ज़रूरतों और पर्यावरण की चिंता के कारण बॉयो-फ्यूल का महत्त्व बढ़ा है।
- अनेक देशों ने अपनी घरेलू ज़रूरतों के अनुसार बॉयोफ्यूल के उत्पादन और उपयोग को प्रोत्साहन देने के लिये विभिन्न प्रक्रियाएँ और प्रोत्साहन लागू किये हैं।

नोट :

- भारत में प्रतिवर्ष लगभग 120-160 MMT अतिरिक्त बॉयोमास की उपलब्धता है। जिसके परिवर्तित होने पर 3 हज़ार करोड़ लीटर एथेनॉल के उत्पादन की क्षमता स्थापित हो जाएगी।
- भारत की राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 में वर्ष 2030 तक पेट्रोल में 20 प्रतिशत एथेनॉल के मिश्रण का लक्ष्य रखा गया है। वर्तमान में एथेनॉल उपलब्ध न होने के कारण पेट्रोल में केवल 3 से 4 प्रतिशत एथेनॉल का मिश्रण किया जा रहा है।
- 2जी एथेनॉल संयंत्रों की स्थापना से पेट्रोल में एथेनॉल का मिश्रण करने के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

पर्यावरण के साथ-साथ किसानों को भी लाभ

- बारगढ़ बायो-रिफाइनरी सालाना दो लाख टन चावल की भूसी का फीडस्टॉक के रूप में उपयोग करेगी।
- बायो-रिफाइनरी एथेनॉल उत्पादन के लिये चावल की भूसी का उपयोग करके पर्यावरण को स्वच्छ रखने में मदद करेगी और बेकार भूसी को खेतों में नहीं जलाना पड़ेगा।
- पेट्रोल में एथेनॉल के मिश्रण से जीवाश्म ईंधन की तुलना में ग्रीन हाउस गैसों का कम उत्सर्जन होगा।
- इस संयंत्र से वातावरण को स्वच्छ रखने के अलावा चावल की भूसी बायो-रिफाइनरी को बेचने से किसानों की अतिरिक्त आमदनी बढ़ने के फलस्वरूप उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थितियों को सुधारने में मदद मिलेगी।

रोज़गार सृजन तथा देश की आत्मनिर्भरता में वृद्धि

- इसके अलावा, इस संयंत्र के निर्माण, परिचालन और बायोमास आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन से लगभग 1200 लोगों को सीधे और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार जुटाने में मदद मिलेगी।
- इस क्षेत्र में बुनियादी ढाँचे के विकास और क्षेत्र के लोगों की आजीविका में सुधार को बढ़ावा मिलेगा तथा एथेनॉल के मिश्रण से देश का तेल निर्यात घटने और विदेशी मुद्रा की बचत से देश की आत्मनिर्भता में बढ़ोत्तरी होगी।

दिल्ली वायु प्रदूषण : ग्रेडेड रेस्पांस एक्शन प्लान

चर्चा में क्यों ?

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने राजधानी में ख़राब स्थिति की ओर रुख कर रहे वायु प्रदूषण का मुकाबला करने के लिये आपातकालीन कार्य योजना (emergency action plan) लागू की है। इसके तहत वायु गुणवत्ता खराब होने पर तत्काल सख्त कदम उठाए जाएंगे।

प्रमुख बिंदु

- ग्रेडेड रेस्पांस एक्शन प्लान (Graded Response Action Plan-GRP) नामक इस आपातकालीन योजना के तहत शहर की वायु गुणवत्ता के आधार पर कड़े कदम उठाए जाते हैं।
- इस कार्य योजना के अंतर्गत मध्यम से खराब श्रेणी में वायु गुणवत्ता होने पर कचरा जलाने से रोक दिया जाएगा और ईंट भट्ठे, उद्योगों में प्रदूषण नियंत्रण के मानक लागू किये जाएंगे।
- वायु गुणवत्ता बहुत खराब होने पर डीज़ल चालित जेनरेटर पर रोक लगा दी जाएगी। सड़कों की सफाई होगी और पानी का छिड़काव किया जाएगा।
- पार्किंग फीस में तीन से चार गुना तक इजाफा किया जा सकता है। इसके अलावा मेट्रो और बसों के फेरे बढ़ाए जाएंगे। हवा इससे ज़्यादा जहरीली होने पर ट्रकों का दिल्ली में प्रवेश रोकने, निर्माण कार्य पर रोक लगाने, स्कूलों में छुट्टी जैसे कदम उठाए जाएंगे।
- वर्तमान में वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी (poor category) में है लेकिन अधिकारियों ने बताया है कि यह अगले कुछ दिनों में 'बहुत ख़राब' (very poor) की श्रेणी तक पहुँच जाएगी।
- प्रदूषण पैदा करने वाले कारकों पर रोकथाम के लिये केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) ने GRAP के अलावा दिल्ली-एनसीआर में 41 टीमों की तैनाती की है।

नोट :

- इन टीमों ने 11 अक्तूबर तक 96 जगहों का निरीक्षण किया, जबकि 554 लोगों का चालान भी किया गया है। आने वाले समय में इसमें और तेज़ी लाई जाएगी।
- निरीक्षण के दौरान नासा के सेटेलाइट द्वारा प्राप्त चित्रों में हरियाणा तथा पंजाब के कुछ जगहों पर पराली जलाने की गतिविधियाँ देखी गई हैं।
- नासा ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर कहा है कि पंजाब और हरियाणा में फसल के अवशेषों को जलाने की गतिविधियों में अमृतसर, अंबाला, करनाल, सिरसा और हिसार के आस पास के क्षेत्रों में करीब 10 दिनों से उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
- उल्लेखनीय है कि पंजाब और हरियाणा में अक्तूबर और नवंबर के दौरान हर साल धान की पराली जलाने तथा अप्रैल में गेहूँ का भूसा दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण के प्रमुख योगदानकर्त्ता हैं।

यौन शोषण पीड़ितों को मुआवज़ा देगी तमिलनाडु सरकार

चर्चा में क्यों

हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने 2018 के लिये यौन शोषण तथा अन्य अपराधों की शिकार महिलाओं हेतु तमिलनाडु पीड़ित मुआवज़ा योजना (Tamil Nadu Victim Compensation Scheme) को अधिसूचित किया। उल्लेखनीय है कि तमिलनाडु सरकार ने यह निर्णय सर्वोच्च न्यायालय के उस फैसले का अनुसरण करते हुए लिया है जिसमें न्यायालय की एक खंडपीठ ने मुआवज़े के सुझाव को मंज़ूरी दी थी और इस संबंध में दिशा-निर्देशों को परिचालित करने का निर्देश दिया था।

क्या है योजना?

- इस योजना के अंतर्गत बलात्कार पीड़ित को न्यूनतम 4 लाख रुपए और सामूहिक बलात्कार के मामले में 5 लाख रुपए का मुआवज़ा दिया जाएगा।
- यदि पीड़ित की मृत्यु हो जाती है तो उसका आश्रित 7 लाख रुपए के मुआवज़े का हकदार होगा।
- सामूहिक बलात्कार के साथ-साथ मृत्यु के मामले में अधिकतम 10 लाख रुपए का मुआवज़ा दिया जा सकता है।
- बलात्कार के मामले में अधिकतम 7 लाख रुपए का मुआवज़ा दिया जा सकता है।

मुआवज़े के लिये पात्रता

- यह योजना ऐसी पीड़ित महिलाओं या उनके आश्रितों को मुआवज़ा देने के उद्देश्य से धन प्रदान करती है, जिन्हें अपराध के परिणामस्वरूप हानि या चोट का सामना करना पड़ा हो और जिन्हें पुनर्वास की आवश्यकता हो।
- अधिसूचना के अनुसार, हालाँकि एक महिला पीड़ित या उसके आश्रित कई योजनाओं के माध्यम से मुआवजे के लिये पात्र हैं, लेकिन मुआवज़े की मात्रा तय करते समय CrPC की धारा 357-B को ध्यान में रखा जाएगा।

योजना के तहत कवर किये गए अपराध

- पीड़ित और उनके आश्रित पुलिस FIR के साथ-साथ पहले मुआवज़े के लिये तमिलनाडु कानूनी सेवा प्राधिकरण (Tamil Nadu Legal Services Authority- TNLSA) या संबंधित ज़िला कानूनी सेवा प्राधिकरण (District Legal Services Authority- DLSA) में आवेदन कर सकते हैं।
- इस योजना में भारतीय दंड संहिता की धारा 326A (एसिड हमले), 354A से 354D (यौन उत्पीड़न), 376A से 376E (अलगाव और इससे संबद्ध अपराधों के दौरान पत्नी के साथ यौन संबंध बनाना), 304B (दहेज हत्या) और 498A (पत्नी के प्रति क्रूरता) के तहत पंजीकृत अपराध शामिल हैं।

मुआवज़े का निर्धारण

- मुआवज़े का निर्धारण करने के लिये अपराध की गंभीरता और मानसिक या शारीरिक क्षति या चोट की गंभीरता, चिकित्सा उपचार पर किया गया खर्च तथा अपराध के कारण पीड़ित की शिक्षा या रोज़गार के नुकसान आदि को भी ध्यान में रखा जाएगा।
- नाबालिग पीड़ितों के मामले में मुआवज़े की 80% राशि फिक्स डिपाजिट खाते में जमा कर दी जाएगी जिसे पीड़ित के वयस्क होने पर ही निकाला जा सकेगा।

नोट :

तितली, फैलिन और हुदहुद अक्तूबर में ही क्यों?

संदर्भ

हाल ही में ओडिशा तथा आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों से तितली नामक तूफान ने दस्तक दी। पिछले पाँच सालों में इन्हीं तटीय क्षेत्रों से टकराने वाला यह तीसरा प्रमुख तूफान था। ध्यान देने योग्य बात यह है कि इन सभी तूफानों ने अक्तूबर के महीने में ही दस्तक दी। निश्चित समयावधि पर तूफानों के दस्तक देने के पीछे कुछ खास भौतिक कारण हैं।

मौसम और बारंबारता

- IIT भुवनेश्वर के पृथ्वी, महासागर एवं जलवायु विज्ञान विद्यापीठ के वैज्ञानिकों ने बंगाल की खाड़ी के अवलोकनों का हवाला देते हुए जिक्र किया कि "इस क्षेत्र में तूफान बारंबार आते रहे हैं। आखिर इन तूफानों की बारंबारता की वज़ह क्या है?"
- उत्तर-पश्चिम प्रशांत टाइफून के लिये दुनिया के सबसे सक्रिय बेसिनों में से एक है। नज़दीक होने की वज़ह से फिलीपींस, चीन और दक्षिण एशियाई क्षेत्रों में प्रमुख तूफानों के अवशेष दस्तक देते हैं।
- इन स्थानों की वज़ह से कम दबाव की स्थिति उत्पन्न होती है जो चक्रवात में विकसित हो जाती है।
- तितली, फैलिन (2013) और हुदहुद (2014) जैसे चक्रवात आमतौर पर अक्तूबर में दस्तक देते हैं क्योंकि इस दौरान विंड शियर (wind shear) कम होता है।
- विंड शियर अलग-अलग सतहों पर हवा की गति तथा उसकी दिशा के बीच का अंतर होता है।
- जब न्यून विंड शियर 26 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान वाली समुद्री सतह के साथ संयुक्त होता है, तब चक्रवात की संभावना बढ़ जाती है।
- मानसून के दौरान चक्रवात बहुत दुर्लभ होते हैं क्योंकि विंड शियर बहुत ज़्यादा होता है।

भविष्यवाणी करना मुश्किल

- वैज्ञानिकों के अनुसार, बजटीय और मौसम संबंधी कारकों की वजह से पूर्वानुमान लगाना मुश्किल हो जाता है।
- अटलांटिक बेसिन में अमेरिका ने ऐसे विमानों को नियुक्त किया है जो नमी के स्तर का अध्ययन करने तथा चक्रवात पार्श्वचित्र पर विभिन्न आँकड़े एकत्र करने के लिये सीधे बादलों के बीच उड़ान भरते हैं।
- समुद्र में विकसित होने वाले चक्रवातों के अध्ययन हेतु भारतीय वैज्ञानिकों को सेटेलाइट द्वारा ली गई तस्वीरों पर निर्भर रहना पड़ता है। ये तस्वीरें नमी की मात्रा तथा तीव्रता पर बहुत कम आँकड़े प्रदान करती हैं।
- भारत तूफानों के पूर्वानुमान में प्रयुक्त होने वाले मॉडल अमेरिका और यूरोप से प्राप्त करता है लेकिन इन मॉडलों को नियमित रूप से अपग्रेड करने हेतु संसाधनों की कमी की वज़ह से सटीक पूर्वानुमान नहीं प्राप्त कर पाता है।

प्रभावित क्षेत्र से निकासी

- शोधकर्त्ता निकासी प्रक्रिया को हॉरिजॉन्टल, वर्टीकल और प्रभावित-क्षेत्र में ही आश्रय के रूप में वर्गीकृत करते हैं।
- हॉरिजॉन्टल निकासी प्रक्रिया में, प्रभावित क्षेत्र को पूरी तरह से खाली करा लिया जाता है। लेकिन भारत में सड़कों तथा यातायात की खराब हालत की वज़ह से शायद ही कभी इस प्रक्रिया का पालन किया जाता है।
- वर्टीकल निकासी प्रक्रिया में, लोगों को प्रभावित क्षेत्र के भीतर ही विशेष रूप से बनाई गई इमारतों में ले जाया जाता है। तितली चक्रवात के दौरान काफी हद तक इस रणनीति का पालन किया गया था।
- प्रभावित-क्षेत्र में ही आश्रय, इस निकासी प्रक्रिया में मौजूदा घरों और सामुदायिक भवनों की किलेबंदी करना शामिल हैं। इस प्रक्रिया में भी वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता होती है।

क्या भारत में निकासी प्रभावी होती है?

सरकार के मुताबिक तितली चक्रवात के दौरान करीब 3 लाख लोगों को सफलतापूर्वक निकाला गया था। हालाँकि बिट्स पिलानी के एक शोधकर्त्ता के अनुसार, आपदा प्रबंधन की सफलता के रूप में व्यापकता से इस्तेमाल किये गए मानक, जैसे कि 'कुल निकासी', भ्रामक हैं। तितली, फैलिन और हुदहुद चक्रवातों के दौरान ज़्यादातर ज़िंदगियाँ इसलिये बच गईं क्योंकि 1999 के सुपरसाइक्लोन की तरह इनमें खतरनाक लहरें नहीं थीं।

नोट :

प्रथम हाइपरलूप पैसेंजर कैप्सूल का अनावरण

संदर्भ

हाल ही में दुनिया के सबसे पहले हाइपरलूप पैसेंजर कैप्सूल का अनावरण स्पेन में किया गया। वाणिज्यिक ट्रैक पर इस्तेमाल करने से पहले 105 फीट लंबी और 5 टन वजनी कैप्सूल को अतिरिक्त असेंबली के लिये फ्राँस के टूलूज़ ले जाया जाएगा।

महत्त्वपूर्ण बिंदु

- कैलिफोर्निया स्थित स्टार्ट अप, जिसे हाइपरलूप-टीटी के नाम से भी जाना जाता है, ने इस कैप्सूल का निर्माण किया है।
- क्विंटरो नामक इस कैप्सूल को पूरी तरह कम्पोज़िट मैटेरियल से बनाया गया है।
- हाइपरलूप-टीटी ने चीन के दक्षिण-पश्चिम प्रांत के पहाड़ी क्षेत्र में परीक्षण प्रणाली बनाने के लिये एक संयुक्त उद्यम की स्थापना की थी।
- लॉस एंजिल्स क्षेत्र एक हाइपरलूप केंद्र के रूप में उभर रहा है।

हाइपरलूप क्या है?

- वर्तमान में कई कंपनियों द्वारा विकसित किया जा रहा हाइपरलूप ज़मीनी यातायात का एक नया रूप है।
- इसमें कम दबाव वाले ट्यूबों के भीतर हवा में तैरती हुई बोगी में 700 मील प्रति घंटे की रफ़्तार से यात्रा करने वाले यात्रियों को देखा जा सकेगा।
- इस विचार की कल्पना सबसे पहले स्पेस एक्स के इलोन मस्क द्वारा की गई थी।
- इसे 'यातायात के पाँचवें माध्यम' के रूप में जाना जाता है।
- इसकी न केवल तीव्र गति होगी बल्कि यह शून्य-उत्सर्जन के साथ-साथ पर्यावरण के अनुकूल भी होगा।
- इस तकनीक के लिये कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी और खराब मौसम के साथ-साथ टक्कर से बचने के लिये इसमें प्रतिरक्षा प्रणाली भी होगी।
- इसे कॉनकॉर्ड, रेल गन तथा एयर हॉकी टेबल के मिश्रण के रूप में माना जाता है।
- हाइपरलूप चुंबकीय ढंग से हवा में तैरते हुए बहुत तीव्र गति से संचालित होता है।
- ये कैप्सूल यात्रियों को ट्यूब या सुरंगों के माध्यम से ले जाते हैं, जिनमें से अधिकांश वायु को घर्षण कम करने के लिये हटा दिया जाता है। वायु को हटाने की वज़ह से सुरंग का दबाव कम हो जाता है।
- कम हो चुका यह दबाव कैप्सूल को तीव्र गति प्रदान करता है।
- अरबपति रिचर्ड ब्रैनसन के वर्जिन हाइपरलूप वन ने इस तकनीक पर भारत में भी चर्चा की, जिसका लक्ष्य भविष्य में तकनीकी की सहायता से स्थानीय एयरलाइंस की तुलना में सस्ती कीमतों पर यात्रा की पेशकश करना है।
- ब्रैनसन ने व्यापक हाइपरलूप ढाँचे के लिये मुंबई में एक प्रारंभिक समझौते पर हस्ताक्षर किये थे जिसका लक्ष्य मुंबई-पुणे प्रणाली को विकसित करना है।
- यदि यह सफल हो जाता है तो मुंबई से पुणे के बीच यात्रा के समय को कम कर देगा और लगभग तीन घंटे बचाएगा।

कृत्रिम चंद्रमा लॉन्च करेगा चीन

संदर्भ

स्ट्रीट लाइट्स को हटाने और देश के शहरी क्षेत्रों में बिजली की लागत को कम करने के लिये चीन वर्ष 2020 तक अपना 'कृत्रिम चंद्रमा' लॉन्च करने की योजना बना रहा है। ये उपग्रह दक्षिण-पश्चिम सिचुआन प्रांत के चेंगदू शहर में विकसित किये जा रहे हैं।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- ये उपग्रह वास्तविक चंद्रमा के प्रकाश से प्रदीप्त होंगे लेकिन इनका प्रकाश वास्तविक चंद्रमा के प्रकाश का आठ गुना होगा।
- उपग्रह के साथ तीन बड़े कृत्रिम दर्पण भेजे जाएंगे।
- जहाँ वास्तविक चंद्रमा 380,000 किमी. की ऊँचाई पर पृथ्वी की परिक्रमा करता है वहीँ कृत्रिम चंद्रमा पृथ्वी से 500 किमी. की ऊँचाई पर चक्कर लगाएगा।
- यदि पहला प्रयोग सफल होता है तो वर्ष 2022 तक इस तरह के तीन और कृत्रिम चंद्रमा लॉन्च किये जाएंगे।
- कृत्रिम चंद्रमा के परिणामस्वरूप चेंगदू शहर में सालाना 1.2 बिलियन युआन (173 मिलियन डॉलर) बिजली लागत की बचत होगी।
- चीन का मानना है कि इस कृत्रिम चंद्रमा के ज़रिये 50 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को प्रकाशित किया जा सकता है।
- यह पहली बार नहीं है जब कृत्रिम चंद्रमा लॉन्च करने की योजना बनाई गई है इससे पहले रूस और अमेरिका भी इस तरह की योजनाओं पर कार्य कर चुके हैं।

नासा ने हल्क, गॉडजिला पर रखे गामा किरण पुंजों के नाम

चर्चा में क्यों?

अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के वैज्ञानिकों ने 21 गामा किरण पुंजों के सेट को नया नाम दिया है। इनके नाम हल्क और गॉडजिला जैसे काल्पनिक फिल्मी किरदारों पर रखे गए हैं। वैज्ञानिकों ने फर्मी गामा-रे स्पेस टेलीस्कोप मिशन के दस साल पूरे होने के मौके पर यह नामकरण किया है।

प्रमुख बिंदु

- गामा किरणें अंतरिक्ष में होने वाली घटनाओं, जैसे- तारों के विस्फोट, ब्लैक होल आदि से उत्सर्जित होती हैं।
- 2015 तक फर्मी ने गामा किरणों के करीब तीन हज़ार स्रोतों का पता लगा लिया था। खोजे गए स्रोतों की संख्या अंतरिक्ष में मौजूद चमकीले तारों की संख्या के बराबर होने का अनुमान है। इसलिये वैज्ञानिकों ने इन किरणों के समूह तैयार किये।
- वैज्ञानिकों द्वारा तारों के समूह के आकार को ध्यान में रखकर उन्हें नाम दिया जाता रहा है।
- इसी तर्ज पर वैज्ञानिकों ने गामा किरण पुंजों का भी नामकरण किया। इनके नाम लिटिल प्रिंस, हॉलीवुड फिल्म 'डॉक्टर हू' में दिखाई गई जादुई आलमारी 'टार्डिस', गॉडजिला, हल्क और स्टार ट्रेक: द ओरिजनल सीरीजज़के यूएसएस एंटरप्राइज के नाम पर रखे गए हैं।

फर्मी के टेलीस्कोप से मदद

- फर्मी का लार्ज एरिया टेलीस्कोप (Fermi's Large Area Telescope-LAT) जुलाई, 2008 से अंतरिक्ष में मौजूद सबसे उच्च ऊर्जा वाली किरण 'गामा-रे' के स्रोतों की खोज कर रहा है।
- उत्सर्जन पल्सर, नोवा विस्फोट, सुपरनोवा विस्फोटों के मलबे और हमारी आकाशगंगा में स्थित विशाल गामा-रे से हो सकता है या विस्फोट सुपरमैसिव ब्लैक होल और गामा-रे बुलबुले से हो सकता है जो ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली विस्फोट होता है।
- 2015 तक फर्मी के एलएटी द्वारा प्रतिचित्रित विभिन्न स्रोतों की संख्या मिशन से पहले ज्ञात संख्या से 3,000 यानी 10 गुना तक बढ़ी है।
- पहली बार ज्ञात गामा-रे स्रोतों की संख्या उज्वल सितारों की संख्या के बराबर थी, इसलिये किरण पुंजों के एक नए सेट को समझने के लिये इस शानदार तरीके का इस्तेमाल किया गया।

वेब आधारित इंटरैक्टिव

- नासा ने आधुनिक मिथकों से कुछ पात्रों और आइकन के नाम पर गामा किरण पुंजों का नाम चुना, जैसे- द लिटिल प्रिंस, 'डॉक्टर हू' से द टाइम-वार्पिंग TARDIS, गोडजिला तथा उसकी गर्म किरणें, 'स्टार ट्रेक' से चालित एंटीमैटर यूएसएस एंटरप्राइज़ : द ओरिजिनल सीरीज़ तथा द हल्क जो कि दिलचस्प रूप से गामा-रे प्रयोग के उत्पाद हैं।
- 21 गामा किरण पुंजों के रूप में प्रसिद्ध स्थलों में शामिल हैं - स्वीडन की युद्धपोत, वासा, वाशिंगटन स्मारक और जापान में माउंट फुजी।

नोट :

फर्मी गामा-रे स्पेस टेलीस्कोप के बारे में प्रमुख तथ्य

- फर्मी गामा-रे स्पेस टेलीस्कोप ब्रह्मांड में विकिरण के सबसे शक्तिशाली स्रोतों का अध्ययन करने वाला नासा का अंतरिक्ष यान है।
- गामा किरणों में दिखाई देने वाली प्रकाश की ऊर्जा 1 अरब गुना अधिक होती है और इतनी मज़बूत होती है कि यदि पृथ्वी का वायुमंडल रक्षा नहीं करे तो वह मनुष्यों को नुकसान पहुँचा सकती है।
- चूँकि गामा किरणें वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर सकती हैं, इसलिये वैज्ञानिक अंतरिक्ष में उपग्रहों का उपयोग करके इनका अध्ययन करते हैं।
- गामा किरणें वैज्ञानिक अनुसंधान के लिये महत्त्वपूर्ण हैं क्योंकि वे हमें ब्रह्मांड में उच्च ऊर्जा वाले वातावरण के बारे में बता सकती हैं।
- ज्ञात गामा किरणों के स्रोतों में से आधे से अधिक रहस्यमय हैं और वैज्ञानिकों को पता नहीं है कि गामा किरणें उन स्रोतों से क्यों निकलती हैं।
- वैज्ञानिकों ने उन वस्तुओं की तस्वीरें लेने के लिये फर्मी टेलीस्कोप से पृथ्वी पर भेजी गई जानकारी का उपयोग किया है जो गामा किरणों के स्रोतों की खोज में मदद कर सकती है।
- शुरुआत में फर्मी का नाम GLAST-Gamma-Ray Large Area Space Telescope था किंतु बाद में इसे वैज्ञानिक एनरिको फर्मी के नाम पर रखा गया।
- एनरिको फर्मी ने उच्च ऊर्जा भौतिकी का अध्ययन करने के लिये गामा किरणों का इस्तेमाल किया और उनके नाम का यह टेलीस्कोप नासा को उनके सिद्धांतों को बेहतर ढंग से समझने में मदद कर रहा है।
- फर्मी सुपरमैसिव ब्लैक होल की खोज कर रहा है और साथ ही नए व अत्यधिक घनत्व के तारे (pulsars) की खोज भी कर रहा है।

कृत्रिम रक्त वाहिकाओं हेतु 3D बायोप्रिंटिंग

चर्चा में क्यों?

हाल ही में वैज्ञानिकों ने एक 3डी प्रिंटिंग तकनीक विकसित की है जो रक्त वाहिकाओं की जटिल ज्यामिति को फिर से बना सकती है। संभवत: निकट भविष्य में इसका उपयोग कृत्रिम धमनियों तथा अंगों के ऊतकों (organ tissues) के निर्माण में किया जा सकता है।

महत्त्वपूर्ण बिंदु

- 3डी बायोप्रिंटिंग का उद्देश्य, 3डी संरचनाओं में ऐसा स्वतंत्र यांत्रिक गुण जोड़ना था जो शरीर के प्राकृतिक ऊतक की नकल कर सकता हो। यह तकनीक ऐसे सूक्ष्म संरचनाओं के निर्माण की सुविधा प्रदान करती है जिनका इस्तेमाल विभिन्न बीमारियों के उपचार में किया जा सकता है।
- स्वस्थ कोशिका की भाँति काम करने वाली संरचनाओं के निर्माण की दिशा में यह एक उत्साहजनक कदम है।
- प्रदर्शन के तौर पर शोधकर्त्ताओं ने एक चीनी योद्धा की छोटी-सी मूर्ति को मुद्रित किया। मुद्रित करते समय ऐसी तकनीक का उपयोग किया गया जिससे बाहरी परतें ठोस, जबकि आतंरिक परतें नरम रहें।
- शोधकर्त्ता आशावान हैं कि भविष्य में किये जाने वाले अध्ययन इसकी क्षमताओं को और भी बेहतर बनाने में मददगार होंगे। ऐसे अध्ययनों के निष्कर्ष उच्च रक्तचाप और वाहिका संबंधी रोगों से पीड़ित लोगों के उपचार के लिये बेहतर साबित हो सकते हैं।

रक्त वाहिका

- रक्त वाहिका, मानव या पशु शरीर में एक ऐसी वाहिका होती है जिसमें रक्त संचारित होता है। शरीर में रक्त के परिसंचरण तंत्र का मुख्य घटक रक्त वाहिकाएँ ही होती हैं। मानव शरीर में तीन प्रकार की रक्त वाहिकाएँ होती हैं-
  1. धमनी (Artery)
  2. शिरा (Vein)
  3. केशिका (Capillary)

3डी प्रिंटिंग क्या है ?

- 3डी प्रिंटिंग या एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग (additive manufacturing) एक विनिर्माण प्रक्रिया है जिसके द्वारा त्रि-विमीय (3डी) ठोस वस्तुएँ बनाई जाती हैं।
- कार और विमान निर्माता अपने उत्पादन का स्वरूप बदलने के लिये प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए 3डी विनिर्माण में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं।
- उदाहरणत: बोइंग द्वारा अपने 787 ड्रीमलाइनर एयरलाइनर के निर्माण में 3डी प्रिंटर द्वारा मुद्रित टाइटेनियम के पार्ट्स का उपयोग किया जाना। अमेरिकी और इज़राइली वायु सेनाएँ पहले से ही स्पेयर पार्ट्स आदि के निर्माण के लिये 3डी प्रिंटर का उपयोग कर रही हैं।
- चिकित्सा विज्ञान में प्रत्यारोपण को अनुकूलित करने के लिये 3 डी प्रिंटिंग का उपयोग किया जा रहा है और यह तकनीक जल्द ही दंत चिकित्सा में क्रांतिकारी बदलाव ला सकती है। भविष्य में 3 डी प्रिंटिंग तकनीकों का उपयोग करके शरीर के अंगों का निर्माण किया जा सकेगा।

अतिसूक्ष्म रोबोट बीमारियों का पता लगाएँगे

संदर्भ

हाल ही में मैसेचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ़ टेक्नोलॉजी (MIT) के वैज्ञानिकों ने अतिसूक्ष्म रोबोट विकसित किया है जिसका उपयोग आयल या गैस पाइपलाइन की निगरानी अथवा मानव शरीर में रोग के निदान में किया जा सकता है। गौरतलब है कि इस रोबोट का आकार लगभग 10 माइक्रोमीटर है।

विनिर्माण

- वैज्ञानिकों ने उस तरीके की भी खोज कर ली है जिसकी सहायता से ऐसे रोबोटों का बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जा सकता है।
- इस अतिसूक्ष्म रोबोटों का नाम 'syncells' (Synthetic Cells का सूक्ष्म रूप) रखा गया है।
- वैज्ञानिकों ने इस अतिसूक्ष्म रोबोट की बाहरी संरचना के निर्माण में कार्बन तथा ग्राफीन के द्वि-विमीय प्रारूप का उपयोग किया है।
- मैसेचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ़ टेक्नोलॉजी (MIT) के एक प्रोफेसर के अनुसार, यह रोबोट किसी जीवित जैविक कोशिका की तरह ही व्यवहार करता है।
- बड़ी मात्रा में ऐसे छोटे रोबोटों को बनाने का आधार परमाणु की तरह पतले, भंगुर सामग्री का प्राकृतिक रूप से टूटने (natural fracturing) की प्रक्रिया को नियंत्रित करने में निहित है।
- वैज्ञानिक 'स्वत: छिद्रण' के माध्यम से 'फ्रैक्चर लाइनों' को सीधे निर्देशित करते हैं ताकि वे अनुमानित आकार और आकृति के कम-से-कम पॉकेट उत्पन्न कर सकें।
- इन पॉकेट्स के अंदर ऐसे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट और सामग्रियों के साथ रोबोट जुड़े होते हैं जो आँकड़ों को एकत्रित तथा संगृहीत कर सकते हैं।

संभावित अनुप्रयोग और महत्त्व

- ये रोबोट आयल और गैस पाइपलाइन के अंदर की स्थिति की निगरानी करने तथा रक्त के साथ प्रवाहित होते हुए मानव शरीर में रोगों का निदान करने में सक्षम हैं।
- इन रोबोटों के उत्पादन की प्रक्रिया का इस्तेमाल कई अन्य क्षेत्रों में भी हो सकता है।
- यह बिना किसी बाह्य शक्ति के आँकड़ों को संगृहीत करने में सक्षम है।

पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी

बर्फीले आर्कटिक में नया समुद्री मार्ग

चर्चा में क्यों?

विश्व के सबसे बड़े कंटेनर शिपिंग समूह एपी मॉलर-मैर्स्क (AP Moller-Maersk) के जहाज़ ने रूसी आर्कटिक से होते हुए परीक्षण यात्रा सफलता पूर्वक पूरी कर ली है।

- यह जहाज़ 22 अगस्त को उत्तरी प्रशांत महासागर में रूस के व्लादिवोस्तोक से निकलकर फिनलैंड की खाड़ी स्थित सेंट पीटर्सबर्ग पहुँच गया।
- यह समुद्री मार्ग एशिया और यूरोप के बीच नया समुद्री राजमार्ग बन सकता है।
- यह मार्ग (रूस की उत्तरी सीमा से होकर) पूर्वी एशिया और पश्चिमी यूरोप (वर्तमान में मलक्का स्ट्रेट, हिंद महासागर, एडन की खाड़ी और सुएज़ नहर से होकर जाने वाला) के बीच की दूरी को 21,000 किलोमीटर से घटाकर 12,800 किलोमीटर करता है। इस नए मार्ग से यात्रा करने में मात्र 10-15 दिनों का समय लगेगा।

गायब होती आर्कटिक बर्फ

- वर्षों से पिघल रही समुद्री बर्फ ने इस मार्ग को जहाज़ों के लिये खोल दिया है।
- माप से पता चलता है कि 1980 के दशक के बाद से आर्कटिक महासागर को ढकने वाली समुद्री बर्फ का विस्तार साल-दर-साल घटता गया।
- जलवायु परिवर्तन के परिणामस्वरूप आर्कटिक के कुछ हिस्सों में वार्मिंग बहुत तेज़ गति से होती है। वर्षों से जमी हुई बर्फ तथा उसकी मोटी परत का गायब होना इसका सबूत है।

नया नौ-परिवहन मार्ग

- समुद्र के तापमान में वृद्धि होने के कारण यह कल्पना की जा सकती है कि इस शताब्दी के मध्य तक जहाज़ रूस के उत्तर से निकलकर उत्तरी ध्रुव होते हुए सीधे कनाडा के उत्तरी भाग तक जाने में सक्षम होंगे।
- अगले दशक में इस क्षेत्र में नौ-परिवहन गतिविधि में उल्लेखनीय वृद्धि होने की संभावना है, क्योंकि रूस द्वारा साइबेरिया में तेल तथा गैस से जुड़े क्षेत्रों को विकसित किये जाने की संभावना है।

आर्कटिक मार्ग से संबद्ध मुद्दे

लागत : उच्च लागत तथा आर्कटिक बर्फ की बदलती परिस्थिति संचालकों को हतोत्साहित कर सकती है। इन परिस्थितियों से निपटने के लिये सख्त मानदंडों का पालन करना पड़ सकता है।

सुरक्षा : वर्द्धित बीमा लागत तथा सुरक्षा के प्रति सज़गता जैसी अन्य चिंताओं का भी ध्यान रखना होगा।

पर्यावरण

- जहाज़ों द्वारा उत्पन्न शोर तथा प्रदूषण, पर्यावरण के साथ-साथ समुद्री दुनिया के अन्य हिस्सों में समुद्री जीवन को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है।

The Vision

नोट :

नदी प्रदूषण समाप्ति योजना

चर्चा में क्यों ?

राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (National River Conservation Plan- NCRP) के माध्यम से विभिन्न नदियों के चिन्हित भागों में प्रदूषण समाप्त करने के राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता प्रदान करने हेतु पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने जम्मू-कश्मीर के उधमपुर में देविका तथा तवी नदियों के प्रदूषण को समाप्त करने के लिये एक परियोजना को स्वीकृति दे दी है।

परियोजना के तहत किये जाने वाले प्रमुख कार्य

- परियोजना के अंतर्गत 129.27 किलोमीटर लंबी सीवर लाइन बिछाई जाएगी जो उधमपुर शहर से गंदे जल की निकासी सुनिश्चित करेगी।
- गंदे जल की निकासी के लिये 3 पंपिंग स्टेशन स्थापित किये जाएंगे और गंदे पानी की सफाई करने वाले तीन संयंत्र लगाए जाएंगे जिनकी दैनिक क्षमता 13.60 मिलियन लीटर होगी।
- इस परियोजना के अंतर्गत गैर-सीवर कार्यों को भी कवर किया जाएगा तथा तीन घाटों पर रिवर फ्रंट विकसित किये जाएंगे जिनकी लंबाई लगभग 340 मीटर होगी। इसमें धार्मिक त्योहारों/ उत्सवों के अवसर पर भारी भीड़ वाला मेला घाट शामिल है।
- शवदाह में लकड़ी की खपत कम करने के लिये दो उन्नत शवदाह गृह बनाए जाएंगे और राख निष्पादन की व्यवस्था की जाएगी।

परियोजना की अवधि

- यह परियोजना मार्च, 2021 तक पूरी की जाएगी और इसे शहरी इंजीनियरिंग तथा पर्यावरण विभाग (Urban Engineering and Environment Department -UEED) द्वारा लागू किया जाएगा।

परियोजना से होने वाले लाभ

- परियोजना पूरी होने से दोनों नदियों के प्रदूषण बोझ में कमी का प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा और पानी की गुणवत्ता में सुधार होगा।
- शहर में गंदे पानी की निकासी की व्यवस्था होने और गंदे पानी की सफाई करने से उधमपुर शहर के सौंदर्य और स्वच्छता परिस्थितियों में सुधार होगा।

परियोजना के लिये स्वीकृत राशि

- परियोजना हेतु कुल स्वीकृत राशि 186.74 करोड़ रुपए है और यह राशि 90:10 लागत आधार पर भारत सरकार और जम्मू-कश्मीर सरकार वहन करेगी।
- परियोजना में केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 166.86 करोड़ रुपए की होगी और राज्य सरकार की हिस्सेदारी 18.08 करोड़ रुपए होगी।

उधमपुर की नदियों में प्रदूषण का का कारण

- उधमपुर की देविका और तवी नदियों में प्रदूषण का प्रमुख कारण इन नदियों में गंदे पानी का गिरना है।
- उल्लेखनीय है कि उधमपुर में अभी तक न तो कोई सीवर प्रणाली है और न ही गंदे पानी के शोधन के लिये कोई संयंत्र है।

टाइप- 2 पोलियो वायरस दूषण की जाँच शुरू

चर्चा में क्यों

हाल ही में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और तेलंगाना में टीकाकरण के लिये इस्तेमाल की जाने वाली शीशियों में पाए गए टाइप- 2 पोलियो वायरस दूषण की जाँच का आदेश दिया है।

- विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने अपने नियमित निगरानी के दौरान मल के कुछ नमूनों में यह वायरस पाया। हालाँकि WHO ने यह भी सुनिश्चित किया कि पाए गए मामले अब तक पोलियोमेलाइटिस (पोलियो) के रूप में विकसित नहीं हुए हैं। फिर भी, सरकार ने उपरोक्त तीनों राज्यों में सावधानी के तहत अतिरिक्त टीकाकरण का आदेश दे दिया है।

- पाए गए वायरस क्षीण (कमज़ोर) पोलियो वायरस हैं तथा ये पक्षाघात का कारण नहीं बनते हैं।
- ये वायरस 4-6 सप्ताह में नष्ट हो जाते हैं और मल के माध्यम से निकल जाते हैं।

पृष्ठभूमि

- वैश्विक स्तर पर टाइप- 2 पोलियो वायरस का अंतिम मामला 1999 में भारत के अलीगढ़ में दर्ज किया गया था।
- 2014 में भारत को पोलियो मुक्त घोषित किया गया था तथा अंतिम मामला जनवरी 2011 में दर्ज किया गया था।
- टाइप- 2 पोलियो वायरस के वैश्विक उन्मूलन के प्रमाणीकरण के बाद भारत ने ट्राईवैलेंट वैक्सीन (tOPV) से बाईवैलेंट वैक्सीन (bOPV) पर स्विच कर लिया था। पोलियो वैक्सीन से टाइप- 2 घटक को निकालने का उद्देश्य टीका-व्युत्पन्न पोलियो वायरस टाइप- 2 के प्रकोप को कम करना था।
- ओरल पोलियो वैक्सीन (OPV) में एक कमज़ोर लेकिन जीवित पोलियो वायरस होता है जो लकवा संबंधी पोलियो का कारण बन सकता है। इसके अलावा, यह वैक्सीन वायरस से प्रतिरक्षित बच्चों द्वारा उत्सर्जित किया जाता है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में स्थानांतरित हो सकता है। OPV विषाणु को अधिक विषाक्त रूप में परिवर्तित होने के लिये अनुकूल वातावरण प्रदान करता है, जिससे टीका-व्युत्पन्न पोलियो वायरस (VDPV) का खतरा बढ़ जाता है। आयातित पोलियो की तरह यह खतरनाक VDPV प्रतिरक्षा से वंचित आबादी में प्रकोप को बढ़ा सकता है।
- हाल ही में भारत ने 2018 के लिये पल्स पोलियो प्रोग्राम भी लॉन्च किया था ताकि 28 जनवरी को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस पर 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिये ओरल पोलियो वैक्सीन (ओपीवी) का बंदोबस्त किया जा सके।

पोलियो

- पोलियो या 'पोलियोमेलाइटिस' या जिसे अक्सर बहुतृषा भी कहा जाता है, एक विषाणु-जनित बेहद खतरनाक संक्रामक रोग है। यह आमतौर पर किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमित मल या भोजन के माध्यम से फैलता है।
- शुरुआती लक्षण : अधिकांश मामलों में रोगी को इसके लक्षणों का पता नहीं चल पाता है। इसके लक्षण इस प्रकार हैं- फ्लू जैसा लक्षण, पेट का दर्द, अतिसार (डायरिया), उल्टी, गले में दर्द, हल्का बुखार, सिर दर्द।
- खतरनाक पोलियो वायरस के 3 उपभेदों (टाइप- 1, टाइप- 2 और टाइप- 3) में से पोलियो वायरस टाइप- 2 को 1999 में खत्म कर दिया गया था। नवंबर 2012 में नाइजीरिया में दर्ज आखिरी मामले के बाद पोलियो वायरस टाइप- 3 का कोई मामला नहीं मिला है।

मृदा में नमी का पूर्वानुमान पहली बार

चर्चा में क्यों?

हाल ही में आईआईटी गांधीनगर तथा भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने सात और तीस दिनों के अंतराल पर देशव्यापी 'मृदा नमी पूर्वानुमान' की सुविधा पहली बार पेश की है। इस संयुक्त सहयोग में मृदा के अंदर नमी की मात्रा का पूर्वानुमान लगाने के लिये भूमि सतह मॉडल का उपयोग किया गया है।

- यह उत्पाद, जिसे 'प्रायोगिक पूर्वानुमान भूमि सतह उत्पाद' कहा जाता है, IMD की वेबसाइट पर उपलब्ध है तथा इसे हाइड्रोलॉजिकल मॉडल का उपयोग करके विकसित किया गया है जो अन्य मानकों के बीच मृदा, वनस्पति, भूमि उपयोग और भूमि आवरण को ध्यान में रखता है।
- भारत अपने हाई-रिज़ोलूशन मृदा डेटाबेस पर काम कर रहा है जो मृदा के मानकों के लिये आवश्यक है। हालाँकि, यह डेटाबेस वर्तमान में पूरे देश के लिये उपलब्ध नहीं है।

भूमि सतह मॉडल

- इसमें भूमि सतह और वायुमंडल के बीच पारस्परिक एवं जटिल क्रियाएँ (बायोफिजिकल, हाइड्रोलॉजिकल, और बायोजियोकेमिकल) शामिल हैं।

नोट :

- इसका अंतिम लक्ष्य क्षेत्रीय मौसम, जलवायु तथा जल विज्ञान पर भूमि सतह प्रक्रियाओं के प्रभावों की भविष्यवाणी में सुधार लाने के लिये इस तरह के ज्ञान को एकीकृत करना है।

इस प्रथा की महत्ता

- मृदा की नमी कृषि के लिये महत्त्वपूर्ण होती है क्योंकि यह सीधे फसल की वृद्धि तथा क्षेत्र विशेष के लिये आवश्यक सिंचाई की मात्रा को प्रभावित करती है।
- उचित समय पर मृदा की नमी का पूर्वानुमान कृषि में बेहतर योजना के लिये बीज के किस्मों के संदर्भ में लक्ष्य तक पहुँचने में मदद करेगा।
- रबी की फसल के लिये मृदा की नमी का पूर्वानुमान महत्त्वपूर्ण हो जाता है। आधिकारिक आँकड़ों के अनुसार, रबी फसलों के तहत बोया जाने वाला कुल क्षेत्रफल 625 लाख हेक्टेयर है जिसमें गेहूँ की खेती 300 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल पर होती है।
- अनिवार्य रूप से मृदा की नमी हमें देश के विभिन्न हिस्सों में फसल की वृद्धि के लिये आवश्यक घटकों के बारे में अधिक जानकारी देती है।

शेरों के लिये वैक्सीन हेतु ICMR की सिफारिश

चर्चा में क्यों?

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) ने पुष्टि की है कि गुजरात के गिर अभयारण्य में शेरों की मौतों के लिये कैनाइन डिस्टेंपर वायरस (CDV) ज़िम्मेदार है। साथ ही परिषद ने इस वायरस के प्रकोप से शेरों को बचाने के लिये टीकाकरण की सिफारिश भी की है।

- यह टीकाकरण वन्यजीव जीवविज्ञानियों द्वारा की गई सिफारिशों के खिलाफ है जिसके अनुसार वन्यजीवों का टीकाकरण नहीं किया जाना चाहिये क्योंकि यह प्रतिरक्षा प्रणाली को कमज़ोर कर सकता है।
- प्रयोगशाला में किये गए परीक्षणों के मुताबिक, 23 में से 4 शेर कैनाइन डिस्टेंपर वायरस (CDV) से संक्रमित थे, जबकि 10 अन्य शेर बबेसिया प्रोटोजोवा से संक्रमित थे। यह संक्रमण चिचड़ी (Tick) परजीवी द्वारा फैलाया गया था।
- टीकाकरण के अलावा, ICMR ने शेरों को दो से तीन अलग-अलग अभयारण्यों में रखने की सिफारिश भी की है।
- CDV तथा संभावित महामारी के बीच यह भयावह संबंध 1994 से ही संज्ञान में है। 1994 में पूर्वी अफ्रीका के सेरेंगेती-मारा पारिस्थितिकी तंत्र (तंजानिया) में शेरों की लगभग एक-तिहाई आबादी की मौत हो गई। तंजानिया जैसे हालात आज गुजरात में पैदा हो चुके हैं।

शेरों के पुनर्वास की समस्या

- गुजरात सरकार द्वारा 2015 में की गई शेरों की गणना के अनुसार, गुजरात 523 शेरों का आवास था। यह संख्या 2010 की गणना की तुलना में 27% अधिक है।
- शेरों की बढ़ती आबादी संरक्षित क्षेत्र के बाहर भी फैलने लगी है। अनुमान के मुताबिक लगभग एक-तिहाई आबादी संरक्षित क्षेत्र के बाहर ही रहती है तथा यह जीवाणुओं के लिये सुभेद्य है।
- विशेषज्ञों का कहना है कि अभयारण्य क्षेत्र के अंदर बड़े जानवरों की कमी तथा घरेलू मवेशियों पर बढ़ती निर्भरता भी CDV के प्रसार की कुछ वज़हें हैं।

कैनाइन डिस्टेंपर वायरस (CDV)

- कैनाइन डिस्टेंपर वायरस मुख्य रूप से कुत्तों में श्वसन, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, श्वसन तथा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के साथ-साथ आँखों में गंभीर संक्रमण का कारण बनता है।
- CDV भेड़िये, लोमड़ी, रेकून, लाल पांडा, फेरेट, हाइना, बाघ और शेरों जैसे जंगली माँसाहारियों को भी प्रभावित कर सकता है।
- भारत के वन्यजीवन में इस वायरस का प्रसार तथा इसकी विविधता का पर्याप्त रूप से अध्ययन नहीं किया गया है।
- शेर एक बार में पूरे शिकार को नहीं खाते हैं। कुत्ते उस शिकार का उपभोग करते हुए उसे CDV से संक्रमित कर देते हैं। शेर अपने शिकार को खत्म करने के लिये वापस लौटता है और इस घातक बीमारी की चपेट में आ जाता है।

कानूनी संघर्ष

- इससे पहले सितंबर 2011 में, पशु रोग अनुसंधान और निदान (CADRAD), बेंगलुरु तथा भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान (IVRI), उत्तराखंड ने गिर अभयारण्य में 2007 में मृत शेर के शव से लिये गए ऊतकों का विश्लेषण किया था। इसमें उन्हें अत्यधिक संक्रामक पेस्ट डेस पेटिट्स रमिनेंट्स वायरस (peste des petits ruminants virus- PPRV) की उपस्थिति मिली, जिसके संक्रमण से होने वाली मृत्यु की दर 80-100% तक होती है।
- 1990 में वन्यजीव संस्थान (WWI) ने गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान में संभावित आपदाओं से प्रजातियों की रक्षा के लिये एशियाई शेरों की दूसरी जगह बसाने का प्रस्ताव दिया था। इसने गुजरात से मध्य प्रदेश के कूनो पालपुर अभयारण्य में लगभग 40 शेरों को स्थानांतरित करने का पक्ष लिया था। हालाँकि गुजरात ने ऐसा करने से मना कर दिया।

2013 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि बीमारी या किसी अन्य आपदा से शेरों की पूरी आबादी के खात्मे की संभावना से बचने के लिये गुजरात को कुछ शेर पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में स्थानांतरित करने की ज़रूरत है।

अग्नि प्रबंधन को मज़बूत बनाने पर रिपोर्ट

चर्चा में क्यों?

केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने भारत में वन अग्नि प्रबंधन को मज़बूत बनाने के विषय पर एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में सुझाई गई सिफारिशों को कारगर ढंग से लागू किये जाने पर बल दिया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सिफारिशों के लागू होने पर वनों में आग लगने की घटनाओं में कमी आएगी।

प्रमुख बिंदु

- भारत में वन अग्नि प्रबंधन को सुदृढ़ बनाने से संबंधित रिपोर्ट को संयुक्त रूप से पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) और विश्व बैंक द्वारा तैयार किया गया है तथा इसे केंद्रीय मंत्री हर्षवर्द्धन द्वारा जारी किया।
- पर्यावरण मंत्रालय ने सुझाव दिया है कि वनों में आग की घटनाओं पर काबू पाने में विज्ञान और प्रद्योगिकी मंत्रालय को भी शामिल किया जाना चाहिये।
- मंत्रालय के मुताबिक, अध्ययन रिपोर्ट की सिफारिशें तभी प्रभावी होंगी जब आगे सक्रिय और आक्रामक रणनीति अपनाई जाए।
- वनों में आग लगने से कार्बन डाइआक्साइड का उत्सर्जन होता है, परिणामस्वरूप भूमंडलीय ताप में वृद्धि होती है।
- यह रिपोर्ट उचित समय पर आई है तथा पेरिस समझौते के अंतर्गत तय राष्ट्रीय निर्धारित योगदान (Nationally Determined Contribution-NDC) के अंतर्गत परिभाषित भारत के लक्ष्यों को पूरा करने के प्रधानमंत्री के विज़न से निर्देशित है।
- इस अवसर पर भारत के लिये कंट्री डाइरेक्टर (विश्व बैंक) डॉ. जुनैद कमाल अहमद ने कहा कि दावानल अनेक देशों के लिये चुनौती है और इससे प्रत्यक्ष रूप से वन उत्पादों पर निर्भर लोगों के जान-माल का नुकसान होता है।

वनों की आग से भारत में 1,100 करोड़ रुपए का सालाना नुकसान

- रिपोर्ट के मुताबिक, चार लोगों में से कम-से-कम एक व्यक्ति अपनी आजीविका के लिये वनों पर निर्भर होता है तथा भारत में हर साल वनों की आग के कारण कम-से-कम 1,100 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है।
- हर साल देश के 647 ज़िलों के लगभग आधे हिस्से के वनों में आग लगती है।
- हालाँकि, लघु अनुक्रम में बार-बार आग लगने के कारण प्राकृतिक पुनर्जन्म को नुकसान पहुँचता है और इससे प्रजातियों की विविधता कम हो रही है। वहीं दूसरी तरफ, वन कवर क्षेत्रों में रहने वाली भारत की 92 मिलियन से अधिक आबादी के लिये खतरा उत्पन्न हुआ है।
- भारत में वनों की आग के पैटर्न और रुझानों का विश्लेषण करते हुए रिपोर्ट में बताया गया है कि मध्य भारत का क्षेत्र आग से सबसे अधिक प्रभावित है।
- उत्तर-पूर्व के बाद भारत में सबसे ज्यादा वन कवर वाले इस क्षेत्र में 2003-2016 के दौरान 56% वनों में आग लगने की घटना हुई इसके बाद दक्षिणी राज्य और उत्तर-पूर्व हैं।

- रिपोर्ट में वनों की आग की रोकथाम के लिये राष्ट्रीय योजना की मांग की गई है।
- रिपोर्ट में बताया गया है कि ग्लोबल वार्मिंग को सीमित करने हेतु राष्ट्रीय निर्धारित योगदान (NDC) को पूरा करने के लिये वनों की आग को रोकने हेतु परिणाम तक पहुँचना महत्त्वपूर्ण है।
- आईपीसीसी की पाँचवीं आकलन रिपोर्ट के अनुसार, वनों की आग वैश्विक स्तर पर हर साल कार्बन उत्सर्जन में 2.5 बिलियन टन से 4.0 बिलियन टन CO_2 का योगदान करती है।
- हालाँकि MoEF ने 2000 में वन अग्नि रोकथाम और प्रबंधन (FFPM) पर राष्ट्रीय दिशा-निर्देश जारी किये थे, लेकिन इन्हें लागू नहीं किया जा सका है।
- रिपोर्ट में राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर (NRSC) के वैज्ञानिकों को भी संदर्भित किया गया, जिन्होंने महत्त्वपूर्ण पारिस्थितिकीय मूल्य वाले वनों को प्रभावित करने वाली आग के साक्ष्य प्राप्त किये।

भारत का पहला राष्ट्रीय पर्यावरण सर्वेक्षण

चर्चा में क्यों?

जनवरी 2019 में 24 राज्यों और तीन केंद्रशासित प्रदेशों के 55 ज़िलों में भारत का पहला राष्ट्रीय पर्यावरण सर्वेक्षण (NES) शुरू किया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- सर्वेक्षण के संपूर्ण ग्रीन डेटा का पहला सेट 2020 से उपलब्ध होगा जो कि ज़िला, राज्य और राष्ट्रीय स्तरों पर निर्णय लेने के लिये नीति निर्माताओं के हाथों में एक महत्त्वपूर्ण उपकरण प्रदान करेगा।
- सर्वेक्षण विभिन्न पर्यावरणीय मानकों जैसे- वायु, जल, मिट्टी की गुणवत्ता, उत्सर्जन सूची, ठोस, खतरनाक तथा ई-अपशिष्ट, वन तथा वन्यजीव, जीव तथा वनस्पति, आर्द्रभूमि, झीलों, नदियों और अन्य जल निकायों पर व्यापक डेटा एकत्र करने के लिये ग्रिड-आधारित दृष्टिकोण के माध्यम से किया जाएगा।
- यह देश भर के सभी ज़िलों की कार्बन प्रच्छादन क्षमता का भी आकलन करेगा।
- NES सभी ज़िलों को उनके पर्यावरण प्रदर्शन पर रैंक प्रदान करेगा और उनकी सर्वोत्तम हरित प्रथाओं को प्रलेखित करेगा।
- जब तक नीति निर्माताओं के पास सभी पर्यावरण मानकों पर सटीक डेटा उपलब्ध नहीं होगा वे उचित निर्णय नहीं ले सकेंगे। देश का पहला पर्यावरण सर्वेक्षण मौजूदा डेटा में अंतर को भर देगा।
- वर्तमान में देश के अधिकांश मानकों पर द्वितीयक डेटा उपलब्ध है। हालाँकि, NES पहली बार सभी हरित भागों पर प्राथमिक डेटा प्रदान करेगा, जिस तरह से राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (NSS) समय-समय पर विभिन्न सामाजिक-आर्थिक डेटा एकत्र करता है।
- डेटा का पहला सेट एक वर्ष में संकलित किया जाएगा क्योंकि हमें वायु प्रदूषण और वनस्पतियों तथा जीवों के मामले में मौसमी चक्रों को कवर करने की आवश्यकता है।
- देश के सभी 716 ज़िलों में तीन से चार साल की अवधि में सर्वेक्षण किये जाने की उम्मीद है। वर्तमान में, सभी 55 ज़िलों में आवश्यक प्रारंभिक कार्य और प्रशिक्षण किया जा रहा है जहाँ अगले वर्ष NES आयोजित किया जाएगा।
- इन 55 ज़िलों में दक्षिण दिल्ली, महाराष्ट्र में पुणे और पालघर, हरियाणा में गुरुग्राम और मेवाट (नुह) शामिल हैं, हिमाचल प्रदेश में कुल्लू, बिहार में नालंदा, झारखंड में धनबाद, गुजरात में जामनगर एवं मेहसाना, राजस्थान में अलवर एवं बाड़मेर, तमिलनाडु में कोयम्बटूर एवं मदुरै, कर्नाटक में शिमोगा तथा तेलंगाना में हैदराबाद शामिल हैं।

नोट :

गंगा नदी के लिये पर्यावरणीय प्रवाह से जुड़ी अधिसूचना

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में केंद्र सरकार ने गंगा नदी के लिये उस न्यूनतम पर्यावरणीय प्रवाह (Environmental Flow or E-Flow) को अधिसूचित किया जिसे इस नदी में विभिन्न स्थानों पर निश्चित तौर पर बनाए रखना है।

पर्यावरणीय प्रवाह और उसके लाभ

- पर्यावरणीय प्रवाह वास्तव में वह स्वीकार्य प्रवाह है जो किसी नदी को अपेक्षित पर्यावरणीय स्थिति अथवा पूर्व निर्धारित स्थिति में बनाए रखने के लिये आवश्यक होता है।
- गंगा नदी के लिये E-Flow की अधिसूचना जारी हो जाने से इसके 'अविरल प्रवाह' को सुनिश्चित करने में काफी मदद मिलेगी।
- सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना से यह सुनिश्चित होगा कि सिंचाई, पनबिजली, घरेलू एवं औद्योगिक उपयोग इत्यादि से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं एवं संरचनाओं के कारण नदी का प्रवाह किसी अन्य तरफ मुड़ जाने के बावजूद नदी में जल का न्यूनतम अपेक्षित पर्यावरणीय प्रवाह निश्चित रूप से बरकरार रहेगा।

सरकार द्वारा अधिसूचित E-Flow

1. ग्लेशियरों से आरंभ होने वाला और संबंधित संगम से होकर गुजरने के बाद अंत में में देवप्रयाग से हरिद्वार तक मिलने वाला ऊपरी गंगा नदी बेसिन विस्तार:

क्र.सं.	ऋतु	माह	प्रत्येक पूर्ववर्ती 10 दिवसीय अवधि के दौरान प्रेक्षित मासिक औसत प्रवाह का प्रतिशत (%)
1.	शुष्क	नवंबर से मार्च	20
2.	क्षीण	अक्टूबर, अप्रैल और मई	30
3.	उच्च प्रवाह ऋतु	जून से सितंबर	30*#

*# उच्च प्रवाह ऋतु के मासिक प्रवाह का 30 प्रतिशत

2. हरिद्वार (उत्तराखंड) से उन्नाव (उत्तर प्रदेश) तक गंगा नदी के मुख्य मार्ग का विस्तार:

क्र.सं.	बैराज की अवस्थिति	बैराजों के सन्निकट निम्न धारा को निर्मुक्त करने वाला न्यूनतम प्रवाह (क्यूमैक्स में) गैर- मानसून (अक्टूबर से मई)	बैराजों के सन्निकट निम्न धारा को निर्मुक्त करने वाला न्यूनतम प्रवाह (क्यूमैक्स में) मानसून (जून से सितम्बर)
1.	भीमगौड़ा (हरिद्वार)	36	57
2.	बिजनौर	24	48
3.	नरौरा	24	48
4.	कानपुर	24	48

E-Flow की विशेषताएँ

- न्यूनतम पर्यावरणीय प्रवाह का अनुपालन सभी मौजूदा, निर्माणाधीन और भावी परियोजनाओं के लिये मान्य है।
- जो वर्तमान परियोजनाएँ फिलहाल इन मानकों पर खरी नहीं उतर रही हैं उन्हें तीन वर्षों की अवधि के अंदर निश्चित रूप से अपेक्षित पर्यावरणीय प्रवाह मानकों का अनुपालन करना होगा।

नोट :

- ऐसी लघु एवं सूक्ष्म परियोजनाएँ जिनके कारण नदी की विशेषताओं अथवा उसके प्रवाह में व्यापक बदलाव नहीं होता है, उन्हें इन पर्यावरणीय प्रवाह से मुक्त कर दिया गया है।
- इस नदी विस्तार में प्रवाह की स्थिति पर समय-समय पर हर घंटे करीबी नज़र रखी जाएगी। केंद्रीय जल आयोग संबंधित आँकड़ों का नामित प्राधिकरण एवं संरक्षक होगा और प्रवाह की निगरानी एवं नियमन की ज़िम्मेदारी इसी आयोग पर होगी।
- संबंधित परियोजना डेवलपर्स और प्राधिकरणों को 6 माह के भीतर परियोजना के समुचित स्थानों पर स्वत: डेटा प्राप्ति एवं डेटा संप्रेषण सुविधाएँ स्थापित करनी होंगी।

हिंद महासागर में चक्रवाती तूफान

संदर्भ

हाल ही में बंगाल की खाड़ी में तितली और अरब सागर में लुबान नामक चक्रवाती तूफान हिंद महासागर क्षेत्र में विकसित हुए थे। अनुमानित मार्ग से होते हुए तितली चक्रवात ओडिशा के गोपालपुर तट से टकरा गया। टकराते समय इस तूफान की रफ्तार 145-150 किमी/घंटे थी।

उल्लेखनीय बिंदु

- तीव्र चक्रवात लुबान अरब सागर में सक्रिय था और इसने भारत के किसी भी तट को प्रभावित नहीं किया, जबकि वहीं दूसरी तरफ, तितली चक्रवात ओडिशा और उत्तरी आंध्र प्रदेश के तटों पर टकरा गया।
- अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में इतने ताकतवर चक्रवानी तूफान दुर्लभ ही उत्पन्न होते हैं।
- तितली का नामकरण पाकिस्तान द्वारा जबकि लुबान का ओमान द्वारा किया गया है।
- सक्रिय अंत:उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र (ITCZ) तट की तरफ दक्षिण की ओर बढ़ना शुरू हो गया था। समुद्र में हलचल के पीछे यही मुख्य कारक था। दोनों चक्रवात इस ITCZ के ही उपशाखा थे।
- इसके अलावा, मैडेन-जूलियन ऑसीलेशन (MJO) भी हिंद महासागर के निकट था।

अंत:उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र (ITCZ)

- अंत:उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र या ITCZ पृथ्वी पर, भूमध्य रेखा के पास वृत्ताकार क्षेत्र है। पृथ्वी पर यह वह क्षेत्र है, जहाँ उत्तरी और दक्षिणी गोलार्द्धों की व्यापारिक हवाएँ, यानी पूर्वोत्तर व्यापारिक हवाएँ तथा दक्षिण-पूर्व व्यापारिक हवाएँ एक जगह मिलती हैं।
- भूमध्य रेखा पर सूर्य का तीव्र तापमान और गर्म जल ITCZ में हवा को गर्म करते हुए इसकी आर्द्रता को बढ़ा देते हैं जिससे यह उत्प्लावक बन जाता है। व्यापारिक हवाओं के अभिसरण के कारण यह ऊपर की तरफ उठने लगता है।
- ऊपर की तरफ उठने वाली यह हवा फैलती है और ठंडी हो जाती है, जिससे भयावह आँधी तथा भारी बारिश शुरू हो जाती है।

मैडेन-जूलियन ऑसीलेशन (MJO)

- मैडेन-जूलियन ऑसीलेशन उष्णकटिबंधीय परिसंचरण और वर्षा में एक प्रमुख उतार-चढ़ाव है जो भूमध्य रेखा के साथ पूर्व की ओर बढ़ता है तथा 30-60 दिनों की अवधि में पूरे ग्लोब की परिक्रमा है।
- इसलिये MJO हवा, बादल और दबाव की एक चलती हुई प्रणाली है। यह जैसे ही भूमध्य रेखा के चारों ओर घूमती है वर्षा की शुरुआत हो जाती है।
- इस घटना का नाम दो वैज्ञानिकों रोलैंड मैडेन और पॉल जूलियन के ऊपर रखा गया था जिन्होंने 1971 में इसकी खोज की थी।

कृषि पशुओं की वृद्धि के लिये प्रयुक्त एंटीबायोटिक्स से सुपरबग का खतरा

चर्चा में क्यों?

- दुनिया की सबसे बड़ी एनिमल ड्रग्स कंपनी पर दोहरे मापदंड का आरोप लगाया गया है। कंपनी पर बिक्री के लिये वैश्विक स्तर पर प्रतिबंधित दवाओं को बेचने तथा उपभोक्ताओं को 'जोखिम के उच्च स्तर' पर लाने का आरोप लगाया गया है।

- ज़ोएटिस (Zoetis) पशु चिकित्सा से संबंधित दवाओं का सबसे बड़ा उत्पादक है जो भारतीय किसानों को एंटीबायोटिक्स की आपूर्ति कर रहा है ताकि उनके पशु तेज़ी से बढ़ सकें।
- वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन (WHO) का कहना था कि इन एंटीबायोटिक्स को दुनिया भर में प्रतिबंधित किया जाना चाहिये क्योंकि ये प्रतिरोधी जीवाणुओं के प्रसार को बढ़ाते हैं जो मनुष्यों को संक्रमित कर सकते हैं तथा घातक एवं अप्रत्याशित संक्रमण का कारण बन सकते हैं।

नेफ्टिन-टी (Neftin-T)

- ज़ोएटिस भारत में नेफ्टिन-टी बेच रही है जिसमें एंटीबायोटिक टाइलोसिन शामिल है।
- ज़ोएटिस वज़न बढ़ाने और चारा रूपांतरण दर (Feed Conversion Rate-FCR) में सुधार लाने के लिये मुर्गियों को नेफ्टिन-टी खिलाने की सलाह देती है।
- टायलोसिन न केवल पशु स्वास्थ्य के लिये संकटपूर्ण है बल्कि यूरोपीय संघ में उपयोग के लिये इसे प्रतिबंधित कर दिया गया है।
- यह प्रतिबंध एरिथ्रोमाइसिन के प्रतिरोध से उत्पन्न भय के कारण लगाया गया है, जिसका उपयोग छाती के संक्रमण और अन्य मानव रोगों के इलाज के लिये किया जाता है।
- डब्ल्यूएचओ ने एरिथ्रोमाइसिन को मानव स्वास्थ्य के लिये खतरा बताया है।

यूएस के दोहरे मापदंड का खुलासा

- ज़ोएटिस ने यू.एस. में सार्वजनिक रूप से नए कानूनों का समर्थन किया है जो एंटीबायोटिक्स के दुरुपयोग पर प्रतिबंध लगा रहे हैं।
- हालाँकि भारतीय वेबसाइट पर यह दावा किया गया है कि भारतीय किसान अपने जानवरों की तेज़ी से वृद्धि और विकास के लिये इन एंटीबायोटिक दवाओं को सीधे कंपनी से खरीद सकते हैं।
- इससे स्पष्ट होता है कि ज़ोएटिस अमेरिका में उपभोक्ताओं को जोखिम से बचाने की इच्छुक दिखाई देती है लेकिन भारत के लिये यह दोहरा मापदंड अपना रही है।
- मानव चिकित्सा और कृषि में एंटीबायोटिक्स का अनावश्यक उपयोग, जैसे कि बीमारी के इलाज की बजाय पशुओं का तेज़ी से विकसित करने के लिये इनका उपयोग प्रतिरोधी बैक्टीरिया के बढ़ते स्तरों में प्रमुख योगदानकर्त्ता है।
- डब्ल्यूएचओ, द वर्ल्ड आर्गेनाईजेशन फॉर एनिमल हेल्थ (OIE) तथा खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) ने कृषि के लिये उपयोग में लाए जाने वाले पशुओं को मोटा (स्थूल) करने के लिये प्रयुक्त एंटीबायोटिक दवाओं के उपयोग पर विश्वव्यापी प्रतिबंध लगाने की मांग की है।
- प्रतिरोध के बढ़ते खतरे को रोकने हेतु यूरोपीय संघ और अमेरिका में इनके उपयोग पर पहले से ही प्रतिबंध लगा दिया गया है।

स्वास्थ्य पर एंटीबायोटिक्स के खतरे

- गौरतलब है कि आज से लगभग 88 वर्ष पहले कई बीमारियों से लड़ने के लिये चिकित्सा जगत में कोई कारगर दवा नहीं थी। लेकिन एंटीबायोटिक के अविष्कार ने चिकित्सा जगत को एक मैजिक बुलेट्स थमा दी।
- 20वीं सदी की शुरुआत से पहले सामान्य और छोटी बीमारियों से भी छुटकारा पाने में महीनों लगते थे, लेकिन एंटीबायोटिक दवा खाने के बाद उनसे एक सप्ताह से भी कम समय में छुटकारा मिलने लगा।
- लेकिन विज्ञान यहाँ भी वरदान के साथ-साथ अभिशाप होने के अपने गुण को चरितार्थ कर गया, एंटीबायोटिक का धड़ल्ले से प्रयोग होने लगा। एंटीबायोटिक दवाओं का अधिक सेवन स्वास्थ्य के लिये हानिकारक होता है। जो लोग एंटीबायोटिक दवाओं का अधिक और अनियमित रूप से सेवन कर रहे हैं, उनमें दवा का प्रभाव धीरे-धीरे कम हो रहा है।
- विदित हो कि प्रत्यके व्यक्ति एक सीमित स्तर तक ही एंटीबायोटिक ले सकता है इससे अधिक एंटीबायोटिक लेने से मानव शरीर एंटीबायोटिक के प्रति अक्रियाशील हो जाता है।
- किसी नए प्रकार के आक्रमण से बचाव के लिये एक अलग प्रकार का प्रतिरोध विकसित करना प्रत्येक जीव का स्वाभाविक गुण है और बैक्टीरिया के साथ भी यही हुआ है और उसको यह मौका उपलब्ध कराया है एंटीबायोटिक के अत्यधिक उपयोग ने।

- विदित हो कि थाईलैंड-कंबोडिया की सीमा पर एक प्रकार का मलेरिया का जीवाणु पाया जाता है, जिसने दवाओं के खिलाफ़ अब प्रतिरोधी क्षमता विकसित कर ली है। सुपरबग भी ऐसा ही विकसित बैक्टीरिया है।
- डब्ल्यूएचओ ने सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिये एंटीबायोटिक प्रतिरोध को सबसे बड़ा खतरा बताया है।

चिंताजनक आँकड़े

- एक अनुमान के मुताबिक, देश में प्रतिवर्ष 1,00,000 बच्चे प्रतिरोधी बग के संक्रमण से मर जाते हैं।
- पूरी दुनिया में भारत सबसे ज़्यादा एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करता है।
- एक अध्ययन के मुताबिक, 'एंटीबायोटिक प्रतिरोध' 2050 तक दुनिया की सबसे बड़ी महामारी बन जाएगी।
- गौरतलब है कि अभी हर साल कैंसर से पूरी दुनिया में 80 लाख लोगों की मौत हो जाती है। लेकिन 2050 तक 'एंटीबायोटिक प्रतिरोध' की वज़ह से हर साल 1 करोड़ लोगों की मौत होगी, यानी यह कैंसर से भी बड़ा खतरा बन सकता है।

पवन चक्की वन्य-जीवन के लिये असुरक्षित

चर्चा में क्यों?

पवन चक्की हरित ऊर्जा स्रोत के रूप में देखी जाती है। लेकिन हाल ही में शोधकर्त्ताओं ने एक अध्ययन में पाया कि पवन चक्कियाँ टक्कर और शोर की वज़ह से वन्य-जीवन के लिये खतरा पैदा कर रही हैं।

महत्त्वपूर्ण बिंदु

- सलीम अली पक्षी विज्ञान एवं प्राकृतिक इतिहास केंद्र के शोधकर्त्ताओं द्वारा द्वि-वर्षीय परियोजना के तहत कर्नाटक में इस विशाल ढाँचे के प्रभाव का अध्ययन किया गया।
- इस अध्ययन में पाया गया है कि पवन चक्की से टकराने की वज़ह से पक्षियों और चमगादड़ों की मौत हो जाती है।
- इसके साथ ही इन क्षेत्रों में रहने वाले पक्षी और स्तनधारी शोर की वज़ह से दूसरे भागों में पलायन कर जाते हैं।
- पवन चक्की के निकट शोर का स्तर 85 डेसिबल तक पहुँच जाता है जो कि एक बड़े ट्रक द्वारा किये गए शोर के बराबर है।
- टरबाइन का ड्रोन जो कि दिन-रात संचालित होता है, 70 डेसिबल पर काम करता है।
- शहरी क्षेत्रों में शोर 55 डेसिबल होता है, यहाँ तक कि औद्योगिक क्षेत्रों में भी 75 डेसिबल ही होता है। जंगलों में शोरगुल 40 डेसिबल से भी कम होता है।
- एक छोटे समयांतराल में ही शोधकर्त्ताओं ने 10 जीवों के टरबाइन से टकराने के साक्ष्य पाए जिसमें 6 चमगादड़ तथा 4 पक्षी थे।
- शोधकर्त्ताओं ने यह भी पाया कि जीव टरबाइन वाले क्षेत्रों में जाने से कतराते हैं। अबाधित क्षेत्रों की तुलना में इस क्षेत्र में मात्र 50 प्रतिशत जीव हैं। स्तनधारी जीव भी इस क्षेत्र में जाने से कतराते हैं।
- शायद यह एकमात्र क्षेत्र है, जहाँ तीन तरह के हिरन- चार सींग वाले,चिंकारा और ब्लैकबक पाए जाते हैं। ये हिरन भी धीरे-धीरे इन इलाकों को छोड़कर जंगल के दूसरे हिस्से में पलायन कर जाते हैं। भेड़िये तथा अन्य दूसरे छोटे माँसाहरी पशु भी इनके पीछे-पीछे दूसरे क्षेत्रों में पलायन कर रहे हैं।

बिजली उत्पादन

- पर्यावरण मंत्रालय के आँकड़ों के मुताबिक, कर्नाटक ने अपने जंगल का 37.80 वर्ग किमी. क्षेत्र पवन चक्कियों के लिये समर्पित किया है।
- कर्नाटक नवीकरणीय ऊर्जा विकास लिमिटेड (KREDL) के अनुसार, इस क्षेत्र में कुल 3,857 विंड टरबाइन 4,730 मेगावाट बिजली का उत्पादन करते हैं।

वन्यजीवों का ऐसा स्थानांतरण तथा मानव द्वारा इसकी अनदेखी वन्य-जीवन के साथ संघर्ष को तीव्र कर सकता है। जैव विविधता पर छाए संकटों से निपटने के लिये आपसी समन्वय की आवश्यकता होती है। पवन चक्की द्वारा पक्षियों तथा स्तनधारी जीवों पर पड़ने वाले प्रभावों से निपटने के लिये दिशा-निर्देश के प्रारूप की नितांत आवश्यकता है।

नोट :

दिल्ली में वायु प्रदूषण

चर्चा में क्यों?

हर साल सर्दियों की शुरुआत के दौरान दिल्ली की वायु गुणवत्ता का स्तर गिरने लगती है। भारत में हर साल वायु प्रदूषण से मरने वालों की संख्या 1.5 मिलियन के करीब है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organisation - WHO) द्वारा संकलित वायु गुणवत्ता डेटा के अनुसार, दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है।

WHO के अनुसार, विश्व भर में क्रोनिक श्वसन रोग और अस्थमा के कारण मरने वालों लोगों का अनुपात भारत में सबसे अधिक है। केवल स्वास्थ्य ही नहीं वायु प्रदूषण के कारण कम दृश्यता, अम्लीय वर्षा और उष्णकटिबंधीय स्तर पर ओजोन के गठन आदि कारकों से पर्यावरण पर भी इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है।

दिल्ली की वायु गुणवत्ता में गिरावट के कारण

- दिल्ली का वायु प्रदूषण एक क्षेत्रीय समस्या है। भारत के नागपुर में स्थित इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एप्लाइड सिस्टम्स एनालिसिस (IIASA) और नेशनल एन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट (NEERI) द्वारा किये गए एक अध्ययन से पता चलता है कि दिल्ली में PM 2.5 की समस्या पड़ोसी राज्यों के कारण है। दिल्ली के पड़ोसी राज्यों हरियाणा और पंजाब में धान की फसल की कटाई के बाद खेतों को साफ करने के लिये उनमें आग लगा दी जाती है, जिसके चलते इससे उत्पन्न होने वाला धुआँ दिल्ली की हवा को प्रदूषित कर देता है।
- पिछले दशक के दौरान प्रदूषण के 15 स्रोतों का अध्ययन किया गया जिनमें से 10 प्रत्यक्ष नमूना पद्धति पर आधारित हैं, जबकि पाँच माध्यमिक आँकड़ों पर आधारित हैं। सभी अध्ययनों में उत्सर्जन के स्रोत समान पाए गए हैं, दिल्ली के प्रदूषण में विभिन्न स्रोतों का योगदान भिन्न-भिन्न पाया गया है। यह मौजूदा अध्ययनों की अविश्वसनीयता के चलते सटीक अनुमान लगाने में कठिनाई को रेखांकित करता है जो कि आंशिक रूप से दिल्ली के जटिल मौसम विज्ञान और उत्सर्जन के स्रोतों की बदलती प्रकृति के कारण है।
- दिल्ली में बुनियादी ढाँचे की भी कमी है। सार्वजनिक परिवहन के लिये ज़रुरत के हिसाब से बसों की संख्या आधी से भी कम है। निजी ऑटोमोबाइल के उपयोग से वायु प्रदूषण की समस्या बढ़ती जा रही है। DPCC, जिसमें शहर में वायु प्रदूषण नियमों के अनुपालन और उन्हें लागू करने का जनादेश है, गंभीर वैज्ञानिक और तकनीकी श्रमबल की कमी से ग्रस्त है (1990 से लगभग तीन-चौथाई क्षमता पर परिचालन)। सार्वजनिक आधारभूत संरचना में यह अंतर खराब वायु प्रदूषण की समस्या को हल करने की शहर की क्षमता में सार्वजनिक विश्वास को कमज़ोर करता है।
- इसके अलावा देश की राजधानी में चल रहे निर्माण कार्यों के चलते उड़ने वाले धूल के कण, डीज़ल से चलने वाले वाहन, कोयले तथा कारखानों से निकलने वाला धुआँ, फ्रिज़ और एसी में इस्तेमाल होने वाली गैस, पटाखों फोटो-केमिकल रिएक्शन तथा पंजाब और हरियाणा में किसानों द्वारा पराली जलाने के कारण प्रदूषण का स्तर जानलेवा स्तर तक पहुँच गया है।

प्रदूषण से निपटने के लिये सरकार द्वारा उठाए गए कदम

पराली जलाने संबंधी

- सरकार टर्बो हैप्पी सेडर (Turbo Happy Seeder-THS) खरीदने के लिये किसानों को सब्सिडी दे रही है, यह ट्रैक्टर के साथ लगाई जाने वाली एक प्रकार की मशीन होती है जो पेड़ों की ठूँठ को उखाड़ फेंकती है।
- क्षेत्रीय विचारण को ध्यान में रखे बिना प्रदूषण नियंत्रण की किसी भी नीति के सफल होने की उम्मीद नहीं की जा सकती। इसलिये दिल्ली के प्रदूषण को क्षेत्रीय प्रदूषण समस्या के रूप में माना जाना चाहिये और इसके समाधान के लिये अंतर-एजेंसी के प्रयासों को केंद्रीय स्रोत द्वारा नियंत्रित और समन्वयित किये जाने की आवश्यकता है।

ग्रेडेड रेस्पांस एक्शन प्लान

- केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने राजधानी में ख़राब स्थिति की ओर रुख कर रहे वायु प्रदूषण का मुकाबला करने के लिये आपातकालीन कार्य योजना (emergency action plan) लागू की है। ग्रेडेड रेस्पांस एक्शन प्लान (Graded Response Action Plan-GRP) नामक इस आपातकालीन योजना के तहत शहर की वायु गुणवत्ता के आधार पर कड़े कदम उठाए जाते हैं।

नोट :

- इसके तहत वायु गुणवत्ता खराब होने पर तत्काल सख्त कदम उठाए जाएंगे।
- इस कार्य योजना के अंतर्गत मध्यम से खराब श्रेणी में वायु गुणवत्ता होने पर कचरा जलाने से रोक दिया जाएगा और ईंट भट्ठे, उद्योगों में प्रदूषण नियंत्रण के मानक लागू किये जाएंगे।

राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक

- केंद्र सरकार ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के तहत सार्वजनिक सूचना के लिए राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक (National Air Quality Index - AQI) भी जारी किया। AQI को आठ प्रदूषकों- PM 2.5, PM10, अमोनिया, लेड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ओज़ोन और कार्बन मोनोऑक्साइड के लिये विकसित किया गया है।
- भारत सरकार की वायु गुणवत्ता और मौसम पूर्वानुमान तथा अनुसंधान प्रणाली सफर (System of Air Quality & Weather Forecasting & Research-SAFAR Scale) पर दिल्ली का वायु गुणवत्ता स्तर मापा जाता है, जिस पर 1 से लेकर 500 अंकों तक हवा की गुणवत्ता का आकलन किया जाता है। शुरुआती 100 अंकों को अच्छा माना जाता है और जैसे-जैसे अंक बढ़ते जाते हैं, हवा की गुणवत्ता खराब होती जाती है।

BS-VI मानक

- इसके अलावा जहाँ एक ओर देश भर में BS-VI मानकों को लागू करने के लिये अप्रैल 2020 की समय-सीमा तय की गई है, वहीं राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण के उच्च स्तर को मद्देनज़र रखते हुए 1 अप्रैल, 2018 से इसे लागू कर दिया गया है।
- इसके अलावा दिल्ली में अधिभारित और गैर-नियत ट्रकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने के साथ-साथ 'ग्रीन टैक्स' लगाने की भी व्यवस्था की गई है।

2800 प्रमुख उद्योगों में से 920 उद्योगों द्वारा निरंतर (24x7) वायु प्रदूषण निगरानी उपकरणों को स्थापित किया गया है, जबकि अन्य अभी प्रक्रिया में हैं।

बीटी बैंगन

संदर्भ

हाल ही में भारत के जैव प्रौद्योगिकी नियामक, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेज़ल समिति (GEAC), ने बांग्लादेश से बीटी बैंगन (आनुवंशिक रूप से संशोधित फसल) के बारे में जानकारी की मांग की है। गौरतलब है कि बांग्लादेश के किसान 2013 से ही यह फसल उगा रहे हैं।

पृष्ठभूमि

- बैसिलस थुरियनजीनिसस बैंगन, जिसे बीटी बैंगन के नाम से जाना जाता है, भारत में विवाद का केंद्र रहा है।
- बीटी बैंगन उपज में सुधार और कृषि क्षेत्र की सहायता करने का दावा करता है। अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी मोन्सेंटो की सहायता से भारत की बीज कंपनी महिको ने आनुवंशिक रूप से संशोधित बीटी बैंगन को निर्मित किया था।
- इस ट्रांसजेनिक किस्म के बारे में दावा किया जाता है कि यह तना एवं फल छेदक कीड़े को रोक सकता है, जो कि बैंगन पर लगने वाले प्रमुख कीटों में से एक है।
- हालाँकि, बीटी बैंगन से पैदा होने वाली असुरक्षा पर सरकार के लिये काम कर रहे वैज्ञानिकों, किसानों तथा पर्यावरण कार्यकर्त्ताओं के अपने-अपने अलग विचार है।
- पर्यावरण कार्यकर्त्ताओं का कहना है कि चूहों पर जीएम फसलों (आनुवंशिक रूप से संशोधित) का प्रभाव फेफड़ों और गुर्दे के लिये घातक साबित हुआ है। इन प्रयोगात्मक खाद्य पदार्थों को उचित अनुसंधान के बिना बाजार में पेश करना खतरनाक है।

क्या है जीएम तकनीक ?

- विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक, जीएम वह तकनीक है जिसमें जंतुओं एवं पादपों (पौधे, जानवर, सुक्ष्मजीवियों) के डीएनए को अप्राकृतिक तरीके से बदला जाता है।

नोट :

कैसे बनता है जीएम उत्पाद ?

- सरल भाषा में जीएम तकनीक के तहत एक प्राणी या वनस्पति के जीन को निकालकर दूसरे असंबंधित प्राणी/वनस्पति में डाला जाता है।
- इसके तहत हाइब्रिड बनाने के लिये किसी जीव में नपुंसकता पैदा की जाती है, जैसे जीएम सरसों को प्रवर्धित करने के लिये सरसों के फूल में होने वाले स्व-परागण (सेल्फ पॉलिनेशन) को रोकने के लिये नर नपुंसकता पैदा की जाती है। फिर हवा, तितलियों, मधुमक्खियों और कीड़ों के ज़रिये परागण होने से एक हाइब्रिड तैयार होता है।
- इसी तरह बीटी बैंगन में प्रतिरोधकता के लिये ज़हरीला जीन डाला जाता है, ताकि बैंगन पर हमला करने वाला कीड़ा मर सके।इसके अलावा, भारतीय किसानों को बीजों के लिये बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर निर्भर रहना पड़ेगा, जो भारतीय कृषि के लिये खतरनाक साबित हो सकता है।
- इसके अलावा, भारतीय किसानों को बीजों के लिये बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर निर्भर रहना पड़ेगा, जो भारतीय कृषि के लिये खतरनाक साबित हो सकता है।
- 2009 में जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेज़ल समिति (GEAC) द्वारा व्यावसायीकरण के लिये बीटी बैंगन को मंज़ूरी दे दी गई थी। लेकिन पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने 2010 में इसके इस्तेमाल पर रोक लगा दी।
- इसके इस्तेमाल पर तब तक के लिये रोक लगाई गई है जब तक कि वैज्ञानिक अध्ययनों द्वारा मानव स्वास्थ्य एवं पर्यावरण पर दीर्घकालिक संदर्भ में इसके अच्छे या बुरे प्रभावों को मूल्यांकित नहीं कर लिया जाता।
- भारत ने अभी तक दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा विकसित जीएम सरसों सहित खाद्य फसलों में किसी भी जीएम प्रौद्योगिकी को मंज़ूरी नहीं दी है।
- 2002 में, भारत ने बीटी कपास को मंज़ूरी दे दी थी, जो कि देश में उगाई जाने वाली एकमात्र गैर-खाद्य जीएम फसल है।

हाल के घटनाक्रम

- GEAC ने पाया कि बांग्लादेश ने 2013 में महिको कंपनी के बीटी बैंगन प्रौद्योगिकी को मंज़ूरी दे दी थी और वर्तमान में वहाँ 50,000 किसान इस फसल की खेती कर रहे हैं।
- बांग्लादेश में वाणिज्यिक उत्पादन के बाद सामने आये प्रभावों पर प्रासंगिक जानकारी और आँकड़ा प्राप्त करने के लिये भारतीय समिति ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) से सिफारिश की है।
- जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेज़ल समिति (GEAC) ने महिको (ट्रांसजेनिक बैंगन बनाने वाली कंपनी) द्वारा किये गए अनुरोध की सुनवाई के दौरान यह फैसला लिया।

क्या है जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति ?

- जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति (GEAC) को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MOEFCC) के अंतर्गत स्थापित किया गया है।
- इसका कार्य अनुवांशिक रूप से संशोधित सूक्ष्म जीवों और उत्पादों के कृषि में उपयोग को स्वीकृति प्रदान करना है।
- विदित हो कि जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति आनुवंशिक रूप से संशोधित बीजों के लिये स्थापित किया गया भारत का सर्वोच्च नियामक है।

हरित दिवाली- स्वस्थ दिवाली

चर्चा में क्यों ?

- दिवाली पर जलाए जाने वाले पटाखों के प्रतिकूल प्रभावों के साथ-साथ दीपों के त्योहार के महत्त्व को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण मंत्रालय ने हरित दिवाली अभियान शुरू किया है।
- इस वर्ष यह अभियान पूरे देश में चलाया जाएगा। 'हरित दिवाली-स्वस्थ दिवाली' अभियान का विलय अब 'ग्रीन गुड डीड' अभियान में कर दिया गया है जिसकी शुरुआत पर्यावरण संरक्षण के लिये सामाजिक एकजुटता के रूप में की गई है।

पृष्ठभूमि

- हरित दिवाली-स्वस्थ दिवाली कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 2017-18 में ही हुई थी।
- उस दौरान बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों, विशेषकर इको-क्लब से जुड़े बच्चों ने इस अभियान में भाग लिया था और कम-से-कम पटाखे फोड़ने की शपथ ली थी।
- बच्चों को इसके तहत अपने रिश्तेदारों एवं मित्रों को मिठाइयों सहित पौधे उपहार स्वरूप देने और अपने घरों एवं आसपास के क्षेत्रों की सफाई करने की सलाह दी गई थी। यह अभियान अत्यंत सफल रहा था और वर्ष 2016 की तुलना में वर्ष 2017 में दीपावली के बाद वायु प्रदूषण ने विकराल रूप धारण नहीं किया था।
- उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण मंत्रालय ने एक बार फिर इस अभियान को शुरू किया है।

पटाखों का दुष्प्रभाव

- पटाखों में कई ज्वलनशील रसायन होते हैं जिनमें पोटेशियम क्लोरेट पाउडर वाला अल्युमीनियम, मैग्नीशियम, बेरियम, तांबा, सोडियम, लिथियम, स्ट्रोंटियम इत्यादि शामिल हैं।
- इन रसायनों के जलने पर तेज़ आवाज़ के साथ बहुत ज्यादा धुआँ भी निकलता है। इस धुएँ और आवाज़ से बच्चों एवं बुज़ुर्गों में स्वास्थ्य संबंधी गंभीर समस्याएँ पैदा हो जाती हैं। इतना ही नहीं, यह धुआँ पशुओं और पक्षियों के लिये भी नुकसानदेह होता है।

सर्दियों में बढ़ जाता है वायु प्रदूषण

- देश में विशेषकर उत्तरी हिस्सों में सर्दियों के दौरान वायु प्रदूषण, गंभीर स्वास्थ्य समस्या का रूप धारण कर लेता है।
- कुछ राज्यों में पराली को जलाने, कचरा सामग्री को जलाने और मौसम से जुड़ी स्थितियों और धूल कणों के कारण देश के उत्तरी क्षेत्र में वायु प्रदूषण अत्यधिक बढ़ जाता है।
- इस वायु प्रदूषण से बच्चों, बुज़ुर्गों और साँस की बीमारियों से पीड़ित लोगों की स्वास्थ्य संबंधी समस्या और भी गंभीर हो जाती है।
- इसी अवधि के दौरान लोग प्रकाश उत्सव 'दीपावली' को भी काफी धूमधाम से मनाते हैं। ज़्यादातर लोग पटाखे जलाकर ही दीपावली मनाना पसंद करते हैं। पटाखे जलाने से वायु प्रदूषण की समस्या और अधिक विकराल रूप धारण कर लेती है।

रीफ का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय वर्ष

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में लक्षद्वीप में 'रीफ फॉर लाइफ' थीम के तहत कोरल रीफ की स्थिति और संरक्षण (STAPCOR 2018) पर 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन शुरू हुआ। ध्यातव्य है कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ़ इंडिया द्वारा 22-24 अक्तूबर तक आयोजित इस सम्मेलन में राष्ट्रीय और अंतराष्ट्रीय प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया।

महत्त्वपूर्ण बिंदु

- इस सम्मेलन का आयोजन जूलॉजिकल सर्वे ऑफ़ इंडिया द्वारा किया गया था।
- अंतर्राष्ट्रीय कोरल रीफ पहल (ICRI) ने 2018 को रीफ के तीसरे अंतर्राष्ट्रीय वर्ष (IYOR) के रूप में घोषित किया है।

IYOR 2018 के उद्देश्य

- प्रवाल भित्ति या कोरल रीफ और उनसे संबंधित पारिस्थितिकी तंत्र की अहमियत के साथ-साथ उन पर मंडरा रहे खतरे के बारे में वैश्विक स्तर पर जागरूकता फैलाना।
- कोरल रीफ के प्रबंधन हेतु सरकारों, निजी क्षेत्र, अकादमिक और नागरिक समाज के बीच साझेदारी को बढ़ावा देना।
- इसके संरक्षण के लिये प्रभावी प्रबंधन रणनीतियों की पहचान और कार्यान्वयन, पारिस्थितिक तंत्र का टिकाऊ उपयोग एवं सर्वोत्तम प्रथाओं को बढ़ावा देना।

रीफ का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष

- IYOR की घोषणा पहली बार कोरल रीफ और उससे संबंधित पारिस्थितिकी तंत्र, जैसे-मैंग्रोव वन तथा समुद्री शैवाल के ऊपर बढ़ते खतरों के जवाब में अंतर्राष्ट्रीय कोरल रीफ पहल द्वारा की गई थी।
- अंतर्राष्ट्रीय कोरल रीफ पहल ने 2008 को रीफ के दूसरे अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया था।

कोरल रीफ क्या होते हैं ?

- प्रवाल भित्तियाँ या मूंगे की चट्टानें (Coral reefs) समुद्र के भीतर स्थित प्रवाल जीवों द्वारा छोड़े गए कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती हैं।
- प्रवाल कठोर संरचना वाले चूना प्रधान जीव (सिलेन्ट्रेटा पोलिप्स) होते हैं। इन प्रवालों की कठोर सतह के अंदर सहजीवी संबंध से उत्पन्न रंगीन शैवाल जूजैंथिली (Zooxanthellae) पाए जाते हैं।
- प्रवाल भित्तियों को विश्व के सागरीय जैव विविधता का उष्ण स्थल (Hotspot) माना जाता है तथा इन्हें समुद्रीय वर्षावन भी कहा जाता है।
- प्राय: बैरियर रीफ (प्रवाल-रोधिकाएँ) उष्णकटिबंधीय या उपोष्णकटिबंधीय समुद्रों में मिलती हैं, जहाँ तापमान 20-30 डिग्री सेल्सियस रहता है। ये शैल-भित्तियाँ समुद्र तट से थोड़ी दूर हटकर पाई जाती हैं, जिससे इनके बीच छिछले लैगून बन जाते हैं।
- प्रवाल कम गहराई पर पाए जाते हैं, क्योंकि अधिक गहराई पर सूर्य के प्रकाश व ऑक्सीजन की कमी होती है।
- प्रवालों के विकास के लिये स्वच्छ एवं अवसादरहित जल आवश्यक है, क्योंकि अवसादों के कारण प्रवालों का मुख बंद हो जाता है और वे नष्ट हो जाते हैं।
- प्रवाल भितियों का निर्माण कोरल पॉलिप्स नामक जीवों के कैल्शियम कार्बोनेट से निर्मित अस्थि-पंजरों के अलावा, कार्बोनेट तलछट से भी होता है जो इन जीवों के ऊपर हज़ारों वर्षों से जमा हो रही है।

इनकी उपयोगिता क्या हैं ?

- जैसा हम सभी जानते हैं कि प्रवाल भित्तियाँ विश्व का दूसरा सबसे समृद्ध पारिस्थितिकी तंत्र होता है। यह न केवल अनेक प्रकार के जीवों एवं वनस्पतियों का आश्रय स्थल होता है, बल्कि इनका इस्तेमाल औषधियों में भी होता है।
- बहुत-सी दर्दरोधी दवाओं के साथ-साथ इनका इस्तेमाल मधुमेह, बवासीर और मूत्र रोगों के उपचार में भी किया जाता है।
- कई अन्य उपयोगी पदार्थों, जैसे- छन्नक, फर्शी, पेंसिल, टाइल, श्रृंगार आदि में भी इनका प्रयोग किया जाता है।
- 13,48,000 वर्ग किलोमीटर में फैले ऑस्ट्रेलियाई 'ग्रेट बैरियर रीफ' पर तकरीबन 64 हज़ार लोगों की नौकरी निर्भर है। दुनिया भर से ग्रेट बैरियर रीफ को देखने आने वाले पर्यटकों की वज़ह से ऑस्ट्रेलिया को हर साल 6.4 अरब डॉलर (करीब 42 हज़ार करोड़ रुपए) की आय होती है।

समस्याएँ क्या हैं ?

- प्रवाल द्वीप जैव विविधता के दृष्टिकोण से काफी महत्त्वपूर्ण होते हैं। लेकिन वर्तमान में इन्हें जलवायु परिवर्तन, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, स्टार फिश सहित अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इन्हीं चुनौतियों के विषय में यहाँ संक्षेप में चर्चा की गई है-
- हम जानते हैं कि महासागरों में कार्बन डाइऑक्साइड के विलयन की बढ़ती मात्रा महासागरों की अम्लीयता में वृद्धि कर देती है जिससे प्रवालों की मृत्यु हो जाती है।
- प्रवाल खनन, अपरदन आदि को रोकने हेतु बनाई गई रोधिका और स्पीडबोट के द्वारा होने वाले गाद निक्षेपण से भी प्रवालों को नुक्सान पहुँचता है।
- अधिकांश एटॉल बाह्य जाति प्रवेश, परमाणु बम परीक्षण आदि मानवीय गतिविधियों से विरूपित हो गए हैं।
- औद्योगिक संकुलों से निष्कासित होने वाला जल इनके लिये संकट का कारक बन गया है। इसके अतिरिक्त तेल रिसाव, मत्स्यन, पर्यटन आदि से भी प्रवाल द्वीपों को नुक्सान पहुँचता है।

नोट :

अंतर्राष्ट्रीय कोरल रीफ पहल

- अंतर्राष्ट्रीय कोरल रीफ पहल (ICRI) राष्ट्रों और संगठनों के बीच एक अनौपचारिक साझेदारी है जो दुनिया भर में कोरल रीफ और उससे संबंधित पारिस्थितिक तंत्र को संरक्षित करने का प्रयास करती है। इसके निर्णय सदस्यों पर बाध्यकारी नहीं होते हैं।
- इस पहल की स्थापना 1994 में आठ देशों ऑस्ट्रेलिया, फ्राँस, जापान, जमैका, फिलीपींस, स्वीडन, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका ने मिलकर की थी।
- ICRI में अब भारत सहित 60 से अधिक सदस्य हैं।

बीएस-4 वाहनों की बिक्री पर रोक

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने 1 अप्रैल, 2020 से पूरे देश में उत्सर्जन मानक बीएस-4 के अनुरूप मोटर वाहनों की बिक्री और पंजीकरण पर प्रतिबंध लगा दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए कहा कि प्रदूषण पूरे भारत में एक 'खतरनाक और संकटपूर्ण' स्तर पर पहुँच चुका है।

प्रमुख बिंदु

- देश में 1 अप्रैल, 2020 से बीएस-6 ईंधन का उपयोग करना शुरू किया जाएगा जो बीएस-4 ईंधन की तुलना में अधिक स्वच्छ है। भारत स्टेज (BS) उत्सर्जन मानदंड मोटर वाहनों से वायु प्रदूषण के उत्पादन को नियंत्रित करने के लिये सरकार द्वारा स्थापित मानक है।
- बीएस -4 मानक पूरे देश में अप्रैल 2017 में लागू किये गए थे।
- वायु प्रदूषण के खतरनाक स्तर को कम करने के लिये भारत सरकार ने 2016 में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए बीएस -5 की बजाय अप्रैल 2020 तक देश भर में बीएस -6 उत्सर्जन मानकों को लागू करने का फैसला किया था।

क्या है बीएस मानक?

- BS मानक यूरोपीय नियमों पर आधारित हैं। अलग-अलग देशों में ये मानक अलग-अलग होते हैं, जैसे-अमेरिका में ये टीयर-1, टीयर-2 के रूप में होते हैं, तो यूरोप में इन्हें यूरो मानक के रूप में प्रयोग किया जाता है।
- भारत में सर्वप्रथम उत्सर्जन नियमों की शुरुआत 1991 में हुई थी और तब ये नियम केवल पेट्रोल इंजन से चलने वाले वाहनों पर लागू होते थे।
- BS यानी भारत स्टेज वाहन उत्सर्जन मानकों को केंद्र सरकार ने वर्ष 2000 में शुरू किया था। इसके बाद 2005 और 2006 के आसपास वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिये BS-2 और BS-3 मानकों की शुरुआत की गई। लेकिन BS-3 मानकों का अनुपालन वर्ष 2010 में शुरू किया जा सका।
- वाहनों से होने वाले उत्सर्जन के BS मानक के आगे संख्या-2, 3 या 4 और अब 6 के बढ़ते जाने का मतलब है उत्सर्जन के बेहतर होते मानक जो पर्यावरण के अनुकूल हैं। अर्थात् BS के आगे जितना बड़ा नंबर होगा, उस गाड़ी से होने वाला प्रदूषण उतना ही कम होगा।
- BS-6 ईंधन का उपयोग शुरू करने के साथ ही भारत भी एशिया-प्रशांत राष्ट्रों यथा-जापान, दक्षिण कोरिया, हॉन्गकॉन्ग, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस और चीन की सूची में शामिल हो गया है। लेकिन चीन में केवल भारी वाहनों में ही BS-6 ईंधन का उपयोग होता है।
- देश में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) इन मानकों की निगरानी करने और इन्हें जारी करने वाली नोडल एजेंसी है।

बीएस -6 मानक से लाभ

- विशेषज्ञों के अनुसार, BS-4 के मुकाबले BS-6 डीज़ल में प्रदूषण फैलाने वाले खतरनाक पदार्थ 70 से 75% तक कम होते हैं।
- BS-6 मानक लागू होने से प्रदूषण में काफी कमी आएगी, विशेषकर डीज़ल वाहनों से होने वाले प्रदूषण में भारी कमी आएगी।
- नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और पार्टिकुलेट मैटर के मामले में BS-6 स्तर का डीज़ल काफी बेहतर होगा।
- हवा में PM2.5 का अधिकतम स्तर 60 mgcm तक होना चाहिये। BS-6 में यह मात्रा 20 से 40 mgcm होती है, जबकि BS-4 में 120 mgcm तक होती है।

नोट :

वायु प्रदूषण और बाल स्वास्थ्य

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा 'एयर पॉल्यूशन एंड चाइल्ड हेल्थ : प्रेसक्राईबिंग क्लीन एयर' शीर्षक से वायु प्रदूषण और बाल स्वास्थ्य पर एक रिपोर्ट जारी की गई है। सके अनुसार पूरी दुनिया में 15 साल से कम उम्र के लगभग 93% बच्चे (1.8 बिलियन बच्चे) हर दिन ऐसी हवा में साँस लेते हैं जो प्रदूषित है और यह प्रदूषित हवा बच्चों के स्वास्थ्य एवं विकास पर गंभीर प्रभाव डालती है। इन गंभीर प्रभावों के कारण इनमें से कई बच्चों की मौत हो जाती है। WHO का अनुमान है कि 2016 में 600,000 बच्चे प्रदूषित हवा के कारण होने वाले श्वसन संक्रमण के कारण मर गए थे।

क्या कहती है रिपोर्ट ?

- इस रिपोर्ट के अनुसार, जब गर्भवती महिलाएँ प्रदूषित हवा के संपर्क में आती हैं तो उनमें समय से पहले बच्चे को जन्म देने की संभावना अधिक होती है और इस प्रकार जन्मे बच्चे छोटे तथा जन्म के समय कम वज़न वाले होते हैं।
- वायु प्रदूषण मस्तिष्क विकास और संज्ञानात्मक क्षमता को भी प्रभावित करता है साथ ही यह अस्थमा तथा चाइल्डहुड कैंसर का भी कारण बन सकता है।
- जो बच्चे उच्च स्तर के वायु प्रदूषण के संपर्क में आते हैं उनमें उम्र बढ़ने के साथ-साथ हृदय संबंधी बीमारी होने का जोखिम अधिक होता है।
- प्रदूषित हवा लाखों बच्चों के लिये ज़हर का काम कर रही है और उनके जीवन को बर्बाद कर रही है जोकि उचित नहीं है। अत: यह सुनिश्चित किया जाना ज़रूरी है कि सभी बच्चे स्वच्छ हवा में साँस ले सकें ताकि वे पर्याप्त विकास कर सकें और अपनी पूरी क्षमता प्राप्त कर सकें।
- वायु प्रदूषण से प्रभावित बच्चों के विशेष रूप से कमज़ोर होने का एक कारण यह है कि वे वयस्कों की तुलना में अधिक तेज़ी से साँस लेते हैं और इसलिये अधिक प्रदूषक अवशोषित करते हैं।
- नवजात शिशु और छोटे बच्चे घरों में घरेलू वायु प्रदूषण के प्रति भी अधिक संवेदनशील होते हैं जहाँ खाना पकाने के लिये, गर्मी के लिये और प्रकाश के लिये नियमित रूप से प्रदूषण फ़ैलाने वाले ईंधन और प्रौद्योगिकियों का उपयोग किया जाता है।

रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष

- वायु प्रदूषण मस्तिष्क के विकास को प्रभावित करता है, जिससे बच्चों की संज्ञानात्मक क्षमता कम हो जाती है। इस प्रकार यह बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है।
- वैश्विक स्तर पर, 15 वर्ष से कम उम्र के 93% बच्चे इअसे परिवेश में रहते हैं जहाँ वायु में PM 2.5 का स्तर WHO द्वारा निर्धारित PM2.5 की तुलना में उच्च है, जिसमें 5 साल से कम आयु के 630 मिलियन बच्चे और 15 साल से कम आयु के 1.8 बिलियन बच्चे शामिल हैं।
- वैश्विक स्तर पर 15 साल से कम उम्र के 93% बच्चे ऐसे हैं जो वायु गुणवत्ता के लिये WHO द्वारा निर्धारित मानक (PM2.5) स्तर से उच्च स्तर वाली (अधिक प्रदूषण वाली) वायु में साँस लेते हैं। इन बच्चों में 630 मिलियन बच्चे 5 साल से कम उम्र के और 1.8 बिलियन बच्चे 15 वर्ष से कम उम्र के हैं।
- 5 वर्ष से कम उम्र के सभी बच्चों में से 98% दुनिया के निम्न और मध्यम आय वाले देशों में रहते हैं जहाँ PM2.5 स्तर उच्च है।
- तुलनात्मक रूप से, उच्च आय वाले देशों में, 5 वर्ष से कम आयु के 52% बच्चे ऐसे क्षेत्रों में रहते हैं जहाँ की हवा में PM2.5 का स्तर WHO द्वारा निर्धारित PM2.5 के स्तर से उच्च है।
- 2016 में 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों के मामले में लगभग 600,000 मौतों के लिये परिवेश और घरेलू वायु प्रदूषण के संयुक्त प्रभाव ज़िम्मेदार थे।
- कम और मध्यम आय वाले देशों में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में होने वाले श्वसन संक्रमण के लिये खाना पकाने के कारण होने वाला घरेलू वायु प्रदूषण और परिवेश (बाहरी) वायु प्रदूषण 50% से अधिक ज़िम्मेदार हैं।
- वायु प्रदूषण बाल स्वास्थ्य के लिये प्रमुख खतरों में से एक है, जो कि पाँच वर्ष से कम आयु के बच्चों में लगभग 10 में से 1 मौतों के लिये जिम्मेदार है।

नोट :

WHO की रिपोर्ट और भारत

- भारत को दुनिया में सबसे ज़्यादा वायु प्रदूषण से संबंधित मृत्यु दर और बीमारी के बोझ का सामना करना पड़ता है। यहाँ हर साल 2 मिलियन से अधिक मौतें होती हैं, हवा की खराब गुणवत्ता के कारण होने वाली मौतों की संख्या में 25% भागीदारी भारत की है।
- वर्ष 2016 में भारत में पाँच साल से कम उम्र के लगभग 1,00,000 बच्चे मारे गए, उनके स्वास्थ्य में जटिलताओं का कारण बाह्य और घरेलू वायु प्रदूषण का स्तर था।
- भारत के बाद, 98,001 बाल मृत्यु के आँकड़ों के साथ नाइजीरिया दूसरे स्थान पर रहा इसके बाद क्रमश: पाकिस्तान, कांगो और इथियोपिया लोकतांत्रिक गणराज्य इस श्रेणीं में शामिल हैं।
- भारत उन देशों में से एक है जहाँ पाँच वर्ष से कम उम्र के सभी बच्चों में से 98 प्रतिशत से अधिक बच्चे ऐसे क्षेत्रों में रहते हैं जहाँ PM2.5 का स्तर WHO द्वारा निर्धारित स्तर से अधिक है।

वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य पर WHO का पहला वैश्विक सम्मेलन

- 30 अक्तूबर, 2018 को जेनेवा में वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य पर WHO के पहले वैश्विक सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है।
- यह सम्मेलन विश्व के नेताओं; स्वास्थ्य, ऊर्जा और पर्यावरण मंत्री; महापौरों; अंतर सरकारी संगठनों के प्रमुखों; वैज्ञानिकों और अन्य जो भी इस गंभीर स्वास्थ्य खतरे के खिलाफ कार्यवाही करने के लिये प्रतिबद्ध होने का अवसर प्रदान करेगा। इन सभी के द्वारा की जाने वाली कार्यवाहियों में शामिल होना चाहिये:
- स्वास्थ्य क्षेत्र द्वारा स्वास्थ्य पेशेवरों को सूचित करना, शिक्षित करना, संसाधन प्रदान करना और अंतर-क्षेत्रीय नीति बनाने में संलग्न होना।
- वायु प्रदूषण को कम करने के लिये नीतियों का कार्यान्वयन सही तरीके से किया जाए। जैसे-
  - सभी देशों को बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिये WHO के वैश्विक वायु गुणवत्ता दिशा-निर्देशों के लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिये काम करना चाहिये।
  - इसे प्राप्त करने के लिये, सरकारों को वैश्विक ऊर्जा के रूप में जीवाश्म ईंधन पर अधिक निर्भरता को कम करने, ऊर्जा दक्षता में सुधार और अक्षय ऊर्जा स्रोतों के उत्थान को सुविधाजनक बनाने वाले उपायों को अपनाना चाहिये। उल्लेखनीय है की भारत में अभी भी 65% लोग खाना बनाने के लिये जीवाश्म ईंधन का उपयोग करते हैं।
  - बेहतर अपशिष्ट प्रबंधन समाज के द्वारा जलाए जाने वाले अपशिष्ट की मात्रा को कम कर सकता है और इस प्रकार 'सामुदायिक वायु प्रदूषण' को कम किया जा सकता है।
  - घरों में खाना पकाने, हीटिंग और प्रकाश व्यवस्था के लिये स्वच्छ प्रौद्योगिकियों और ईंधन का विशेष उपयोग घरों और आसपास के समुदाय में हवा की गुणवत्ता में काफी सुधार कर सकता है।
- प्रदूषित हवा से बच्चों बचने के लिये कदम उठाए जाने चाहिये। जैसे-
  - स्कूलों और खेल के मैदानों को व्यस्त सड़कों, कारखानों तथा बिजली संयंत्रों जैसे वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों से दूर रखा जाना चाहिये।

निम्न तथा मध्यम आय वाले देशों में वायु प्रदूषण के कारण बीमारियों का खतरा अधिक

बच्चों के स्वास्थ्य पर वायु प्रदूषण का प्रभाव

- फेफड़ों के विकास बाधक
- फेफड़ों की क्रियाशीलता में कमी
- श्वसन संबंधी संक्रमण
- मानसिक और शारीरिक विकास बाधित होना
- व्यवहार संबंधी विकार
- जन्म के समय कम वज़न
- समय से पहले जन्म

नोट :

- शिशु मृत्यु
- चाइल्डहुड कैंसर
- वयस्क होने पर हृदय संबंधी बीमारियों, डायबिटीज़ और पक्षाघात का खतरा

WHO के अनुसार, वर्ष 2016 में बाह्य तथा घरेलू वायु प्रदूषण के कारण 5 साल से कम उम्र के 543,000 जबकि 5 से 15 वर्ष की आयु के 52,000 बच्चों की मृत्यु हो गई।

रिपोर्ट का महत्त्व

- वायु प्रदूषण और बाल स्वास्थ्य पर WHO की नई रिपोर्ट पूरी दुनिया, विशेष रूप से कम और मध्यम आय वाले देशों में बच्चों के स्वास्थ्य पर परिवेश (बाहरी) और घरेलू दोनों प्रकार के वायु प्रदूषण के भारी प्रभाव की जाँच करता है।
- यह रिपोर्ट वायु प्रदूषण के संपर्क में आने के कारण बच्चों में प्रतिकूल स्वास्थ्य प्रभाव के संबंध में नवीनतम वैज्ञानिक ज्ञान का सारांश प्रस्तुत करती है।
- इसका उद्देश्य स्वास्थ्य पेशेवरों द्वारा वायु प्रदूषण के संपर्क से बच्चों के स्वास्थ्य को होने वाले नुकसान के प्रति व्यक्तिगत और सामूहिक कार्रवाई को सूचित और प्रेरित करना है।

निष्कर्ष

बच्चे समाज का भविष्य हैं लेकिन वे इसके सबसे कमजोर सदस्य भी हैं। वायु प्रदूषण के कारण बच्चों के स्वास्थ्य को होने वाले खतरों को देखते हुए स्वास्थ्य पेशेवरों को इस पर केंद्रित अपनी प्रतिक्रिया देनी चाहिये। सामूहिक, समन्वित प्रयासों के माध्यम से, स्वास्थ्य पेशेवरों को इस खतरे को प्राथमिकता के रूप में हल करने के लिये एक साथ आना चाहिये। हर दिन प्रदूषित हवा के संपर्क में आने वाले लाखों बच्चों को बचाने के लिये यह आवश्यक है कि समय बर्बाद न करते हुए इस दिशा में सही कदम उठाए जाएँ।

मानवीय गतिविधियाँ, वन्यजीवन के लिये खतरा (man-animal conflict)

संदर्भ

हाल ही में WWF ने अपनी लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2018 जारी की है। इस रिपोर्ट में वन्यजीवन पर मानवीय गतिविधियों के भयानक प्रभाव की चर्चा की गई है। रिपोर्ट में यह खुलासा किया गया है कि 1970 के बाद मानवीय गतिविधियों की वज़ह से वन्यजीवों की आबादी में 60 प्रतिशत तथा वेटलैंड्स में 87 प्रतिशत की कमी आई है।

महत्त्वपूर्ण बिंदु

- यह रिपोर्ट वन्यजीवन, जंगलों, महासागरों, नदियों और जलवायु पर मानवीय गतिविधियों के प्रभाव की भयावह तस्वीर चित्रित करती है।
- रिपोर्ट के इस संस्करण में मृदा जैव विविधता का खंड नया है। वैश्विक मृदा जैव विविधता पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है। वेटलैंड्स का गायब होना भारत के लिये गंभीर चिंता का विषय है।
- इस रिपोर्ट में प्राकृतिक आवास का ह्रास या कमी, संसाधनों का अत्यधिक दोहन, जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण एवं आक्रामक प्रजातियों से होने वाले खतरों को भी सूचीबद्ध किया गया है।
- विशेष रूप से यह कृषि और वनों की कटाई के द्वारा प्रकृति के अत्यधिक दोहन को इंगित करता है।
- WWF-इंडिया के अनुसार, दुनिया भर में 4,000 से अधिक प्रजातियों की निगरानी की गई जिसमें 1970 से 2014 के बीच 60 प्रतिशत की गिरावट देखी गई है।
- इस रिपोर्ट में, विशेष रूप से कशेरुकी प्रजातियों की निगरानी के आँकड़े थे। जिसे स्तनधारियों, पक्षियों, मछली, सरीसृपों और उभयचरों की लगभग 22,000 से अधिक जनसंख्या की जानकारी वाले डेटाबेस से लिया गया था।

- WWF-इंडिया ने मृदा पारिस्थितिकी, भूमि क्षरण, आर्द्रभूमि और परागण करने वाले जीवों जैसे- मधुमक्खी पर मंडराते गंभीर खतरे की ओर भी इशारा किया है। गौरतलब है कि मधुमक्खी जैसे जीवों का मानव स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा पर प्रत्यक्ष प्रभाव होता है।
- 'अग्रणी वैश्विक खाद्य फसलों' में 75 प्रतिशत से अधिक फसलें परागण करने वाले जीवों पर निर्भर रहती हैं।
- आर्थिक नजरिये से, परागण फसल उत्पादन के वैश्विक मूल्य में 237-577 बिलियन डॉलर प्रति वर्ष की बढ़ोतरी करता है।

निष्कर्ष

निश्चित रूप से वन्यजीव संरक्षण बेहद महत्त्वपूर्ण ही नहीं बल्कि एक पर्यावरणीय अनिवार्यता भी है, लेकिन यह भी सच है कि कम होते जा रहे जंगल अब वन्यजीवों को पूर्ण आवास प्रदान करने के लिये पर्याप्त नहीं हैं। अत: ऐसी नीतियाँ बनाने की ज़रूरत है, जिससे मनुष्य व वन्यजीव दोनों की ही सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

दृष्टि The Vision

सामाजिक मुद्दे

सीवर संबंधी मौत के मामलों में कोई सुनवाई नहीं

चर्चा में क्यों?

वर्ष 1992 से सीवर और सेप्टिक टैंक सफाई के कारण हुई मौतों के संबंध में किये गए एक प्रतिदर्श अध्ययन से पता चलता है कि केवल 35% मामलों में प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज की गई थी; इनमें से किसी भी मामले में मुकदमा या किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई नहीं की गई।

प्रमुख बिंदु

- राष्ट्रीय गरिमा अभियान (आरजीए) द्वारा जारी किये गए इस अध्ययन में 11 राज्यों में हुई 51 घटनाओं के दौरान 97 मौतों को सैंपल के रूप में शामिल किया गया था।
- अध्ययन के अनुसार, केवल 31% प्रभावित परिवारों को नकद मुआवज़ा मिला, जबकि किसी को भी पुनर्वास या वैकल्पिक नौकरी नहीं मिली, जिसके वे कानूनी रूप से हकदार हैं।
- राष्ट्रीय गरिमा अभियान एक गैर-सरकारी संगठन है जो सामाजिक न्याय मंत्रालय के साथ मिलकर हाथ से मैला ढोने वालों की जनगणना में भागीदारी कर रहा है।
- इस एनजीओ का कहना है कि उसने उन राज्यों में 140 घटनाओं में 302 मौतों की पहचान की थी, लेकिन अनुमान है कि वास्तविक संख्या इससे भी अधिक हो सकती है। मंत्रालय ने अकेले वर्ष 2017 में देश भर में 323 मौतों की सूचना दी।
- ग्रामीण क्षेत्रों में भी अब सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान मौतों के मामले बढ़ते जा रहे हैं। सरकार स्वच्छ भारत अभियान के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय बनाने पर तो ध्यान दे रही है किंतु सेप्टिक टैंकों की सफाई के लिये अभी भी कोई व्यवस्था नहीं की गई है।
- उल्लेखनीय है कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत सफाई कर्मचारी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा देश भर में सफाई कर्मियों को 'मैनुअल स्केवेंजर्स के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013' से अवगत कराने के लिये 200 शिविरों का आयोजन किया जाएगा।

कैदी महिलाएँ और न्याय के लिये पहुँच' विषय पर पहला क्षेत्रीय सम्मेलन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में गृह मंत्रालय के अधीन पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो (Bureau of Police Research and Development-BPR&D) ने हिमाचल प्रदेश के जेल विभाग के सहयोग से शिमला में 'कैदी महिलाएँ और न्याय के लिये पहुँच' (Women in Detention & Acces to Justice) विषय पर अब तक का पहला क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित किया।

सम्मेलन का उद्देश्य

- सभी दर्जे के जेल कार्मिकों को राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न संचालनात्मक और प्रशासनिक मुद्दों पर न केवल उनके अपने समकक्षों के साथ बल्कि इस क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर प्रख्यात अन्य विशेषज्ञों के साथ महत्वपूर्ण विचारों को साझा करने के लिये एक मंच उपलब्ध कराना।
- जेल सुधारों के संदर्भ में वर्तमान नई चुनौतियों के समाधान के लिये प्रशासनिक कार्यप्रणाली में सुधार हेतु श्रेष्ठ परंपराओं और मानदंडों को चिह्नित करना।

सम्मेलन के अंतर्गत विचारणीय विषय

इस सम्मेलन में विचार-विमर्श के लिये मुख्य रूप से निम्नलिखित विषयों को चुना गया था-

1. महिला कैदियों के लिये प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार : राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय वैधानिक मानदंड।
2. महिला कैदियों की स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताएँ।
3. महिला कैदियों और उनके बच्चों का स्वास्थ्य, कौशल, पुनर्वास और पुनर्मिलन।
4. महिला कैदियों पर केंद्रित जेल सुधार, संरचनात्मक, प्रबंधकीय और वैधानिक मुद्दे तथा वैश्विक मानदंडों से तुलना।
5. अपराधियों के लिये न्यूरो-अपराध विज्ञान कार्यक्रम।
6. जेल सुधार।

सम्मेलन से होने वाले लाभ

- इस आयोजन से देश भर में प्रशासन से संबंधित सुधारात्मक अनुसंधान और विकासात्मक क्रियाकलापों को बढ़ावा मिलेगा।
- विभिन्न सुधारात्मक कार्यों द्वारा प्रशासन के बीच वैज्ञानिक पहुँच विकसित करने की दिशा में मार्ग प्रशस्त होगा।

इस तरह के सम्मेलनों की आवश्यकता

- हालाँकि 'कैदी महिलाएँ और न्याय के लिये पहुँच' विषय पर महिला सशक्तीकरण से संबंधित संसदीय समिति ने कई संस्तुतियाँ की हैं लेकिन महिला कैदियों की स्थिति में सुधार और उनके मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिये रणनीति और कार्यक्रम तैयार करने हेतु की गई कुछ संस्तुतियों पर चर्चा करना आवश्यक है।

'महिला एवं बाल विकास मंत्रालय' का प्रयास

- अप्रैल, 2018 में महिला और बाल विकास मंत्रालय ने 'जेलों में महिलाएँ' विषय पर एक रिपोर्ट जारी की थी जिसका उद्देश्य महिला बंदियों के विभिन्न अधिकारों के बारे में जानकारी प्रदान करना, उनकी समस्याओं पर विचार करना और उनका संभव समाधान करना है।

'जेलों में महिलाएँ' (Women in Prison) रिपोर्ट

- इस रिपोर्ट में 134 सिफारिशें की गई हैं, ताकि जेल में बंद महिलाओं के जीवन में सुधार लाया जा सके।
- गर्भवती तथा जेल में बच्चे का जन्म, मानसिक स्वास्थ्य, कानूनी सहायता, समाज के साथ एकीकरण और उनकी देखभाल आदि ज़िम्मेदारियों पर विचार के लिये ये सिफारिशें की गई हैं।
- रिपोर्ट में राष्ट्रीय आदर्श जेल मैन्युअल 2016 में विभिन्न परिवर्तन किये जाने का सुझाव दिया गया है ताकि इसे अंतर्राष्टीय मानकों के अनुरूप बनाया जा सके।

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) द्वारा संकलित सूचना के अनुसार

- 31 दिसंबर, 2016 की स्थिति के अनुसार, देश की विभिन्न जेलों में 18,498 महिला कैदी बंद थीं।
- इनमें से 1649 महिला कैदी बच्चों के साथ बंद थीं।
- छत्तीसगढ़, गोवा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की जेलों में महिला कैदियों की संख्या क्षमता से अधिक थी।

(नोट : उपरोक्त आँकड़े गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री द्वारा गैर-तारांकित प्रश्नों के जवाब में उपलब्ध कराए गए थे)

निष्कर्ष

- यह सम्मेलन महिला कैदियों की स्थितिय में सुधार लाने के साथ ही न्याय तक उनकी पहुँच बढ़ाने के क्रम में जेल सुधार और पुनर्वास कार्यक्रम का बेहतर कार्यान्वयन सुनिश्चित करने में मददगार होगा।

नोट :

21% भारतीय बच्चे हैं कम वज़न वाले: ग्लोबल हंगर इंडेक्स

चर्चा में क्यों?

हाल ही में जारी किये गए ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2018 के अनुसार, पाँच वर्ष से कम आयु के पाँच भारतीय बच्चों में से कम-से-कम एक बहुत अधिक कमज़ोर है, इसका मतलब है कि उनकी लंबाई के अनुपात में उनका वज़न अत्यंत कम है, जो कि अल्पपोषण की विकट स्थिति को दर्शाता है।

प्रमुख बिंदु

- रिपोर्ट के अनुसार, भारत को इस सूचकांक में 119 देशों में से 103वाँ स्थान दिया गया है तथा देश में भुखमरी के स्तर को 'गंभीर' श्रेणी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष भारत की रैंकिंग में तीन स्थान की गिरावट आई है।
- भारत ने तुलनात्मक रूप से संदर्भ वर्षों में तीन संकेतकों में सुधार किया है। जनसंख्या में अल्पपोषित लोगों का प्रतिशत वर्ष 2000 के 18.2% से घटकर वर्ष 2018 में 14.8% हो गया है।
- इसी अवधि में बाल मृत्यु दर 9.2% से घटकर लगभग आधी अर्थात् 4.3% हो गई है, जबकि बच्चों में बौनापन 54.2% से घटकर 38.4% हो गया।
- हालाँकि, बच्चों में आयु के अनुपात में कम वज़न का जनसंख्या में प्रसार वास्तव में पिछले संदर्भ वर्षों की तुलना में बदतर हो चुका है। वर्ष 2000 में यह 17.1% था जो कि बढ़कर वर्ष 2005 में 20% तक हो गया और वर्ष 2018 में यह 21% है।
- दक्षिण सूडान में बच्चों में आयु के अनुपात में कम वज़न का जनसंख्या में प्रसार 28% है जो कि विश्व में सर्वाधिक है।
- संयुक्त राष्ट्र की संस्थाओं के मुताबिक, दक्षिण एशिया में बच्चों में आयु के अनुपात में कम वज़न की दर उच्च है, जो 'संकटपूर्ण सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल' का निर्माण करती है।
- रिपोर्ट में कहा गया है कि 0 से 5 महीने तक के शिशुओं के लिये आयु के अनुपात में कम वज़न की दर सबसे अधिक है। साथ ही रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि जन्म संबंधी आँकड़ों और स्तनपान पर ध्यान दिया जाना महत्त्वपूर्ण है।
- इसके अलावा, दक्षिण एशिया क्षेत्र में बच्चों में कम वज़न का संबंध मातृ बॉडी मास इंडेक्स (BMI) से है, जो गर्भावस्था के दौरान माँ की पोषण संबंधी स्थिति पर ध्यान देने की आवश्यकता का सुझाव देता है।
- रिपोर्ट में कहा गया है कि दक्षिण एशिया में पारिवारिक संपत्ति की तुलना में मातृ BMI और बेहतर जल एवं स्वच्छता तक पहुँच बच्चे में आयु के अनुपात में कम वज़न की दरों से अधिक निकटता से जुड़ी हुई है, जो यह बताती है कि अकेले गरीबी में कमी समस्या के समाधान के लिये पर्याप्त नहीं हो सकती है।
- दक्षिण एशिया में बच्चों में कम वज़न की समस्या को जो कारक कम कर सकते हैं उनमें गैर-प्रमुख खाद्य पदार्थों की खपत, स्वच्छता तक पहुँच, महिलाओं की शिक्षा, सुरक्षित जल तक पहुँच, लिंग समानता और राष्ट्रीय खाद्य उपलब्धता में वृद्धि शामिल हैं।
- पिछले दो दशकों में सुधार के बावजूद वैश्विक तौर पर अभी भी भुखमरी का स्तर 'गंभीर' श्रेणी में आता है। यह सूचकांक इस बात का अनुमान व्यक्त करता है कि प्रगति की वर्तमान दर पर विश्व के 50 देश वर्ष 2030 तक भुखमरी की 'निम्न' श्रेणी तक पहुँचने में असफल रहेंगे।
- रिपोर्ट में कहा गया है कि यह संयुक्त राष्ट्र के सतत् विकास लक्ष्य 2 को खतरे में डालता है, जिसका उद्देश्य 2030 तक भुखमरी को समाप्त करना है।

ग्लोबल हंगर इंडेक्स

- ग्लोबल हंगर इंडेक्स नामक यह रिपोर्ट वेल्टहंगरहिल्फ़ और कंसर्न वर्ल्डवाइड द्वारा सालाना तौर पर जारी किया जाने वाला एक संयुक्त-समीक्षा प्रकाशन है जो वैश्विक, क्षेत्रीय और देश के स्तर पर भुखमरी को व्यापक रूप से मापने और उसकी पहचान करने के लिये डिज़ाइन किया गया है। (इस वर्ष तक इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट भी इसके प्रकाशन में शामिल था।)

नोट :

- रिपोर्ट में भुखमरी के स्तर की गणना करने के लिये चार मुख्य संकेतकों का उपयोग किया जाता है। पहला संकेतक अल्पपोषण है, जो कि जनसंख्या के उस हिस्से को इंगित करता है जो अल्पपोषित है और अपर्याप्त कैलोरी उपभोग को दर्शाता है।
- अन्य तीन संकेतक पाँच वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिये निम्नलिखित आँकड़ों का उपयोग करते हैं: बच्चे में कमज़ोरी (ऊँचाई के अनुपात में कम वजन); बच्चे में बौनापन (उम्र के अनुपात में कम ऊँचाई) और बाल मृत्यु।
- जीएचआई का उद्देश्य दुनिया भर में भुखमरी को कम करने के लिये कार्रवाई को शुरू करना है।
- भुखमरी से लड़ने में प्रगति और असफलताओं का आकलन करने के लिये प्रत्येक वर्ष जीएचआई स्कोर की गणना की जाती है।

जस्टिस वर्मा समिति द्वारा यौन उत्पीड़न कानून में बदलाव की सिफारिश

चर्चा में क्यों ?

केंद्र सरकार ने हाल ही में सोशल मीडिया पर #MeToo अभियान के बाद कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न को रोकने के लिये कानूनी और संस्थागत ढाँचे को देखने के लिये न्यायाधीशों का एक पैनल स्थापित करने की अपनी योजना की घोषणा की।

प्रमुख बिंदु

- उल्लेखनीय है कि हाल ही में भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने मी टू अभियान के विस्तार को देखते हुए मामले की गंभीरता से जाँच के लिये जाने-माने कानूनविदों की समिति गठित करने का फैसला लिया है।
- सरकार एक 'तथ्य-खोज आयोग' नियुक्त करेगी जो सार्वजनिक सुनवाई करेगा। पीड़ित महिलाएँ समिति के सामने गवाही भी दे सकती हैं। इसके बाद, समिति कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की व्यापक प्रकृति के कारणों और परिणामों की पहचान करेगी जो कानून में बदलाव का कारण बन सकता है।
- हालाँकि वर्ष 2013 की शुरुआत में न्यायमूर्ति जेएस वर्मा समिति ने लैंगिक कानूनों पर सौंपी गई अपनी ऐतिहासिक रिपोर्ट में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) विधेयक में महत्त्वपूर्ण बदलाव करते हुए आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) की बजाय राज्य स्तरीय रोज़गार अधिकरण की स्थापना की सिफारिश की थी।
- इस समिति का गठन 16 दिसंबर के निर्भया गैंगरेप और उसके प्रतिरोध में हुए राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन के बाद हुआ था तथा 23 जनवरी, 2013 को समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट जमा कर दी गई थी।
- न्यायमूर्ति लीला सेठ और वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल सुब्रमण्यम समेत, न्यायमूर्ति वर्मा की अध्यक्षता वाली इस समिति ने यौन उत्पीड़न विधेयक को 'असंतोषजनक' बताया था और कहा था कि यह विशाखा दिशानिर्देशों की भावना को प्रतिबिंबित नहीं करता है।
- विशाखा दिशानिर्देश कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को रोकने के लिये वर्ष 1997 में सर्वोच्च न्यायलय द्वारा तैयार किया गया था।
- रिपोर्ट में कहा गया था कि तत्कालीन प्रस्तावित कानून के तहत निर्धारित एक आंतरिक शिकायत समिति 'अनुत्पादक' होगी क्योंकि ऐसी आंतरिक शिकायतों से निपटने से महिलाओं को शिकायत दर्ज कराने से हतोत्साहित किया जा सकता है।
- इसके बजाय समिति ने सभी शिकायतों को प्राप्त करने और निर्णय लेने के लिये रोज़गार अधिकरण बनाने का प्रस्ताव रखा था।
- शिकायतों के शीघ्र निपटान को सुनिश्चित करने के लिये न्यायमूर्ति वर्मा समिति ने प्रस्तावित किया था कि अधिकरण को सिविल कोर्ट के रूप में कार्य नहीं करना चाहिये, लेकिन प्रत्येक शिकायत से निपटने के लिये वे अपनी प्रक्रिया का चयन कर सकते हैं।

नियोक्ता पर दायित्व

- समिति ने कहा था कि यौन उत्पीड़न की परिभाषा का दायरा बढ़ाते हुए किसी भी 'अवांछित व्यवहार' को शिकायतकर्त्ता की व्यक्तिपरक धारणा से देखा जाना चाहिये।
- वर्मा समिति ने कहा था कि यदि एक नियोक्ता यौन उत्पीड़न को प्रोत्साहन देता है, ऐसे माहौल की अनुमति देता है जहाँ यौन दुर्व्यवहार व्यापक और व्यवस्थित हो जाता है, जहाँ नियोक्ता यौन उत्पीड़न पर कंपनी की नीति का खुलासा करने और जिस तरीके से कर्मचारी शिकायत दर्ज कर सकते हैं, उस में विफल रहता है, साथ ही ट्रिब्यूनल को शिकायत अग्रेषित करने में विफल रहता है तो इसके लिये नियोक्ता को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। कंपनी शिकायतकर्त्ता को मुआवजे का भुगतान करने के लिये भी उत्तरदायी होगी।

नोट :

- समिति ने महिलाओं को आगे आने और शिकायत दर्ज करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिये कई सुझाव भी दिये थे। मिसाल के तौर पर, समिति ने झूठी शिकायतों के लिये महिलाओं को दंडित करने का विरोध किया और इसे 'कानून के उद्देश्य को खत्म करने से प्रेरित एक अपमानजनक प्रावधान' कहा।
- वर्मा समिति ने यह भी कहा था कि शिकायत दर्ज करने के लिये तीन महीने की समय सीमा को समाप्त किया जाना चाहिये और शिकायतकर्त्ता को उसकी सहमति के बिना स्थानांतरित नहीं किया जाना चाहिये।

निजीकरण और मानवाधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट

चर्चा में क्यों ?

संयुक्त राष्ट्र (UN) द्वारा जारी एक नई रिपोर्ट के मुताबिक, कई समाजों में सार्वजनिक वस्तुओं का व्यापक रूप से निजीकरण मानवाधिकारों को व्यवस्थित रूप से खत्म कर रहा है और गरीबी में रहने वाले लोगों को और अधिक हाशिये पर ले जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र विशेष संवाददाता फिलिप एल्स्टन ने अपनी रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रस्तुत की।

- निजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से निजी क्षेत्र तेजी से या पूरी तरह से सरकार द्वारा की गई गतिविधियों के लिये परंपरागत रूप से ज़िम्मेदार होता है, जिसमें मानव अधिकारों की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिये कई उपाय किये जाते हैं।

मानवाधिकारों पर निजीकरण का प्रभाव

- निजीकरण का इसलिये समर्थन किया जाता है क्योंकि निजी क्षेत्र को अधिक कुशल, वित्त को संगठित करने में अधिक सक्षम, अधिक नवीन और अर्थव्यवस्था के पैमाने पर पूंजी निर्माण में सक्षम तथा लागत कम करने के रूप में देखा जाता है।
- हालाँकि, नेशनल ऑडिट ऑफिस ऑफ द यूनाइटेड किंगडम द्वारा किये गए अध्ययन में निष्कर्ष निकाला गया कि निजी वित्त मॉडल सार्वजनिक वित्तपोषण की तुलना में अस्पतालों, स्कूलों और अन्य सार्वजनिक आधारभूत संरचना प्रदान करने में अधिक महँगा और कम प्रभावशाली साबित हुआ।
- निजीकरण उन मान्यताओं पर आधारित है जो कि मूलभूत रूप से उन लोगों से अलग है जो गरिमा और समानता जैसे मानवाधिकारों का सम्मान करते हैं।
- लाभ ही इसका सर्वोपरि उद्देश्य है और समानता तथा गैर-भेदभाव जैसे विचारों को हटा दिया गया है।
- निजीकरण व्यवस्था मानव अधिकारों के लिये शायद ही कभी हितकर रही है। गरीबी या कम आय वाले लोग निम्नलिखित तरीकों से निजीकरण से नकारात्मक रूप से प्रभावित हो सकते हैंI
- आपराधिक न्याय प्रणाली का निजीकरण किया गया है, इसलिये गरीबों पर कई अलग-अलग शुल्क और जुर्माना लगाया जाता है।
- उन सेवाओं की गुणवत्ता जो वे प्राप्त कर सकते हैं, कम हो जाती है, साथ ही न्याय प्राप्त करने की उनकी संभावना भी कम हो जाती है।
- सामाजिक सुरक्षा के निजीकरण के परिणामस्वरूप अक्सर गरीबों को एक नए और वित्तीय रूप से कमज़ोर सार्वजनिक क्षेत्र के अधीन किया जाता है।
- समाज में श्रमिकों की समस्याओं का हल खोजने के लिये एक मॉडल प्रारूप को व्यक्तियों द्वारा सामना की जाने वाली सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, आर्थिक चुनौतियों को पहचानने के लिये एक अन्य मॉडल द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है जो कि आर्थिक दक्षता संबंधी चिंताओं से प्रेरित होता है।
- बुनियादी ढाँचा परियोजनाएँ निजी प्रदाताओं के लिये सबसे आकर्षक हैं जहाँ महत्त्वपूर्ण उपयोगकर्त्ता शुल्क लिया जा सकता है और निर्माण लागत अपेक्षाकृत कम होती है।
- लेकिन गरीब इस प्रकार के शुल्क का भुगतान नहीं कर पाते हैं इसलिये जल, स्वच्छता, बिजली, सड़क, परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, सामाजिक और वित्तीय सेवाओं जैसी अनेक सेवाओं का उपयोग नहीं कर पाते हैं।

- सोशल सिक्योरिटी सिस्टम का तेज़ी से निजीकरण किया जा रहा है, जो सेवा आउटसोर्सिंग, सोशल इंश्योरेंस, प्रशासनिक विवेकाधिकार का व्यावसायीकरण और अनुकूल परिणाम प्रदान करने में अग्रणी है।
- यह दृष्टिकोण निजी लाभकारी संस्थाओं को व्यक्तियों की आवश्यकताओं और क्षमताओं के बारे में दृढ़ संकल्पित करने के लिये सशक्त करता है।

अनुशंसाएँ

- रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि निजीकरण सिद्धांत रूप में न तो अच्छा है और न ही बुरा लेकिन हाल के दशकों में जिस तरह से निजीकरण हुआ है, उसकी जाँच की जानी चाहिये। इसके लिये निम्नलिखित कदम उठाए जाने चाहिये:
  - मानवाधिकार प्रभावों पर डेटा एकत्र और प्रकाशित किये जाने के लिये निजीकरण के साथ जुड़े सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के भागीदारों द्वारा उचित मानकों को निर्धारित किया जाना चाहिये।
  - विशिष्ट क्षेत्रों तथा गरीब और हाशिये वाले समुदायों के मानवाधिकारों पर निजीकरण के प्रभाव का व्यवस्थित अध्ययन को शामिल किया जाना चाहिये।
  - संधियों, विशेष प्रक्रियाओं, क्षेत्रीय तंत्र तथा राष्ट्रीय संस्थानों के नए तरीकों का अन्वेषण किया जाना चाहिये जो निजीकरण के संदर्भ में उत्तरदायी रूप से राज्यों और निजी क्षेत्र को ज़िम्मेदार ठहरा सकते हैं।

भारतीय संदर्भ में

- भारत में कई ऐसी सरकारी परियोजनाएँ हैं जो सार्वजनिक-निजी भागीदारी पर आधारित हैं।
- हाल ही में नीति आयोग ने सरकार द्वारा संचालित ज़िला अस्पतालों में गैर-संचारी रोगों (NCD) से निपटने के लिये सार्वजनिक-निजी साझेदारी (PPP) के लिये दिशा-निर्देश जारी किये हैं।
- संयुक्त राष्ट्र की यह रिपोर्ट नीति आयोग को अपने दिशा-निर्देशों पर पुनर्विचार करने में मदद कर सकती है।

यौन उत्पीड़न के मामलों को देखने के लिये सरकार द्वारा पैनल गठित

चर्चा में क्यों?

सरकार ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के मामलों से निपटने और इसे रोकने के लिये कानूनी एवं संस्थागत ढाँचों को मजबूती देने हेतु गृह मंत्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व में एक मंत्री समूह (Group of Ministers-GOM) का गठन किया है।

प्रमुख बिंदु

- मंत्री समूह की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा की जाएगी। इसके सदस्यों में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण तथा केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी शामिल हैं।
- मंत्री समूह कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित मामलों से निपटने के लिये मौजूदा कानूनी और संस्थागत ढाँचों का परीक्षण करेगा।
- कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिये मंत्री समूह मौजूदा प्रावधानों के प्रभावी क्रियान्वयन और कानूनी तथा संस्थागत ढाँचों को मज़बूत बनाने के लिये ज़रूरी कार्रवाई की सिफारिश करेगा।
- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने एक इलेक्ट्रॉनिक शिकायत बॉक्स (शी बॉक्स) भी लॉन्च किया है जो कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाने में महिलाओं को सक्षम बनाता है।
- शी-बॉक्स पोर्टल सरकारी और निजी कर्मचारियों सहित देश की सभी महिला कर्मियों को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के खिलाफ ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने की सुविधा प्रदान करता है।

- 'SHE-Box' में शिकायत आने पर इसे सीधे उस संबंधित प्राधिकारी को भेज दिया जाता है जिसे मामले पर कार्रवाई करने का अधिकार होता है।
- सरकार कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा और गरिमा सुनिश्चित करने के लिये प्रतिबद्ध है।
- कार्यस्थल पर महिला यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 कार्यस्थल पर महिला यौन उत्पीड़न को रोकने, उनकी रक्षा करने और यौन उत्पीड़न की शिकायतों का प्रभावी निवारण सुनिश्चित करने के लिये महत्त्वपूर्ण कानून है।
- मंत्री समूह 3 महीने के भीतर महिलाओं के उत्पीड़न एवं सुरक्षा संबंधित मौजूदा प्रावधानों के तहत जाँच करेगा तथा उन्हें और अधिक प्रभावी बनाने के लिये आवश्यक उपायों की सिफारिश करेगा।
- मंत्री समूह का गठन मी टू आंदोलन के मद्देनज़र किया गया है जिसके तहत कई महिलाओं ने कार्यस्थल पर अपना यौन उत्पीड़न करने वालों का सार्वजनिक रूप से नाम लिया है।

दृष्टि The Vision

नोट :

आंतरिक सुरक्षा

अरुणाचल प्रदेश में छः माह के लिये बढ़ा अफस्पा

चर्चा में क्यों ?

हाल में गृह मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, अरुणांचल प्रदेश के तीन ज़िलों और असम से लगे 8 थाना क्षेत्रों में सशस्त्र बल (विशेषाधिकार) कानून अफस्पा [Armed Forces (Special Powers) Act –AFSPA] को अगले छः माह तक के लिये बढ़ा दिया गया है।

गृह मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार

- अरुणाचल प्रदेश के तिरप, चांगलांग और लोंगदिंग ज़िलों को और असम से लगे आठ थाना क्षेत्रों को सशस्त्र बल (विशेषाधिकार) अधिनियम (AFSPA), 1958 के तहत 1 अक्तूबर, 2018 से 31 मार्च, 2019 तक 'अशांत क्षेत्र' घोषित किया गया है।
- आठ थाना क्षेत्रों- पश्चिम कामेंग ज़िले के बालेमू और भालुकपोंग, पूर्वी कामेंग ज़िले का सीजोसा, पापुमपारे ज़िले का बालिजान, नमसाई ज़िले के नमसाई और महादेवपुर, निचली दिबांग घाटी ज़िले में रोइंग तथा लोहित ज़िले के सुनपुरा थाने में AFSPA कानून को बढ़ाया गया है।
- यह फैसला इन क्षेत्रों में कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा करने के बाद लिया गया है।
- अरुणाचल प्रदेश के इन क्षेत्रों में प्रतिबंधित उग्रवादी समूह नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नगालैंड (NSCN-K), यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (ULFA) और नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड (NDFB) सक्रिय हैं।

क्या है अफस्पा ?

- AFSPA या सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम को संसद द्वारा 1958 में पारित किया गया था।
- शुरुआत में इस कानून को अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नगालैंड और त्रिपुरा में लागू किया गया था।
- बढ़ती उग्रवादी गतिविधियों के कारण जम्मू-कश्मीर में इस कानून को 1990 में लागू किया गया था। तब से जम्मू-कश्मीर में यह कानून लागू है। उल्लेखनीय है कि राज्य का लेह-लद्दाख क्षेत्र इस कानून के अंतर्गत नहीं आता।
- अफस्पा, जम्मू-कश्मीर और पूर्वोत्तर के विवादित इलाकों में सुरक्षाबलों को विशेष अधिकार प्रदान करता है। इस कानून को लेकर काफी विवाद है और इसके दुरुपयोग का आरोप लगाकर लंबे समय से इसे हटाने की मांग की जाती रही है।
- अफस्पा का सेक्शन 4, सुरक्षाबलों को किसी भी परिसर की तलाशी लेने और बिना वारंट किसी को गिरफ्तार करने का अधिकार देता है। साथ ही खतरे का संदेह होने की स्थिति में उस स्थान को नष्ट करने का आदेश भी देता है।
- इसके तहत विवादित इलाकों में सुरक्षाबल किसी भी स्तर तक शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। संदेह की स्थिति में उन्हें किसी गाड़ी को रोकने, तलाशी लेने और उसे सीज करने का अधिकार होता है।
- इस कानून के तहत सेना के जवानों को कानून तोड़ने वाले व्यक्ति पर गोली चलाने का भी अधिकार है। यदि इस दौरान उस व्यक्ति की मौत भी हो जाती है तो उसकी जवाबदेही गोली चलाने या ऐसा आदेश देने वाले अधिकारी पर नहीं होगी।
- अफस्पा के तहत केंद्र सरकार राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर किसी राज्य या क्षेत्र को अशांत घोषित कर, वहाँ केंद्रीय सुरक्षाबलों को तैनात करती है।

नोट :

राजधानी में रिकॉर्ड की गई वायु की 'मध्यम' गुणवत्ता

चर्चा में क्यों?

हाल ही में दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक ने प्रदूषण के 'मध्यम' स्तर को दर्ज किया जो कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) द्वारा पूर्वानुमानित 'खराब' स्तर की तुलना में सुधार को दर्शाता है।

प्रमुख बिंदु

- मुख्य रूप से इस साल धान की कटाई में हुई देरी के कारण पिछले वर्ष की तुलना में फसल अवशेषों को जलाने की घटनाओं में सापेक्षिक रूप से गिरावट देखी गई। यही वज़ह है कि हाल ही में दर्ज किया गया प्रदूषण का स्तर पूर्वानुमानित प्रदूषण स्तर से निम्न है।
- आईएमडी के अनुसार, पश्चिमी विक्षोभ ने भी प्रदूषकों को बाहर निकालने में योगदान दिया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कहा कि आँकड़े दर्ज करने से एक दिन पहले मुख्य प्रदूषक पीएम 10 और ओज़ोन जैसे बड़े धूल के कण थे।
- आईएमडी ने अपने पूर्वानुमान में कहा था कि 12 अक्तूबर से हवा की दिशा उत्तर से उत्तर-पश्चिम हो जाएगी, जो कि अपने साथ पंजाब और हरियाणा से ठंडी हवा और फसल अवशिष्ट को जलाने से उत्पन्न प्रदूषण को दिल्ली में लेकर आएगी।
- इसके अलावा, ओडिशा के तट पर शांत चक्रवात 'तितली' उग्र हो रहा है जिससे दिल्ली में हवा की गति कम होने और हवा में मंडराने वाले कणों के अवशेषों की संभाव्यता में वृद्धि होने की उम्मीद है।
- इस वर्ष 27 सितंबर से 9 अक्तूबर के बीच पंजाब में 'आग की घटनाओं' के 399 उदाहरण दर्ज किये गए जो कि पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान दर्ज किये गए मामलों की संख्या का लगभग आधा है।
- सीपीसीबी के अनुसार, सितंबर में भारी बारिश के चलते फसलों की कटाई में कुछ हफ्तों तक की देरी हुई है। दो सप्ताह बाद और अधिक फसल अवशिष्टों के जलने की संभावना है।
- फसल अवशिष्ट को जलाए जाने की समस्या से निपटने के लिये केंद्र सरकार ने कई उपायों की घोषणा की है जिसमें पंजाब, हरियाणा और यूपी के किसानों को अत्यधिक सब्सिडी वाले थ्रेसिंग उपकरण प्रदान करना शामिल है।
- रिपोर्टों के अनुसार, सर्दियों के दौरान फसल अवशिष्ट को जलाना प्रदूषण भार के 20% के लिये ज़िम्मेदार है।

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग

- IMD भारत सरकार के "पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय" (Ministry of Earth Sciences) के अधीन कार्यरत एक विभाग है। इसकी स्थापना 1875 में की गई थी।
- IMD एक प्रमुख एजेंसी है जो मौसम संबंधी अवलोकन एवं मौसम की भविष्यवाणी के साथ-साथ भूकंप संबंधी जानकारी प्रदान करने के लिये भी उत्तरदायी है।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

- केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन एक सांविधिक संगठन के रूप में जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के अंतर्गत सितंबर 1974 को किया गया।
- इसके पश्चात् केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अंतर्गत शक्तियाँ व कार्य सौंपे गए।
- यह बोर्ड क्षेत्र निर्माण के रूप में कार्य करने के साथ-साथ पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अंतर्गत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को तकनीकी सेवाएँ भी उपलब्ध कराता है।
- केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रमुख कार्यों का वर्णन जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत किया गया है।

नोट :

विविध

ऐपण (Aipan)

- उत्तराखंड के कुमाऊँ क्षेत्र में बनाया जाने वाला यह भित्ति चित्र भक्ति कला का एक रूप है। इस कला में धार्मिक रूपों, दोहराव वाले ज्यामितीय आकृतियों और प्रकृति-प्रेरित तत्त्वों को बनाने के लिये केवल दो रंग, लाल और सफेद का उपयोग किया जाता है।
- इसकी पृष्ठभूमि लाल मिट्टी से तैयार की जाती है, जिसे गेरू कहा जाता है और इस पर चावल के आटे से बने सफेद पेस्ट से आकृतियाँ बनाई जाती हैं।
- पारंपरिक रूप से ऐपण बनाने का कार्य महिलाओं द्वारा किया जाता है जो पूजा स्थल, घर के प्रवेश द्वार और आँगन को सजाने के लिये इसका उपयोग करती हैं। इस कला का अभ्यास अक्सर माँ से बेटी तक परिवारों के माध्यम से आगे बढ़ता है।
- शुभ अवसरों को ताज़ा ऐपण के बिना अपूर्ण माना जाता है और विशिष्ट अवसरों पर विभिन्न रूपांकनों का उपयोग किया जाता है। इनमें से कुछ रूपांकन सौभाग्य की प्राप्ति के लिये, कुछ भगवान से आशीर्वाद मांगने या प्रजनन के लिये प्रार्थना करने हेतु बनाए जाते हैं।
- सबसे लोकप्रिय आकृतियों में से एक पवित्र पैरों की आकृति है जो देवी लक्ष्मी का प्रतीक है। अन्य लोकप्रिय आकृतियों में चौकी, मंडप और कलश शामिल हैं, जो प्राकृतिक तत्त्वों जैसे- फूल, पक्षियों और मछली के पूरक के रूप में बनाए जाते हैं।
- हाल के वर्षों में स्थानीय कलाकार और उद्यमी आगंतुकों हेतु स्मृति चिह्नों के रूप में कपड़े के बैग, लकड़ी की ट्रे, हस्तनिर्मित पेपर नोटबुक इत्यादि को सजाने के लिये इसका उपयोग कर रहे हैं, जिन्हें स्थानीय दुकानों से खरीदा जा सकता है।

प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया

हाल ही में द हिंदू समूह के प्रकाशक और पूर्व प्रमुख संपादक एन. रवि को प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का अध्यक्ष तथा पंजाब केसरी समूह के प्रमुख संपादक विजय चोपड़ा को इसका उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है।

- एन. रवि एक्सप्रेस समूह के अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक विवेक गोयनका का स्थान ग्रहण करेंगे।
- एन. रवि अंतर्राष्ट्रीय प्रेस संस्थान के भारतीय क्षेत्र के अध्यक्ष और इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट, वियना के कार्यकारी बोर्ड के सदस्य रहे हैं।
- वह एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के अध्यक्ष तथा 2006 से 2008 तक राष्ट्रीय एकता परिषद (National Integration Council) के सदस्य रह चुके हैं।
- एन. रवि ने संवैधानिक और अंतर्राष्ट्रीय कानून में स्वर्ण पदक सहित कई अकादमिक पुरस्कार भी जीते हैं।
- वह 1972 में द हिंदू में शामिल हुए, जहाँ उन्होंने संवाददाता, एक प्रमुख लेखक, द वाशिंगटन के संवाददाता, उप-संपादक और एक सहयोगी संपादक के रूप में कार्य किया। उन्होंने 1991 से 2011 तक संपादक और अक्तूबर 2013 से जनवरी 2015 तक प्रमुख संपादक के रूप में काम किया।
- प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया (PTI) भारत की प्रमुख समाचार एजेंसी है।
- वर्तमान में, भारत में भारत के कुल न्यूज़ एजेंसी बाज़ार में PTI की हिस्सेदारी लगभग 90 प्रतिशत है।
- इसे वर्ष 1947 में पंजीकृत किया गया था और 1949 में इसने काम करना शुरू कर दिया।

शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार- 2018

अपनी स्थापना दिवस के अवसर पर वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (Council of Scientific and Industrial Research- CSIR) ने वर्ष 2018 के लिये शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार प्राप्त करने वाले विजेताओं की सूची जारी की है।

नोट :

- हर साल 45 वर्ष से कम आयु के कई वैज्ञानिकों को देश भर के विभिन्न संस्थानों से चुना जाता है और पिछले पाँच वर्षों में उनके उत्कृष्ट वैज्ञानिक कार्य के लिये सम्मानित किया जाता है।
- विभिन्न श्रेणियों में इस वर्ष के विजेताओं की सूची इस प्रकार है :

जीव विज्ञान - डॉ. गणेश नागाराजू (भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलूरू) और डॉ. थॉमस पुकाडिल (भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान –IISER पुणे)।

रसायन विज्ञान – डॉ. राहुल बनर्जी तथा डॉ. स्वाधीन कुमार मंडल (IISER कोलकाता)।

पृथ्वी, वातावरण, सामुद्रिक एवं ग्रहीय विज्ञान - डॉ. मेदिनेनी वेंकट रत्न (राष्ट्रीय वातावरण अनुसंधान प्रयोगशाला, तिरूपति) और डॉ. पार्थसारथी चक्रवर्ती (CSIR-राष्ट्रीय सामुद्रिक संस्थान)।

अभियांत्रिकी विज्ञान – डॉ. अमित अग्रवाल और डॉ. अश्विन अनिल गुमास्ते (IIT बॉम्बे)।

गणितीय विज्ञान - डॉ. अमित कुमार (IIT दिल्ली) और डॉ. नितिन सक्सेना (IIT कानपुर)।

चिकित्सा विज्ञान - डॉ. गणेशन वेंकट सुब्रमण्यम (राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान, बंगलूरू)।

भौतिक विज्ञान - डॉ. अदिति सेन डे (हरीशचंद्र अनुसंधान संस्थान, इलाहाबाद) और डॉ. अंबरीश घोष (भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलूरू)।

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR)

- वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विविध क्षेत्रों में अपने अग्रणी अनुसंधान एवं विकास ज्ञानाधार के लिये ज्ञात एक समसामयिक अनुसंधान एवं विकास संगठन है।
- CSIR की स्थापना वर्ष 1942 में की गई थी। यह एक स्वायत्त संस्था है तथा भारत का प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता है।
- शिमागो इंस्टीट्यूशन्स रैंकिंग वर्ल्ड रिपोर्ट 2014 के अनुसार, विश्व भर के 4851 संस्थानों में CSIR का स्थान 84वाँ है और यह शीर्षस्थ 100 अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में अकेला भारतीय संगठन है। एशिया में CSIR 17वें और देश में पहले स्थान पर है।

महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छता सम्मेलन तथा महात्मा गांधी म्यूज़ियम

हाल ही में नई दिल्ली में महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छता सम्मेलन (Mahatma Gandhi International sanitation Convention) का आयोजन तथा गुजरात में महात्मा गांधी म्यूज़ियम का उद्घाटन किया गया।

- इस सम्मेलन में 68 भागीदार देशों के मंत्रियों तथा प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
- महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर होने वाले समारोह की शुरुआत के तौर पर अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छता सम्मेलन का आयोजन पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है।
- महात्मा गांधी संग्रहालय को अल्फ्रेड हाईस्कूल में स्थापित किया गया है, जो महात्मा गांधी के जीवन के प्रारंभिक वर्षों का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा था। यह गांधीवादी संस्कृति, मूल्यों और दर्शन के बारे में जागरूकता फैलाने में मदद करेगा।

IBSAMAR-VI

भारत, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका की नौसेनाओं के बीच संयुक्त बहुराष्ट्रीय सामुद्रिक अभ्यास IBSAMAR (India-Brazil-South Africa- MARITIME) के छठे संस्करण का आयोजन दक्षिण अफ्रीका के सिमन्स टाउन में 01 से 13 अक्तूबर 2018 तक किया जा रहा है।

- IBSAMAR अभ्यास के पाँचवें संस्करण का आयोजन गोवा में 19 से 26 फरवरी, 2016 को किया गया था।
- इस सैन्य अभ्यास के प्रथम संस्करण का आयोजन वर्ष 2008 में किया गया था।
- इस सैन्य अभ्यास का उद्देश्य भाग लेने वाली नौसेनाओं को सामूहिक प्रशिक्षण प्रदान करना, अंतरसक्रियता और पारस्परिक समझ के साथ-साथ सर्वोत्तम प्रणालियों को साझा करना है।
- IBSAMAR-VI में भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व निर्देशित मिसाइल फ्रिगेट तर्कश, निर्देशित मिसाइल विनाशक कोलकाता, लांग रेंज सामुद्रिक निगरानी विमान P8I, सीकिंग और चेतक हेलीकॉप्टरों के साथ-साथ एक मार्कोस दल द्वारा किया जा रहा है।
- इस बार अभ्यास में पेशेवर गतिविधियों के अलावा, खेल और सामाजिक कार्यक्रमों के आयोजन की भी योजना बनाई गई है।

नोट :

उन्नत भारत अभियान

उन्नत भारत अभियान के अगले चरण 'उन्नत भारत अभियान- 2' के लिये चुनौतीपूर्ण प्रणाली के आधार पर 840 संस्थानों का चयन किया गया है और ये सभी संस्थान उन्नत भारत अभियान-2 का हिस्सा होंगे।

- चयनित 840 संस्थानों में 521 तकनीकी संस्थान और 319 गैर-तकनीकी संस्थान हैं।

पृष्ठभूमि

- उन्नत भारत अभियान की अवधारणा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) दिल्ली के समर्पित संकाय सदस्यों के समूह की पहल के साथ तब अस्तित्व में आई जब ये सदस्य लंबे समय से ग्रामीण विकास और उपयुक्त प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कार्य कर रहे थे।
- सितंबर 2014 में IIT दिल्ली में आयोजित एक राष्ट्रीय कार्यशाला के दौरान विभिन्न प्रौद्योगिकी संस्थानों, रूरल टेक्नोलॉजी एक्शन ग्रुप (RuTAG) के समन्वयकों, स्वैच्छिक संगठनों और सरकारी एजेंसियों के प्रतिनिधियों के साथ विस्तृत परामर्श के बाद यह अवधारणा और अधिक परिपक्व हुई।
- इस कार्यशाला को काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपुल्स एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी (CAPART), ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित किया गया था।
- कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत 11 नवंबर, 2014 को भारत मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा की गई थी।

लक्ष्य

- उच्च शिक्षण संस्थानों के बीच विकास एजेंडे से संबंधित आपसी तालमेल तथा संस्थागत क्षमताओं का विकास करना और राष्ट्र की आवश्यकताओं विशेष रूप से ग्रामीण आवश्यकताओं के अनुरूप प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।
- उच्च शिक्षा के आधार के रूप में क्षेत्रीय स्तर पर कार्य किये जाने की आवश्यकता, हिस्सेदारों के बीच बातचीत तथा सामाजिक उद्देश्यों की प्राप्ति पर ज़ोर देना।
- नए व्यवसायों के विकास केंद्र के रूप में सही रिपोर्टिंग और उपयोगी परिणामों पर ज़ोर देना।
- ग्रामीण भारत और क्षेत्रीय एजेंसियों के लिये उच्च शिक्षा संस्थानों के पेशेवरों (विशेष रूप से ऐसे पेशेवर जिन्होंने विज्ञान, इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी तथा प्रबंधन के क्षेत्र में शैक्षणिक उत्कृष्टता हासिल की है) तक पहुँच सुनिश्चित करना।
- इस शोध के फलस्वरूप विकास परिणामों में सुधार लाना। अनुसंधान के परिणामों को बनाए रखने और समाहित करने के लिये नए व्यवसाय और नई प्रक्रियाओं को विकसित करना।
- विज्ञान, समाज और पर्यावरण से संबंधित बड़े समुदायों के बीच एक नई वार्ता को बढ़ावा देना।

एविया इंद्र- 18

17 से 28 सितंबर, 2018 तक भारत और रूस संघ की वायुसेना के बीच छमाही वायुसेना अभ्यास एविया इंद्र- 18 के पहले सत्र का आयोजन लिपेत्स्क, रूस में किया गया।

- इस वर्ष युद्धाभ्यास के दूसरे सत्र का आयोजन भारत के जोधपुर में 10 से 22 दिसंबर, 2018 तक किया जाएगा।
- इस अभ्यास का उद्देश्य एक द्विपक्षीय परिदृश्य में आतंकवाद विरोधी अभियान में वायु शक्ति का उपयोग करना उसे मान्यता देने के साथ सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना था।
- इस अभ्यास में एयरोस्पेस सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी वायु संचालन पर ब्रीफिंग (briefing) शामिल थी।
- पहली बार एविया-इंद्र का आयोजन वर्ष 2014 में किया गया था।
- इस सैन्य अभ्यास में भाग लेने वाले भारतीय विमान थे- सुखोई-30 (SU-30), मिग- 29, Mi-8 तथा An-26।

नोट :

सुरिंसर-मानसर झील

- जम्मू-कश्मीर में स्थित यह झील अंतर्राष्ट्रीय महत्त्व की वेटलैंड्स की रामसर सूची में शामिल 26 स्थलों की सूची में से एक है।
- सुरिंसर तथा मानसर झील को जुड़वाँ झील माना जाता है।
- सुरिंसर मानसर वन्यजीव अभयारण्य दोनों झीलों के मध्य स्थित है।
- महाभारत काल के दौरान इसकी पौराणिक उत्पत्ति के कारण कई मंदिरों के साथ यह स्थल सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूप से बहुत महत्त्वपूर्ण है।
- सुरिंसर झील वर्षा जल पर निर्भर है तथा इस झील का कोई स्थायी बहाव नहीं है। जबकि मानसर मुख्य रूप से सतह पर प्रवाहित होने वाले जल तथा धान के खेतों से रिस कर आने वाले मिनरल जल पर आंशिक रूप से निर्भर है, जिसमें बरसात के मौसम में बढ़ोतरी हो जाती है।
- वर्तमान में मानवीय हस्तक्षेप तथा जलवायु परिवर्तन की वज़ह से इसके अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है।

ऊँट कडाल पुल श्रीनगर

हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय कला एवं सांस्कृतिक धरोहर ट्रस्ट (Indian National Trust For Art And Cultural Heritage- INTACH) ने 17वीं शताब्दी के प्रतिष्ठित पुल ऊँट कडाल का पुनरुद्धार करने का फैसला किया है। उल्लेखनीय है कि INTACH द्वारा इस पुल के पुनरुद्धार का कार्य जर्मनी की मदद से पूरा किया जाएगा।

- ऊँट के कूबड़ के समान संरचना वाला यह पुल जिसे स्थानीय रूप से ऊँट कडाल के नाम से जाना जाता है, डल झील के बीच में स्थित है और इसका अधिकांश भाग निशात बाग़ से दिखाई देता है।
- ऊँट कडाल उस क्षेत्र का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें डल झील, ज़बरवान पर्वत श्रृंखला (पीर पंजाल और ग्रेट हिमालय रेंज के बीच उप-पर्वत श्रृंखला) और निशात बाग जैसे विश्व धरोहर स्थल है।
- ज़बरवान पर्वत श्रृंखला हिमालयी वन्यजीवन से समृद्ध है। दाचीगाम नेशनल पार्क इस श्रेणी की प्रमुख विशेषता है जिसमें कश्मीर स्टैग (हंगुल) की आखिरी व्यवहार्य आबादी मौजूद है।
- ऊँट कडाल के पुनरुद्धार से डल झील की वैश्विक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत पर फिर से ध्यान केंद्रित होगा।

भारतीय राष्ट्रीय कला एवं सांस्कृतिक धरोहर ट्रस्ट (INTACH)

- यह सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत एक गैर-लाभकारी धर्मार्थ संगठन है।
- इसे भारत में विरासत जागरूकता और संरक्षण का नेतृत्व करने के दृष्टिकोण से 1984 में नई दिल्ली में स्थापित किया गया था।
- वर्ष 2007 में संयुक्त राष्ट्र ने इसे संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के साथ-साथ एक विशेष सलाहकार का दर्जा प्रदान कर सम्मानित किया गया था।

भारत और एशियाई विकास बैंक के बीच ऋण समझौते पर हस्ताक्षर

हाल ही में भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक (Asian Development Bank- ADB) ने आर्सेनिक, फ्लोराइड और लवणता से प्रभावित पश्चिम बंगाल के तीन ज़िलों में निरंतर सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिये 240 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं।

- इस परियोजना के माध्यम से लगभग 1.65 मिलियन लोगों को निरंतर सुरक्षित पेयजल उपलब्ध हो सकेगा।
- इस परियोजना का उद्देश्य भूजल के अत्यधिक उपयोग से संबंधित चिंताओं को दूर करना है. इस परियोजना से प्रदूषित भूजल के कारण होने वाली बीमारियों में कमी आएगी।
- इसके तहत विभिन्न परिवारों को व्यक्तिगत कनेक्शन देने के साथ-साथ ज़िला स्तर पर मीटर कनेक्शन आधारित जलापूर्ति सुनिश्चित की जाएगी और इसके साथ ही स्मार्ट जल प्रबंधन के लिये उन्नत प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाएगा।

वित्तीय अनुदान

- इस परियोजना के लिये जापान गरीबी उन्मूलन कोष से 3 मिलियन डॉलर का अनुदान मिल रहा है जिसका वित्तपोषण जापान सरकार द्वारा किया गया है।
- इसी तरह इस परियोजना के लिये ADB के शहरी जलवायु परिवर्तन सुदृढ़ ट्रस्ट फंड (Urban Climate Change Resilience Trust Fund) से 2 मिलियन डॉलर का अनुदान मिल रहा है।

एशियाई विकास बैंक

- एशियाई विकास बैंक एक बहुपक्षीय वित्तीय संस्था है। इसकी स्थापना एशिया और प्रशांत क्षेत्रों में आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से वर्ष 1966 में की गई थी, जिसका मुख्यालय मनीला (फिलिपींस) में है।
- यह बैंक क्षेत्रीय, उप-क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय परियोजनाओं को प्राथमिकता देता है। सामाजिक और पर्यावरण संबंधी परियोजनाओं को सहायता प्रदान करने पर बैंक का विशेष ध्यान रहता है। इसके प्रमुख कार्य हैं:
- विकास परियोजनाओं और कार्यक्रमों के लिये वित्तीय और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराना।
- आर्थिक विकास के लिये लोक एवं निजी पूंजी निवेश को प्रोत्साहन देना।
- विकासशील सदस्य-राष्ट्रों की विकास योजनाओं और नीतियों के समन्वय में सहायता प्रदान करना।
- एशियाई विकास बैंक में मतदान व्यवस्था विश्व बैंक के अनुरूप है, जहाँ मत विभाजन सदस्य राष्ट्रों की पूंजी के अनुपात में होता है। एशियाई विकास बैंक संयुक्त राष्ट्र का आधिकारिक पर्यवेक्षक भी है।

यूनेस्को ग्लोबल जिओ पार्क स्टेटस

लोनार झील, सेंट मैरी द्वीप, और माल्पे बीच ग्लोबल जिओ पार्क का दर्जा पाने के लिये तैयार हैं।

- ग्लोबल जियो पार्क एकीकृत भौगोलिक क्षेत्र होते हैं जहाँ अंतर्राष्ट्रीय भूगर्भीय महत्त्व के स्थलों व परिदृश्यों का सुरक्षा, शिक्षा और टिकाऊ विकास की समग्र अवधारणा के साथ प्रबंधन किया जाता है।
- यूनेस्को ग्लोबल जिओ पार्क की स्थापना की प्रक्रिया निचले स्तर से शुरू की जाती है जिसमें सभी प्रासंगिक स्थानीय तथा क्षेत्रीय दावेदारों जैसे कि भू-मालिकों, सामुदायिक समूहों, पर्यटन सेवा प्रदाताओं, तथा स्थानीय लोगों आदि को शामिल किया जाता है।
- एक महत्त्वाकांक्षी ग्लोबल जिओ पार्क के लिये एक समर्पित वेबसाइट, कॉर्पोरेट पहचान तथा व्यापक प्रबंधन योजना का होना आवश्यक है।

जिओ पार्क टैग का महत्त्व

- इससे अभिनव स्थानीय उद्यमों, नई नौकरियों और उच्च गुणवत्ता वाले प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का निर्माण होता है तथा भू-पर्यटन के माध्यम से राजस्व के नए स्रोत उत्पन्न होते हैं, जबकि क्षेत्र के भूगर्भीय संसाधन संरक्षित होते हैं।
- यूनेस्को ग्लोबल जिओ पार्क समाज के सामने आने वाले प्रमुख मुद्दों जैसे- पृथ्वी के संसाधनों का स्थायी रूप से उपयोग करना, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करना, प्राकृतिक आपदा से संबंधित जोखिम क्षेत्र आदि के मामले में जागरूकता और समझ को बढ़ाने के लिये, क्षेत्र के प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत के अन्य सभी पहलुओं के साथ-साथ इसके भूगर्भीय विरासत को महत्त्व देता है।
- जिओ पार्क टैग ऐतिहासिक स्मारक के लिये दिये जाने वाले टैग 'विश्व धरोहर स्थल' के समान है।

लोनार झील

- लोनार क्रेटर झील भारत के भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा अधिसूचित राष्ट्रीय भू-विरासत स्मारक है। यह महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले में स्थित खारे पानी की झील है।

सेंट मैरी द्वीप

- सेंट मैरी द्वीप जो नारियल द्वीप और थोन्सेपार के नाम से भी प्रसिध्द है, उडुपी, कर्नाटक के मालपे तट पर अरब सागर में स्थित चार छोटे द्वीपों का एक समूह है।

नोट :

- वे बेसाल्ट लावा द्वारा अपने विशिष्ट भूवैज्ञानिक गठन के लिये जाने जाते हैं।
- 2001 में भारत के भूगर्भीय सर्वेक्षण द्वारा इसे "जियो टूरिज़्म" के लिये महत्त्वपूर्ण स्थल के रूप में घोषित किया गया।

मालपे बीच

- मालपे एक प्राकृतिक बंदरगाह है जो कर्नाटक में उडुपी के पश्चिम में स्थित है।
- यह कर्नाटक तट पर स्थित एक महत्त्वपूर्ण बंदरगाह और एक मछली पकड़ने का प्रमुख स्थान है।

बायोमेट्रिक आधारित डिजिटल प्रोसेसिंग सेवा नीति

हाल ही में केंद्रीय नागर विमानन मंत्रालय द्वारा हवाई अड्डों पर विमान यात्रियों को उपलब्ध कराई जाने वाली बायोमेट्रिक आधारित डिजिटल प्रोसेसिंग सेवा- 'डिजी यात्रा प्लेटफॉर्म' की नीति जारी की गई है।

- डिजी यात्रा प्लेटफॉर्म के लिये मानक तय करने के लिये एक तकनीकी कार्यसमिति बनाई गई है जिसमें हवाई अड्डों के संचालक, विमान सेवा देने वाली कंपनियाँ और नागरिक उड्डयन क्षेत्र के प्रतिनिधि शामिल हैं।
- फरवरी 2019 के अंत तक बंगलूरू और हैदराबाद के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इसे पायलट स्तर पर शुरू किया जाएगा। अप्रैल 2019 तक इसे कोलकाता, वाराणसी, पुणे और विजयवाड़ा के हवाई अड्डों पर भी उपलब्ध करा दिया जाएगा।

प्रमुख विशेषताएँ

- यह डिजिटल आधारित ऐसी प्रणाली है जिससे यात्रियों की पहचान उनके चेहरे से की जा सकेगी। यह हवाई अड्डे में प्रवेश करने और विमान पर सवार होने तक यात्रियों को यात्रा का सहज अनुभव कराएगी।
- इस प्रणाली के तहत यात्रियों का एक केंद्रीयकृत प्रणाली के ज़रिये पंजीकरण किया जाएगा और उन्हें डिजी यात्रा आईडी दी जाएगी। आईडी में यात्रियों का नाम, उनकी ई-मेल आईडी, मोबाइल नंबर और आधार न होने की स्थिति में कोई अन्य पहचान पत्र का विवरण होगा।
- डिजी यात्रा आईडी बनाने वाले यात्री को उस हवाई अड्डे पर पहली और अंतिम बार अपना सत्यापन कराना होगा जहाँ से वह प्रस्थान करने वाला है।
- 'डिजी-यात्रा' योजना, यूनिक आईडी जैसे- भारतीय नागरिकों के आधार, पासपोर्ट या पैन कार्ड को पीएनआर की बुकिंग के लिये लिंक करेगी। बुकिंग के समय स्वचालित प्रणाली हवाई टिकट के साथ अद्वितीय पहचान (यूआईडी) को लिंक करेगी।
- डिजी यात्रा के ज़रिये विमान सेवा कंपनियाँ टर्मिनल पर मौजूद अपने यात्रियों की स्थिति की पूरी जानकारी हासिल कर सकेंगी। इससे यात्रियों के समय पर न पहुँचने या उनके गुम हो जाने की स्थिति में उड़ान में देरी जैसी समस्या नहीं उत्पन्न होगी। इसके साथ ही हवाई अड्ड़े पर यात्रियों की सुरक्षा जांच भी सुगम हो जाएगी।

तंबाकू उत्पादों पर चित्रमय चेतावनी में भारत का 5वाँ स्थान

हाल ही में कनाडाई कैंसर सोसाइटी द्वारा जारी 'सिगरेट पैकेज स्वास्थ्य चेतावनी: अंतर्राष्ट्रीय स्थिति रिपोर्ट' (The Cigarette Package Health Warnings: International Status Report) में तंबाकू उत्पादों पर चित्रमय स्वास्थ्य चेतावनी देने वाले देशों की सूची में भारत को पाँचवें स्थान पर रखा गया है। इस रिपोर्ट में सादी पैकेजिंग पर वैश्विक प्रगति का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

- इस रिपोर्ट के अंतर्गत सिगरेट की पैकेजिंग पर स्वास्थ्य संबंधी चेतावनियों के आकार के संबंध में 206 देशों और क्षेत्रों को शामिल करते हुए यह रैंकिंग जारी की गई है।
- पूर्वी तिमोर को पैकेजिंग के मुख्य पृष्ठ पर 85% और पिछले पृष्ठ पर 100% चित्रमय चेतावनियों के लिये पहले स्थान पर रखा गया है। नेपाल में पैकेजिंग के दोनों तरफ 90% चित्रमय चेतावनी का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि भारतीय पैकेजिंग में दोनों तरफ 85% पर चित्रमय चेतावनी होती है।
- इस रिपोर्ट के अनुसार, वर्तमान समय में 118 देशों और क्षेत्रों द्वारा सिगरेट पैकेजिंग पर चित्रमय चेतावनी को अनिवार्य कर दिया गया है। 2001 में सर्वप्रथम कनाडा ने चित्रमय स्वास्थ्य चेतावनियों की पेशकश की थी।

नोट :

- गौर करने वाली बात यह है कि भारत एकमात्र सार्क देश है जो तंबाकू उत्पादों पर क्विट-लाइन नंबर (Quit-Line number) का इस्तेमाल करता है, हालाँकि समस्त एशिया में थाईलैंड, मलेशिया और सिंगापुर के बाद इसका चौथा स्थान है।
- आपको बता दें कि भारत सरकार ने पहली बार सभी तंबाकू उत्पादों पर चित्रमय चेतावनी के लिये क्विट-लाइन नंबर की शुरुआत की है।

क्विट-लाइन नंबर

- यह तंबाकू के उपभोग से होने वाले नुकसान के बारे में लोगों (विशेष रूप से अशिक्षित) और बच्चों को चेतावनी देने में मदद करेगा। क्विट-लाइन नंबर उन लोगों के लिये मददगार साबित होगा जो इस लत को छोड़ना चाहते है।
- सिगरेट, बीड़ी और अन्य तंबाकू उत्पादों के दोनों तरफ मौजूद वर्तमान चित्रमय चेतावनियों को अप्रैल 2016 में राजस्थान उच्च न्यायालय और बाद में सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों के बाद प्रभाव में लाया गया।

ग्वादर तेल रिफाइनरी

सऊदी अरब पाकिस्तान के गहरे पानी के बंदरगाह ग्वादर में एक नई तेल रिफाइनरी स्थापित करने के संदर्भ में निवेश करने के लिये राजी हो गया है।

- इस परियोजना के क्रियान्वयन के लिये पाकिस्तान सऊदी राज्य की तेल कंपनी अरामको के साथ साझेदारी में कार्य करेगा।

ग्वादर

- ग्वादर बंदरगाह अरब सागर में स्थित है। दक्षिण एशिया, मध्य एशिया और पश्चिम एशिया के बीच स्थित होने के कारण यह रणनीतिक रूप से काफी महत्त्वपूर्ण है। ग्वादर शहर एक 60 किमी चौड़ी तटवर्ती पट्टी पर बसा हुआ है जिसे मकरान के नाम से भी जाना जाता है। ईरान तथा फ़ारस की खाड़ी के समीप होने के कारण यह सैन्य एवं राजनैतिक रूप से काफी महत्त्व रखता है।

ग्वादर बंदरगाह परियोजना

- आपकी जानकारी के लिये बता दें कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के तटीय कस्बे ग्वादर और इसके आसपास के इलाके को वर्ष 1958 में पाकिस्तान सरकार ने ओमान से ख़रीदा था।
- इस तटीय क्षेत्र में एक बड़ा बंदरगाह बनाने की संभावनाओं पर उस समय से विचार किया जा रहा है जब वर्ष 1954 में एक अमेरीकी भूगर्भ सर्वेक्षण में ग्वादर को डीप सी पोर्ट के लिये एक बेहतरीन स्थान के रूप में रेखांकित किया गया।
- परंतु वर्ष 2002 में वास्तविक रूप में इस विचार को अमल में लायए जाने के प्रयास शुरू किये गए। तत्कालीन सेना अध्यक्ष जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने ग्वादर बंदरगाह के निर्माण कार्य का उद्घाटन किया और 24 करोड़ डॉलर की लागत से यह परियोजना 2007 में पूरी हुई।
- नीलामी के बाद इस बंदरगाह के संचालन का कार्य सिंगापुर की एक कंपनी को दे दिया गया। ग्वादर बंदरगाह पहली बार विवाद में तब आया जब 2013 में पाकिस्तान सरकार ने इसके निर्माण का ठेका सिंगापुर की कंपनी से लेकर एक चीनी कंपनी को दे दिया।
- इस परियोजना को चीन-पाकिस्तान आर्थिक कॉरीडोर का नाम दिया गया, जिसके तहत चीन को ग्वादर बंदरगाह से जोड़ने की योजना है।
- इस समझौते पर 2015 में हस्ताक्षर किये गए जिसके बाद यह स्पष्ट किया गया कि इस परियोजना में सड़कें, रेलवे और बिजली परियोजनाओं के अलावा कई विकास परियोजनाओं को भी शामिल किया गया है। चूँकि यह रास्ता ग्वादर से शुरू होता है (या समाप्त होता है), इसलिये ग्वादर और इस बंदरगाह का इस पूरी परियोजना में अहम स्थान है।

स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण पुरस्कार- 2018

हाल ही में पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय द्वारा शुरू किये गए राष्ट्रीय स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण- 2018 के आधार पर अधिकतम जन भागीदारी के साथ शीर्ष स्थान पाने वाले ज़िलों और राज्यों को पुरस्कृत किया।

- इन पुरस्कारों के तहत हरियाणा ने शीर्ष स्थान हासिल किया जबकि गुजरात और महाराष्ट्र क्रमश: दूसरे तथा तीसरे स्थान पर रहे।
- महाराष्ट्र के सतारा ज़िले ने स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण- 2018 की रैंकिंग में सबसे अच्छे ज़िलों में पहला स्थान हासिल किया जबकि रेवाड़ी (हरियाणा) तथा पेडापल्ली (तेलंगाना) क्रमश: दूसरे तथा तीसरे स्थान पर रहे।

- उत्तर प्रदेश को पेयजल और स्वच्छता के क्षेत्र में सर्वाधिक जनभागीदारी के लिये पुरस्कृत किया गया।
- इस दौरान उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा जनभागीदारी वाले राज्य रहे।
- नासिक (महाराष्ट्र), सोलापुर (महाराष्ट्र), चितौड़गढ़ (राजस्थान) सबसे ज़्यादा जनभागीदारी वाले ज़िले रहे।

पृष्ठभूमि

- पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय ने एक स्वतंत्र सर्वेक्षण एजेंसी के माध्यम से मात्रात्मक और गुणात्मक स्वच्छता (स्वच्छता) मानकों के आधार पर भारत के सभी ज़िलों की रैंकिंग तय करने के लिये "स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण- 2018" (SSG 2018) की शुरुआत की थी।
- इसके तहत पूरे भारत में 685 ज़िलों के 6786 गाँवों को शामिल किया गया था तथा एक स्वतंत्र एजेंसी ने इन गाँवों के 27,963 सार्वजनिक स्थानों अर्थात् स्कूल, आँगनवाड़ी, सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र, हाट/बाज़ार/धार्मिक स्थानों आदि का सर्वेक्षण किया।

चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड- 2018

हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान 'चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड' प्राप्त किया।

- भारतीय प्रधानमंत्री को इंटरनेशनल सौर गठबंधन में अपने अग्रणी कार्यों और 2022 तक भारत में सभी प्रकार के एकल उपयोग वाले प्लास्टिक को खत्म करने की अभूतपूर्व प्रतिज्ञा के लिये नेतृत्व (leadership) की श्रेणी में चुना गया है।
- 2005 में लॉन्च किया गया यह पुरस्कार उन सार्वजनिक क्षेत्रों, निजी क्षेत्रों और सिविल सोसाइटी के उत्कृष्ट आँकड़ों को मान्यता देता है जिनके कार्यों से पर्यावरण पर एक परिवर्तनीय सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
- 'चैंपियंस ऑफ द अवार्ड' के अंतर्गत निम्नलिखित श्रेणियों में पुरस्कार दिये जाते हैं:
- लाइफटाइम अचीवमेंट
- नीति नेतृत्व (Policy Leadership)
- कार्य और प्रेरणा
- उद्यमी दृष्टि
- विज्ञान और नवाचार

चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड- 2018 विजेताओं की सूची

- लाइफटाइम अचीवमेंट – जोआन कार्लिंग (Joan Carling)
- नीति नेतृत्व – नरेंद्र मोदी (भारत के प्रधानमंत्री) तथा इमानुअल मैक्रॉन (फ्राँस के राष्ट्रपति)
- कार्य और प्रेरणा – ज्हेजिंग ग्रीन रूरल रिवाइवल प्रोग्राम (Zhejing Green Rural Revival Programme), चीन
- उद्यमी दृष्टि – कोचीन इंटरनेशनल एअरपोर्ट
- विज्ञान और नवाचार – बियॉन्ड मीट तथा इम्पॉसिबल फूड्स (संयुक्त रूप से)

अलफांसो आम को मिला जी.आई टैग

महाराष्ट्र के रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पालघर, ठाणे और रायगढ़ ज़िलों के अल्फांसो आम को भौगोलिक संकेत (Geographical Indication- GI) टैग प्रदान किया गया है।

- अलफांसों आम को फलों का राजा माना जाता है तथा महाराष्ट्र में इसे 'हापुस' नाम से भी जाना जाता है।
- अपने स्वाद ही नहीं बल्कि सुगंध और रंग के चलते इस आम की माँग भारतीय बाज़ारों के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में भी है।

भौगोलिक संकेत और उनका महत्त्व

- भौगोलिक संकेत (Geographical Indication) का इस्तेमाल एक ऐसे उत्पादों के लिये किया जाता है, जिसका एक विशिष्ट भौगोलिक मूल क्षेत्र होता है।

नोट :

- इन उत्पादों की विशिष्ट विशेषताएँ एवं प्रतिष्ठा भी इसी मूल क्षेत्र के कारण होती है। इस तरह का संबोधन उत्पाद की गुणवत्ता और विशिष्टता का आश्वासन देता है।
- उदाहरण के तौर पर- दार्जिलिंग की चाय, महाबलेश्वर की स्ट्राबेरी, जयपुर की ब्लू पोटरी, बनारसी साड़ी और तिरुपति के लड्डू ऐसे ही कुछ प्रसिद्ध भौगोलिक संकेत हैं।
- भौगोलिक संकेत किसी भी देश की प्रसिद्धि एवं संस्कृति के प्रचार-प्रसार के कारक होते हैं। किसी भी देश की प्रतिष्ठा में इनका अत्यंत महत्त्वपूर्ण स्थान होता हैं। वस्तुत: ये भारत की समृद्ध संस्कृति और सामूहिक बौद्धिक विरासत का एक अभिन्न अंग हैं।
- विशिष्ट प्रकार के उत्पादों को जी.आई. टैग प्रदान किये जाने से दूरदराज़ के क्षेत्रों की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी लाभ मिला है।
- पहली बार वर्ष 2004 में भौगौलिक संकेत टैग दार्जिलिंग चाय को मिला था।
- भारत में अभी तक कुल 325 उत्पादों को जी.आई टैग मिल चुका है।

मेथनॉल कुकिंग ईंधन कार्यक्रम

राज्य की स्वामित्व वाली कंपनी- नार्थईस्ट एंड असम पेट्रो-केमिकल्स ने एशिया का पहला कनस्तर आधारित और भारत का पहला 'मेथनॉल कुकिंग ईंधन कार्यक्रम' लॉन्च किया।

- इस पायलट परियोजना में असम पेट्रो कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत 500 परिवारों को शामिल किया जाएगा, जिसे बाद में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, गोवा और कर्नाटक में 40,000 परिवारों तक बढ़ाया जाएगा।
- सुरक्षित रूप से संचालित होने वाले ये कनस्तर आधारित कुकिंग स्टोव स्वीडिश टेक्नोलॉजी से बने हैं।
- यह एक अद्वितीय तकनीक है जो मेथनॉल का बेहद सुरक्षित ढंग से उपयोग करती है और इसमें किसी रेगुलेटर या किसी भी पाइपिंग सिस्टम की आवश्यकता नहीं होती है।

मेथनॉल क्या है?

- मेथनॉल एक हल्का, वाष्पशील, रंगहीन, ज्वलनशील द्रव है।
- यह सबसे सरल संरचना वाला अल्कोहल है।
- यह जैवईंधन के रूप में भी उपयोगी है।
- यह कार्बनिक यौगिक है।
- इसे काष्ठ अल्कोहल भी कहते हैं।
- यह प्राकृतिक गैस, कोयला एवं विभिन्न प्रकार के पदार्थों से बनता है।
- इसके दहन से कार्बन उत्सर्जन कम होता है इसलिये यह एक स्वच्छ ईंधन है।
- मेथनॉल ईंधन की आवश्यकता क्यों?
- मेथनॉल ईंधन में विशुद्ध ज्वलनशील कण विद्यमान होते हैं इसलिये यह परिवहन में पेट्रोल और डीज़ल दोनों तथा रसोई ईंधन में एलपीजी, लकड़ी एवं मिट्टी तेल का स्थान ले सकता है।
- यह रेलवे, समुद्री क्षेत्र, जेनसेट्स, पावर जेनरेशन में डीज़ल को भी प्रतिस्थापित कर सकता है और मेथनॉल आधारित संशोधक, हाइब्रिड एवं इलेक्ट्रिक वाहनों के लिये आदर्श पूरक हो सकते हैं।

गीता गोपीनाथ

हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने भारतीय मूल की अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ को अपना मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया है। वह मौरी ओब्सफेल्ड का स्थान लेंगी।

नोट :

- गीता इस पद पर पहुँचने वाली दूसरी भारतीय हैं। उल्लेखनीय है कि उनसे पहले इस पद पर पहुँचने वाले भारतीय रघुराम राजन थे।
- वर्तमान में वह हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के इंटरनेशनल स्टडीज़ ऑफ़ इकोनॉमिक्स में प्रोफ़ेसर हैं और दिसंबर 2018 में IMF में मुख्य अर्थशास्त्री का पद ग्रहण करेंगी।

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष

- आईएमएफ एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था है जो अपने सदस्य देशों की वैश्विक आर्थिक स्थिति पर नज़र रखने का कार्य करती है।
- अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की कल्पना पहली बार वर्ष 1944 में सयुंक्त राष्ट्र संघ द्वारा आयोजित ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में की गई थी।
- इस सम्मेलन का आयोजन सयुंक्त राज्य अमेरिका के न्यू हेम्पशायर शहर के ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर किया गया था।
- ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक के गठन की भी कल्पना की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, विश्व बैंक की महत्त्वपूर्ण संस्था है।
- अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को प्राय: सयुंक्त रूप से ब्रेटन वुड्स के जुड़वाँ (Bretton woods twins) के नाम से जाना जाता है।
- ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के निर्णयानुसार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की औपचारिक स्थापना 27 दिसंबर, 1945 को सयुंक्त राज्य अमेरिका के वाशिंगटन शहर में हुई थी, लेकिन इसने वास्तविक रूप से 01 मार्च, 1947 से कार्य करना प्रारंभ किया।
- अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय वाशिंगटन डी.सी. संयुक्त राज्य अमेरिका में है।
- अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के वर्तमान में 189 सदस्य हैं। नौरू गणराज्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य बनने वाला आखिरी (189वाँ) देश है।
- क्रिस्टीन लेगार्ड (Christine Lagarde) वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक हैं। इसके प्रथम प्रबंध निदेशक कैमिल गट्ट (Camille Gutt) थे।
- भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संस्थापक सदस्यों में से एक है, यह 27 दिसंबर, 1945 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में शामिल हुआ।

JIMEX- 2018

- हाल ही में भारत और जापान के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास (JIMEX-18) का तीसरा संस्करण विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश में शुरू हुआ।
- JIMEX-18 का उद्देश्य अंत:क्रियाशीलता (interoperability) को बढ़ाना, समझ में सुधार लाना और एक-दूसरे की सर्वोत्तम प्रथाओं को आत्मसात करना है।
- JIMEX का पिछला संस्करण दिसंबर 2013 में चेन्नई में आयोजित किया गया था।
- जापान भारतीय एवं अमेरिकी नौसेना के बीच मालाबार अभ्यास में भी नियमित रूप से भागीदार रहा है।
- मालाबार-18 प्रशांत महासागर के गुआम द्वीप पर आयोजित किया गया था।

इंडिया स्किल्स 2018

- विभिन्न कौशलों में सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा की पहचान करने, उसे बढ़ावा देने तथा पुरस्कृत करने के लिये कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा आयोजित राष्ट्रव्यापी प्रतियोगिता का दूसरा संस्करण हाल ही में संपन्न हुआ।
- इंडिया स्किल्स देश की सबसे बड़ी स्किल प्रतियोगिता है।
- कई दिव्यांगों ने भी प्रतियोगिता में भाग लिया और विजयी प्रतिभागी चीन में आयोजित होने वाली विश्व स्तरीय एबिलम्पिक्स में भाग लेंगे। एबिलम्पिक्स (क्षमताओं का ओलंपिक) पेशेवर कौशल प्रतियोगिता होती है जिसे विशेष रूप से दिव्यांग व्यक्तियों के लिये डिज़ाइन किया गया है ताकि वे दुनिया के सामने अपनी अद्वितीय प्रतिभाओं को प्रदर्शित कर सकें।
- 2019 में रूस के कज़ान में 45वें वर्ल्ड स्किल्स कंपटीशन में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिये भेजे जाने से पहले विभिन्न ट्रेड की प्रतियोगिता के कुछ विजेताओं को और उन्नत प्रशिक्षण दिया जाएगा।

अंडमान और निकोबार कमांड

- हाल ही में अंडमान और निकोबार कमांड ने अपना 18वाँ स्थापना दिवस मनाया है।
- यह देश का एकमात्र संयुक्त त्रि-सेवा संचालन कमांड है।
- संयुक्त त्रि-सेवा संचालन कमांड की स्थापना 2001 में अंडमान और निकोबार क्षेत्र में भारत के रणनीतिक हितों की रक्षा के उद्देश्य से की गई थी।

यह कमांड भारत के एक्ट ईस्ट नीति के हिस्से के रूप में पड़ोसी देशों के साथ नियमित अभ्यास करता रहा है।

अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संगठन श्रेष्ठ कार्यप्रणाली पुरस्कार

कर्मचारी राज्य बीमा निगम (Employees' State Insurance Corporation - ESIC) ने मलेशिया की राजधानी कुआलालम्पुर में एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिये क्षेत्रीय सामाजिक सुरक्षा फोरम में कवरेज विस्तार के प्रशासनिक समाधान के लिये आईएसएसए (International Social Security Association-ISSA) श्रेष्ठ कार्यप्रणाली पुरस्कार जीत लिया है।

- यह पुरस्कार ESIC द्वारा कवरेज विस्तार – स्प्री (Scheme for Promoting Registration of Employers and Employees- SPREE), नए क्रियान्वित क्षेत्रों में 24 महीनों के लिये अंशदान दर में कमी तथा ESIC अधिनियम के अंतर्गत कवरेज के लिये वेतन सीमा बढ़ाने जैसे उठाए गए कदमों को मान्यता देता है।
- रीजनल सोशल सिक्यूरिटी फोरम फॉर एशिया (Regional Social Security Forum for Asia) एशिया-प्रशांत क्षेत्र के लिये त्रैवार्षिक मंच (triennial Forum) है। यह क्षेत्र का महत्त्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा आयोजन है।
- ISSA एशिया तथा प्रशांत क्षेत्र के लिये श्रेष्ठ कार्यप्रणाली पुरस्कार के आवेदन आमंत्रित करता है। फोरम ISSA के सदस्य संस्थानों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों तथा प्रबंधकों को प्रमुख सामाजिक सुरक्षा चुनौतियों पर विचार-विमर्श करने और अपने अनुभवों को साझा करने का अनूठा अवसर प्रदान करता है।

ISSA

- यह सामाजिक सुरक्षा संगठनों, सरकारों तथा सामाजिक सुरक्षा विभागों के लिये प्रधान अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसकी स्थापना 1927 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (International Labour Organization - ILO), जिनेवा के तत्त्वावधान में की गई थी।
- इसका उद्देश्य पेशेवर दिशा-निर्देशों, विशेष ज्ञान तथा सेवाओं के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा प्रशासन में श्रेष्ठता को बढ़ावा देना और अपने सदस्यों को गतिशील सामाजिक सुरक्षा प्रणाली विकसित करने में सहायता देना है।
- ESI कॉरपोरेशन, नई दिल्ली में दक्षिण अफ्रीका के लिये ISSA के संपर्क कार्यालय की मेज़बानी करता है। संपर्क कार्यालय सामाजिक सुरक्षा से संबंधित ISSA की गतिविधियों पर सदस्य देशों तथा भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और ईरान में सामाजिक सुरक्षा संस्थानों के साथ समन्वय का काम करता है।

मेडवाच

- भारतीय वायुसेना ने अपनी 86वीं वर्षगाँठ पर 'डिजिटल इंडिया, आयुष्मान भारत औरमिशन इन्द्रधनुष' के संबंध में 'मेडवाच' नामक एक मोबाइल हेल्थ एप की शुरुआत की है।
- स्वदेश निर्मित इस एप को बहुत कम लागत पर सूचना प्रौद्योगिकी निदेशालय द्वारा विकसित किया गया है। 'मेडवाच' तीनों सशस्त्र सेनाओं में सबसे पहला मोबाइल हेल्थ एप है।
- 'मेडवाच' से वायुसेनाके जवान और देश के सभी नागरिकों को स्वास्थ्य के बारे में सही-सही एवं वैज्ञानिक तथा विश्वस्त विवरण उपलब्ध होगा।
- इसमें मूलभूत प्राथमिक उपचार, स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दे तथा पोषक आहार पर आधारित विवरण, समयानुसार स्वास्थ्य समीक्षा, रोग प्रतिरक्षण और स्वास्थ्य रिकॉर्ड कार्ड, बीएमआई कैलकुलेटर, हेल्पलाइन नंबरों और वेब लिंकों जैसे उपयोगी माध्यम शामिल हैं।

नोट :

राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की सहायता हेतु SPG का गठन

हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा और सामरिक हितों के मामले में प्रधानमंत्री की सलाहकारी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की सहायता हेतु एक रणनीतिक नीति समूह (Strategic Policy Group- SPG) का गठन किया है।

SPG राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की सहायता के साथ ही देश के सुरक्षा मामलों की दीर्घकालिक रणनीतिक समीक्षा समेत दूसरे कार्य करेगा।

- इसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल करेंगे। नीति आयोग के उपाध्यक्ष, मंत्रिमंडल के सचिव, तीनों सेनाओं के अध्यक्ष, रिज़र्व बैंक के गवर्नर, विदेश सचिव, गृह सचिव, वित्त सचिव और रक्षा सचिव इसके सदस्य होंगे। इनके अलावा रक्षा उत्पादन और आपूर्ति सचिव, रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार और मंत्रिमंडल के सचिव भी इस समूह का हिस्सा होंगे।
- इसके अतिरिक्त राजस्व विभाग के सचिव, परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव, अंतरिक्ष विभाग के सचिव, खुफिया ब्यूरो के निदेशक और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के सचिव भी इस समूह के सदस्य होंगे।

SPG क्या है?

- SPG का गठन अप्रैल 1999 में किया गया था। उस समय सरकार में कैबिनेट सेक्रेटरी को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, परंतु बाद में कैबिनेट सेक्रेटरी की बजाय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को इसका अध्यक्ष बनाए जाने का निर्णय लिया गया।
- SPG का गठन बाहरी, आंतरिक और आर्थिक सुरक्षा के मामलों में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद (एनएससी) की मदद के लिये किया गया था। इसका मुख्य कार्य कैबिनेट सचिव के फैसलों पर अमल को लेकर विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के बीच समन्वय स्थापित करना है।
- केंद्र सरकार ने एसपीजी के सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर 18 करने का भी फैसला किया है। इसमें 2 अतिरिक्त नए सदस्यों के तौर पर कैबिनेट सेक्रेटरी और नीति आयोग के चेयरमैन को शामिल किया गया है।

विश्व डाक दिवस

- विश्व डाक दिवस प्रत्येक वर्ष 9 अक्तूबर को मनाया जाता है।
- 1874 में स्विट्ज़रलैंड की राजधानी बर्न में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की स्थापना की गई थी जिसके उपलक्ष्य में विश्व डाक दिवस मनाया जाता है।
- इसे 1969 में जापान के टोक्यो में आयोजित UPU कॉन्ग्रेस द्वारा विश्व डाक दिवस के रूप में घोषित किया गया था।
- विश्व डाक दिवस का उद्देश्य पूरे विश्व में लोगों के दैनिक जीवन, व्यापार और सामाजिक तथा आर्थिक विकास में डाक की भूमिका के बारे में जागरूकता फैलाना है।
- 2015 में दुनिया के सभी देशों ने सतत् विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु एक साथ काम करने के लिये खुद को वचनबद्ध किया था। इसलिये, विकास के लिये अवसंरचना प्रदान करते हुए आज डाक की प्रासंगिक भूमिका और अधिक बढ़ जाती है।

सर छोटू राम

हाल ही में किसानों के नेता सर छोटू राम की 64 फीट ऊँची मूर्ति का अनावरण किया गया। यह मूर्ति हरियाणा में उनके गाँव सांपला में लगाई गई है।

सर छोटू राम का परिचय

छोटू राम का जन्म 1881 में पंजाब के रोहतक (अब हरियाणा) में हुआ था। छोटू राम का असली नाम राय रिछपाल था।

- वह सेंट स्टीफेंस कॉलेज, दिल्ली के छात्र रहे।
- सर छोटू राम को 1937 में नाइट की उपाधि दी गई थी।
- वह नेशनल यूनियनिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। सर छोटू राम को अविभाजित पंजाब का राजस्व मंत्री बनाया गया था। वह स्वतंत्रता से पहले किसानों को सशक्त बनाने और किसान-समर्थक कानून लागू करवाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे। आधुनिक अवधारणाओं जैसे-कर्ज निपटान बोर्ड, ब्याज पर कैप्स, कृषकों हेतु मूलभूत निष्पक्षता को 1930 के इन्ही कानूनों में शामिल किया गया था।

- उन्हें भाखड़ा बांध के जनक के रूप में भी जाना जाता है। उन्होंने 1923 में भाखड़ा बांध की कल्पना की थी।
- वह किसानों द्वारा खेती पर किये गए खर्च के लिये क्षतिपूर्ति देने की अवधारणा के भी जनक थे, यही अवधारणा 'न्यूनतम समर्थन मूल्य' के रूप में विकसित हुई है।
- सर छोटू राम देश के पहले बड़े कृषि सुधारक के रूप में उभरे जो कृषिविदों के पक्ष में खड़े रहे तथा उनके अधिकारों के लिये लड़े।

माजुली द्वीप के लिये नई रो-रो सुविधा

भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (Inland Waterways Authority of India- IWAI) असम सरकार के सहयोग से माजुली द्वीप के लिये रोल ऑन – रोल ऑफ (Roll on- Roll off, Ro-Ro) सुविधा शुरू करेगी।

- इस रो-रो सुविधा वाले नदी मार्ग के इस्तेमाल से 423 किलोमीटर लंबे घुमावदार सड़क मार्ग की दूरी, घटकर केवल 12.7 किलोमीटर रह जाएगी।
- IWAI ने नई सेवा के लिये 9.46 करोड़ रुपए की लागत से एक नया जहाज़ एमवी भूपेन हजारिका खरीदा है और इसके लिये आवश्यक टर्मिनल कि सुविधा प्रदान की गई है।
- यह 46.5 मीटर लंबा और 13.3 मीटर चौड़ा जहाज़ 8 ट्रक और 100 यात्रियों को ले जा सकता है। IWAI ब्रह्मपुत्र नदी में इस्तेमाल के लिये कुछ और ऐसे रो-रो जहाज़ खरीदने की योजना बना रहा है।
- इससे पहले IWAI इसी तरह की रो-रो सेवा धुबरी और हतसिंगीमारी के बीच शुरू कर चुका है जिससे यात्रा की दूरी 190 किलोमीटर कम हो गई है।
- इसके लिये धुबरी में एक स्थायी रो-रो टर्मिनल का निर्माण किया गया है। ब्रह्मपुत्र नदी के 11 स्थानों पर तैरते हुए टर्मिनल बनाए गए हैं। ये टर्मिनल हैं- हतसिंगीमारी, धुबरी, जोगीघोपा, तेजपुर, सिलघाट, विश्वनाथ घाट, नीमाती, सेंगाजन, बोगीबील, डिब्रूगढ़/ओकलैंड और ओरिमघाट।

पृष्ठभूमि

- ब्रह्मपुत्र नदी स्थित माजुली द्वीप दुनिया के सबसे बड़े द्वीपों में से एक है और इसे संपर्क व्यवस्था के मामले में गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
- इसमें 144 गाँव हैं जिनकी आबादी 1,50,000 से अधिक है।
- नदी के किसी भी तरफ रहने वाले लोगों को अपनी रोज़मर्रा की जरूरतों के लिये विभिन्न स्थानों पर परंपरागत नौकाओं का इस्तेमाल करना पड़ता है। पर्याप्त संख्या में पुल, कार्गो और यात्रियों की आवाज़ाही के अभाव में लंबा रास्ता तय करना पड़ता है जिससे समय और धन दोनों की बर्बादी होती है।

ऑनलाइन आश्वासन निगरानी प्रणाली

हाल ही में केंद्रीय संसदीय मामलों के मंत्रालय द्वारा विकसित 'ऑनलाइन आश्वासन निगरानी प्रणाली (Online Assurances Monitoring System- OAMS)' को लॉन्च किया किया गया।

- इस प्रणाली के लागू होने से संसद के दोनों सदनों के पटल पर दिये जाने वाले आश्वासनों से संबंधित सूचनाएँ अब पेपरलेस हो गई हैं।
- 'OAMS' का उद्घाटन हो जाने से अब ई-ऑफिस के ज़रिये संसदीय मामलों के मंत्रालय द्वारा छाँटे गए सभी आश्वासन इस प्रणाली या सिस्टम पर नज़र आएंगे और विभिन्न मंत्रालय/ विभाग, लोकसभा सचिवालय एवं राज्यसभा सचिवालय समस्त उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए इस सिस्टम के ज़रिये उन्हें संप्रेषित करेंगे।
- इसमें संसदीय आश्वासनों से संबंधित विभिन्न कार्यकलाप शामिल होंगे जिनमें कार्यान्वयन रिपोर्ट भेजना, उसे वापस लेने का अनुरोध करना, विस्तार करने के लिये अनुरोध करना और संबंधित निर्णय शामिल हैं।
- इस प्रणाली के लागू होने के बाद अब किसी भी तरह के कागज़ी संदेश को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

OAMS की आवश्यकता

- मानवीय ढिलाई और दिशा-निर्देशों का अनुपालन न करने के कारण आश्वासनों को पूरा करने की प्रक्रिया में कई तरह की समस्याएँ उभर कर सामने आती हैं जिससे यह प्रक्रिया अपेक्षाकृत कम पारदर्शी हो जाती है।
- लोकसभा, राज्यसभा और संसदीय मामलों के मंत्रालय में विभिन्न मॉड्यूल को उपयोग में लाया जा रहा है जिससे संबंधित आंकड़ों में सही ढंग से मिलान नहीं हो पाता है।
- उपरोक्त कारणों से लंबित आश्वासनों की वास्तविक स्थिति पर करीबी नज़र रखने और उन्हें त्वरित ढंग से पूरा करने के उद्देश्य से एक ऑनलाइन आश्वासन निगरानी प्रणाली की स्थापना की गई है।

'माइकल' तूफान

- हाल ही में अमेरिका के फ्लोरिडा में माइकल नामक तूफान ने दस्तक दी। यह तूफान 250 किमी/घंटा की गति से चलने वाली विनाशकारी हवाओं के साथ फ्लोरिडा के उत्तर-पश्चिमी तट पर छोटे से शहर मेक्सिको बीच के पास तट से टकरा गया।
- साफिर-सिम्पसन पैमाने के अनुसार, तट से टकराते समय तीव्र गति से चलने वाला यह तूफान चतुर्थ श्रेणी का तूफान था।
- उल्लेखनीय है कि 'माइकल' अमेरिकी भूमि पर दस्तक देने वाला तीसरा सबसे शक्तिशाली तूफान था।
- इस तूफान ने कपास, लकड़ी, पेकान और मूंगफली को गंभीर रूप से नुकसान पहुँचाया है। एक अनुमान के मुताबिक, इससे 1.9 बिलियन डॉलर की संपति का नुकसान तथा 3.7 मिलियन एकड़ में फैली हुई फसल भी प्रभावित हुई है।
- तूफान की ताकत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि बैरोमेट्रिक दबाव मात्र 919 मिलीबार दर्ज किया गया।
- अभिलेखों के मुताबिक, 1969 में मिसिसिप्पी खाड़ी के तट पर आये केमिली तूफान तथा 1935 के लेबर डे तूफान के बाद माइकलसंयुक्त राज्य अमेरिका का तीसरा सबसे भयावह तूफान था।

CORPAT अभ्यास

- हाल ही में भारतीय नौसेना के जहाज और विमान 32वें भारत-इंडोनेशिया समन्वित गश्त (IND-INDO CORPAT) के लिये इंडोनेशिया के बेलवान बंदरगाह पर पहुँचे गए।
- अंडमान और निकोबार कमांड से भारतीय नौसेना पोत कुलीत, कोरा क्लास मिसाइल कार्वेट तथा एक भारतीय डोर्नियर (नौसेना समुद्री गश्ती विमान) ने भारत-इंडोनेशिया समन्वित गश्त (IND-INDO CORPAT) के 32वें संस्करण के उदघाटन समारोह के लिये इंडोनेशिया के बेलवान बंदरगाह में प्रवेश किया।
- यह समारोह 11 से 27 अक्तूबर, 2018 तक आयोजित किया जाएगा।
- दोनों देशों के जहाज और विमान 236 नॉटिकल माइल लंबी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा से संबंधित भाग पर गश्त करेंगे। यह गश्त तीन चरणों में संपन्न होगी।

ब्लैक लेपर्ड

- ताडोबा अंधारी वन्य रिज़र्व में एक गाड़ी चालक ने अपने दैनिक जंगल सफारी के दौरान 8 अक्तूबर को पहली बार एक काले तेंदुए को देखा।
- ब्लैक लेपर्ड ज़्यादातर दक्षिण भारत के घने जंगली इलाकों में पाये जाते हैं। ब्लैक लेपर्ड को जंगल का भूत भी कहा जाता है। आमतौर पर ये कर्नाटक, केरल और असम के घने उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में पाए जाते हैं।

अस्तित्त्व का खतरा

- इसके अस्तित्त्व पर खतरे की वज़ह कहीं-न-कहीं वनों की सघनता में गिरावट आना भी है, जो कि शिकार करते वक्त इसके गहरे रंग की वज़ह से इसे छद्मावरण प्रदान नहीं कर पाता है। यही कारण है कि वे अन्य तेंदुओं की तरह नहीं बच पाते हैं।

नोट :

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने पर नई दिल्ली में रजत जयंती समारोह का आयोजन किया जा रहा है।

पृष्ठभूमि

- राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना वर्ष 1993 में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के तहत की गई थी।
- यह मानवाधिकारों के संरक्षण के क्षेत्र में भारत की सर्वोच्च संस्था है जो भारतीय संविधान एवं अंतर्राष्ट्रीय संधियों के आधार पर व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता, गरिमा जैसे मानवाधिकारों के संरक्षण एवं प्रसार का कार्य करती है।
- आयोग में एक अध्यक्ष जो कि सुप्रीम कोर्ट का सेवारत अथवा पूर्व मुख्य न्यायाधीश होता है, सदस्य के तौर पर एक सुप्रीम कोर्ट का सेवारत अथवा पूर्व न्यायाधीश, एक अन्य सदस्य के तौर पर हाईकोर्ट का सेवारत अथवा पूर्व मुख्य न्यायाधीश शामिल होते हैं। साथ ही मानव अधिकार के क्षेत्र में विशेष जानकारी रखने वाले दो व्यक्तियों को भी सदस्य के तौर पर नियुक्त किया जाता है।
- प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली छह सदस्यीय समिति की सिफारिशों पर राष्ट्रपति द्वारा अध्यक्ष और सदस्य नियुक्त किये जाते हैं।
- लोक संहिता प्रक्रिया, 1908 (code of civil procedure, 1908) के अधीन आयोग को सिविल न्यायालय की समस्त शक्तियाँ प्राप्त हैं।
- आयोग किसी पीड़ित अथवा उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दायर किसी याचिका पर स्वयं सुनवाई एवं कार्यवाही कर सकता है।
- इसके अलावा, आयोग न्यायालय की स्वीकृति से न्यायालय के समक्ष लंबित मानवाधिकारों के प्रति हिंसा संबंधी किसी मामले में हस्तक्षेप कर सकता है।
- आयोग संबंधित अधिकारियों को पूर्व सूचित करके किसी भी कारागार का निरीक्षण कर सकता है।

यह आयोग मानवाधिकारों से संबंधित संधियों इत्यादि का अध्ययन करता है तथा उन्हें और अधिक प्रभावी बनाने हेतु आवश्यक सुझाव भी देता है।

जीन अनुक्रमित करने हेतु प्रमुख मिशन

- 50,000 भारतीयों सहित 100k एशियाई लोगों के पूरे जीनोमों को अनुक्रमित करने के लिये भारतीय वैज्ञानिकों और कंपनियों का एक समूह 100k जीनोम एशिया परियोजना में शामिल है, जिसे नान्यांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी (NTU) द्वारा संचालित किया जा रहा है
- यूनाइटेड किंगडम, चीन, जापान और ऑस्ट्रेलिया की परियोजनाओं के समान भारत इसका उपयोग स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के साथ-साथ व्यक्ति-विशेष आधारित दवाओं का निर्माण करने की वैश्विक प्रवृत्ति की बराबरी के लिये जीनोमों को अनुक्रमित करने की योजना बना रहा है।
- यह विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार सलाहकार परिषद (STIAC) की पहली बैठक में लिये गए महत्त्वपूर्ण निर्णयों में से एक था।
- यह परिषद परियोजनाओं और मिशनों पर काम करने के लिये कई मंत्रालयों के बीच एक समन्वयक के रूप में कार्य करती है और महीने में एक बार बैठक निर्धारित की गई है।
- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और जैव प्रौद्योगिकी विभाग इस परियोजना के साथ निकटता से जुड़े होंगे।
- इस योजना के लक्ष्यों में जीनोम को अनुक्रमित करना और मानव स्वास्थ्य तथा बीमारी को एक शोध पहल के रूप में जोड़ना एवं इस प्रक्रिया को बड़े पैमाने पर सुनिश्चित करना शामिल है, ताकि इसका सार्वजनिक स्वास्थ्य पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ सके।
- UNHRC चुनाव में भारत की जीत
- हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के शीर्ष मानवाधिकार निकाय के लिये भारत को चुना गया है।
- गौरतलब है कि इस निकाय के लिये भारत का कार्यकाल तीन वर्षों का होगा, जो 1 जनवरी, 2019 से प्रारंभ होगा।
- सभी उम्मीदवारों के बीच सबसे अधिक मतों के साथ भारत को एशिया-प्रशांत श्रेणी में 188 मत मिले हैं।
- संयुक्त राष्ट्र की 193 सदस्यीय महासभा ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (UNHRC) के नए सदस्यों के लिये चुनाव किया। 18 नए सदस्य गुप्त मतदान के द्वारा पूर्ण बहुमत से चुने गए।

नोट :

- परिषद में चुने जाने के लिये किसी भी देश को कम-से-कम 97 मतों की आवश्यकता होती है।
- एशिया-प्रशांत श्रेणी में भारत को 188 मत, फिजी को 187 मत, बांग्लादेश को 178 मत, बहरीन और फिलीपींस प्रत्येक को 165 मत प्राप्त हुए।
- भारत इससे पहले भी 2011-2014 तथा 2014-2017 की अवधिके लिये जिनेवा स्थित मानवाधिकार परिषद हेतु चुना जा चुका है।

पूर्ण-जैविक सिक्किम को UN-समर्थित पुरस्कार

- हाल ही में देश के पहले पूर्ण जैविक राज्य सिक्किम ने संयुक्त राष्ट्र समर्थित पुरस्कार में शीर्ष पुरस्कार जीत लिया है।
- आयोजकों के अनुसार, इन नीतियों ने 66,000 से अधिक किसानों को सहायता पहुँचाई है, पर्यटन को बढ़ावा दिया है और अन्य देशों के लिये एक उदाहरण स्थापित किया है।
- अन्य सह-आयोजक वर्ल्ड फ्यूचर काउंसिल के मुताबिक, 2014 से 2017 के बीच सिक्किम में पर्यटकों की संख्या 50 फीसदी बढ़ी है।
- तिब्बत की सीमा से लगे इस छोटे हिमालयी राज्य ने रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशकों को टिकाऊ विकल्पों से प्रतिस्थापित कर दिया। इसके बाद 2016 में इसे पूर्ण जैविक राज्य घोषित कर दिया गया था।
- इस प्रकार, सिक्किम एक उत्कृष्ट उदाहरण स्थापित करता है। दुनिया भर के देशों तथा अन्य भारतीय राज्यों को सिक्किम से कृषि-पारिस्थितिकी के बारे में सीखने की ज़रूरत है।

वैश्विक कौशल पार्क

हाल ही में एशियाई विकास बैंक (Asian Development Bank- ADB) और भारत सरकार ने मध्य प्रदेश में एक वैश्विक कौशल पार्क (Global Skill Park- GSP) की स्थापना के लिये 150 मिलियन डॉलर के एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किये।

- यह भारत का पहला बहु-कौशल (Multi-Skill) पार्क होगा।
- इसका उद्देश्य राज्य में तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्रणाली की गुणवत्ता को बेहतर करना और अधिक कुशल श्रमबल सृजित करना है।
- नया GSP कैंपस भोपाल में स्थापित किया जाएगा, जिसमें प्रमुख उन्नत प्रशिक्षण संस्थान होंगे।
- यहाँ व्यावसायिक कौशल प्रशिक्षण केंद्र और उन्नत कृषि प्रशिक्षण केंद्र के साथ-साथ ऐसी अन्य सहायक सेवाओं से जुड़े केंद्र भी होंगे, जिनमें उद्यमिता, प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण और कौशल संबंधी अनुसंधान पर फोकस किया जाएगा।
- इस कैंपस से लगभग बीस हज़ार प्रशिक्षु एवं प्रशिक्षक लाभान्वित होंगे।

राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान

हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मध्य प्रदेश के सिहोर ज़िले में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान (National Mental Health Rehabilitation Institute- NIMHR) खोले जाने की मंज़ूरी दे दी है। उल्लेखनीय है पहले यह संस्थान भोपाल में खोला जाना था।

- सिहोर में बनने वाला राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान देश में अपनी तरह का पहला संस्थान होगा।
- यह संस्था निशक्त जन सशक्तीकरण विभाग के अंतर्गत एक सोसाइटी के रूप में सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के तहत स्थापित की जाएगी।
- संस्थान का मुख्य उद्देश्य मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों के पुर्नवास की व्यवस्था करना, मानसिक स्वास्थ पुर्नवास के क्षेत्र में क्षमता विकास तथा मानसिक स्वास्थ्य पुर्नवास के लिये नीति बनाना और अनुसंधान को बढ़ावा देना है।
- यह संस्थान मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास के क्षेत्र में मानव संसाधन और अनुसंधान के लिये उत्कृष्टता और क्षमता विकास केंद्र के रूप में काम करेगा और मानसिक बीमारियों से ग्रस्त लोगों के प्रभावी पुनर्वास के लिये बेहतर मॉडल सुझाएगा।
- संस्थान मानसिक रोगियों के लिये सभी तरह की पुर्नवास सेवाएँ उपलब्ध कराने के साथही स्नात्कोत्तर और एम.फिल. डिग्री तक की शिक्षा की भी व्यवस्था करेगा।

नोट :

इंडिया फॉर ह्यूमैनिटी

हाल ही में 'इंडिया फॉर ह्यूमैनिटी' (India for Humanity) की औपचारिक रूप से शुरुआत की गई।

- विदेश मामलों के मंत्रालय ने मानवता के प्रति गांधी जी की सेवाओं को सम्मानित करने के उद्देश्य से अगले एक साल तक चलने वाले महात्मा गांधी की 150 वीं जयंती समारोह के हिस्से के रूप में इस कार्यक्रम की शुरुआत की है।
- महात्मा गांधी की करुणा, देखभाल और मानवता की सेवा के आदि को रेखांकित करते हुए, 'मानवता के लिये भारत या India For Humanity' कार्यक्रम के तहत दुनिया भर में एक वर्ष तक चलने वाले कृत्रिम अंग फिटनेस शिविर लगाए जाएंगे, इसके लिये मंत्रालय प्रसिद्ध चैरिटेबल ट्रस्ट 'भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति' के साथ मिलकर काम कर रहा है।
- 1975 में स्थापित यह समिति अपने ट्रेडमार्क अंग "जयपुर फुट" के लिये सुप्रसिद्ध है, भगवान् महावीर विकलांग सहायता समिति कृत्रिम अंगों के फिटनेस के लिये दुनिया के सबसे बड़े संगठनों में से एक है और अब तक 1.73 मिलियन से अधिक लोगों को सेवा प्रदान कर चुकी है।
- इस अंग प्रत्यर्पण शिविर को पूरी तरह से विदेश मंत्रालय द्वारा प्रायोजित किया जाएगा।

अन्नपूर्णा देवी

हाल ही में हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की प्रसिद्द संगीतकार अन्नपूर्णा देवी का 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया।

- अन्नपूर्णा देवी का जन्म 1923 में मध्य प्रदेश के मैहर शहर में हुआ था।
- उनके पिता अलाउद्दीन खाँ मैहर घराने के संस्थापक तथा महाराजा बृजनाथ सिंह के दरबारी संगीतकार थे। अन्नपूर्णा देवी का वास्तविक नाम रोशन आरा था और महाराजा बृजनाथ सिंह ने उनका नाम अन्नपूर्णा देवी रखा था।
- उनका विवाह पंडित रविशंकर के साथ हुआ था जो कि उनके पिता के शिष्य थे। लेकिन विवाह के 21 वर्षों के बाद पंडित रवि शंकर से उनका संबंध टूट गया था।
- वर्ष 1977 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था।
- वह एक प्रसिद्द सुरबहार वादक थीं।

सुरबहार वाद्य यंत्र

- सुरबहार सितार का ही एक अन्य रूप है। यह आकार में सितार से बड़ा होता है।
- यह लकड़ी का बना होता है।
- इसके तार सितार की तुलना में अधिक मोटे होते हैं।
- इसको बजाने की तकनीक सितार के समान ही होती है लेकिन सुरबहार की आवाज़ अधिक गहरी (गंभीर) होती है।

जीडी अग्रवाल

हाल ही में प्रोफेसर जीडी अग्रवाल का निधन हो गया। उन्हें स्वामी ज्ञान स्वरुप सानंद के नाम से भी जाना जाता था। उल्लेखनीय है कि गंगा की सफाई को लेकर वे पिछले 111 दिनों से अनशन पर थे।

- इनका पूरा नाम गुरु दास अग्रवाल था।
- उन्होंने बर्कले की यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से पर्यावरण इंजीनियरिंग में पीएचडी की डिग्री हासिल की और पर्यावरण विषय पर कई किताबें भी लिखीं।
- उन्होंने कानपुर आईआईटी में पर्यावरण इंजीनियरिंग के प्रोफेसर के रूप में भी काम किया। प्रोफेसर जीडी अग्रवाल को 1979-80 में केंद्र की प्रदूषण नियंत्रण इकाई केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का पहला सदस्य सचिव नियुक्त किया गया था।
- उन्होंने भागीरथी नदी पर एक परियोजना के विरोध में 38 दिनों तक अनशन किया था जिसके परिणामस्वरूप सरकार को इस परियोजना पर रोक लगानी पड़ी थी।
- उन्होंने गंगा में हो रहे अवैध खनन, बांधों जैसे बड़े निर्माण को रोकने और गंगा की सफ़ाई को लेकर लगातार आवाज़ उठाई।

भारतीय विश्वविद्यालयों हेतु QS रैंकिंग

- हाल ही में QS (Quacquarelli Symonds) ने अपनी पहली भारत-विशिष्ट रैंकिंग, इंडिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग की शुरुआत की है। यह भारतीय संस्थानों के लिये विशेष रूप से रैंकिंग का पहला संस्करण है।
- QS द्वारा आयोजित यह दूसरी देश-विशिष्ट रैंकिंग है। पहली रैंकिंग चीन के लिये जारी की गई थी।
- QS यूनाइटेड किंगडम आधारित एक वैश्विक उच्च शिक्षा कंपनी है जो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी करती है।
- इस रैंकिंग के अंतर्गत इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (IIT), मुंबई ने शीर्ष स्थान हासिल किया है, जबकि दूसरे स्थान पर भारतीय विज्ञान संस्थान (IISC), बेंगलुरु है।
- इस रैंकिंग में शीर्ष 75 भारतीय विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया है।
- रैंकिंग में प्रयुक्त संकेतक इस प्रकार हैं- अकादमिक प्रतिष्ठा (30 प्रतिशत), नियोक्ता प्रतिष्ठा (20 प्रतिशत), संकाय-छात्र अनुपात (20 प्रतिशत), संकाय के प्रति सदस्य शोध संख्या (20 प्रतिशत), अंतर्राष्ट्रीय छात्रों का अनुपात (2.5 प्रतिशत) तथा अंतर्राष्ट्रीय संकाय का अनुपात (2.5 प्रतिशत)।

पंडवानी गायिका तीजन बाई

- हाल ही में छत्तीसगढ़ की लोक गायिका तीजन बाई को उनकी पंडवानी कला के लिये जापान का सबसे बड़ा सम्मान 'फुकुओका कला एवं संस्कृति पुरस्कार' प्रदान किया गया है।
- इससे पहले यह पुरस्कार भारतीय संगीतकार ए.आर. रहमान को दिया गया था।
- तीजन बाई को मिलने वाला यह पुरस्कार पूर्वी एशिया में भारत की मज़बूत एवं उदार शक्ति को प्रतिबिंबित करता है।

पंडवानी का परिचय

- पंडवानी (शाब्दिक अर्थ 'पांडवों के गीत') एक लोक रंगमंच का स्वरूप है। इस स्वरूप में एक हाथ में एकतारा या तानपुरा तथा दूसरे हाथ में कभी-कभी खड़ताल के साथ अभिनय और गायन शामिल होता है।
- यह ग्रामीण मनोरंजन है, जो छत्तीसगढ़ और पड़ोसी राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों में लोकप्रिय है।
- संगीत नाटक अकादमी (संस्कृति मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय स्तर की अकादमी) ने इस नाटक-कला के दस्तावेज़ीकरण तथा इसे बढ़ावा देने की ज़िम्मेदारी ली है।

गायल (गौर) या मिथुन (Bos Frontalis)

- हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के राजकीय पशु मिथुन (Bos frontalis) की बड़ी संख्या में हत्या के मुद्दे ने असम और अरुणाचल प्रदेश के अंतर-राज्य सीमा पर ग्रामीणों के बीच तनाव उत्पन्न कर दिया है।
- मिथुन या गायल (Bos frontalis) को भारतीय गौर या बिजोन (Bison) का वंशज माना जाता है। यह न्यिशि, अपतानी, गालो, मिश्मी, आदि, शेरडुकपेन और अरुणाचल प्रदेश के अन्य समुदायों के सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- इन्हें पवित्र माना जाता है क्योंकि सभी अनुष्ठानों में मिथुन की बलि देना अनिवार्य है।
- इसे 'पहाड़ों का पशु' तथा 'पहाड़ों का जहाज' के रूप में भी जाना जाता है।
- यह ठंड और नरम मौसम पसंद करता है तथा जंगल की पत्तियों, झाड़ियों एवं घास पर निर्भर रहता है। इस प्रजाति की प्रजनन क्षमताकाफी उच्च होती है।
- इसे IUCN द्वारा सुभेद्य पशु के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

नोट :

रोशनी केंद्र

- हाल ही में दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM), ग्रामीण विकास मंत्रालय (MoRD) और लेडी इरविन कॉलेज ने रोशनी, महिला समूह द्वारा मार्गदर्शित सामाजिक कार्यवाही केन्द्र, की स्थापना के लिये एक समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
- रोशनी को यूनिसेफ इंडिया द्वारा तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। यूनिसेफ इंडिया DAY-NRLM के लिये राष्ट्रीय स्तर पर तकनीकी सहायता इकाई के रूप में कार्य कर रहा है और विकास संचार एवं विस्तार विभाग, लेडी इरविन कॉलेज, नई दिल्ली से संबद्ध है।
- रोशनी-केंद्र महिला समूहों और उनके संघों के माध्यम से खाद्यान्न, स्वास्थ्य, पोषण आदि क्षेत्र में अपनी भूमिका निभाएगा।

जीवन का सबसे पुराना साक्ष्य

- हाल ही में ओमान, साइबेरिया और भारत से प्राप्त चट्टानों से शोधकर्त्ताओं को जीवन का सबसे पुराना साक्ष्य मिला है।
- शोध से पता चलता है कि समुद्री स्पंज 660 मिलियन वर्ष पहले नियो प्रोटेरोजोइक युग (660-635 मिलियन वर्ष पूर्व) के दौरान अस्तित्व में आया, जो कैम्ब्रिअन विस्फोट से कम से कम 100 मिलियन वर्ष पूर्व था।
- प्राचीन चट्टानों और तेलों में, शोधकर्ताओं ने स्टेरॉयड यौगिक पाया जो केवल स्पंज द्वारा उत्पादित होता है तथा यह यौगिक जीवन के शुरुआती रूपों में से एक होता है।
- कैम्ब्रिअन विस्फोट का तात्पर्य 541 मिलियन वर्ष पहले जीवों के संघों में विस्तार से है। यह विस्तार जानवरों कंकालीय अवशेषों से पता चलता है।
- वैज्ञानिकों द्वारा पहचाना गया बायोमार्कर 26-मेथिल स्टिग्मास्टेन (26-mes) नामक एक स्टेरॉयड यौगिक है।
- इसकी संरचना अनूठी है जिसे वर्तमान में आधुनिक स्पंजों की केवल कुछ प्रजातियों द्वारा संश्लेषित किया जाता है जिन्हें डेमोस्पॉन्ज (demosponges) कहा जाता है।
- सितंबर 2018 में, शोधकर्ताओं की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने दावा किया कि दुनिया के सबसे पुराने जीवाश्म, जिसे डीकिसोंनिया के नाम से जाना जाता है, जो पहली बार 571 मिलियन से 541 मिलियन वर्ष पहले अस्तित्व में आया था।
- प्राप्त साक्ष्य को डीकिसोंनिया से 100 मिलियन वर्ष पहले का बताया जा रहा है।
- यह खोज वैज्ञानिकों को भूगर्भ विज्ञान और जीवविज्ञान की उस पारस्परिक क्रिया को बेहतर ढंग से समझने में मदद कर सकती है जिसने पृथ्वी पर जटिल जीवन के विकास को प्रेरित किया।

हैंड-इन-हैंड

भारत और चीन की सेना दिसंबर में चीन के चेंगदू क्षेत्र में वार्षिक संयुक्त सेना अभ्यास 'हैंड-इन-हैंड' को फिर से शुरू किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि डोकलाम विवाद के बाद उत्पन्न तनाव के कारण गत वर्ष इस अभ्यास को रद्द कर दिया गया था।

- दोनों देशों के लगभग 175 सैन्यकर्मी इस अभ्यास में भाग लेंगे।
- इस अभ्यास में भारत का प्रतिनिधित्व उत्तरी कमान के 11 सिख लाइट रेजिमेंट के सैनिकों द्वारा किया जाएगा।
- अभ्यास का दायरा मानवीय सहायता और आपदा राहत संचालन के अलावा, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद को समझना तथा उसका सामना करने के लिये संयुक्त रणनीति तैयार करना है।
- यह अभ्यास तीन चरणों में आयोजित किया जाएगा।

नोट :

संयुक्त राष्ट्र की मानसिक स्वास्थ्य रणनीति

हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने कार्यस्थल पर मानसिक स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों और उनके प्रभाव से निपटने तथा अपने कर्मचारियों के कल्याण लिये एक रणनीति शुरू की है।

- इस रणनीति के तहत UN के कर्मचारियों के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखा जाएगा।

संयुक्त राष्ट्र

- संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्तूबर, 1945 को संयुक्त राष्ट्र अधिकार-पत्र के माध्यम से की गई थी।
- यह एक वैश्विक संगठन है, जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय कानून को सुविधाजनक बनाने हेतु सहयोग प्रदान करना, वैश्विक सुरक्षा, आर्थिक एवं सामाजिक विकास तथा मानवधिकारों की सुरक्षा के साथ-साथ विश्व शांति के लिये कार्य करना है।

एशियाई पैरा गेम्स- 2018

6 से 13 अक्तूबर, 2018 के बीच इंडोनेशिया के जकार्ता में तीसरे पैरा एशियाई गेम्स का आयोजन किया गया।

- तीसरे पैरा एशियाई गेम्स का शुभंकर 'मोमो' नामक बोंडोल ईगल था।
- इन खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने 72 मेडल जीते, एशियाई पैरा गेम्स में भारत का यह अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2014 में भारत ने इन खेलों में तीन स्वर्ण, 14 रजत और 16 कांस्य पदक सहित कुल 33 पदक ही जीते थे।
- 15 स्वर्ण, 24 रजत और 33 कांस्य पदकों के साथ भारत इस बार पदक तालिका में नौंवे स्थान पर रहा।
- चीन कुल 319 पदकों के साथ इस पदक तालिका में शीर्ष पर रहा जबकि दक्षिण कोरिया ने दूसरा स्थान हासिल किया।
- खिलाड़ियों की उपलब्धि को देखते हुए खेल और युवा मामले मंत्रालय ने पदक विजेताओं को नकद पुरस्कार प्रदान किया।

भारत के लिये स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी

संदीप चौधरी (जैवलीन थ्रो), सुयश जाधव (तैराकी, 50 मी. बटरफ्लाई), राजू रक्षिता (1500 मी. T-11 स्पर्द्धा), एकता भ्यान (क्लब थ्रो), मनीष नरवाल (शूटिंग, 10 मी, एयर पिस्टल), नारायण ठाकुर (100 मी. T35), हरविंदर सिंह (तीरदांजी), शरद कुमार (ऊँची कूद), पारुल परमार (बैडमिंटन), किशन गंगोली (शतरंज), जेंनिथा एंटो कनिक्कल (शतरंज), नीरज यादव (जैवलीन थ्रो), अमित सरोहा (क्लब थ्रो), तरुण (बैडमिंटन), प्रमोद भगत (बैडमिंटन)।

Moonmoon

सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, जबकि बहुत से चंद्रमा स्वयं ही ग्रहों की परिक्रमा करते हैं। लेकिन क्या किसी भी चंद्रमा का अपना उपग्रह होना संभव है? हाल ही में एक नए शोध-पत्र में उन परिस्थितियों के बारे में वर्णन किया गया है जिनमें ऐसा होना संभव है। लेकिन जिस चीज़ ने सभी वैज्ञानिकों का ध्यान आकर्षित किया है वह यह है कि चंद्रमा के चंद्रमा को क्या नाम दिया जाए?

- कुछ वैज्ञानिकों ने इसे Submoon तो कुछ ने इसे Moonmoon नाम से संबोधित किया है।
- न्यू साइंटिस्ट मैगज़ीन ने अपने निष्कर्षों को जारी किया और कहा, " चंद्रमा के भी चंद्रमा हो सकते हैं और उन्हें Moonmoons कहा जाता है।
- अभी तक सौरमंडल में कोई Moonmoon मौजूद नहीं है। लेकिन इनके अस्तित्व के लिये निम्नलिखित स्थितियों का होना आवश्यक है-
    1. चंद्रमा का द्रव्यमान अधिक होना चाहिये और उसकी परिक्रमा करने वाले Moonmoon का आकार तुलनात्मक रूप से कम हो।
    2. दोनों के बीच दूरी भी महत्त्वपूर्ण है moonmoon को चंद्रमा के इतना नज़दीक होना चाहिये कि वे एक-दूसरे के गुरुत्वाकर्षण के संपर्क में रहें लेकिन इतना भी नज़दीक नहीं कि ज्वार बलों के कारण एक-दूसरे से अलग हो जाएँ।
    3. दोनों चंद्रमा को ग्रह से पर्याप्त दूरी पर होना चाहिये ऐसा न हो कि moonmoon ग्रह के गुरुत्वाकर्षण के संपर्क में आ जाए और ग्रह की परिक्रमा करने लगे।

नोट :

गोवा समुद्री परिसंवाद

समुद्री सीमा से लगे हुए पड़ोसियों के साथ मित्रवत रिश्तों को मज़बूत करने के लिये भारतीय नौसेना ने 16 अक्तूबर 2018 को नेवल वॉर कॉलेज, गोवा में गोवा समुद्री परिसंवाद-2018 का आयोजन किया।

- इस परिसंवाद में हिंद महासागर के तट से लगे 16 देशों की नौसेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया।
- इन देशों में दक्षिण-पूर्व एशिया के इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर और थाईलैंड, जबकि भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश, म्याँमार और श्रीलंका के अलावा सेशेल्स के द्विपीय देश, मॉरीशस और मालदीव के साथ ही पश्चिमी एशिया से ओमान और अफ्रीका से दक्षिण अफ्रीका, मेडागास्कर, केन्या, तंजानिया और मोजांबिक ने हिस्सा लिया।
- इस साल आयोजित इस संगोष्ठी की थीम थी, 'हिन्द महासागर क्षेत्र में मज़बूत समुद्रीय भागीदारी को प्रोत्साहित करना।'
- इसका उद्देश्य शैक्षिक उत्कृष्टता के साथ-साथ हिन्द महासागर क्षेत्र में नौसेनाओं के वरिष्ठ प्रतिनिधियों और समुद्रीय एजेंसियों के मध्य बातचीत को प्रोत्साहित करके भारत के समुद्रीय पड़ोसियों के विचारों को आपस में साझा करना है।

नटवर ठक्कर

हाल ही में प्रख्यात गांधीवादी नटवर ठक्कर का 86 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वह 'नगालैंड के गांधी' के नाम से प्रसिद्द थे।

- नटवर ठक्कर का जन्म ब्रिटिश भारत में वर्ष 1932 में हुआ था।
- वह मूल रूप से महाराष्ट्र के थे। लेकिन वर्ष 1955 में नगालैंड आने के बाद उन्होंने इस राज्य को ही अपना घर बना लिया।
- 'पद्मश्री' पुरस्कार से सम्मानित ठक्कर ने चुचुयिमलांग में नगालैंड गांधी आश्रम की स्थापना की थी।
- गांधीवादी दर्शन और शांति के प्रचार-प्रसार के प्रयासों के कारण नटवर ठक्कर को 'नगालैंड के गांधी' की उपाधि दी गई थी।

राष्ट्रीय पुलिस स्मारक

21 अक्तूबर को पुलिस स्मारक दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय पुलिस स्मारक राष्ट्र को समर्पित किया गया।

- 21 अक्तूबर 1959 में चीनी सैनिकों द्वारा लद्दाख के हॉट स्प्रिंग्स में मारे गए पुलिसकर्मियों की स्मृति में इस दिन को पुलिस स्मारक दिवस के रूप में मनाया जाता है।
- राष्ट्रीय पुलिस स्मारक का निर्माण नई दिल्ली के चाणक्यपुरी में किया गया है। इसका निर्माण नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन द्वारा किया गया है।
- इस स्मारक का वज़न लगभग 250 टन है तथा इसकी ऊँचाई लगभग 30 फीट है।
- यह ग्रेनाइट पत्थर से निर्मित है।
- राष्ट्रीय पुलिस स्मारक में केंद्रीय मूर्तिकला, कर्त्तव्य निभाते हुए अपने जीवन का बलिदान करने वाले पुलिसकर्मियों के नाम उत्कीर्ण हुई साहस और वीरता दर्शाने वाली दीवार तथा शहीद पुलिस कर्मियों को समर्पित एक आधुनिक संग्रहालय शामिल है।

बिहार की लीची को मिला जीआई टैग

कतरनी चावल, जरदालू आम और मगही पान के बाद बिहार की शाही लीची को भौगोलिक संकेत(GI) का टैग मिला है और टैग मिलते ही यह राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में एक विशेष ब्रांड बन गया है।

- प्रसिद्ध शाही लीची, जो अपने मीठे, रसदार, अद्वितीय स्वाद और सुगंध के लिये प्रसिद्ध है, अधिकांशत: मुज़फ्फरपुर और इसके आस-पास के ज़िलों- पूर्वी चंपारण, वैशाली, समस्तीपुर और बेगूसराय में उगाई जाती है।
- उल्लेखनीय है कि देश में उगाई जाने वाली कुल लीची का 40 प्रतिशत उत्पादन बिहार में किया जाता है।

नोट :

भौगोलिक संकेतक (Geographical Indication-GI)

- एक भौगोलिक संकेतक (Geographical Indication) का इस्तेमाल ऐसे उत्पादों के लिये किया जाता है, जिनका एक विशिष्ट भौगोलिक मूल क्षेत्र होता है।
- इन उत्पादों की विशिष्ट विशेषताएँ एवं प्रतिष्ठा भी इसी मूल क्षेत्र के कारण होती है। इस तरह का संबोधन उत्पाद की गुणवत्ता और विशिष्टता का आश्वासन देता है।
- अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर GI का विनियमन विश्व व्यापार संगठन (WTO) के बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलुओं (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights-TRIPS) पर समझौते के तहत किया जाता है।
- वहीं, राष्ट्रीय स्तर पर यह कार्य 'वस्तुओं का भौगोलिक सूचक' (पंजीकरण और सरंक्षण) अधिनियम, 1999 (Geographical Indications of goods 'Registration and Protection' act, 1999) के तहत किया जाता है, जो सितंबर 2003 से लागू हुआ।
- वर्ष 2004 में 'दार्जिलिंग टी' जीआई टैग प्राप्त करने वाला पहला भारतीय उत्पाद है।
- भौगोलिक संकेतक का पंजीकरण 10 वर्ष के लिये मान्य होता है।

ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक 2018

6 से 18 अक्तूबर, 2018 के बीच अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया।

- ब्यूनस आयर्स में आयोजित ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक में 32 खेलों को शामिल किया गया।
- खेलों के अगले संस्करण 2020 शीतकालीन युवा ओलंपिक का आयोजन लुसाने, स्विट्ज़रलैंड में किया जाएगा।
- 3 स्वर्ण, 9 रजत और 1 कांस्य पदक सहित कुल 13 पदकों के साथ भारत ने इस प्रतियोगिता में 14वाँ स्थान हासिल किया।
- 29 स्वर्ण, 18 रजत और 12 कांस्य पदक सहित कुल 59 पदकों के साथ रूस ने इस प्रतियोगिता में प्रथम स्थान हासिल किया, जबकि जापान दूसरे स्थान पर रहा।
- भारत की ओर से सौरभ चौधरी (निशानेबाजी), मनु भाकर (निशानेबाजी) और जेरेमी लालरिनुंगा (भारोत्तोलन) ने स्वर्ण पदक जीता।
- भारत की ओर से पुरुष एवं महिला हॉकी टीम ने रजत पदक प्राप्त किया।
- हरियाणा का आकाश मलिक ने तीरंदाजी में रजत पदक हासिल किया। युवा ओलंपिक की तीरंदाजी प्रतिस्पर्द्धा में रजत पदक जीतने वाले वे पहले भारतीय खिलाड़ी हैं।

बेपिकोलम्बो: मिशन मर्करी

- हाल ही में यूरोपियन स्पेस एजेंसी (ESA) और जापान एयरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी (JAXA) ने सूर्य के निकटतम ग्रह मर्करीके लिये संयुक्त अभियान, बेपिकोलम्बो हेतु सफलता पूर्वक अंतरिक्ष यान का प्रक्षेपण कर लिया।
- यह अंतरिक्ष यान 2025 में मर्करी ग्रह पर पहुँच जाएगा।
- यह यूरोपीय और जापानी अंतरिक्ष एजेंसियों का मर्करी हेतु पहला अभियान है।
- यह एक ही समय में ग्रह और उसके पर्यावरण की माप लेने हेतु दो अंतरिक्ष यान भेजने वाला भी पहला मिशन है।
- ये कृत्रिम उपग्रह वीनस के आँकड़े भी इकठ्ठा करेंगे।
- दो प्रकार के अंतरिक्ष यान इस प्रकार हैं-
  - यूरोपियन स्पेस एजेंसी (ESA) का मर्करी प्लेनेटरी ऑर्बिटर (MPO)।
  - जापान एयरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी (JAXA) का मर्करी मैग्नेटोस्फेरिक ऑर्बिटर (MMO या 'Mio')।

नोट :

ग्रीन क्लाइमेट फंड

- हाल ही में ग्रीन क्लाइमेट फंड (GCF) ने 19 नई परियोजनाओं के लिये $1 बिलियन से अधिक की मंज़ूरी दे दी है।
- 2010 में मेक्सिको के कानकुन में पार्टियों के सम्मेलन (COP -16) में UNFCCC (जलवायु परिवर्तन के लिये संयुक्त राष्ट्र संरचना सम्मेलन) के तहत ग्रीन क्लाइमेट फंड स्थापित किया गया था।
- GCF का उद्देश्य ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को सीमित करने या घटाने में विकासशील देशों को सहायता प्रदान करना है जो विकसित देशों तथा विभिन्न सार्वजनिक एवं निजी स्रोतों द्वारा वित्तपोषित संसाधनों के साथ जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के अनुकूलन की सुविधा प्रदान करना है।
- नाबार्ड और सिडबी ग्रीन क्लाइमेट फंड (GCF) के लिये राष्ट्रीय कार्यान्वयन इकाई (NIE) के रूप में कार्य करेंगे।

कुंभ मेला

- कुंभ मेला पृथ्वी पर तीर्थयात्रियों का सबसे बड़ा और शांतिपूर्ण जनसमूह है, जिसके दौरान प्रतिभागी स्नान करते हैं या पवित्र गंगा नदी में डुबकी लगाते हैं।
- कुंभ मेला यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची के अंतर्गत आता है।
- यह मेला भारत के चार अलग-अलग शहरों में आयोजित होता है इसलिये इसमें विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियाँ शामिल होती हैं, जो इसे सांस्कृतिक रूप से विविधता का पर्व बनाती हैं।
- यह मेला प्रयागराज (गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती के संगम पर), हरिद्वार (गंगा पर), उज्जैन (शिप्रा पर) और नासिक (गोदावरी पर) में हर चार साल के आवर्तन के बाद आयोजित किया जाता है तथा जाति, पंथ या लिंग की परवाह किये बिना लाखों लोग इसमें भाग लेते हैं।

सियोल शांति पुरस्कार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और वैश्विक आर्थिक विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक विकास को गति देकर देश के लोगों के जीवन स्तर को सुधारने, भ्रष्टाचार निरोधक उपायों व सामाजिक एकता के प्रयासों के ज़रिये देश में लोकतंत्र को मज़बूत बनाने के लिये 2018 के सियोल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।

- सियोल शांति पुरस्कार समिति ने यह सम्मान प्रदान करने के लिये प्रधानमंत्री के नाम का चयन किया है।
- समिति ने 'मोदी सिद्धांत' और एक्ट ईस्ट पॉलिसी' के माध्यम से दुनिया भर के देशों के साथ एक सक्रिय विदेश नीति के ज़रिये क्षेत्रीय और वैश्विक शांति के प्रति उनके योगदान को भी स्वीकार किया है।
- यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले नरेंद्र मोदी 14वें व्यक्ति हैं।

पृष्ठभूमि

- सियोल शांति पुरस्कार की शुरुआत 1990 में कोरिया गणराज्य में 24वें ओलंपिक खेलों के सफल आयोजन के उपलक्ष्य में की गई थी। इन खेलों में दुनिया भर के 160 देशों के खिलाड़ियों ने भाग लेते हुए सद्भाव, मित्रता, शांति और आपसी मेल-मिलाप के विश्वव्यापी माहौल का निर्माण किया।
- यह पुरस्कार कोरियाई लोगों की देश और दुनिया में शांति बनाए रखने की इच्छा का प्रतीक है।
- यह पुरस्कार मानवता के कल्याण और विश्व शांति के प्रयास में योगदान देने वाले व्यक्तियों को प्रत्येक दो वर्ष में एक बार दिया जाता है।

नोट :

'मैं नहीं हम' पोर्टल और एप

- 24 अक्तूबर, 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 'मैं नहीं हम' पोर्टल और एप लॉन्च किया। 'मैं नहीं हम' पोर्टल 'सेल्फ4सोसाइटी' की थीम पर काम करेगा।
- यह पोर्टल आईटी क्षेत्र से जुड़े कारोबारियों और संगठनों को सामाजिक सरोकारों और समाज सेवा से जुड़े उनके प्रयासों को एक साथ लाने के लिये मंच प्रदान करेगा।
- इसके माध्यम से प्रौद्योगिकी का लाभ समाज के कमज़ोर तबके तक पहुँचाने के लिये परस्पर सहयोग के प्रयासों में तेज़ी लाई जा सकेगी।
- पोर्टल के ज़रिए समाज की बेहतरी के लिये काम करने के इच्छुक लोगों की व्यापक सहभागिता को भी बढ़ावा दिया जा सकेगा।

PBW-343 नामक गेहूँ की किस्म

पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी (पीएयू) ने PBW-343 नामक गेहूँ की किस्म को एक नए रूप में लॉन्च किया है, जिसमें दो जोड़ी पत्ते और पीला जंग (rust, यह पौधों में होने वाली एक फंगल बीमारी है जिसके परिणामस्वरूप पौधों में लाल या भूरे रंग के चकते हो जाते हैं), प्रतिरोधीजीन - Lr37/Yr17 and Lr76/Yr70 शामिल हैं। गेहूँ की इस नई किस्म को PBW-343 Unnat नाम दिया गया है।

- PBW-343 को तैयार करने की इस पूरी प्रक्रिया को मार्कर-समर्थित चयन (marker-assisted selection) नामक बायोटेक्नोलॉजी आधारित पौधा प्रजनन (plant breeding) तकनीक द्वारा संपन्न किया गया है। यह गेहूँ अपनी तरह की पहली ऐसी विकसित किस्म है।
- PBW-343, अंतर्राष्ट्रीय मक्का और गेहूँ सुधार केंद्र या मेक्सिको में CIMMYT में उत्पादित गेहूँ की 'वेरी' लाइनों पर आधारित है, नब्बे के दशक के मध्य से पिछले दशक तक यह प्रजाति भारतीय किसानों के बीच लोकप्रिय थी। लेकिन वर्ष 2007 में बड़े स्तर पर फसल को नुकसान पहुँचने के कारण किसानों का रुझान इस ओर कम हो गया।
- लेकिन, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा 2011-12 और 2013-14 में क्रमश: विकसित HD-2967 और HD-3086 के लॉन्च होने के बाद PBW-343 फिर से चर्चा का विषय बन गया है।
- HD-2967 किस्म का इस्तेमाल करने से किसान प्रति एकड़ 21 क्विंटल गेहूँ का उत्पादन कर सकता है, लेकिन इसके साथ समस्या यह है कि यह पीले और भूरे रंग के धब्बों/चकतों के लिये अतिसंवेदनशील है। इसी प्रकार HD-3086 भी ब्राउन rust के मामले में कमज़ोर साबित होता है, लेकिन यह अभी भी उपज के मामले में किसानों को सर्वोत्तम परिणाम दे रहा है। इस क्रम में PBW-343 Unnat के सफल होने की संभावनाएँ काफी है।
- 'उन्नत' प्रारंभिक गेहूँ की एक किस्म है, जो एचडी -2967 की तरह अक्तूबर के चौथे सप्ताह से नवंबर के चौथे सप्ताह में 155 दिनों की परिपक्वता अवधि के साथ बोई जा सकती है। परीक्षण के अनुसार उन्नत की औसत उपज प्रति एकड़ 23.2 क्विंटल होने का अनुमान है।

अंडर-16 स्नूकर वर्ल्ड चैंपियनशिप

30 सितंबर से 6 अक्तूबर, 2018 तक रूस के सेंटपीटर्सबर्ग में अंडर-16 स्नूकर वर्ल्ड चैंपियनशिप का आयोजन किया गया।

- महिला वर्ग में भारत की कीर्थना पांडियन और पुरुष वर्ग में बेल्जियम के बेन मार्टेंस ने अंडर-16 स्नूकर वर्ल्ड चैंपियनशिप का ख़िताब जीता।
- भारत की कीर्थना पांडियन के लिये यह पहला अंतर्राष्ट्रीय खिताब है। कीर्थना ने फाइनल में बेलारूस की अल्बिना लेस्चुक को 3-1 से हराकर यह खिताब जीता।
- बेन ने फाइनल मुकाबले में आयरलैंड के आरोन हिल को 4-3 से हराकर यह खिताब जीता।

स्पार्क का वेब पोर्टल

केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 25 अक्तूबर को राजधानी नई दिल्ली में 'अकादमिक और अनुसंधान सहयोग संवर्द्धन योजना, स्पार्क(Scheme for Promotion of Academic and Research Collaboration- SPARC) का वेब पोर्टल लॉन्च किया।

नोट :

- 'स्पार्क' का लक्ष्य भारतीय संस्थानों और विश्व के सर्वोत्तम संस्थानों के बीच अकादमिक एवं अनुसंधान सहयोग को सुगम बनाकर भारत के उच्च शिक्षण संस्थानों में अनुसंधान परिदृश्य को बेहतर बनाना है।
- इस योजना के तहत 600 संयुक्त शोध प्रस्ताव दो वर्षों के लिये दिये जाएंगे, ताकि कक्षा संकाय में सर्वोत्तम माने जाने वाले भारतीय अनुसंधान समूहों और विश्व के प्रमुख विश्वविद्यालयों के प्रख्यात अनुसंधान समूहों के बीच उन क्षेत्रों में शोध संबंधी सुदृढ़ सहयोग संभव हो सके।
- देश के लिये उभरती इसकी प्रासंगिकता और अहमियत के आधार पर 'स्पार्क' के तहत सहयोग हेतु पाँच महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों (मौलिक शोध, प्रभाव से जुड़े उभरते क्षेत्र, सामंजस्य, अमल-उन्मुख अनुसंधान और नवाचार प्रेरित) के साथ-साथ प्रत्येक महत्त्वपूर्ण क्षेत्र के अंतर्गत उप-विषय से संबंधित क्षेत्रों की भी पहचान की गई है।

पृष्ठभूमि

- भारत सरकार ने अगस्त 2018 में 418 करोड़ रुपए की कुल लागत से 31 मार्च, 2020 तक कार्यान्वयन के लिये 'अकादमिक और अनुसंधान सहयोग के संवर्द्धन के लिये योजना (स्पार्क)' को मंज़ूरी दी थी।
- भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर 'स्पार्क' के कार्यान्वयन के लिये राष्ट्रीय समन्वयकारी संस्थान है।

टैगोर सांस्कृतिक समरसता पुरस्कार

संस्कृति मंत्रालय द्वारा वर्ष 2014, 2015 और 2016 के लिये टैगोर सांस्कृतिक समरसता पुरस्कार घोषित कर दिये गए हैं। ये पुरस्कार क्रमशः मणिपुर नृत्य के महान कलाकार श्री राजकुमार सिंहाजित सिंह, छायानट (बांग्लादेश का सांस्कृतिक संगठन) और भारत के महान मूर्तिकार श्री राम वनजी सुतार को दिये जा रहे हैं।

- यह निर्णय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में निर्णायक मंडल द्वारा लिया गया। इस निर्णायक मंडल में भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री रंजन गोगोई, श्री एन. गोपालास्वामी और डॉ. विनय सहस्त्रबुद्धे शामिल थे।

पृष्ठभूमि

- इस वार्षिक पुरस्कार की शुरुआत भारत सरकार द्वारा गुरुदेव रबिन्द्रनाथ टैगोर की 150वीं जयंती के अवसर पर की गई थी।
- पहला टैगोर पुरस्कार 2012 में भारत के महान सितारवादक पंडित रविशंकर को और दूसरा पुरस्कार 2013 में श्री जुबीन मेहता को प्रदान किया गया।
- पुरस्कार में एक करोड़ रुपए की धनराशि, प्रशस्तिपत्र, पट्टिका और पारंपरिक दस्तकारी/हथकरघा से बना उत्कृष्ट उपहार प्रदान किया जाता है।
- यह पुरस्कार राष्ट्रीयता, नस्ल, भाषा, जाति, आस्था या लिंग से इतर व्यक्ति को दिया जाता है।

लोक प्रशासन और प्रबंधन पुरस्कार, 2018

कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (DARPG), सीएपीएएम (Commonwealth Association for Public Administration and Management - CAPAM) का एक संस्थागत सदस्य है। CAPAM, एक गैर-लाभकारी संगठन है जो 1100 से अधिक वरिष्ठ सरकारी कर्मचारियों, सरकार के प्रमुखों, राष्ट्रमंडल के 50 से अधिक देशों के अग्रणी शिक्षाविदों और शोधकर्त्ताओं के एक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क का प्रतिनिधित्व करता है।

- CAPAM को ऐसे अंतर्राष्ट्रीय लीडर्स द्वारा निर्देशित किया जाता है जो राष्ट्रमंडल देशों के नागरिकों के भले के लिये नेटवर्किंग, ज्ञान विनिमय और सुशासन के प्रचार और उसकी महत्ता में विश्वास रखते हैं।
- वर्ष 1998 से प्रत्येक दो वर्ष पर CAPAM अपने अंतर्राष्ट्रीय नवाचार पुरस्कार (International Innovations Awards - IIA) कार्यक्रम की घोषणा करता आ रहा है।

प्रमुख बिंदु

- प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के सचिव के.वी. ईपेन को 23 अक्तूबर, 2018 को जॉर्जटाउन (गुयाना) में आयोजित वार्षिक बैठक में CAPAM के राष्ट्रमंडल संघ के बोर्ड के लिये चुना गया। इस बैठक के दौरान ही CAPAM इनोवेशन अवॉर्ड्स की घोषणा की गई।
- बिहार के बांका ज़िले की 'उन्नयन बांका-प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से शिक्षा का पुनर्वितरण' नामक पहल को 'इनोवेशन इनक्यूबेशन' श्रेणी के तहत सम्मानित किया गया है।
- 'उन्नयन बांका' एक ऐसी पहल है जिसमें नवीनतम तकनीकों का उपयोग करके समाज के सबसे निचले हिस्से (विशेष रूप से) के लिये 'गुणवत्तापूर्ण शिक्षा' की परिकल्पना की गई है। यह शिक्षा से रोज़गार के लिये युवाओं के संपूर्ण विकास का एक समग्र मॉडल है।
- कर्नाटक सरकार के सहयोगी विभाग की "एकीकृत कृषि बाज़ार" नामक एक अन्य पहल को भी 'लोक सेवा प्रबंधन में अभिनव' (nnovation in Public Service Management) श्रेणी के तहत चुना गया है। इस पहल को स्वर्ण पुरस्कार प्रदान किया गया है।

आर्थिक एकीकरण रिपोर्ट

- हाल ही में एशियाई विकास बैंक (ADB) ने एशियाई आर्थिक एकीकरण रिपोर्ट (AEIR) 2018 जारी की है। गौरतलब है कि 2015 के बाद यह रिपोर्ट हर साल जारी की जाती है।
- एशियाई आर्थिक एकीकरण रिपोर्ट, एशियाई सरकारों द्वारा अर्थव्यवस्थाओं को एकीकृत करने और विभिन्न स्तरों पर सहयोग को बढ़ावा देने के प्रयासों की समीक्षा करती है।
- 2017 में एशियाई विकास बैंक ने AEIR के एक हिस्से के रूप में एशिया-प्रशांत क्षेत्रीय सहयोग और एकीकरण सूचकांक (ARCII) को पहली बार जारी किया था।
- ARCII एशिया और प्रशांत क्षेत्र में क्षेत्रीय सहयोग तथा एकीकरण के स्तर का आकलन करता है।
- AEIR 2018 के मुताबिक, 2017 में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों का सबसे बड़ा स्रोत एशिया रहा। 2017 में सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी भारत से (17 मिलियन) थे। वहीं, चीन से 10 मिलियन तथा बांग्लादेश से 7.5 मिलियन अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी थे।

एक्सपो सिहाक

हाल ही में मेक्सिको के सिटिबानामेक्स सेंटर में निर्माण उद्योग की एक प्रमुख गतिविधि के रूप में एक्सपो सिहाक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। भारत की ओर से भारतीय व्यापार संवर्द्धन परिषद (टीपीसीआई)निर्माण क्षेत्र से संबद्ध इस प्रदर्शनी में 45 कंपनियों ने भाग लिया।

- ये कंपनियाँ निर्माण उद्योग से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों से संबद्ध हैं, जैसे- भवन निर्माण सामग्री, उपकरण, आंतरिक साज-सज्जा, विनिर्माण और सेरामिक टाइलों का विपणन आदि।
- मेक्सिको शहर में एक्सपो सिहाक के साथ भारत ने अपने प्रमुख निर्यात संवर्द्धन कार्यक्रम 'सोर्स इंडिया मेक्सिको' का भी आयोजन किया।
- भारत के सेरामिक उद्योग ने 1 वर्ष के भीतर सेरामिक उत्पादों के निर्यात से 1 अरब 24 करोड़ 30 लाख डॉलर का व्यापार किया है। मेक्सिको में व्यापार की काफी संभावनाएँ हैं क्योंकि भारत से वहाँ निर्यातित सेरामिक उत्पादों का मूल्य मात्र 7.38 करोड़ डॉलर है।

इन्वेस्ट इंडिया

भारत के निवेश संवर्द्धन निकाय 'इनवेस्ट इंडिया' को सतत् विकास में निवेश को प्रोत्साहन के लिये संयुक्त राष्ट्र का विशिष्टता पुरस्कार प्रदान किया गया है। आर्मेनियाई राष्ट्रपति आर्मेन सर्किसियन द्वारा इनवेस्ट इंडिया के सीईओ दीपक बागला को जेनेवा में विश्व निवेश मंच में यह सम्मान प्रदान किया गया।

नोट :

- इस कार्यक्रम में दस राष्ट्राध्यक्षों और 50 देशों के मंत्रियों ने भाग लिया।
- इस कार्यक्रम के अंतर्गत बहरीन, लेसोथो और दक्षिण अफ्रीका की एजेंसियों को भी सम्मानित किया गया।
- यह कार्यक्रम अंकटाड (United Nations Conference on Trade and Development - UNCTAD) द्वारा आयोजित किया गया। इसमें निवेश संवर्द्धन एजेंसियों (Investment Promotion Agencies - IPAs) और उनसे संबंधित सरकारों को उनके द्वारा हासिल उपलब्धियों के लिये सम्मानित किया जाता है।

पृष्ठभूमि

- नीति और संवर्द्धन विभाग (Department of Industrial Policy and Promotion) के तहत 'इन्वेस्ट इंडिया' एक गैर-लाभकारी कंपनी है।
- राष्ट्रीय निवेश संवर्द्धन और सुविधा एजेंसी के रूप में 'इन्वेस्ट इंडिया' भारत में सतत् निवेश को सक्षम करने के लिये क्षेत्र विशिष्ट निवेशक लक्ष्यीकरण और नई साझेदारी के विकास पर केंद्रित उपक्रम है।

विश्व का सबसे लंबा समुद्री पुल

चीन में दुनिया के सबसे लंबे समुद्री पुल (55 किमी.) को आधिकारिक तौर पर यातायात के लिये खोल दिया गया है।

- यह पुल हॉन्गकॉन्ग, मकाऊ और चीन के जुहाई शहर को जोड़ता है।
- इस पुल को हॉन्गकॉन्ग पर चीन द्वारा अधिक नियंत्रण करने के हिस्से के रूप में भी देखा जा रहा है कि उल्लेखनीय है हॉन्गकॉन्ग शहर को ब्रिटिश उपनिवेश ने उच्च स्वायत्तता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को संरक्षित करने के चीन के वादे के साथ 1997 में चीन को लौटा दिया था।
- इस पुल का निर्माण कार्य वर्ष 2009 में प्रारंभ किया गया। उल्लेखनीय है कि इस पुल के निर्माण का प्रस्ताव पहली बार 1980 के दशक के अंत में किया गया था, लेकिन उस समय हॉन्गकॉन्ग की ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार ने इसका विरोध किया था, क्योंकि वह उस विकास के प्रति सचेत थी जो शहर को कम्युनिस्ट चीन की तरफ आकर्षित कर सकता था।
- यह पुल पर्ल रिवर एस्चुरी के लिंगदिंग्यांग जल क्षेत्र में बनाया गया है।

संबल: एक लोक वाद्य यंत्र

संबल, यानी झिल्लीफोन अथवा ड्रम, एक लोक वाद्य यंत्र है जिसका इस्तेमाल देवी तुलजभवानी के सम्मान में की जाने वाली गोंधळ पूजा के दौरान किया जाता है। यह कोंकणिस और गोंडलिस का एक पारंपरिक ड्रम है, ऐसे समुदाय जो देवी के गीत गाते हैं, इस यन्त्र का इस्तेमाल करते हैं।

- इसमें दो ड्रम आपस में जुड़े होते हैं लेकिन दोनों की ध्वनि में अंतर होता है। इसे स्टिक से बजाया जाता है।

प्रमुख विशेषताएँ

- ये दो ड्रम आमतौर पर आकार और ऊँचाई में भिन्न होते हैं। इस यंत्र के दोनों तरफ लकड़ी की छड़ों, जिनके किनारे अलग-अलग आकार के होते हैं और जिसमें से एक सादा और सीधा होता है, जबकि दूसरा गोलाकार टिप का होता है।
- इस यंत्र को कमर के चारों ओर बांध कर इस्तेमाल किया जाता (विशेष रूप से गणपति विसर्जन) है। कलाकारों द्वारा ड्रम को ज़मीन पर रखकर भी बजाया जाता है।
- विवाह एवं धार्मिक उत्सवों के साथ-साथ इस यंत्र का इस्तेमाल सामाजिक कार्यक्रमों में भी किया जाता है।
- 12वीं शताब्दी में निर्मित प्रसिद्ध तुलजभवानी मंदिर में प्रत्येक आरती के बाद संबल का प्रदर्शन किया जाता है। सुबह 5 बजे पूजा की शुरुआत से पहले मंदिर में बड़े ड्रमों के माध्यम से भक्तों को पूजा के बारे में सूचित किया जाता है। इस अनुष्ठान को चौगाडा (Chaugada) कहा जाता है।

केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य (KWS) में पतंगा

- केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य (KWS) 975 वर्ग किलोमीटर से भी अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है। यह सबसे आकर्षक जैव विविधता के साथ-साथ मध्यकालीन मंदिरों का भी स्थान है।
- उत्तराखंड के राजकीय फूल रोडोडेंड्रॉन (Rhododendrons) की 200 से भी अधिक प्रजातियाँ (जिसे उतराखंड के स्थानीय इलाकों में बुरांस के रूप में जाना जाता है) KWS में पाई जाती हैं।
- उतराखंड के चमोली और रुद्रप्रयाग ज़िलों में फैला केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य (KWS) पश्चिमी हिमालय के सबसे प्रमुख संरक्षित क्षेत्रों में से एक तथा लुप्तप्राय कस्तूरी हिरण का आवास है।
- KWS पतंगा प्रजातियों (Moths) का एक अनमोल आवास है जो जैव विविधता का एक महत्त्वपूर्ण संकेतक है।
- पतंगा अलग-अलग विभिन्न स्थलों पर व्यापक रूप से पाए जाते हैं। इन स्थलों में समशीतोष्ण, शंकुधारी और अल्पाइन जंगलों से लेकर अल्पाइन घास के मैदान (बुग्याल) तक शामिल हैं।
- पतंगा प्रजातियाँ वन के स्वास्थ्य संकेतक के रूप में साबित हुए हैं और प्राकृतिक आवास के नष्ट होने तथा जलवायु परिवर्तन की वर्तमान स्थिति में ये बेहद महत्त्वपूर्ण हैं। उनकी पारिस्थितिकी का अध्ययन करना, पारिस्थितिकीय पदानुक्रम में परिवर्तनों को समझने में सहायक होगा।

मिगिनगो द्वीप विवाद

विक्टोरिया झील स्थित मिगिनगो द्वीप पर पड़ोसी केन्या और युगांडा अपनी संप्रभुता का दावा करते रहे हैं। घनी आबादी वाले इस द्वीप का क्षेत्रफल एक हेक्टेयर से भी कम है।

- एक दशक से भी अधिक समय से मिगिनगो द्वीप केन्या और युगांडा के बीच तनाव का कारण बना हुआ है। दोनों देश यह निश्चय करने में असमर्थ हैं कि वास्तव में इस द्वीप पर किसकी संप्रभुता है।
- वर्ष 2000 की शुरुआत में जब द्वीप पर लोगों ने निवास करना शुरू किया था तब सभी मानचित्रों पर इस द्वीप को केन्या के अंतर्गत दिखाया गया था। इसने युगांडा के अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करना शुरू किया और उन्होंने मछुआरों पर कर लगाने के लिये मिगिनगो में अधिकारी भेजे, साथ ही समुद्री डाकुओं से सुरक्षा का प्रस्ताव भी उनके सामने रखा।
- युगांडा के इस कदम के बाद मछुआरों ने केन्या सरकार से मुलाकात की और केन्या सरकार ने इस पर कदम उठाते हुए मिगिनगो में सुरक्षाकर्मी तैनात कर दिये जिसके चलते दोनों देशों के बीच वर्ष 2009 में तनाव और बढ़ गया।
- इसके बाद केन्या और युगांडा ने यह निर्धारित करने के लिये कि पानी की सीमा कहाँ तक है, एक संयुक्त कमीशन बनाने का फैसला किया लेकिन संयुक्त कमीशन द्वारा अभी तक कोई निर्णायक फैसला नहीं लिया गया है।

चुनावी बॉण्ड योजना-2018

हाल ही में भारत सरकार ने चुनावी बॉण्ड योजना-2018 को अधिसूचित किया है।

- योजना के प्रावधानों के अनुसार, चुनावी बॉण्ड की खरीद ऐसे व्यक्ति द्वारा की जा सकती है, जो भारत का नागरिक हो या भारत में निगमित या स्थापित हो।
- व्यक्ति विशेष के रूप में कोई भी व्यक्ति एकल रूप से या अन्य व्यक्तियों के साथ संयुक्त रूप से चुनावी बॉण्डों की खरीद कर सकता है।
- केवल से राजनीतिक पार्टियाँ, जो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) के अनुच्छेद 29ए के तहत पंजीकृत हों और जिन्होंने आम लोकसभा चुनावों या राज्य विधानसभा चुनावों में डाले गए मतों के एक प्रतिशत से कम मत प्राप्त नहीं किये हों, चुनावी बॉण्ड प्राप्त करने की पात्र होंगी।
- चुनावी बॉण्डों को किसी योग्य राजनीतिक पार्टी द्वारा केवल अधिकृत बैंक के खाते के माध्यम से ही भुनाया जा सकेगा।

नोट :

- भारतीय स्टेट बैंक को बिक्री के छठे चरण में अपनी 29 अधिकृत शाखाओं (सूची संलग्न) के माध्यम से 01-10 नवंबर 2018 तक चुनावी बॉण्डों को जारी करने तथा भुनाने के लिये अधिकृत किया गया है।
- यह ध्यान दिया जा सकता है कि चुनावी बॉण्ड जारी होने की तारीख से पंद्रह कैलेंडर दिनों के लिये मान्य होंगे और यदि वैधता अवधि समाप्त होने के बाद चुनावी बॉण्ड जमा किया जाता है तो किसी भी भुगतानकर्त्ता राजनीतिक पार्टी को कोई भुगतान नहीं किया जाएगा।
- एक योग्य राजनीतिक दल द्वारा जमा किये गए चुनावी बॉण्ड को उसी दिन खाते में जमा किया जाएगा।

क्या है चुनावी बॉण्ड ?

- यदि हम बॉण्ड की बात करें तो यह एक ऋण सुरक्षा है। चुनावी बॉण्ड का जिक्र सर्वप्रथम वर्ष 2017 के आम बजट में किया गया था।
- दरअसल, यह कहा गया था कि RBI एक प्रकार का बॉण्ड जारी करेगा और जो भी व्यक्ति राजनीतिक पार्टियों को दान देना चाहता है, वह पहले बैंक से बॉण्ड खरीदेगा फिर वह जिस भी राजनैतिक दल को दान देना चाहता है, उसे दान के रूप में बॉण्ड दे सकता है।
- राजनैतिक दल इन चुनावी बॉण्ड की बिक्री अधिकृत बैंक को करेंगे और वैधता अवधि के दौरान राजनैतिक दलों के बैंक खातों में बॉण्ड के खरीद के अनुपात में राशि जमा करा दी जाएगी।

हिमालयी पारिस्थितिक तंत्र में शलभ (Moth) का महत्त्व

वैसे तो Moth (शलभ/कीट/पतंगा) को व्यापक रूप से केवल एक कीट ही माना जाता है लेकिन जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (ZSI) के वैज्ञानिकों द्वारा हाल ही में किये गए एक अध्ययन से पता चला है कि ये कीट समूह हिमालयी पारिस्थितिक तंत्र में कई पौधों के परागण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

- यह अध्ययन "असेसमेंट ऑफ मोथ्स (लेपिडोप्टेरा) एज़ सिग्निफिकेंट पोलिनेटर्स इन द हिमालयन इकोसिस्टम ऑफ नार्थ ईस्टर्न इंडिया" शीर्षक वाले प्रोजेक्ट के अंतर्गत किया गया तथा इस प्रोजेक्ट के तहत अध्ययन के लिये वैज्ञानिकों ने विभिन्न पारिस्थितिक तंत्र से Moths के नमूने एकत्र किये।
- Moths की लगभग एक दर्ज़न प्रजातियों में सूँड़ (Proboscis), फूलों का रस चूसने के लिये कीटों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला एक लंबा और धागे जैसे अंग का विश्लेषण इन कीटों में परागकणों की उपस्थिति का खुलासा करता है।
- यह विशेष अध्ययन पौधे-पतंग परस्पर क्रियाओं पर आधारित है।
- यह अध्ययन अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में किया गया था।
- इस अध्ययन के अंतर्गत सबसे बड़ा खुलासा विभिन्न Moth प्रजातियों में सूँड़ की संरचना थी।
- इस अध्ययन को इसलिये भी महत्त्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि इसमें वैज्ञानिकों ने परागण स्रोतों के रूप में कीटों के नए समूह Moth का अध्ययन किया है। आमतौर पर मधुमक्खी, ततैया (Wasp) और तितलियों को परागण का प्रमुख स्रोत माना जाता है।
- भारत में पाई जाने वाली कीट प्रजातियों की संख्या अनुमानतः 12,000 है।
- शोधकर्त्ताओं के अनुसार दुनिया के कुछ हिस्सों में पिछले 40 वर्षों में लगभग दो तिहाई आम तौर पर पाई जाने वाली बड़ी Moth प्रजातियों में गिरावट आई है। गिरावट के मुख्य कारणों में से एक प्रकाश प्रदूषण (Moth आवास में कृत्रिम प्रकाश में वृद्धि) है।

गुजरात का पहला मेगा फूड पार्क

- हाल ही में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा सूरत में गुजरात के पहले मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया गया।
- यह मेगा फूड पार्क प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से पाँच हजार लोगों को रोजगार देगा और इससे 25,000 हज़ार किसान लाभान्वित होंगे। गौरतलब है कि ऐसे ही दूसरे पार्क को मेहसाणा में खोलने की मंज़ूरी दी गई है।
- सूरत ज़िले के मंगलौर तालुका में शाह और वसरावी गाँव में स्थित यह पार्क मेसर्स गुजरात एग्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर मेगा फूड पार्क प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है।

नोट :

- यह पार्क 15 एकड़ भूमि पर 117.87 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है।
- इसमें पार्क में बनाए गए केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र में 3,500 मीट्रिक टन की भंडारण क्षमता से युक्त कई चैंबरों वाला कोल्ड स्टोर, 5,000 मीट्रिक टन क्षमता वाला वेयर हाउस, सब्जियों और फलों के गूदे निकालने के लिये बड़ी पाइपलाइन, क्यूसी प्रयोगशाला तथा खाद्य प्रसंस्करण से जुड़ी ऐसी ही कई अन्य सुविधाएँ भी उपलब्ध कराई गई हैं।
- इसके अलावा भरूच, पाद्रा (वड़ोदरा), वलसाड़ और नवसारी में खेतों के पास ही प्राथमिक स्तर पर प्रसंस्करण और भंडारण के लिये 4 स्थानीय केंद्र भी बनाए गए हैं।
- खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिये विशेष प्रयास कर रहा है ताकि इससे कृषि क्षेत्र को बढ़ावा मिले और यह किसानों की आय दोगुनी करने में अधिक योगदान कर सके।

मेगा फूड पार्क

- खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के मूल्य संवर्द्धन और आपूर्ति श्रृंखला के प्रत्येक चरण में जल्दी नष्ट होने वाले खाद्य पदार्थों की बर्बादी को कम करने के उद्देश्य से खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने देश में मेगा फूड पार्क योजना लागू की है।
- मेगा फूड पार्क एक क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण के माध्यम से खाद्य प्रसंस्करण के लिये आधुनिक आधारभूत सुविधाएँ प्रदान करता है।
- केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र में सामान्य सुविधाएँ और सक्षम बुनियादी ढाँचे का निर्माण किया जाता है तथा प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्रों (PPC) एवं संग्रह केंद्रों (CC) के रूप में कृषि के पास प्राथमिक प्रसंस्करण व भंडारण की सुविधा दी जाती है। मेगा फूड पार्क योजना के तहतभारत सरकार हर मेगा फूड पार्क के लिये 50 करोड़ रुपए की वित्तीय मदद देती है।

आपदा चेतावनी प्रणाली

- हाल ही में ओडिशा सरकार ने पूर्व चेतावनी प्रसार प्रणाली की शुरुआत की है। जिसमें तटीय समुदायों और मछुआरों को आने वाले चक्रवात तथा सुनामी के बारे में सायरन टावरों के द्वारा चेतावनी दी जाएगी। भारत में इस तरह की यह पहली प्रणाली है।
- भुवनेश्वर के राज्य आपातकालीन केंद्र में एक बटन दबाते ही तट पर स्थापित ये सायरन 122 टावरों से चेतावनी देना शुरू कर देंगे।
- EWDS, केंद्र और राज्य सरकार का एक सहयोगी प्रयास है जिसे विश्व बैंक की सहायता से कार्यान्वित किया गया है।
- छह तटीय ज़िलों- बालासोर, भद्रक, जगतसिंहपुर, केंद्रपड़ा, पुरी और गंजम को EWDS के तहत शामिल किया गया है।
- यह राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम शमन योजना (National Cyclone Risk Mitigation Project) के तहत अंतिम-मील कनेक्टिविटी (last-mile connectivity) कार्यक्रम का हिस्सा है।

पूर्व चेतावनी प्रसार प्रणाली (Early Warning Dissemination System- EWDS)

- EWDS में डिजिटल मोबाइल रेडियो (Digital Mobile Radio-DMR), सैटेलाइट-आधारित मोबाइल डाटा वॉयस टर्मिनल (Satellite-Based Mobile Data Voice Terminals-SBMDVT), जन संदेश प्रणाली (Mass Messaging System-MMS) और यूनिवर्सल कम्युनिकेशन इंटरफेस (Universal Communication Interface-UCI) जैसी कुछ युक्तियाँ हैं जो विभिन्न संचार तकनीक के बीच अंतर-संचालन (inter-operability) को संभव बनाती हैं।
- जन संदेश प्रणाली आपदा से प्रभावित किसी विशेष इलाके में सभी मोबाइल उपभोक्ताओं को SMS के माध्यम से चेतावनी संदेश भेजने की सुविधा प्रदान करती है।
- सुनामी या चक्रवात या किसी अन्य प्राकृतिक आपदा के आने की आंशका होते ही भुवनेश्वर में स्थापित कंट्रोल रूम में बटन दबाने से पूरे राज्य में चेतावनी का प्रसार किया जा सकेगा।
- इस पूर्व चेतावनी प्रणाली से लोगो को सुरक्षित स्थानों पर जाने में मदद मिलेगी।
- आपदाओं के लिये एक स्वचालित तटीय चेतावनी प्रणाली ओडिशा के लोगों के लिये बहुत मददगार होगी क्योंकि यह राज्य प्राकृतिक आपदाओं के प्रति बहुत संवेदनशील है। अगर देश के सभी आपदा संभाव्य क्षेत्रों में ऐसी प्रणाली स्थापित की जा सके तो प्राकृतिक आपदाओं से जीवन और संपत्ति को होने वाले नुकसान में उल्लेखनीय कमी लाई जा सकती है।

नोट :

ट्रेन 18

- हाल ही में बिना इंजन वाली ट्रेन, टी18 का अनावरण किया गया है। यह एक हाईटेक, ऊर्जा-कुशल, खुद से चलने वाली या बिना इंजन के चलने वाली ट्रेन है।
- गौरतलब है कि कुछ सुरक्षा जाँचों के बाद ट्रेन18 को भारतीय रेलवे में शामिल कर लिया जाएगा।
- 16 कोच वाली इस ट्रेन को चेन्नई के इंटीग्रल कोच फैक्ट्री (ICF) में महज़ 18 महीनों में ही विकसित किया गया है।
- इसमें सभी डिब्बों में आपातकालीन टॉक-बैक यूनिट (जिसकी सहायता से यात्री आपातकाल की स्थिति में ट्रेन के क्रू से बात कर सकेंगे) स्थापित किये गए हैं। इसके साथ ही सीसीटीवी भी लगाए गए हैं ताकि सफर सुरक्षित हो सके।
- सब-अर्बन ट्रेनों की तरह इस ट्रेन के दोनों छोरों पर भी मोटर कोच होंगे, यानी यह ट्रेन दोनों दिशाओं में ही चलने में सक्षम होगी। इस ट्रेन की अधिकतम स्पीड 160 किमी प्रतिघंटा के करीब होगी।
- यह ट्रेन पूरी तरह से वातानुकूलित होगी तथा इसके सभी कोच एक-दूसरे से जुड़े होंगे। स्टेनलेस स्टील के ढाँचे वाली इस ट्रेन में वाई-फाई, एलईडी लाइट, पैसेंजर इनफॉर्मेशन सिस्टम और पूरे कोच में दोनों दिशाओं में एक बड़ी तथा एकलौती खिड़की होगी।
- यह नई ट्रेन दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सुविधाओं से लैश होगी जिसमें वाई-फाई से लेकर जीपीएस आधारित यात्री सूचना प्रणाली, 'टच-फ्री' बायो-वैक्यूम शौचालय, एलईडी लाइटिंग, मोबाइल चार्जिंग पॉइंट और जलवायु नियंत्रण प्रणाली भी शामिल है जो मौसम के अनुसार तापमान को नियंत्रित करने की सुविधा प्रदान करेगी।

अमूर फाल्कन

- अमूर फाल्कन, दुनिया में सबसे लंबी दूरी की यात्रा करने वाले पक्षियों ने सर्दियों के आगमन के साथ ही अपना प्रवास शुरू कर दिया है।
- ये पक्षी दक्षिण-पूर्वी साइबेरिया और उत्तरी चीन में प्रजनन करते हैं तथा मंगोलिया एवं साइबेरिया में वापस लौटने से पहले लाखों की संख्या में भारत में व हिंद महासागर से होते हुए दक्षिण अफ्रीका में प्रवास करते हैं। इन पक्षियों का 22,000 किलोमीटर प्रवासी मार्ग एवियन प्रजातियों में सबसे लंबा है।
- इन पक्षियों का नाम अमूर नदी से लिया गया है जो रूस और चीन के बीच की सीमा का निर्धारण करती है।
- नगालैंड में दोयांग झील अमूर फाल्कन के वार्षिक प्रवासन के दौरान एक स्टॉपओवर के रूप में जाना जाता है।
- ये पक्षी लुप्तप्राय नहीं हैं लेकिन फिर भी इन्हें वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 और प्रवासी प्रजातियों पर सम्मेलन के तहत संरक्षित किया गया है। भारत प्रवासी प्रजातियों पर सम्मेलन का हस्ताक्षरकर्त्ता है।
- नगालैंड को 'फाल्कन कैपिटल ऑफ़ वर्ल्ड' नाम देते हुए पर्यटन विभाग एक फेस्टिवल आयोजित कर रहा है जो 2018 से वार्षिक तौर पर होगा।

गुजरात का पहला मेगा फूड पार्क

- हाल ही में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा सूरत में गुजरात के पहले मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया गया।
- यह मेगा फूड पार्क प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से पाँच हजार लोगों को रोजगार देगा और इससे 25,000 हज़ार किसान लाभान्वित होंगे। गौरतलब है कि ऐसे ही दूसरे पार्क को मेहसाणा में खोलने की मंज़ूरी दी गई है।
- सूरत ज़िले के मंगलौर तालुका में शाह और वसरावी गाँव में स्थित यह पार्क मेसर्स गुजरात एग्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर मेगा फूड पार्क प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है।
- यह पार्क 15 एकड़ भूमि पर 117.87 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है।
- इसमें पार्क में बनाए गए केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र में 3,500 मीट्रिक टन की भंडारण क्षमता से युक्त कई चैंबरों वाला कोल्ड स्टोर, 5,000 मीट्रिक टन क्षमता वाला वेयर हाउस, सब्जियों और फलों के गूदे निकालने के लिये बड़ी पाइपलाइन, क्यूसी प्रयोगशाला तथा खाद्य प्रसंस्करण से जुड़ी ऐसी ही कई अन्य सुविधाएँ भी उपलब्ध कराई गई हैं।

नोट :

- इसके अलावा भरूच, पाद्रा (वड़ोदरा), वलसाड़ और नवसारी में खेतों के पास ही प्राथमिक स्तर पर प्रसंस्करण और भंडारण के लिये 4 स्थानीय केंद्र भी बनाए गए हैं।
- खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिये विशेष प्रयास कर रहा है ताकि इससे कृषि क्षेत्र को बढ़ावा मिले और यह किसानों की आय दोगुनी करने में अधिक योगदान कर सके।

मेगा फूड पार्क

- खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के मूल्य संवर्द्धन और आपूर्ति श्रृंखला के प्रत्येक चरण में जल्दी नष्ट होने वाले खाद्य पदार्थों की बर्बादी को कम करने के उद्देश्य से खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने देश में मेगा फूड पार्क योजना लागू की है।
- मेगा फूड पार्क एक क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण के माध्यम से खाद्य प्रसंस्करण के लिये आधुनिक आधारभूत सुविधाएँ प्रदान करता है।
- केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र में सामान्य सुविधाएँ और सक्षम बुनियादी ढाँचे का निर्माण किया जाता है तथा प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्रों (PPC) एवं संग्रह केंद्रों (CC) के रूप में कृषि के पास प्राथमिक प्रसंस्करण व भंडारण की सुविधा दी जाती है। मेगा फूड पार्क योजना के तहतभारत सरकार हर मेगा फूड पार्क के लिये 50 करोड़ रुपए की वित्तीय मदद देती है।

आपदा चेतावनी प्रणाली

- हाल ही में ओडिशा सरकार ने पूर्व चेतावनी प्रसार प्रणाली की शुरुआत की है। जिसमें तटीय समुदायों और मछुआरों को आने वाले चक्रवात तथा सुनामी के बारे में सायरन टावरों के द्वारा चेतावनी दी जाएगी। भारत में इस तरह की यह पहली प्रणाली है।
- भुवनेश्वर के राज्य आपातकालीन केंद्र में एक बटन दबाते ही तट पर स्थापित ये सायरन 122 टावरों से चेतावनी देना शुरू कर देंगे।
- EWDS, केंद्र और राज्य सरकार का एक सहयोगी प्रयास है जिसे विश्व बैंक की सहायता से कार्यान्वित किया गया है।
- छह तटीय ज़िलों- बालासोर, भद्रक, जगतसिंहपुर, केंद्रपड़ा, पुरी और गंजम को EWDS के तहत शामिल किया गया है।
- यह राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम शमन योजना (National Cyclone Risk Mitigation Project) के तहत अंतिम-मील कनेक्टिविटी (last-mile connectivity) कार्यक्रम का हिस्सा है।

पूर्व चेतावनी प्रसार प्रणाली (Early Warning Dissemination System- EWDS)

- EWDS में डिजिटल मोबाइल रेडियो (Digital Mobile Radio-DMR), सैटेलाइट-आधारित मोबाइल डाटा वॉयस टर्मिनल (Satellite-Based Mobile Data Voice Terminals-SBMDVT), जन संदेश प्रणाली (Mass Messaging System-MMS) और यूनिवर्सल कम्युनिकेशन इंटरफेस (Universal Communication Interface-UCI) जैसी कुछ युक्तियाँ हैं जो विभिन्न संचार तकनीक के बीच अंतर-संचालन (inter-operability) को संभव बनाती हैं।
- जन संदेश प्रणाली आपदा से प्रभावित किसी विशेष इलाके में सभी मोबाइल उपभोक्ताओं को SMS के माध्यम से चेतावनी संदेश भेजने की सुविधा प्रदान करती है।
- सुनामी या चक्रवात या किसी अन्य प्राकृतिक आपदा के आने की आंशका होते ही भुवनेश्वर में स्थापित कंट्रोल रूम में बटन दबाने से पूरे राज्य में चेतावनी का प्रसार किया जा सकेगा।
- इस पूर्व चेतावनी प्रणाली से लोगो को सुरक्षित स्थानों पर जाने में मदद मिलेगी।
- आपदाओं के लिये एक स्वचालित तटीय चेतावनी प्रणाली ओडिशा के लोगों के लिये बहुत मददगार होगी क्योंकि यह राज्य प्राकृतिक आपदाओं के प्रति बहुत संवेदनशील है। अगर देश के सभी आपदा संभाव्य क्षेत्रों में ऐसी प्रणाली स्थापित की जा सके तो प्राकृतिक आपदाओं से जीवन और संपत्ति को होने वाले नुकसान में उल्लेखनीय कमी लाई जा सकती है।

ट्रेन 18

- हाल ही में बिना इंजन वाली ट्रेन, टी18 का अनावरण किया गया है। यह एक हाईटेक, ऊर्जा-कुशल, खुद से चलने वाली या बिना इंजन के चलने वाली ट्रेन है।

नोट :

- गौरतलब है कि कुछ सुरक्षा जाँचों के बाद ट्रेन18 को भारतीय रेलवे में शामिल कर लिया जाएगा।
- 16 कोच वाली इस ट्रेन को चेन्नई के इंटीग्रल कोच फैक्ट्री (ICF) में महज़ 18 महीनों में ही विकसित किया गया है।
- इसमें सभी डिब्बों में आपातकालीन टॉक-बैक यूनिट (जिसकी सहायता से यात्री आपातकाल की स्थिति में ट्रेन के क्रू से बात कर सकेंगे) स्थापित किये गए हैं। इसके साथ ही सीसीटीवी भी लगाए गए हैं ताकि सफर सुरक्षित हो सके।
- सब-अर्बन ट्रेनों की तरह इस ट्रेन के दोनों छोरों पर भी मोटर कोच होंगे, यानी यह ट्रेन दोनों दिशाओं में ही चलने में सक्षम होगी। इस ट्रेन की अधिकतम स्पीड 160 किमी प्रतिघंटा के करीब होगी।
- यह ट्रेन पूरी तरह से वातानुकूलित होगी तथा इसके सभी कोच एक-दूसरे से जुड़े होंगे। स्टेनलेस स्टील के ढाँचे वाली इस ट्रेन में वाई-फाई, एलईडी लाइट, पैसेंजर इनफॉर्मेशन सिस्टम और पूरे कोच में दोनों दिशाओं में एक बड़ी तथा एकलौती खिड़की होगी।
- यह नई ट्रेन दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सुविधाओं से लैश होगी जिसमें वाई-फाई से लेकर जीपीएस आधारित यात्री सूचना प्रणाली, 'टच-फ्री' बायो-वैक्यूम शौचालय, एलईडी लाइटिंग, मोबाइल चार्जिंग पॉइंट और जलवायु नियंत्रण प्रणाली भी शामिल है जो मौसम के अनुसार तापमान को नियंत्रित करने की सुविधा प्रदान करेगी।

अमूर फाल्कन

- अमूर फाल्कन, दुनिया में सबसे लंबी दूरी की यात्रा करने वाले पक्षियों ने सर्दियों के आगमन के साथ ही अपना प्रवास शुरू कर दिया है।
- ये पक्षी दक्षिण-पूर्वी साइबेरिया और उत्तरी चीन में प्रजनन करते हैं तथा मंगोलिया एवं साइबेरिया में वापस लौटने से पहले लाखों की संख्या में भारत में व हिंद महासागर से होते हुए दक्षिण अफ्रीका में प्रवास करते हैं। इन पक्षियों का 22,000 किलोमीटर प्रवासी मार्ग एवियन प्रजातियों में सबसे लंबा है।
- इन पक्षियों का नाम अमूर नदी से लिया गया है जो रूस और चीन के बीच की सीमा का निर्धारण करती है।
- नगालैंड में दोयांग झील अमूर फाल्कन के वार्षिक प्रवासन के दौरान एक स्टॉपओवर के रूप में जाना जाता है।
- ये पक्षी लुप्तप्राय नहीं हैं लेकिन फिर भी इन्हें वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 और प्रवासी प्रजातियों पर सम्मेलन के तहत संरक्षित किया गया है। भारत प्रवासी प्रजातियों पर सम्मेलन का हस्ताक्षरकर्त्ता है।
- नगालैंड को 'फाल्कन कैपिटल ऑफ़ वर्ल्ड' नाम देते हुए पर्यटन विभाग एक फेस्टिवल आयोजित कर रहा है जो 2018 से वार्षिक तौर पर होगा।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह

केंद्रीय सतर्कता आयोग प्रत्येक वर्ष सरदार बल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन (31 अक्तूबर) वाले सप्ताह में सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाता है।

- इस वर्ष 29 अक्तूबर से 03 नवंबर, 2018 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जाएगा।
- इस वर्ष सतर्कता जागरूकता सप्ताह का विषय है 'भ्रष्टचार मिटाओ-नया भारत बनाओ।'
- केंद्रीय सतर्कता आयोग सतर्कता जागरूकता सप्ताह में भ्रष्टाचार के विरूद्ध लड़ाई में सामूहिक रूप से भाग लेने के लिये हितधारकों को प्रेरित करता है।
- सतर्कता जागरूकता सप्ताह का उद्देश्य भ्रष्टाचार से होने वाले नुकसान के बारे में जन जागरूकता पैदा करना है।
- ग्राम पंचायतों (ग्रामीण और अर्द्धशहरी क्षेत्रों) में जागरूकता फैलाने के लिये 'जागरूकता ग्राम सभा' आयोजित की जाती है ताकि भ्रष्टाचार के दुष्प्रभावों के बारे में ग्रामीण नागरिकों को संवेदी बनाया जा सके।
- वर्ष 2017 में सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान 67,131 ग्राम सभाओं में इसका आयोजन किया गया।

नोट :

पहला विश्व कृषि पुरस्कार

भारत में हरित क्रांति के जनक प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक और प्रसिद्ध वास्तुकार, एम.एस. स्वामीनाथन को भारतीय कृषि में उनके योगदान के लिये प्रथम विश्व कृषि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।

- गैर-सरकारी भारतीय खाद्य और कृषि परिषद द्वारा स्थापित इस पुरस्कार के तहत 1,00,000 डॉलर (73,45,500 रुपए) की पुरस्कार राशि प्रदान की गई।
- वह एम.एस. स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन (MSSRF) के संस्थापक भी हैं।
- प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथन को यह पुरस्कार हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित 11वें वैश्विक कृषि नेतृत्व शिखर सम्मेलन के दौरान प्रदान किया गया।
- इस अवसर पर एम.एस. स्वामीनाथन जूनियर रिसर्च फैलोशिप की स्थापना भी की गई, यह फ़ेलोशिप वर्ष 2019 से प्रदान की जाएगी।

मानस नेशनल पार्क

भारत-भूटान देशों से होकर बहने वाली मानस नदी हेतु एक एकीकृत नदी बेसिन प्रबंधन योजना पर काम करने के लिये भारत और भूटान सहमत हो गए हैं। यह नदी भूटान से असम तक बहती है जो आगे चलकर ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है।

- मानस नेशनल पार्क (MNP) यूनेस्को द्वारा घोषित विश्व धरोहर स्थल है। यह भारत-भूटान सीमा पर 850 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है।
- यह पहल तेज़ी से बदलते पूर्वी हिमालय, विशेष रूप से असम में आजीविका, खाद्य सुरक्षा, जीवन, संपत्ति और अवसंरचना के संदर्भ में सीमा पर बाढ़ के खतरे को संबोधित करने का संयुक्त प्रयास करती है।
- इस परियोजना का उद्देश्य भारत और भूटान के बीच द्वि-राष्ट्रीय बेसिन सहयोग में विश्वास और सहयोग बनाना है।
- यह परियोजना वाटरशेड उपचार, तलछट प्रबंधन, समुदाय आधारित अनुकूलन और अन्य समाधानों के बीच बाढ़ की प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली सहित पारिस्थितिकी तंत्र आधारित दृष्टिकोणों का संचालन करेगी।

एडिनोवायरस

हाल ही में अमेरिका के न्यू जर्सी में एक वायरस के घातक प्रकोप ने कई लोगों की जान ले ली। गौरतलब है कि यह वायरस कम उम्र के बच्चों को ही अपनी चपेट में ले रहा है।

- इस प्रकोप का कारण एडिनोवायरस को माना जा रहा है।
- एडिनोवायरस ऐसा वायरस होता है जो श्वास नली, आँत, आँख या मूत्र पथ की परत पर पनपता है। यह वायरस जुकाम, निमोनिया, पाचन से संबंधित बीमारियों तथा मूत्र संक्रमण का कारण बन सकता है।
- इस वायरस के दर्जनों उपभेद होते हैं लेकिन इस प्रकोप के पीछे एडिनोवायरस 7 का होना बताया जा रहा है।
- विशेष रूप से एडिनोवायरस 7 खतरनाक होता है और निमोनिया सहित श्वसन संबंधी प्रमुख जटिलताओं का कारण बन सकता है।
- हालाँकि आमतौर पर यह धारणा है कि एडिनोवायरस से मौत नहीं होती है। यह वायरस भी उन लोगों के ऊपर ही हावी होता है जिनकी प्रतिरक्षा प्रणाली कमज़ोर होती है, जैसा कि न्यू जर्सी के बच्चों के मामले में हुआ है।

नोट :